# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार,

24 मार्च, 2000

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई**

**(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)**

## अनुरोध

### राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा की मांग

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

**श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर अकाल का भयंकर संकट है और ऐसे विकट संकट के ऊपर राज्य सरकार बिलकुल किंकर्तव्यविमूढ़ बनकर ऐसा लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हजारों गायें तो मर चुकी हैं, सैकड़ों मैंने स्वयं मेरी नजरों से देखी हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस, वर्तमान मुख्य मंत्री बहुत चिन्ता करते थे अकाल के बारे में जब भाजपा शासन में थी, जबकि पूर्ण व्यवस्था थी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ये कानों में तेल डालकर, आंखें मूंद कर बैठे हैं, लोग मर रहे हैं। आज पेयजल का भयंकर संकट है। ऐसा कभी समय नहीं आया कि बिजली की कटौती 3-3 घण्टे हो और पी.एच.ई.डी. की स्कीम सबसे ज्यादा प्रभावित हो। टेल-एण्ड के ऊपर तो 15-15; 20-20 दिन तक पानी नहीं जा रहा है। कोई व्यवस्था की है आपने आज तक?

अध्यक्ष महोदय, चारे की व्यवस्था के नाम पर हाल ही में इन्होंने डिपो चालू किये हैं। लेकिन इन्होंने उन गायों को नहीं देखा जो गायें इस अकाल का भयंकर संकट आने से ऐसी मरणासन्न हो गयी। खाखले की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, इन्होंने किसी प्रकार के पशुओं के शिविर चालू नहीं किये। नाटक करने के लिए एक-एक जिले में दो-दो, तीन-तीन शिविर खोल दिये हैं। क्या इसके ऊपर आपको कोई भी रहम नहीं आता? आखिर वह हमारी गऊ माता कहलाती है भारत के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे संकट के अन्दर उन मजदूरों के साथ आपने कैसा खिलवाड़ किया है। नाटक हमेशा होता रहा है, रिलीफ के ऊपर...

**श्री अध्यक्ष** : महामहिम के अभिभाषण पर...

**श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : पहले + + + करें। केन्द्र सरकार ने कितना पैसा अकाल के लिये राजस्थान को दिया है? (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने अकाल के लिये कितना पैसा दिया है, यह भी बताएं। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : केन्द्र सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दीं..(व्यवधान) आपने गरीब आदमी को ईंधन के नाम पर लूटा है। उसके साथ अन्याय किया है। मिट्टी तेल की कीमतें बढ़ाकर आपने अन्याय किया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। बिराजिये आप। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** (केकड़ी) : आप राजस्थान की कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दें कि जगह-जगह टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम तो आज तक जब भी शासन में रहे हैं, व्यवस्था की है। यह ऐसा पहला शासन आया है..(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : डीजल की कीमतें आपने बढ़ा दीं। किसान को मार दिया डीजल की कीमतें बढ़ाकर। रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : तेल के दाम बढ़ गये उसके लिये क्या बोला आपने? आपका इनसे क्या वास्ता है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता और राजस्थान की गृहणियों की बात है, तेल की कीमतें बढ़ा दीं। (व्यवधान) आप कब से संवेदनशील हो गये?

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह पहला शासन आया है। कभी भी स्टेट के समय में भी, रियासतकाल के समय में भी पूरी व्यवस्था की जाती थी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** आपने क्या किया? आप ही संवेदनशील हो राजस्थान में? राजस्थान की सारी जिम्मेदारी आप ही कंधों पर है? आप कब से संवेदनशील हो गये? आप तो पुराने सामंतवादी लोग हो। आपको संवेदनशीलता से क्या वास्ता है? (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : बहुत बड़ा अन्याय किसान के साथ हो रहा है।

**श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : अकाल राहत कार्यों के लिये पैसा नहीं है। यह इतना अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : जिस तरीके से गृहणियों के लिये इनकी केन्द्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैस के दाम दुगुने कर दिये, सामान्य आदमी के लिये आज केरोसिन खरीदना मुश्किल हो गया है। (व्यवधान) आपने गरीब के घर का चूल्हा बुझा दिया। आप सरकार के नुमाइंदे हैं आप बी.जे.पी. सरकार पर दबाव डालिये कि बढ़ी हुई कीमतें वापस ले। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठ जाइये।

**श्री रामस्वरूप** : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए, उन्होंने जो महंगाई करके गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : केन्द्र सरकार जानबूझकर राजस्थान के अकाल के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक पैसा नहीं दे रही है केन्द्र सरकार। आपने केन्द्र सरकार को मना कर रखा है कि अकाल के लिए पैसा मत दीजिए। आपकी सरकार है। आपकी सरकार राजनीति कर रही है। अकाल के साथ राजनीति कर रही है।

**श्री रामस्वरूप** : आप किसानों के दुश्मन हो, किसान की बात करते हो। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप दबाव डालिये, आप मांगिये। भाटी साहब, दबाव डालिये कि केन्द्र सरकार अकाल के लिये पैसा दे। अकाल के लिये पैसा नहीं दे रही है। हम हमारे संसाधनों से अकाल के लिए काम कर रहे हैं। आप केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डालिये। (व्यवधान) बी. जे. पी. की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। अकाल राहत के लिये बी. जे. पी. की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। आप चाहते क्या हैं? एक पैसा तक नहीं दिया राजस्थान को — (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि पहले मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : क्या राजस्थान आपका नहीं है? (व्यवधान) क्या भारतीय जनता पार्टी के एम. एल. ए. का राजस्थान नहीं है? आपके लोक सभा के सांसद जाते हैं, उनको केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिये। आप पहले आपकी पार्टी के सांसदों को कहिये कि लोक सभा में वे — (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, अकाल से किसान पीड़ित है। वे जाएं तो जाएं कहां। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप विराजिये, माननीय सदस्य, आप विराजिये।

**श्री सांवर लाल (भिनाय)** : लोग गांव छोड़-छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। पशु मर रहे हैं और राजस्थान सरकार संवेदनहीन हो रही है।

**श्री रामस्वरूप** : दिल्ली सरकार संवेदनहीन हो रही है। दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। (व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, डीजल की कीमतें बढ़ गयीं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : वे पार्लियामेंट में धरना दें इस बात के लिये कि जब तक अकाल के लिये केन्द्र समुचित पैसा नहीं देगा — (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आप लोग + + + किसानों के दुश्मन हो। आपने अकाल का पैसा नहीं देने दिया दिल्ली सरकार को। (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : आपकी दिल्ली की सरकार पैसा नहीं दे रही है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अकाल के लिये व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस प्रकार से जेबें खाली करके — (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : केन्द्र सरकार को कुछ कह नहीं सकते हैं आप? (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल चल रहा है, (व्यवधान) किस नियम के अन्तर्गत ये उठा रहे हैं? यह किस नियम से बोल रहे हैं? जीरो अवर में उठाइये इसको।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में पहला अवसर है जिस समय

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

राज्य सरकार जवाब नहीं दे लोगों को। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : अध्यक्ष महोदय, यह किसान के हित की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया राजस्थान को बिलकुल। रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई, डीजल की कीमतें बढ़ाई, सारे किसान विरोधी कार्य यह सरकार कर रही है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो अवर नहीं है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपकी सरकार ने क्या किया? केन्द्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : अकाल के नाम से एक पैसा राजस्थान सरकार को नहीं दिया। आप लोग सेठों के हिमायती हो, किसानों के दुश्मन हो।

**डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)** : अध्यक्ष महोदय, भयंकर अकाल पूरे राजस्थान में है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ये अकाल के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको + + + आनी चाहिए। आप अकाल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप** : डीजल की कीमत कर करो। अकाल के लिये राज्य सरकार को पैसा दो। अकाल के लिये दिल्ली सरकार पैसा दो। (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : दिल्ली सरकार ने जो हमारा पैसा रोका है, बिजली पर रोका है _ (व्यवधान) डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, + + + आने की बात है। आप सेठ लोगों के हिमायती हो, आप किसानों की बात करते हो?

**श्री सांवर लाल** : यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हमारी केन्द्र में सरकार थी, राजस्थान के लिये, अकाल के लिये भारी संख्या में पैसा मिलता था।

**श्री सांवर लाल** : जनता का ध्यान हटाने के लिये तोड़फोड़ शुरू कर दी। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : पहले आप दिल्ली जाकर के दिल्ली के नेताओं को बताइये कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : दिल्ली में किसान विरोधी अटलबिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं। उन्होंने हम किसानों का सत्यानाश कर दिया। डीज़ल की कीमतें बढ़ा दीं, मिट्टी तेल की कीमतें बढ़ा दीं। खाद की कीमतें बढ़ा दीं। दिल्ली सरकार किसान विरोधी है, वहां जाकर बताओ।

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में भयंकर अकाल व्याप्त है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप दिल्ली जाइये, आपकी पार्टी के आला लीडर को कहिये कि वह राजस्थान को, जो चाहते हैं वह पैसा मांगें, वह दे। तभी अकाल में कार्य शुरू हो पायेगा। राजस्थान सरकार फिर भी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अपने सीमित साधनों से अच्छे से अच्छा प्रबन्ध चला रही है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : किसानों को मिलने वाला डीजल आपने महंगा कर दिया। मिट्टी का तेल महंगा कर दिया। (व्यवधान) उन्होंने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दीं और महंगाई बिलकुल आसमान को छू रही है। सारे किसान दुःखी हैं और यह आज किसानों की बात करते हैं। इन्होंने अकाल राहत का पैसा नहीं देने दिया और आज यह किसानों के हिमायती बनते हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की भयंकर स्थिति है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : + + + न कोई पानी है, न कहीं चारा है। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, आपके दिल्ली में जो सांसद हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इस्तीफा दिलाइये।

**श्री रामस्वरूप** : + + +

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : + + + न पानी है, न चारा है। (व्यवधान) ...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में अपने नेताओं को भी जानते हैं। उनकी पार्टी भेदभाव बरतती है। राजस्थान में जब पूर्व में अकाल पड़ा था (व्यवधान) ...

**श्री रामस्वरूप** : महात्मा गांधी का नाम लेने वालों, + + + (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है।

**श्री रामस्वरूप** : + + + (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : वे चाहे तो विपुल धनराशि दे सकते हैं, फेमिन वर्क के लिए। वे आनाकानी करते हैं। आपके लीडर क्यों नहीं कह सकते कि वे फाइनेंस करें। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : + + + (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपकी सरकार केन्द्र में बैठी है वह फेमिन वर्क के लिए फाइनेंस करें।

**श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : आपकी सरकार ने आज ही कीमतें बढ़ायी हैं।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह दोगली बात आपकी नहीं चलेगी यहां पर। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के ऊपर राजस्थान में सबसे ज्यादा संकट है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप पहले केन्द्र सरकार को कहिये कि जो डिपोजिट मनी है वह फेमिन वर्क के लिए रिलीज करे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : पी. एच. ई. डी. की कोई अलग से बिजली की लाइन नहीं है। वह प्रभावित होती है तो वे टेल एंड के गांव प्रभावित होते हैं, यह क्या व्यवस्था है? (व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री रामस्वरूप** : दिल्ली सरकार ने बिजली की कटौती कर दी। किसानों को बिजली नहीं दी दिल्ली सरकार ने और आप लोगों ने तब कुछ नहीं बोला। दिल्ली सरकार की मेहरबानी से हमारी बिजली कटी है। किसानों के साथ नहीं है आप लोग। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने .. (व्यवधान) राजस्थान की जनता को अपनी जनता नहीं माना है और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दोगली नीति कर रखी है। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों से ध्यान बंटाने के लिए यह लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह केन्द्र में खुद बैठी हुई है। उनको चाहिए कि राजस्थान सरकार ने अकाल के लिए जब पैसा मांगा है तो उसे दें, तब ही फेमिन वर्क पूरा हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप।

**श्री सांवर लाल** : पैसे के लिए यह बार बार कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आसन पैरों पर है। बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप।

**श्री सांवर लाल** : मुख्य मंत्रीजी से वक्तव्य दिलाइये। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को आपने + + + बताया। मेरा यह निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी तो वेजीटेरियन हैं और इसलिए वे + + + हो ही नहीं सकते। वह तो नोन वेजीटेरियन हो सकता है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : भारत सरकार की आड़ लेकर वे जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : गायों को खा गये, गायों को। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : जानवर मर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : मार दिया गायों को, मार दिया। + + + (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आपने + + + गाय को क्या छोड़ोगे आप? गाय की बात करने वालों, आपने + + + (व्यवधान).

**श्री देवीसिंह भाटी** : गायें मर रही हैं। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपने गरीब का चूल्हा बंद कर दिया। आज मिट्टी के तेल का गैस स्टोव नहीं जल रहा है। आज रसोई गैस बंद कर दी। आपने गरीब का चूल्हा बंद कर दिया, यह है भारतीय जनता पार्टी लोगों का उदाहरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के गरीबों के चूल्हे बंद कर दिये। आपने केरोसीन को दुगुना कर दिया। आपने गैस दुगुनी कर दी और अकाल के लिए एक पैसा नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया है, यह सरासर गलत बात है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री रामस्वरूप** : आपने अकाल के नाम पर एक पैसा भी नहीं देने दिया इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दिल्ली सरकार आपकी बैठी हुई है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : फिर आप लोग संवेदनशीलता की बात करते हैं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : आपने कीमतें बढ़वायी हैं। तेल की कीमतें बढ़ायीं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ायी हैं। आप किसान विरोधी हो। आप लोग गरीब विरोधी हो। दिल्ली सरकार इस्तीफा दे।

**श्री हीरासिंह चौहान** : अध्यक्ष महोदय, अकाल की बात करते हैं लेकिन आज एक भी श्रमिक मौके पर काम नहीं कर रहा है। चारे के डिपो खोलने के लिए पैसा नहीं है। कहीं भी चारा डिपो नहीं खोला है। न उनकी...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : गरीब लोगों के चूल्हा बंद कर दो, मिट्टी का तेल महंगा कर दो, गैस को महंगा कर दो और राजस्थान में किसी भी तरह का कोई अनुदान मत दो, यह है भारतीय जनता पार्टी का शासन। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : न चारा है, योजना बना रखी है...(व्यवधान) सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति के बाद फाइनेंस की स्वीकृति, यह स्वीकृति आठ महीने तक पड़ी रहती है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप केन्द्र में बैठे हैं, आपको चाहिए कि आप पैसा दिलाये। आपको चाहिए कि आप सामूहिक दबाव बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान के गरीब लोगों की जो जरूरत है, उसको पूरा कराएं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार तो हमारी है लेकिन यह बैठे हैं...(व्यवधान) + + + के बारे में जानकारी प्राप्त करे कि कहीं कोई फेमिन वर्क चल रहा है या नहीं?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में...(व्यवधान)...

**श्री ज्ञानचन्द पारख** : दीगोद और पाली में एक भी श्रमिक कार्य पर नहीं लगाया गया है और सरकार बिलकुल झूठे आंकड़े दे रही है और कह रही है कि अकाल के कार्य खुल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : कोई फेमिन वर्क नहीं चल रहा है और कहीं चल रहा है तो जांच कमेटी, अध्यक्ष महोदय, आपके सानिध्य में बने। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल मोदी** : यह क्वेश्चन आवर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में बीच में...(व्यवधान)

**श्री फतेह सिंह** : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अकाल के ऊपर जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वे आक्रोश में आकर के इस तरह...(व्यवधान)

**श्री मोहन लाल मोदी** : क्वेश्चन आवर शुरू करायें।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : फिर यह कोपरेट करेंगे और शांतिपूर्वक हाउस को चलने देंगे। आज शुरूआत होते ही इन्होंने इस तरह से गड़बड़ शुरू कर दी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : इतने भयंकर अकाल में क्या प्रश्नकाल जरूरी है?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : तो आप इनको ताड़ना दीजिए।

**श्री रामस्वरूप** : जो आप + + + करके गये, वे आपके + + + हमको भुगतने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री फतेह सिंह** : अकाल की स्थिति हमारे सामने बनी हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल के ऊपर सबसे पहले चर्चा करा ली जाए और उसके ऊपर सरकार कोई जवाब दे और प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्था बिगड़ रही है उसके ऊपर कोई कण्ट्रोल हो जाए तो मेरे क्षेत्र में शांति हो जाएगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : फतेह सिंहजी, कार्य सूची में...(व्यवधान)

**श्री फतेह सिंह** : अकाल के कारण यह व्यवस्था गड़बड़ा रही है। तो मेरा भी यह निवेदन है कि पूरे प्रदेश में अकाल की छाया है और मवेशियों के लिए पीने के पानी की स्थिति बिगड़ रही है और बिना पानी के मवेशी मर रहे हैं और बीमारी का नाम लेकर सरकार टालना चाहती है। अकाल के काम अभी तक भी राज्य सरकार ने चालू नहीं किये हैं, न चारे के डिपो शुरू किये गये हैं, न पानी की व्यवस्था है और बांसवाड़ा जिले की हालत तो बहुत खराब है। मैंने खुद ने देखी है, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : अध्यक्ष महोदय, सभी जगह खोल दिये गये हैं।

**श्री फतेह सिंह** : बांसवाड़ा जिले के अन्दर मात्र बीस हजार लोगों को काम पर लगाया गया है। पूरा का पूरा वहां का आदिवासी पलायन करके गुजरात की तरफ भाग रहा है इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : चारा डिपो खोलने के आदेश दें, जहां आपकी मांग होगी...(व्यवधान) यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : बरामदे की जगह आप खेत में जाओ, खेत में काम चालू हो गये। यह बरामदों की चिन्ता छोड़ आप। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह पूंजीपतियों के बरामदों की तो आपको चिन्ता हो गयी। आपको जो धन देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं उनकी तो चिन्ता हो गयी। आपको चिन्ता थी तो आपके नेता उनको कहते दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में है, वे फाइनेंस करते। आप फेमिन वर्क के लिए पैसा मांगते, उसकी तो चिन्ता नहीं है, बरामदे खाली करवा दो। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : अकाल से जन-जीवन खतरे में पड़ गया है। राजस्थान में अकाल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

से पशु मर रहा है। जवाब नहीं देना चाहते हैं। पशुपालन मंत्रीजी ने कहा है कि...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : बरामदे खाली करवाने होंगे। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह सोच है आप लोगों का, बी. जे. पी. के लोगों का।

**श्री रामस्वरूप** : आप तो बरामदों को रुकवा रहे हो, यहां पर बैठकर। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सोच है कि बड़े-बड़े जो सेठ-साहूकार हैं, इनसे आपको काला-धन मिलता है, उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। आज गरीबों की आपको चिन्ता नहीं है। गरीब के घर का चूल्हा बंद करवाया, उसकी कोई चिन्ता नहीं है। (व्यवधान) केन्द्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है, उसकी कोई चिन्ता नहीं है। आज आप आपकी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर में कोई फेमिन वर्क नहीं किया (व्यवधान) जनवरी में फिर...(व्यवधान)...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपको राजनीतिक रोटी सेंकनी है और कोई चिन्ता नहीं है। आपको काला धन नहीं मिल रहा है इसकी परेशानी है।

**श्री नाथूराम अहारी (डूंगरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, यह बी. जे. पी. के लोग गुमराह कर रहे हैं। इनके राज में मई और जून में और जुलाई में काम खोले गये और लोगों का तबादला किया गया। (व्यवधान) मई और जून में काम खोले गये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपको उन लोगों का काला धन चाहिए। पूंजीपतियों का अतिक्रमण हो गया। उन्होंने अतिक्रमण कर रखे थे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री रामस्वरूप** : ×××

**श्री अमराराम (पचपदरा)** : ×××

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : ×××

**श्री नाथूराम अहारी** : ×××

**श्री देवीसिंह भाटी** : ×××

**श्री मदन दिलावर** : ×××

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : ×××

**श्री सांवर लाल** : ×××

**श्री हीरासिंह चौहान** : ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री रामस्वरूप मीणा** : ×××

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : ×××

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : ×××

**(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)**

**श्री रामस्वरूप मीणा** : ×××

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : ×××

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** : ×××

**श्री अमराराम (धोद)** : ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री कन्हैया लाल मीणा** : ×××

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : ×××

**श्री महेश जोशी** : ×××

**श्री अमराराम (धोद)** : ×××

**श्री रामस्वरूप मीणा** : ×××

**(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)**

**श्री अमराराम (धोद)** : ×××

**श्री मदन दिलावर** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा प्रारम्भ हुई है, आप इस अकाल के मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और अपने तथ्य रख सकते हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : +++ हो तो क्या करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य और भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव भी दिये हैं, इनकी सरकार से सूचना मांगी है। उसके उपरान्त भी आप यह समझते हैं कि अकाल के ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं इसके लिये अलग से चर्चा करवा दूंगा। जो माननीय सदस्य इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं उनसे बात करके, आपके सामने इसकी चर्चा करवा दूंगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें जो भी समय है उसको अलग-अलग कामों में विभाजित कर दिया। प्रश्न यह आता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा सार्थक हो और उस चर्चा के अंदर जो इस समय राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा संकट है, वह मुख्य बिन्दू बने। इस चर्चा में कई प्रसंग आएंगे, कई समस्याएं आएंगी और इसलिए मुख्य बिन्दू अकाल को बनाया जा सके, इस प्रकार की स्थिति इस भाषण से नहीं होने वाली। प्रश्न यह है कि आप जो भी समय तय करें उस पर चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से इस सारी स्थिति पर आज एक वक्तव्य हो जाए तो कम से कम यह जानकारी तो मिले कि जो कुछ लोगों में धारणाएं बनी हुई हैं कि अकाल के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा, रिलीफ वर्क्स कुछ जगह चालू हो गये, कुछ जगह चालू नहीं हुए, कहीं पीने के पानी का संकट है और कहीं अकाल घोषित होने के उपरान्त भी लोगों

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से को-आपरेटिव बैंक्स की वसूलियां हो रही हैं, कई तरह की ये समस्याएं हैं...

**श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) :** शॉर्ट टर्म को मिड-टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपके पास को-आपरेटिव कभी रहा नहीं। बिराज जाओ। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** बिराजने की जरूरत नहीं है। आपने आज के चार दिन पहले विज्ञप्ति निकाली है, केवल चार दिन पहले, और आपको याद होगा कल मैंने एक बात कही थी कि जो विज्ञप्तियां गजट में प्रकाशित होती हैं वह अभी हमको उपलब्ध नहीं हो रही हैं और यदि उपलब्ध हो जातीं या आप मेरे पास भेज देते तो मैं उसको पढ़ लेता। (व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** मैंने कल आपसे निवेदन किया था। कल तो आप बड़े शांत थे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो आपने कहा कि यह पूरा प्रोग्राम रख लो। हमने भी आपसे निवेदन किया, चार दिन रख रहे हैं इस बार। आपने तीन दिन से ज्यादा कभी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस नहीं रखी। हमने चार दिन रखे हैं। इस पर वाद-विवाद के लिये आपने तीन दिन से ज्यादा कभी नहीं दिये। चार दिन इसलिए दिये हैं, श्रीमान्, कि आप बहस कर लीजिए। हमारे दोनों मंत्री तैयार हैं और एक-एक से मजबूती से मुकाबला करेंगे।

**श्री अमराराम (धोद) :** अकाल से मुकाबला करो, इनसे नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मुकाबला करें या नहीं करें, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ज्यादतियां तो हो रही हैं। जैसे देवीसिंहजी भाटी ने एक बात कही और मैं समझता हूं रामसिंहजी इस बात से सहमत होंगे, बिजली के और पानी के सामान्य कनेक्शन अलग-अलग हैं और जहां कनेक्शन टूटता है, बिजली नहीं पहुंचती है तो जहां पानी बिजली से इकट्ठा किया जाकर लोगों को वितरित किया जाता है, वह स्वतः ही ठप्प हो जाता है। आज कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप दस दिन के लिये पोस्टपोन नहीं कर सकते, पांच दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका निपटारा तुरन्त होना चाहिए।

गायों की निकासी हो रही है, गाएं जा रही हैं। आप चारे की कह रहे हैं कि चारा डिपो खोला है। इन सभी माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि चारे के लिए आपने जो कुछ अनुदान दिया है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्या राजस्थान के काश्तकार की आज इकानॉमिक कंडीशन ऐसी है, परचेजिंग कैपेसिटी ऐसी है कि साढ़े तीन या चार रुपये किलो के हिसाब से चारा खरीद कर एक पशु को जिंदा रख सकता है? एक पशु पर रोज का 15 रुपये खर्चा हो तब पशु जिंदा होगा।

आज यह क्वेश्चन पहले नहीं था। पहले हमने ज्यों ही सब्सिडी दी, लोगों ने चारा खरीदने की स्थिति बना ली। मैं अभी जालौर जिले में गया था, अध्यक्ष महोदय, मैंने भीनमाल में काफी संख्या में ट्रक खड़े हुए देखे और ट्रक इसलिए खड़े थे कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारे चारा, कोई खरीद नहीं रहा है। चारा खरीदे कौन? काश्तकार खरीद नहीं सकते। इतना महंगा चारा खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। आज इस प्रश्न पर आपको तुरन्त विचार करना होगा।

आज तक अकाल में, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि ग्रेटिचुअस रिलीफ लोगों को मिलती थी, उस रिलीफ की इस समय तक कोई घोषणा नहीं की है। आपने इसकी मार्च के महीने में घोषणा की है। लेकिन आपसे कोई यह सवाल पूछ सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें सहायता मिले, आपने गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो ज्ञापन दिया है कि उस ज्ञापन के अन्दर आपने नवम्बर के महीने में काम खोलने की बात कही है। नवम्बर में काम खोलेंगे, दिसम्बर में...(व्यवधान)

**श्री आर. पी. शर्मा** : भारत सरकार क्या मदद कर रही है, इस पर भी आप चर्चा कर लें। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने काम खुले हैं, उन काम में पहले तो यह क्वेश्चन था कि बिना मैटीरियल कम्पोनेंट के काम को लेंगे, मैटीरियल कम्पोनेंट की भी बात कही है, अभी तक जिलाधीश के पास मैटीरियल कम्पोनेंट के बारे में सैंक्शंस चली गयी होंगी लेकिन धन नहीं गया है और इसके कारण से काम यों के यों बंद पड़े हैं। पानी का संकट है, चारे का संकट है और सबसे बड़ा संकट, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं गुलाब सिंहजी से, मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं कि वे स्वयं जाएं और जालौर जिले की पथमेड़ा में गऊशाला है उसको देख कर आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं अभी पांच दिन पहले उस गऊशाला में चला गया और जाने के बाद में जो हालत देखी, मैं बच गया, नहीं तो मुझे खुद को बेहोशी आ रही थी, मुझे लोग वहां पर उठाते। (व्यवधान) आपको दर्द नहीं है। आपको दर्द नहीं होगा। गाएं मर रही हैं और मरी हुई गायों को घसीट कर खड्डे में डाला जा रहा है, आज इस प्रकार की स्थिति बनी है। उस स्थिति पर मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने आर्थिक संकट है या नहीं है, मैं कहता नहीं, लेकिन यदि चर्चा होगी तो मैं कह सकता हूं कि कोई राजस्थान की सरकार के सामने आर्थिक संकट नहीं है जिसके कारण काम चालू नहीं किये जा सकें। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के पास साधन हैं, साधन खर्च नहीं किये जा रहे हैं। अगर साधन नहीं हैं तो क्या जिम्मेदारी हमारी है? क्या यह राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी है कि सरकार के पास साधन नहीं हैं? सरकार साधनों की व्यवस्था करे। भारत सरकार से ले या किसी से भी ले। यह जिम्मेदारी...

**श्री खेतसिंह राठौड़** : वह दे कहां रहे हैं?

**श्री महेश जोशी** : आप भारत सरकार से दिलवा दो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बैठिये। मैं आज आपको बता दूं कि मैं मुख्य मंत्री था, अकाल कई बार पड़े हैं लेकिन मैंने आपसे कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास साधन नहीं है और मुझे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार से आप साधन दिलाइये। आपसे कभी नहीं कहा। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : आपने कई बार सहयोग मांगा और आपको सहयोग दिया कांग्रेस वालों ने लिबरली आपकी वकालत जाकर करते थे। आपको संसाधन उपलब्ध कराये। यह दुर्भाग्य है कि आप नहीं जा रहे। (व्यवधान) गाएं मरती हुई देख रहे हैं, यह आरोप आप लगा रहे हैं और भारत सरकार को नहीं कह रहे हैं।

**श्री महेश जोशी** : माननीय नेता महोदय, आपको चार दिन बाद आज तकलीफ हुई है, आज आप बोल रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से दो ही प्रकार से साधन मिलते हैं। एक तो सी. आर. एफ. के मातहत। आपमें से कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि सी. आर. एफ. में भारत सरकार को जो किश्त राजस्थान को देनी थी उसमें एक पैसा भी बाकी है। कोई कह दो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (गृह मंत्री) : वह तो प्रावधान है, वह कोई अहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। बात स्पेशल ग्राण्ट की है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं न।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : सवाल यह है, सी. आर. एफ. का पैसा तो हमेशा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिलता है, मिलता रहा है, मिला है। उसमें कहां है। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप मुझे बोलने दीजिये।

मैं आज कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह इस समय कहते हैं पैसा नहीं है, सी. आर. एफ. का 100 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार के पास बिना खर्च किये हुए पड़ा है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, मेरे भतीजे हैं, आपके पीछे बैठे हैं, 180 करोड़ रुपये मंडी समितियों का आपके पास पड़ा है। मंडी समितियों में एक वर्ष से आपने खर्चा नहीं किया। (व्यवधान) अब चालू किया है न। अब 180 करोड़ रुपये में से बहुत कुछ पैसा अकाल राहत कामों में डोवटैलिंग से किया जा सकता है।

मैं तीसरी बात आपको फिर कहता हूं कि जितनी भी सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का पैसा जितना भारत सरकार से लेना चाहिए उतना पैसा हम भारत सरकार से नहीं ले पाये, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण जो राजस्थान का कांट्रीब्यूशन होना चाहिए 25 परसेंट का, वह 25 परसेंट का जो कांट्रीब्यूशन नहीं दिया उसके कारण से भारत सरकार की स्पेशल स्कीम्स का जो रुपया मिलना चाहिए, वह नहीं मिला और दूसरा कारण यह है कि यूटिलाइजेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सर्टिफिकेट अभी तक हमने भारत सरकार को नहीं दिया। अब यह सारी स्थितियां हैं। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति की बस्तियों में अवैध रूप से ठेकेदारों ने शराब की दुकानें खोल रखी हैं वह बंद करवानी है। प्रश्न संख्या एक बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : बैठिये आप।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम विधान सभा की कार्यवाही में कोई विघ्न पैदा नहीं करना चाहते हैं, आप भरोसा रख कर चलिये।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : 35 मिनट हो गये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 35 नहीं 50 मिनट हो जाएं तो चिंता नहीं है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : सब परम्पराएं, सब नियम, कानून उठा कर के ताक में रख दिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप बैठिये।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह प्रश्नकाल है। जितना अकाल राहत पर आपको जो कुछ कहना था, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रवचन आ गये हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : + + + आपके असर नहीं पड़ता। + + +

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्रश्नकाल चलने दें।

**श्री हीरासिंह चौहान** : सदन की परम्परा है कि हमारे, विपक्ष के नेता बोलते हैं (व्यवधान) बीच में कोई नहीं बोले।

**श्री महेश जोशी** : आज ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा जिसको आप टालना चाह रहे हो?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आज शराब माफिया का प्रश्न है, आप नहीं चाहते कि शराब माफिया के प्रश्न पर यहां पर चर्चा हो। (व्यवधान) मालूम है आपकी असलियत।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर तुरन्त निर्णय करना चाहिए।

दूसरा आपने कहा कि भारत सरकार पैसा देती है। भारत सरकार पैसा देती है उसमें दूसरा है एन. एफ. सी. आर. का, नेशनल फंड फोर केलेमिटी रिलीफ। उसमें कुल भारत सरकार के पास जो पैसा है वह है 700 करोड़। 700 करोड़ में 500 करोड़ उड़ीसा के साइक्लोन में खर्च हो गये, बाकी की स्टेट्स में जहां साइक्लोन आया, उसमें खर्च हो गया। अब वह 700 करोड़ रुपये बढ़े, मैंने भी कोशिश की है, गहलोत साहब ने भी कोशिश की है। एक बार मुझे 21 करोड़ रुपया मिला जब भरतपुर में और यहां बाढ़ आयी थी। दूसरा, पिछले अकाल

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में 21 करोड़ रुपया मिला। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज अगर यह कह कर चलें कि भारत सरकार हमें पैसा देगी तभी हम अकाल राहत काम खोलेंगे, भारत सरकार पैसा देगी तभी हम चारे का प्रबंध करेंगे, भारत सरकार पैसा देगी तभी हम पानी की व्यवस्था करेंगे तो यह काम नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि यदि आपके सामने पैसों का संकट है, जो मैं नहीं मानता कि कोई संकट है, कोई संकट नहीं है पैसों का, आज आप एशियन डवलपमेंट बैंक से 1500 करोड़ रुपये का कर्जा ले रहे हैं, आप कहीं से क़र्जा भी ले सकते हैं। आज दुकानें तुड़वाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आप क्या चारे के लिए कर्जा नहीं ले सकते हैं?

**श्री महेश जोशी** : आपकी पीड़ा सामने आ गयी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह पीड़ा मेरी नहीं है, यह पीड़ा आपकी होगी।

**श्री महेश जोशी** : आपकी पीड़ा सामने आ गयी। आपको नैतिक अधिकार नहीं है अगर भारत सरकार पैसा नहीं देगी तो बोलने का इस समय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं समझता हूं यह पीड़ा आपकी ही होगी। यह पीड़ा आपकी होगी, मेरी नहीं होगी।

**श्री महेश जोशी** : भारतीय जनता पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को नैतिक अधिकार नहीं है अगर भारत सरकार पैसा नहीं देती है तो और राजस्थान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम भारत सरकार के भरोसे हैं। राजस्थान की सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस राज्य में किसी अकाल पीड़ित को सहायता करनी पड़ेगी, अपने दम पर करेंगे लेकिन आपको नैतिकता नहीं है इस बात को कहने की।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : देखिये, मैं आपको यह बता देऊं, मेरी सुन लो।

**श्री महेश जोशी** : और अभी तो आप तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, आपकी पीड़ा यह है कि बरामदे खाली हो गये। बात घुमा-फिरा कर कहीं न कहीं...(व्यवधान)

**श्री सांवरलाल (भिनाय)** : जयपुर में बुलडोजर चलाया (व्यवधान) गांवों में और बुलडोजर चलवा दो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपके अभी लीडर बोलेंगे तो नहीं बोलने देंगे। यह आपके लीडर भी नहीं बोल पायेंगे।

**श्री सांवरलाल** : गांवों की जनता पर बुलडोजर चलवा दो, यह कर सकते हो आप। इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हमारे दल के नेता बोल रहे हैं या सत्ता पक्ष के नेता बोलें, इसके बीच में इन्टरबीन करना उचित नहीं है। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो खाली करा लिये, आपकी तो दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय मालूम पड़ गया था। यह तो स्ट्रोंग विल पावर का सवाल है। हमारी थी तो खाली करा लिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : इस भ्रम में मत रहना।

**श्री मदन दिलावर** : जो अत्याचार किया है...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपकी पीड़ा तो सामने आ ही गयी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यदि आपके दल के नेता बोलेंगे तो उनको भी हम इन्टरबीन करेंगे, नहीं बोलने देंगे।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आप तो नुमाइंदगी कर रहे हैं पूंजीपतियों की, काले धन वाले लोगों की। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : इस सदन के नियमों में कहीं किसी को नहीं दी गयी है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम इन्टरबीन करेंगे। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : इन्टरबीन नहीं, उनकी पैरवी कर रहे हैं यह। (व्यवधान) भू-माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : अकाल पीड़ितों ने तो रो-रो कर टब भर दिया और आप इतने + + + निकले उसमें नहा कर चल दिये। + + + आपको + + + नहीं आती।

**श्री अशोक (खण्डार)** : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में 8 सालों में दोनों हाथों से पैसा लुटाया। किसी योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया। आज उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को देना पड़ रहा है। इन लोगों ने 8 सालों तक जमा नहीं कराये और आज हमारी सरकार कोशिश कर रही है और 762 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र इकट्ठे कर लिये हैं। और यह अभियान चलाया जा रहा है। आप भारत सरकार से पैसा दिलवाइये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे विषयों पर अकाल राहत मंत्रीजी का स्टेटमेंट हो जाए और अकाल राहत मंत्रीजी के स्टेटमेंट से यह जानकारी मिल जाए कि संकट क्या है, इसका समाधान कैसे हो रहा है, समाधान में किस प्रकार की कमी है और फिर आप जो समय निश्चित करें उस दिन उसके ऊपर डिबेट की जाए।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (पुनर्वास एवं सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सम्मानीय सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के नेता ने राजस्थान में अकाल की समस्या के सम्बन्ध में...(व्यवधान) यह तो मैं नहीं कहने जा रहा था, जो चिन्ता व्यक्त की है, राजस्थान सरकार भी उतनी ही चिन्तित है और उससे ज्यादा गम्भीर स्थिति मानकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी। कल चूंकि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं था इसलिए मैं आज तैयार होकर तो नहीं आया हूं लेकिन मैं, कल-परसों की छुट्टी है, राज्य सरकार द्वारा अब किये गये प्रयत्नों और पशु-धन को बचाने के लिये किये गये प्रयास को और सब कामों के सम्बन्ध में जो निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं और उनकी क्रियान्विति में की दिशा में जो कदम उठाये गये हैं उनके बारे में सोमवार को दोपहर के बाद माननीय सदस्यों को सारा मैटीरियल सप्लाई कर दूंगा। मुझे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं यह आश्वस्त

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

करना चाहूंगा कि राज्य सरकार चाहे कर्ज में डूबी हो, चाहे कुछ भी हो, मुख्य मंत्रीजी ने मुझे निर्देश दिये हैं कि पशुधन को बचाने के लिए, पीने के पानी की समस्या के लिए और रोजगार देने में सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेगी। हमने यह निर्णय लिया है और मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं। समय-समय पर मैंने आपसे अनुरोध भी किया था और आज फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी नैचुरल केलेमिटी रिलीफ फण्ड से केवल उड़ीसा को दो सौ करोड़ या चार सौ करोड़ का विशेष अनुदान दे सकते हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, राजस्थान के मुख्य मंत्री रहने के नाते आपने देखा होगा, राजस्थान के पिछले इतिहास को आप देखें, केवल दो साल अच्छे निकले हैं। लगातार अकाल पड़ता रहा है, उड़ीसा से गम्भीर समस्या राजस्थान की है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है और दूसरी तरह रेगिस्तानी इलाका है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एन. सी. आर. एफ. से अगर उड़ीसा को पांच सौ करोड़ रुपया मिल सकता है तो राजस्थान जो भयंकर अकाल की स्थिति में है, आप और हम सब मिलकर क्यों नहीं कहें कि राजस्थान को भी दो सौ करोड़ रुपयों की मदद कीजिएगा। एन. सी. आर. एफ. केवल उड़ीसा के लिए ही नहीं है, एन. सी. आर. एफ. पूरे देश के लिए है। उसका हिस्सा पूरे देश को मिलना चाहिए था। वह हमें नहीं दिया गया। केवल उड़ीसा में चुनाव होने की वजह से वहां इस धन का उपयोग किया गया है। मैं कहना नहीं चाहता, मैं इसको राजनीतिक रंग में नहीं ले जाना चाहता लेकिन चूंकि उड़ीसा में चुनाव थे, एन. सी. आर. एफ. का सारा पैसा आपने वहां लगा दिया और दूसरे राज्यों को आपने वहीं का वहीं रख दिया। (व्यवधान) आप बिराजो सरकार, मैं आपका जवाब तो दे दूंगा। मैं सिर्फ एक मिनट में ही बात समाप्त कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी, आप सोमवार को स्टेटमेंट देने के लिए तत्पर हैं। आप डिटेल में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट में फैक्चुअल पोजीशन लेकर तैयार होकर आएं।

**श्री गुलाब सिंह शक्तावत** : सर, मैंने निवेदन कर दिया कि मैं सोमवार को सारे तथ्यों को प्रस्तुत कर दूंगा। कोई छिपाने का सवाल नहीं है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : भारत सरकार के सौतेलेपन के सम्बन्ध में जो निन्दा करनी चाहिए, यह तो कहने दीजिए इनको।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रश्न संख्या-1

**श्री अध्यक्ष** : श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

संख्या ज्यादा है, समानीकरण योजना की, इसके लिए एक पवित्र सोच है और इस अच्छे कार्य के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी को और आपको किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारीगण ने राजस्थान के समस्त जिलों में खास तौर से दौसा जिले में इसका राजनीतिकरण कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, इसमें अनियमितताएं बरतीं और भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास वह उदाहरण है जिसके द्वारा मैं यह बताता हूं कि समानीकरण के नाम पर समानीकरण नहीं करके असमानीकरण किया। अनियमितताएं बरतीं और उसमें शिक्षकों को परेशान कर दिया गया।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास करीब एक दर्जन नाम हैं जिसमें समानीकरण की योजना को ताक में रख दिया गया। शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी भावना अच्छी हो सकती है किन्तु आपकी भावना अच्छी होने से कोई वास्ता नहीं, यदि निचले स्तर पर, जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर शिक्षकों में समानीकरण के नाम पर पक्षपात करके, पैसे का लेन-देन करके, इस तरह की बात होती है तो मैं समझता हूं कि जो यह शासन है, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कर रखा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे वह नहीं हो पा रहा है। मैं आपको नाम बता रहा हूं। एक जगराम अध्यापक है जो पहले कौराना में थे। इनको सरप्लस बताकर कालाखोह मढ़ी सिकराय लगा दिया गया। उसके बाद इन्हीं को समायोजन में वहां से हटाकर ठिकरिया कर दिया गया। ठिकरिया से हटाकर तीसरी जगह किया गया। वहां पर सरप्लस नहीं है और वहां पर भी यह बता दिया गया कि यहां कोई सरप्लस की पोस्ट नहीं है, यहां पर नहीं आने चाहिए थे। इनके अतिरिक्त दूसरी श्रीमती विजय वैद्य हैं इनका भी किया गया। कैलाश वेदवाल, मोहनलाल और रामकिशोर। इस तरीके से करीब एक दर्जन इन्होंने ट्रांसफर किये हैं। जो समानीकरण योजना में कतई नहीं हो सकते थे। इस तरीके से जो सरकार की मूल भावना थी कि प्रपोर्शनेटली टीचर हर स्कूल को मिलें और शिक्षक विहीन स्कूल नहीं रहें उसके बदले में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारीगणों द्वारा मनमानी की गयी है। उस मनमानी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम विधायकगण अपने दृष्टान्त दे रहे हैं, आपको लिखित में मैं निवेदन करूंगा, मुझे यह विश्वास दिलाइये कि इसकी जांच होगी और जिन्होंने इस समानीकरण के खिलाफ जाकर ट्रांसफर किये हैं उनको आप दण्डित करेंगे। तभी हमारी सरकार की एक स्वच्छ जो छवि है वह उभर कर आएगी।

**श्री सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन अध्यापकों का नाम दिया और भी नाम दे दें, समानीकरण के नियम के खिलाफ किसी भी डी. ई. ओ. ने अगर आदेश निकाले हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और नियमानुसार उन सबको ठीक कर दिया जाएगा।

**श्री मोहन लाल मोदी :** यह सिर्फ बांदीकुई में ही करेंगे या सीकर में भी?

**श्री रामस्वरूप** : यह सिर्फ बांदीकुई का ही मामला नहीं है। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल मोदी** : मंत्री महोदय, सीकर में भी इस तरह की कार्यवाही हुई है। (व्यवधान) कई जगह इस प्रकार की पायी गयी हैं।

**श्री रामस्वरूप** : आपसे निवेदन है आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिये और इस मामले को सभी जगह के लिए लागू करें। मैं भी आपको कई उदाहरण इस प्रकार के दे सकता हूं जहां इस प्रकार का काम हुआ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से, निवेदन करूंगा कि आप इसको पूरे राजस्थान में ही दिखा लें। आपने कहा डिजायरों के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुए, इन्होंने ट्रांसफर कर दिये उनके। मेहरबानी करके सबकी ओर से ही इस बात को रखें।

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है लेकिन मैं उनके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समानीकरण के नियमों के विपरीत किसी भी डी. ई. ओ. ने यदि कोई आदेश निकाले हैं, आप मुझे सूचित कर दें, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

**श्री मोहन लाल मोदी** : एक निवेदन और है, मंत्री महोदय, कि जहां से निकाले गये और वहीं फिर वापस लगाये गये, यह स्थिति भी आप देखिये। समानीकरण के हिसाब से कुछ अध्यापकों को निकाला है।

**श्री सी. पी. जोशी** : आप कृपया नाम दे दीजिये, मैं कह रहा हूं ना, बाकी क्या बचा है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि समानीकरण के नार्म्स पहले आपने यह तय किये कि जहां अधिशेष अध्यापक हों तो अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक को हटाया जाए और रिक्त स्थान पर उसको लगाया जाए? क्या यह सही है कि बाद में आपने नार्म्स बदले, क्योंकि कई जगह अध्यापक ज्यादा हो गये और आपने यह नार्म्स बनाये कि जो सबसे कम ठहराव वाला अध्यापक है तो...

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। सप्लीमेंटरी का अधिकार है मेरा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : जो टोटल सैंक्शन स्टाफ की स्ट्रेन्थ है, मान लीजिये, बीस अध्यापक हैं और बाइस हो गये तो जो सबसे कम ठहराव वाला अध्यापक है उसको हटाया जाए? तो यह प्रश्न का एक भाग पांच है वह उसमें एप्लाई करता है। इस प्रकार से कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनका पहले भी समानीकरण में ट्रांसफर हुआ है और बाद में भी हुआ और नियमानुसार हुआ है। यह नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपने नियम बदला क्यों?

**श्री सी. पी. जोशी** : न तो हमने नियम बदला। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई नियम नहीं बदला है। जो नियम बनाये गये हैं उन नियमों की पालना में आपकी

(श्री सी. पी. जोशी)

जानकारी में कोई भी केस हो तो आप लिखकर दें, मैं उस नियम के अनुसार काम करूंगा। पर एक बात समझ लें, समानीकरण में उस अध्यापक को परिवेदना का अधिकार दिया गया था। उस परिवेदना के अधिकार में यदि वह जगह खाली मिल गयी तो उस परिवेदना के अन्तर्गत उसको एडजस्ट किया है। इसलिए आप दो चीजों को कन्फ्यूज नहीं करें। हमने अधिकतम ठहराव के आधार पर, छात्रों की 1 : 49 के आधार पर, सब्जैक्ट के आधार पर, इसलिए आप जो कह रहे हैं यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन्स हैं आपके पास इस तरह के एक्जाम्पल हैं तो You give me an example. I will take action.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री जी, मेरा सवाल सीधा है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी कोई कर्मचारी से शिकायत नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा यह सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं मेरे को आप मौका दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार ने पहले यह नियम बनाया या नहीं बनाया?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मेरा सवाल है, मैं प्रश्नकर्ता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के भाग चार में उत्तर दिया है, जी नहीं। अब आप कह रहे हैं, हम जांच करायेंगे। तो आपको इसमें उत्तर यह देना चाहिए था कि हम जांच करा रहे हैं। आप यहां कह रहे हैं कि समानीकरण के नाम पर एक-एक अध्यापक का पांच-पांच बार ट्रांसफर हो रहा है। एक ही महीने में पांच बार हुआ है। वह क्या समानीकरण हुआ? जिसको जहां लगाया उसको घूम फिर कर जहां से हटाया वहीं लाकर छोड़ दिया, यह क्या समानीकरण हुआ?

दूसरा मेरा यह है कि आपने छात्रों का आधार बताया। एक स्कूल में 300 छात्र हैं वहां अध्यापक चार हैं और 250 हैं वहां दस हैं। इसलिए आपको सारी जांच करके ही इसका उत्तर देना चाहिए था। आपने भाग चार में कहा, जी नहीं और अब कह रहे हैं जांच करायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है उस पर अभी भी कायम हूं। जो मैंने बात कही है उस पर अभी भी कायम हूं। जो मैंने उत्तर दिया है वह सही उत्तर दिया है। आपकी जानकारी को करेक्ट कर लें। छात्रों की संख्या या समानीकरण का सवाल नहीं है। उस समय उस विषय के अन्दर 49 से अधिक विद्यार्थी हैं, उससे कम विद्यार्थी थे तो वहां दो अध्यापक में से एक अध्यापक को हटाया है। टोटल स्ट्रेन्थ को आधार नहीं बनाया है। हमने सब्जैक्ट को आधार बनाया है और जो मिडल स्कूल हैं उनमें जो छात्रों की संख्या है उसको आधार बनाया है। इसलिए आपके प्रश्न को आप करेक्ट कर लें। यदि आप सैकण्डरी के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं तो उसमें विषय आधार है, उसमें उस विषय के कितने विद्यार्थी थे। यदि आप मिडल स्कूल का प्रश्न पूछ रहे हैं तो मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल

(श्री सी. पी. जोशी)

में 1 : 49 के जो छात्रों का अनुपात है उसमें टोटल छात्रों की संख्या के आधार पर हमने किया है।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जो जानकारी है उस जानकारी से आपके पास जानकारी सही है तो कृपया मुझे लिखकर दे दें, मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। अभी जो मैंने उत्तर दिया है, मेरे अधिकारी की पूर्ण जानकारी के आधार पर दिया है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : प्रश्न का भाग चार यह नहीं है। प्रश्न का भाग चार यह है, क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही में अधिकारियों ने सरकार के आदेशों के विपरीत भी पदस्थापन आदेश जारी किये हैं?

**श्री सी. पी. जोशी** : नहीं किये हैं। नहीं किये हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं किये हैं।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : मैं बताऊंगा आपको।

**श्री सी. पी. जोशी** : आप बताओगे तो एक्शन ले लेंगे इसमें क्या तकलीफ है। हम कह रहे हैं, नहीं किये हैं। आप बतायेंगे तो हम कार्यवाही करेंगे इसमें क्या तकलीफ है।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : जब आपको जानकारी ही नहीं है।

**श्री सी. पी. जोशी** : मुझे जानकारी है कि हमने नहीं किये हैं। मैंने अधिकारी से सूचना लेने के बाद जवाब दिया है। इसमें नहीं किये हैं। आपके पास जानकारी है तो दें, जिसने गलत सूचना दी उसके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह जो आपने आदेश पेश किये हैं इस प्रश्न के उत्तर में, उनमें यह है कि एक-एक अध्यापक का तीन-तीन बार हुआ है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मंत्री जी, मेरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिये। मेरी कोई शिकायत नहीं है अधिकारियों से। राज्य सरकार ने पहले समानीकरण के नियम यह बनाये हैं कि जहां अधिशेष...

**श्री सी. पी. जोशी** : हमने नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने जो नियम बनाये वही नियम हैं। हमने कोई नियम परिवर्तन नहीं किया। हमने जो शुरू से नियम बनाये उसमें किसी भी जगह परिवर्तन नहीं किया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय मंत्री जी, आप समानीकरण के नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

**श्री सी. पी. जोशी** : हमने रख दी है। सदस्यों के जवाब की रख दी है। हमने रख दी है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अब मेरा जो प्रश्न है, आप बार-बार कह रहे हैं परिवर्तन नहीं किया, एक्सेस स्टाफ में आपने कम से कम ठहराव वाले को हटाया कि नहीं हटाया? एक्सेस स्टाफ में आपने कम से कम ठहराव वाले को हटाया है।

**श्री सी. पी. जोशी** : नहीं हटाया है। इसने अधिकतम ठहराव वाले को हटाया है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : पहले, पहले।

**श्री सी. पी. जोशी** : नहीं। अभी भी हमने अधिकतम ठहराव वाले को हटाया है। परिवेदना में यदि जगह खाली थी और वह आदमी वहां पर आ रहा है, that is excestion. बाकी आज भी नियम वही है कि उस विषय में यदि अधिकतम ठहराव का टीचर है तो सबसे पहले उसी को हटाया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

## सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति

4. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष किस उद्देश्य से की गयी तथा अब तक उसमें कितनी सफलता मिली है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष करते समय यह तय किया था कि जो पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होंगे उनको बेरोजगार युवकों को नौकरी देकर भरा जाएगा?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त रिक्त पदों के विरुद्ध कितने बेरोजगार लोगों को नौकरी दी गयी?

(4) जब बेरोजगार लोगों को रिक्त पदों के विरुद्ध नौकरी देने का उद्देश्य था तो फिर रिक्त पदों को समाप्त करने के क्या कारण रहे?

**वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह)** : (1) सेवानिवृतत्ति की आयु में कमी इसलिए की गयी ताकि रोजगार हेतु कुछ पद उपलब्ध हो सकें तथा सेवानिवृत्ति से रिक्त जिन पदों को भरा जाना आवश्यक था, उन पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अनावश्यक पदों को ही समाप्त किया गया है।

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानन चाहता हूं कि कुल कितने पद पहले रिक्त थे तथा सेवानिवृत्ति से कितने पद रिक्त हुए तथा उनके बदले में कितने पदों को भरा? किस-किस विभाग में कितने कितनों को लगाया? दूसरा आपने कहा है कि जी नहीं। दूसरे खण्ड में जो है, 60 से 58 वर्ष करते समय यह तय किया था कि जो सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होंगे उनको बेरोजगार युवकों को नौकरी देकर भरा जाएगा? आपने कहा, जी नहीं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1 अप्रेल, 99 को इसी विधान सभा में कहा था, यहां कहा था कि जो 60 से 58 वर्ष जो आयु की है और उससे जितने भी रिक्त पद होंगे उसको शीघ्र भरा जाएगा। क्या यह असत्य था? इन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस प्रश्न के भाग दो को गौर से देखें, क्या यह सही है कि सकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष करते समय यह तय किया था कि जो पद सेवानिवृत्ति के कारण, अब रिटायरमेंट में 58 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जो लोग रिटायर होंगे, एक-दो-तीन-चार प्रमोशन ले लेते हैं, उन प्रमोटेड पदों के ऊपर तो उनको डाइरेक्ट रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, तब इस बात के लिए मैंने कहा, जी नहीं। नम्बर एक। यह जो भ्रान्ति फैलाने की बात राजस्थान के बेरोजगार नवयुवकों के अन्दर की जा रही है कि राजस्थान सरकार ने रोजगार के सारे अवसर समाप्त कर दिये हैं...

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, इस समय लगभग साढ़े नौ लाख युवा शिक्षित बेरोजगार हैं तथा डेढ़ लाख लोग टेक्निकल शिक्षा प्राप्त बेरोजगार हैं, साढ़े सात लाख लोग अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार दोगे? आपने इसके सम्बन्ध में इस विधान सभा में कहा 1 अप्रेल को माननीय भैरोंसिंहजी साहब ने पूछा तो आपने कहा कि इन सारे पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है और आपका जो यह बाइबल रूपी घोषणा-पत्र है इसमें आप देखें तो आपको इसके पृष्ठ पर पता चलेगा, इस में आपने लिखा हुआ है कि हम 60 से 58 साल करेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे।

**कु. मीनाक्षी चन्द्रावत** : सब एक ही साल में बेरोजगार हो गये क्या? मैं आपसे पूछ रही हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : वह रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगार लोगों के साथ क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। यह बेरोजगार लोगों का मामला है। (व्यवधान)

**कु. मीनाक्षी चन्द्रावत** : 8 साल में कितने रोजगार दिये हैं इन्होंने? क्या यह एक ही साल में बेरोजगार हुए हैं सारे?

**श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : अध्यक्ष महोदय, 12 हजार स्कूलें खोली हैं क्या उनमें रोजगार नहीं मिला क्या? (व्यवधान) राजीव गांधी पाठशाला खोली हैं क्या उनमें रोजगार नहीं मिला क्या? आपको यह पता ही नहीं है, कितना रोजगार दिया है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का मामला है। यह बेरोजगारों का मामला है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह सरकार, + + + बेरोजगारों का रोजगार देना नहीं चाहती है। यह सरकार इस बाइबल...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 30 हजार लोगों को रोजगार दिया है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : आपकी केबिनेट का जब फैसला हुआ था...(व्यवधान)

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आपने तो राजस्थान का ही भट्टा बैठा दिया था आप क्यों बोल रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : जो संवाददाता को अपनी भावना कही उस भावना को मैं आपको बता रहा हूं। संवाददाता को मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त। सम्माननीय कटारियाजी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : बात कही उसमें उन्होंने लिखा कि फैसला 31 मार्च, 1999 को लागू होगा। फैसला लागू होने पर करीब 15 हजार लोगों को नौकरी मिल सकेगी। मुख्य मंत्रीजी का संवाददाता को केबिनेट मीटिंग के बाद जो वर्शन था वह यह था कि 15 हजार पद खाली होंगे 31 मार्च को और इन 15 हजार पदों पर नौजवानों को नौकरी मिलेगी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : 30 हजार लगाये हैं, 30 हजार। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 30 हजार है...(व्यवधान) यह है आपका, यह मेरा नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय अध्यक्ष महोदय 20 हजार आदमियों को रोजगार मिला है। राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर 20 हजार लोगों को रोजगार मिला है। राजीव गांधी पाठशाला में मिला है। (व्यवधान) क्या यह रोजगार नहीं मिला है उसके अन्दर? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : संवाददाता सम्मेलन में मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप** : माननीय दिलावरजी, राजीव गांधी पाठशाला में जो 20 हजार नवयुवकों को रोजगार मिला है क्या इसका नाम रोजगार नहीं है? (व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** : 30 हजार लोगों को रोजगार दिया है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह मुख्य मंत्री का संवाददाता सम्मेलन में दिया हुआ बयान है...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता शर्मा** : 30 हजार लोगों को रोजगार दिया है।

**श्री मदन दिलावर** : पेज 129 को देखें। अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका भी फोटो है। आपका भी फोटो है, जिस पर लिखा हुआ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कटारियाजी, आप बैठिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : आर. एस. एस. के कार्यकर्ताओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, आर. एस. एस. के कार्यकर्ताओं को रोजगार कैसे मिले?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री मदन दिलावर** : यह युवा लोगों के साथ धोखा है। इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे चाहे जो दंड दीजिए लेकिन यह जनता के साथ, गरीब लोगों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है यह सहन करने योग्य नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

## जयपुर संभाग में संचालित अवैध शराब की दुकानें

1. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने शहर/गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री हेतु दुकान खोलने की स्वीकृति दे रखी है? यदि हां, तो किस कारण एवं किन-किन स्थलों पर?

(2) जयपुर संभाग के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के किन-किन स्थानों पर शराब बिक्री हेतु दुकानें स्वीकृत हैं?

(3) उक्त संभाग के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने सार्वजनिक स्थानों पर कहां-कहां शराब बिक्री हेतु अवैध दुकानें खुली हुई हैं? क्या सरकार इन्हें बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इन्हें कब तक बन्द करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) शहर एवं गांवों में शराब बिक्री की खुदरा दुकानों के स्थान (लोकेशन) स्वीकृत करने हेतु राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में प्रावधान है। देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के खुदरा लाईसेंस की शर्त संख्या 4 में भी तदनुसार व्यवस्था है, जिसके क्रम में दुकानों के स्थानों (लोकेशन) का अनुमोदन किया जाता है।

(2) जयपुर राजस्व सम्भाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री हेतु स्वीकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जयपुर राजस्व सम्भाग में शराब की अवैध दुकानें संचालित नहीं हैं।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

2. **मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :** क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में वक्फ बोर्ड में आय/व्यय कितना-कितना रहा है? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वक्फ बोर्ड की कितनी बकाया लेनदारी किन-किन में है? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त राशि की वसूली हेतु बोर्ड क्या प्रयास कर रहा है?

(3) क्या वक्फ बोर्ड में कोई वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जांच चल रही है? यदि हां तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में 15 मार्च, 2000 33,86,128/- रु. की आय हुई है, जबकि इस समय में 38,97,639/-रु. व्यय हुये हैं। मदवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(2) वक्फ बोर्ड में कुल लेनदारी 46,83,168/- रु. है। विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है। बोर्ड द्वारा विभिन्न बाकीदारान को समय-समय पर पत्र भिजवाये जा रहे हैं तथा बोर्ड कर्मचारियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप में वसूली करवाई जा रही है।

(3) जी हां, 1 जनवरी, 1991 से 1999 तक प्रथम दृष्टया वित्तीय एवं अन्य अनियमिततायें पायी गई हैं जिनकी विस्तृत जांच के लिए राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक 10(6)देव/99 दि. 26-5-99 के द्वारा श्री हरबंस लाल, आर. एच. जे. एस. सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था लेकिन उनका स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने पर दि. 28-9-99 से श्री हरबंस लाल के स्थान पर श्री धर्मसिंह सागर, संभागीय आयुक्त, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच लम्बित है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## जिला कलेक्टर बारां के टेलीफोन बिल का भुगतान

1. **श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान जिला कलेक्टर बारां के कार्यकाल में उनके निवास व कार्यालय का अब तक का टेलीफोन बिल कितना-कितना आया?

(2) उक्त कॉलों में कितने राजकीय व निजी कॉल रहे और निजी कॉलों का भुगतान किसने किया? क्या निजी कॉलों का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्तमान जिला कलक्टर, बारां के कार्यकाल में उनके निवास के टेलीफोन का बिल माह जून-1998 से माह दिसम्बर-1999 तक 91,473/- रुपये का आया तथा कार्यालय के टेलीफोन का बिल माह जून, 1998 से माह दिसम्बर, 1999 तक 1,19,960/- रुपये का प्राप्त हुआ। टेलीफोन बिल अवधि में जिला कलक्टर द्वारा उनके पद के साथ-साथ जिले में संचालित अन्य अभिकरण, समिति, सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते भी कार्य सम्पादित किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, महिला विकास अभिकरण, सहरिया विकास समिति, जिला क्रीड़ा संघ, नेहरू युवा केन्द्र केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकेयर रिलिफ सोसाइटी, कुष्ठ रोग समिति, अंधता निवारण समिति, सोरसन ब्रह्माणी माता समिति, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र समिति, जिला मलेरिया नियन्त्रण समिति, अनुसूचित जाति विकास निगम समिति के नाते भी कार्य सम्पादित कराये गये।

(2) इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 व 1999 में हुये लोकसभा चुनाव, विधान सभा चुनाव, नगरपालिका चुनाव, पल्स पोलियो अभियान भी सम्पादित कराये गये। उक्त अवधि के बिल काल्स में पूर्वोत्तर उल्लेखित कार्य से किये गये काल्स के साथ-साथ फैक्स कॉल्स भी सम्मिलित है। इस प्रकार समस्त काल्स राजकार्य सम्पादित कराने हेतु ही किये गये।

**(अतारांकित प्रश्न संख्या-2)**

**(स्थगित)**

## मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति की सेवा शर्तें

3. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के प्रतिपादित नियम मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति (नियम 1975, 1996 अथवा अन्य) के सन्दर्भ में उक्त नियमों का अभिप्राय एवं उद्देश्य क्या है?

(2) क्या उक्त नियमों के अन्तर्गत की गई नियुक्ति, नियमित नियुक्ति मानी जाती है अथवा तदर्थ नियुक्ति मानी जाती है?

(3) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विभागीय नियम के अभाव में उक्त नियमों की पालना किन नियमों के अन्तर्गत की जाती है?

(4) क्या सरकार के विभिन्न विभाग उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान की गई नियुक्ति को किसी भी प्रकार अमान्य कर सकते हैं, जबकि प्रार्थी आवश्यक अर्हतापूर्ण करते हों?

(5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवा नियमों में उक्त नियम 1975 का प्रभाव समान होगा अथवा अलग-अलग प्रभाव होगा?

(6) उक्त नियमों की उचित पालना के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कोई दिशा निर्देश बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या हैं? दिशा निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मृतक के परिवार को राहत पहुँचाना है।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत की गई नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जाती है।

(3) राज्य सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा/चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु समान नियम लागू है तथा जिन विभागों के लिए अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए पृथक से सेवा नियम नहीं हैं उनके लिए राजस्थान अधिनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1960 के प्रावधान के अनुसार परिशिष्ट जारी करा कर नियुक्ति दी जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) अधिसूचना दिनांक 31.12.1996 द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 जारी करने के पश्चात् पूर्व नियम, 1975 का प्रभाव समाप्त हो चुका है तथा अब उक्त नियम, 1996 का प्रभाव सभी विभागों में समान रूप से होगा।

(6) जी हां। परिपत्र दिनांक 18.11.99 की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(प्रति के लिये परिशिष्ट-2 देखें)

## राज्य के शिक्षित बेरोजगार

4. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितने शिक्षित बेरोजगार कब-कब से पंजीकृत हैं?

(डा. रतन लाल जाट)

(2) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 99 को 601393 शिक्षित बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत है। गत पांच वर्षों में राज्य में जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थियों का संख्यावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य के बेरोजगार आशार्थियों को राज्य में वर्तमान में संचालित योजनाओं में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। विभाग द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## पंचों/सरपंचों का अधिक संतान प्रकरण

5. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचों के अधिक संतान होते हुए भी वे कार्यरत थे? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि हाल ही में हुये चुनावों में पंचायत समिति कठूमर के ग्राम अररूआ व दरोदा में अधिक संतान वाले सदस्य हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व क्यों? क्या ऐसे सदस्यों की जानकारी सरकार को होने पर भी कोई कार्वाही अभी तक नहीं की गई है?

(3) क्या अधिक संतान वालों को चुनाव नहीं लड़ने का कोई नियम सरकार द्वारा बनाया हुआ है? यदि हां, तो उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसे दोषी सदस्यों/सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार किसी एजेन्सी को है? यदि हां, तो किसको व इसकी शिकायत किसको की जा सकती है तथा उस पर कितने समय में कार्यवाही करने का नियम है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ऐसे प्रकरणों की शिकायत पूर्व में भी सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 40 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की निरर्हता के मामलों का विनिश्चय जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता रहा है।

(2) इस बाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर जांच करवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे

(पंचायती राज मंत्री)

सम्भागीय आयुक्त को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

(3) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में इस बाबत किये हुए प्रावधान की प्रति संलग्न है।

(4) ऐसे प्रकरणों की शिकायतें सम्भागीय आयुक्त को की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने के 90 दिन में प्रकरण का अन्तिम रूप से निष्पादन किया जाना है।

(5) ऐसे प्रकरणों की जांच कर जिला न्यायाधीश के समक्ष निरर्हता के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत किया गया।

**(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

## राजीव गांधी पाठशालाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानदण्ड

6. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में प्रत्येक ढाणी एवं बस्ती में प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने के लिए राजीव गांधी पाठशालाओं का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में इस हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है?

(2) क्या पूर्व में राज्य में प्रत्येक डेढ किलोमीटर की दूरी के बीच कम से कम एक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थानों का चयन एवं उनकी संख्या निश्चित की गई थी? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 1600 राजीव गांधी पाठशाला प्रारम्भ करने के पूर्व में निर्धारित गांव/ढाणियों को इस सुविधा से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों?

(4) राज्य के किस पंचायत मुख्यालय के गांव में पहले से ही दो-दो, तीन-तीन विद्यालय कार्यरत हैं फिर किसी मोहल्ले में राजीव गांधी पाठशाला स्वीकृत हुई जो अनावश्यक एवं निरर्थक थी?

(5) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर राजीव गांधी पाठशाला और प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से हायर सैकण्डरी के बीच मात्र आधा/पौन किलोमीटर की ही दूरी है? यदि हां, तो क्या ऐसी पाठशाला खोली जाना आर्थिक दृष्टि से और बालकों की दृष्टि से लाभकारी है?

**उत्तर**

(1) जी हां।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के लिये 1999-2000 के बजट में रुपये 22.80 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) जी नहीं।

तथापि छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे के अनुसार राज्य में 30.9.93 तक 16259 आबादियों में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं थी।

(3) जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 के पश्चात् लगभग 4410 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है। जिस भी ग्राम/ढाणी मोहल्ले में सामान्य क्षेत्र में 40 तथा रेगिस्तानी, जनजातिय, मगरा व डांग क्षेत्र में 25 बच्चे 6-11 आयुवर्ग के उपलब्ध थे एवं 1 किलोमीटर की परिधि में कोई शिक्षण सुविधा नहीं थी वहां पर ही राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोले जाने के मापदण्ड हैं।

(5) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है।

## विधायकों, सांसदों को क्षेत्र के भ्रमण हेतु वाहन सुविधा

7. **श्री सांवर लाल (भिनाय)** : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधायकों, लोकसभा/राज्य सभा सदस्यों को क्षेत्र के भ्रमण हेतु सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराने के क्या नियम/निर्देश/कानून हैं? संबंधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश/निर्देश की पालना करने को अधिकारी बाध्य है? यदि हां, तो वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य, राहत कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि के दौरो के लिये पंचायत समिति का वाहन उपलब्ध कराने के लिये यह निर्देश है कि विधायक पंचायत समिति के प्रधान से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। विधायक अपने कार्यक्रम की सूचना संबंधित प्रधान को देंगे तथा प्रधान उसके अनुसार पंचातय समिति के सामान्य कार्य के लिये कार्यक्रम बना कर विधायक की यात्रा कार्यक्रम स्वयं के अथवा पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ करें। माननीय लोक सभा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु माह में दस दिन के लिये जीप उपलब्ध कराने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिया गया है। विधायकों एवं लोक सभा सदस्यों को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में जारी किये गये पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-'अ' एवम् 'ब' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) विधायक द्वारा भ्रमण कार्यक्रम की सूचना संबंधित प्रधान को दिये जाने पर वाहन उपलब्ध कराया जाता है तथा माननीय लोकसभा सदस्यों के लिये जिला कलेक्टर द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाता है। जारी किये गये पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

**(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)**

## ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) द्वारा जारी पट्टे

8. **श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(1) गत 5 वर्षों में जिला जयपुर की पंचायत समिति आमेर की ग्राम पंचायत नांगल सिरस के ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ में कुल कितने पट्टे किस-किस व्यक्ति को दिये गये? मय पट्टों की प्रति के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व विधिवत् आपत्ति नोटिस जारी किये गये थे? यदि हां, तो आपत्ति नोटिसों पर किस-किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या ग्राम पंचायत नांगल सिरस की पूर्व सरपंच श्रीमती मीरा देवी एवं सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा की मिलीभगत से कर्मचारियों की हड़ताल अवधि में दिनांक 6 जनवरी, 2000 से 30 जनवरी, 2000 तक भी पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने पट्टे किस-किस को जारी किये गये हैं?

(4) क्या उक्त पूर्व सरपंच ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी गत तिथियों में कई पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो इस अवधि में ली गई राशि किस व्यक्ति के पास रही और राशि बैंक में जमा कब कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पूर्व सरपंच ने उक्त अवधि में जारी किये गये पट्टों के पट्टाधारियों से कितनी राशि वसूली एवं रसीद कितनी राशि की काटी गई? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त अवधि में पूर्व सरपंच के द्वारा तैयार किये गये पट्टे सभी को दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त अवधि में जारी किये गये पट्टे कौनसी खसरा नम्बर भूमि के हैं? हल्का पटवारी की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत, नांगल सिरस के ग्राम दौलतपुरा में 57 एवं ग्राम बैनाड़ में 40 पट्टे जारी किये गये।

सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। दिनांक 6/1/2000 से 30/1/2000 की अवधि में पट्टे जारी नहीं किये गये।

(4) जी नहीं।

(5) पूर्व सरपंच द्वारा उक्त अवधि में कोई पट्टा जारी नहीं किया।

(6) उक्त अवधि में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया।

(7) उक्त अवधि में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) द्वारा घटिया निर्माण कार्य

9. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति आमेर (जयपुर) की ग्राम पंचायत नांगल सिरस के ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा-1 के नाम से भवन निर्माण हेतु भूतपूर्व सरपंच के कार्यकाल में कुल कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई? आवंटित एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालय भवन के 2 कमरों की दीवार की कोने सहित घटिया चुनाई सामग्री के कारण गिर गई थी और शेष दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या उक्त कारण बच्चों को अध्यापकों द्वारा इन कमरों में नहीं बैठाया जा रहा है? क्या इस कारण से ही तंग पुराने विद्यालय भवन में बच्चे बैठ कर अध्ययन करते हैं?

(3) गत 5 वर्षों में उक्त ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के कार्यकाल में कुल कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? आय-व्यय सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर के ग्राम पंचायत नांगल सिरस के ग्राम दौलतपुरा मय बेनाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम के भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है : —

| क्र.सं. | कार्य का नाम | अनु. लागत | आवंटित राशि | व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मरम्मत एवं अपूर्ण कमरों को पूर्ण कराना (95-96) | 129000 | 129000 | 132608 |
| 2. | तीन नये कमरों का निर्माण वर्ष 98-99 | 193000 | 154400 | 157883 |

(2) वर्ष 98-99 में निर्मित कमरों की नींव में पानी चले जाने के कारण दीवारों में दरार आ गई थी। नींव की पुश्ती दीवार का निर्माण कराया जा चुका है। नये तीन कमरे पूर्ण नहीं होने के कारण बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है।

(3) गत पांच वर्षों में ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच द्वारा कुल 26 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। जिन पर 13,21,953 रुपये व्यय किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## जिला नागौर में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत विकास कार्य

10. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक जिला नागौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने विकास कार्य, किस-किस किस्म के, कितनी राशि के जिला ग्रामीण

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

विकास अभिकरण, नागौर के माध्यम से स्वीकृत किये गये? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समयावधि के दौरान उक्त जिले में किसी भी नये विकास कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-नागौर के माध्यम से जिले में 1 अप्रेल, 1999 से दिसम्बर, 1999 की अवधि में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 61.30 लाख रुपये की लागत के निम्न 39 कार्य स्वीकृत किये गये हैं : —

| क्र. सं. | कार्यों के प्रकार | स्वीकृत कार्य की संख्या | स्वीकृत राशि (राशि लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | विद्यालय भवन निर्माण | 10 | 13.69 |
| 2. | सामुदायिक भवन निर्माण | 6 | 11.50 |
| 3. | चिकित्सालय | 2 | 03.25 |
| 4. | सड़क | 3 | 11.60 |
| 5. | नाली एवं खुर्रा | 11 | 12.50 |
| 6. | पेयजल सुविधा | 5 | 06.20 |
| 7. | अन्य कार्य | 2 | 02.56 |
| | योग | 39 | 61.30 |

कार्यों का तहसीलवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कुल 39 कार्यों में से 24 कार्य पूर्ण करवा लिए गए हैं, 5 कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष 10 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"क" में संबंधित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(3) जी नहीं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 39 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र देसूरी में स्वीकृत अपूर्ण कार्य

11. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं?

(2) उक्त में से कौन-कौन से कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किए गए कार्यों का योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अंकित है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) पूर्ण एवं अपूर्ण/प्रगति पर चल रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संबंधित कार्य के सम्मुख अंकित है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## वनस्थली विद्यापीठ जयपुर को नियम विरुद्ध अनुदान

12. **श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वनस्थली विद्यापीठ जयपुर एक मान्यता प्राप्त अनुदानित शिक्षण संस्था है? यदि हां, तो उक्त संस्था का पंजीकरण कब एवं किन नियमों के अन्तर्गत हुआ?

(2) उक्त संस्था को सरकार द्वारा कितना प्रतिशत अनुदान किन नियमों के अन्तर्गत कब से दिया जा रहा है? गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का प्रबन्ध एक समिति द्वारा चलाया जाता है? यदि हां, तो प्रबन्ध समिति का गठन किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था को राजकीय गैर सरकारी शैक्षणिक अनुदानित संस्था नियम, 1993 के तहत छूट दी गई है? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर? छूट के आदेश की प्रति सहित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त संस्था राजकीय गैर सरकारी अनुदानित शैक्षणिक अधिनियम, 1989 के तहत आती है, जिसे सरकारी अनुदान नहीं दिया जा सकता? यदि हां, तो फिर वर्ष 1993 से उसे अनुदान क्यों दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रारम्भ में इंडियन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत "वनस्थली विद्यापीठ सोसायटी, वनस्थली" के रूप में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.3.1951 को हुआ था। कालान्तर में इस संस्था का नाम "वनस्थली विद्यापीठ" के रूप में इन शब्दों के साथ परिवर्तित कर दिया गया है कि यह संस्था "वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान) अधिनियम नं. 28(1958) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।"

(2) विद्यमान में उक्त संस्था को माध्यमिक स्तर के लिए 90 प्रतिशत अनुदान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के तहत वर्ष 1993 से ही तथा कालेज स्तर के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 17 (21) शिक्षा-5/93 पार्ट II दिनांक 12.1.95 के अनुसार निर्धारित शर्तों पर 60 प्रतिशत ब्लॉक ग्रान्ट वर्ष 1995 से दी जा रही है।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के अनुसार दिया जाता है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां।

संस्था की प्रबन्ध समिति का गठन वनस्थली विद्यापीठ के नियम संख्या 24 के अनुसार किया हुआ है। संस्था के विधान की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

संस्थान को सरकारी अनुदान दिया जा सकता है। प्रासंगिक नियम दिनांक 1 अप्रेल, 1993 से ही प्रवृत हैं।

**(प्रति विस्तृत (पुस्तकें) होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला जैसलमेर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का भर्ती प्रकरण

13. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जून 1998 में राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिये साक्षात्कार हुए थे? यदि हां, तो क्या प्रत्येक जिले में हुए थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त साक्षात्कारों की प्रत्येक जिले की वरीयता सूची कब निकाली गई और उक्त नियुक्तियां कब दी गई? प्रत्येक जिले में आरक्षण के अनुसार कितनी-कितनी नियुक्तियां की गई तथा नियुक्ति देने का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त साक्षात्कार जिला जैसलमेर में भी लिये गये थे? यदि हां, तो कब और वरीयता सूची कब निकाली गई? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला जैसलमेर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के इस साक्षात्कार की कब नियुक्ति दी गई और कितनी-कितनी आरक्षणानुसार दी गई? प्रत्येक वर्ग की अन्तिम वरीयता सूची क्या रही? क्या अभी और भी नियुक्तियां की जावेंगी? यदि हां, तो कब तक और कितनी?

(5) क्या जैसलमेर में शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी में जो शिक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति के सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में आ रहे थे उनको सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में नियुक्ति दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां, बीकानेर जिले के अतिरिक्त सभी जिलों में साक्षात्कार हुए। विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त साक्षात्कारों के अन्तर्गत दिनांक 26.11.98 तक वरियता सूची निकाली गई तथा दिनांक 30.11.98 एवं 1.12.98 को नियुक्तियां प्रदान की गई। दिनांक 18.12.98 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नियुक्तियों पर स्थगन देने के कारण शेष नियुक्तियां जारी नहीं की गई। दिनांक 19.2.99 को उक्त स्थगन वेकेट होने के कारण पुनः नियुक्ति आदेश जारी किये गये। दिनांक 11.3.99 के पश्चात् निदेशक की पूर्वानुमति के बिना नियुक्ति नहीं देने हेतु पाबंद किया गया। जिलेवार आरक्षण के अनुसार दी गई नियुक्ति का विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। जिले में उपलब्ध रिक्त पदों पर

(शिक्षा मंत्री)

राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर अनुसार नियुक्तियां दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां, साक्षात्कार दिनांक 27.6.98 से 30.6.98 तक लिये गये। वरियता कब सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिला जैसलमेर में उक्त साक्षात्कार में दिनांक 30.11.98, 24.2.99 व 9.3.99 को नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट-"क" में सम्मिलित है। अंतिम वरियता सूची निम्नानुसार रही :—

| | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| सामान्य वर्ग | 80.66% | 75.73% |
| अजा | 61.31 प्रतिशत | |
| अजजा | 69.70 प्रतिशत | |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 73.12 प्रतिशत | |

वर्तमान में नियुक्ति दिये जाने पर प्रतिबन्ध है।

(5) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## विधान सभा क्षेत्र खानपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

14. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने पद कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक, दो-दो अध्यापक ही लगे हुए हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र के स्कूलों के भवन भी जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो उनकी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, केवल नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चलेट में दो अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें एक अध्यापक शिक्षा विभाग तथा एक अध्यापक पंचायती राज विभाग से संबंधित है। शिक्षा विभाग द्वारा नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रथम वर्ष में पंचायती राज विभाग के अध्यापकों के अतिरिक्त एक अन्य अध्यापक पद-स्थापित करने का प्रावधान है, जिसकी पालना की गई है। अतः कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी राजकीय विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

## अतारांकित प्रश्न संख्या-15

(स्थगित)

## विधान सभा क्षेत्र कठूमर/खेड़ली में महाविद्यालय की स्थापना

16. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर अथवा खेड़ली में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

## विधान सभा क्षेत्र देसूरी में माड़ीगढ़ बांध का निर्माण

17. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देसूरी में माडीगढ़ बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

माडीगढ़ बांध पूर्व में ही निर्मित है। इसकी भराव क्षमता बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण एवं अध्ययन के पश्चात् तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से इस बांध की क्षमता बढ़ाया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

## भमरी राड़ी (बांसवाड़ा) के तालाब की डूब में आई भूमि का मुआवजा

18. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में सिंचाई विभाग द्वारा कितने तालाब बनाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये तालाबों की डूब में आये मकान, वृक्ष, काश्त की भूमि का मुआवजा दिया जाना शेष है? यदि हां, तो कितना? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई परियोजना भमरी राड़ी के अन्तर्गत नहरों के मुआवजों का भुगतान बकाया है?

(4) क्या यह भी सही है कि भमरी राड़ी तालाब में श्री बरसेग पुत्र श्री वागजी, श्री धुलजी श्री वालहेग, कलूसिंह पुत्र श्री गवजी पाडला मोखा के मुआवजे की राशि लम्बे समय से बकाया है? अब कब तक मुआवजा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा बांसवाड़ा में 161 तालाबों का निर्माण किया है जिसकी सूची प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी हां। मुआवजा भुगतान की सूची परिशिष्ट-"ब" सदन के पटल पर रख दी है।

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि भवरी राड़ी तालाब के अन्तर्गत ग्राम पाडला मोखा के कुछ काश्तकारों को मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही जारी है। सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बांसवाड़ा जिले के शेष मुआवजे के प्रकरणों का भुगतान वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर करना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## गोविन्दगढ़ बांध अजमेर की नहरों का निर्माण

19. श्री रमजान ख़ान (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर के गोविन्दगढ़ बांध में उपलब्ध क्षमता के अनुसार फ्लोईरीगेशन से सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो इसके लिये कितनी मात्रा में कमाण्ड एरिया उपलब्ध है?

(2) उक्त बांध में जिला नागौर एवं अजमेर की कितनी-कितनी भूमि कमाण्ड एरिया में आती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कमाण्ड एरिया में सिंचाई करने हेतु पक्की नहरें बनी हुई हैं? यदि हां, तो कितने मीटर लम्बी नहरों का निर्माण हो चुका है और बाकी कच्ची नहरों का कब तक निर्माण करवा दिया जावेगा?

### उत्तर

(1) जी हां। गोविन्दगढ़ बांध की जल भराव क्षमता 156 एम. सी. एफ. टी. है जिसके माध्यम से 520 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इस बांध का कुल सिंचित क्षेत्र 777 हैक्टेयर निर्धारित है।

(2) इस बांध के अन्तर्गत नागौर एवं अजमेर जिले में क्रमशः 431 हैक्टेयर और 346 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र निर्धारित है जिसकी सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। गोविन्दगढ़ बांध की नहरों की लम्बाई 7.99 कि. मी. का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु इन नहरों को पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

## बनियाली बांध कोटपूतली की भूमि का मुआवजा

20. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बनियाली बांध की डूब में आए कुछ किसानों की जमीन का मुआवजा दिया जाना बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब उक्त मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

### उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय साधनों के अभाव में मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका।

(2) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

## विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा (उदयपुर) की प्रस्तावित सिंचाई परियोजना

21. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सिंचाई सुविधा हेतु लघु एवं वृहद् परियोजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं उनकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 7 लघु सिंचाई परियोजनाऐं प्रस्तावित हैं तथा वृहद् परियोजना कोई भी प्रस्तावित नहीं है। इन 7 लघु सिंचाई परियोजना में से 3 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं 4 परियोजनाओं का तखमीना बनाया जा रहा है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) प्रशासनिक स्वीकृत योजनाऐं :—

| क्र.सं. | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में) | सिंचाई क्षमता हैक्टेयर (सी.सी.ए.) |
|---|---|---|---|
| 1. | क्यारी | 107.16 | 246.00 |
| 2. | रेठो का नाका | 276.41 | 351.00 |
| 3. | रोहिणी | 243.34 | 351.00 |

(ब) परियोजनाएं जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं :—

| क्र.सं. | योजना का नाम | तहसील |
|---|---|---|
| 1. | शोभावास | गोगुन्दा |
| 2. | नादरा | गोगुन्दा |
| 3. | दमदमा | गोगुन्दा |
| 4. | निकोर | गोगुन्दा |

## जयपुर संभाग के प्रशिक्षित पटवारियों का पदस्थापन

22. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पटवार पद हेतु राज्य सरकार की चयन प्रक्रिया के तहत चयनित होकर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार जुलाई, 1998 से अप्रेल, 1999 तक कुल 691 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? क्या उनका परीक्षा परिणाम पत्रांक राम/भू.अ/परीक्षा/प-188/99/1475-1506 दिनांक 29-7-99 के अनुसार घोषित किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि सफल प्रशिक्षित पटवारियों में से जयपुर संभाग के 90 पटवारियों को छोड़कर अन्य सभी संभागों के करीब 600 पटवारियों की नियुक्ति करीब दो माह पूर्व दी जा चुकी है यदि हां, तो जयपुर संभाग के प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्ति नहीं दिये जाने में किस अधिकारी द्वारा विलम्ब किया गया? और सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? अब जयपुर संभाग के प्रशिक्षित पटवारियों को कब तक राज्य सेवा में लगाने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर संभाग के अतिरिक्त अन्य संभागों से संबंधित जिला कलेक्टरों ने संभागीय आयुक्त से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर माह अक्टूबर/नवम्बर, 1999 में पटवारियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये थे। संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.10.99 के द्वारा उनके संभाग के जिलों को आवंटित पटवारियों की नियुक्ति देने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र चाहे जाने पर सामान्य

(राजस्व मंत्री)

प्रशासन विभाग द्वारा 19.1.2000 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र को संभागीय आयुक्त द्वारा 20.1.2000 को संबंधित जिला कलेक्टरों को भिजवाया गया। जिला कलेक्टरों द्वारा प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार इस मामले में विलम्ब के लिये जयपुर संभाग स्तर पर कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

## सारण आसण मंदिर पाली की भूमि पर अतिक्रमण

23. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से पत्र संख्या 4(4) आ.पी.पी/एस/एफ/ 9 दिसम्बर, 1999 द्वारा राजस्व सचिव को पाली जिले के सारण आसण मंदिर की डोली की भूमि के प्रकरण राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेन्स करने का मिला? यदि हां, तो इस विषय में उक्त मंदिर की डोली की भूमि प्रकरणों का रेफरेन्स करने के लिये जिला कलेक्टर, पाली राजसमन्द को कब निर्देश दिये? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) मंदिरों की भूमि पर बेनामी बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण व म्युटेशन मूर्ति से अन्य के नाम से पुनः मूर्ति के नाम करने के राजस्व विभाग द्वारा कब-कब आदेश जारी किये गये? वर्ष 1971 से अब तक के आदेश/परिपत्र/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह पत्र देवस्थान विभाग में प्राप्त हुआ है एवं देवस्थान विभाग द्वारा उक्त पत्र को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर, पाली को प्रेषित कर दिया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.91 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
**(परिपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)**

## अतारांकित प्रश्न संख्या-24

**(स्थगित)**

## ग्राम मूंडिया पुरोहितान (जयपुर) की खुदकाश्त भूमि का अवाप्ति प्रकरण

25. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम मूंडिया पुरोहितान, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में इस अधिनियम के तहत जिनकी भूमि अवाप्त की गई है उसके साथ-साथ उनके नाम दर्ज खुदकाश्त भूमि भी अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई भूमि अवाप्ति के बदले सरकार ने उनको खुदकाश्त के लिए भूमि दिये जाने का प्रावधान किया है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, जां। यह सही है कि राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम मूंडिया पुरोहितान पंचायत समिति झोटवाडा जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है। सूची (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम में इस अधिनियम के तहत जिनकी भूमि अवाप्ति की गई है उसके साथ-साथ उनके नाम दर्ज खुदकाश्त की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(3) जी, हां। जागीर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिन जागीरदारों ने जागीर खालसा के तीन माह या 31.8.1958 तक आवेदन किया है उन्हें भूमि आवंटन करने का प्रावधान है परन्तु मूंडिया पुरोहितान के जागीरदारों ने कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः भूमि आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## ग्राम लदाना (जयपुर) के मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण

26. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जयपुर के ग्राम लदाना, तहसील फागी में ऐसे मंदिर हैं जिनके नाम राजस्व भूमि दर्ज है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमियों पर असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया है? क्या सरकार इन कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर की तहसील फागी के ग्राम लदाना में 8 ऐसे मन्दिर है जिनके नाम राजस्व रेकार्ड में 127 बीघा 06 बिस्वा भूमि दर्ज है। मन्दिर वार भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) उक्त भूमि में से 74 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर मन्दिर के व्यवस्थापकों का तथा दो मन्दिरों की 49 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा है। उक्त व्यक्तियों के कब्जे हटाने के संबंध में कोई आपत्ति किसी ने नहीं की है। इसलिये कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## ग्राम हरदानपुरा (जयपुर) के मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण

27. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के ग्राम हरदानपुरा तहसील सांगानेर में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनके नाम राजस्व भूमि दर्ज है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिरों के नाम दर्ज भूमि पर असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उन अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि मंदिर की भूमि मंदिर के नाम दर्ज की जाए? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम हरदानपुरा, तहसील सांगानेर में मंदिर श्री सीताराम जी के पुजारी के रूप में जिसके नाम मातमी हुई उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अन्य का नाम दर्ज है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? क्या सरकार इसको दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जयपुर जिले के ग्राम हरदानपुरा तहसील सांगानेर में एक ही मन्दिर राजस्व रेकार्ड के अनुसार मन्दिर श्री सीताराम जी, विराजमान देह अंकित है जिसके नाम ख. नं. 357, 358, 360, 361, 363, 365, 366, 367, 370, व 371 कुल किता 11 रकबा 2.93 हैक्टर भूमि दर्ज है।

(2) मन्दिर श्री सीताराम जी की भूमि पर वर्तमान में भूरा, छोटू, ग्यारसा पि. जोहरी, किशना, नानगा पि. राम नारायण हरि. ब्रा. काश्त कर रहे हैं। भूरा वगैराह द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.7.53 से क्रय किये जाने पर राजस्व रेकार्ड में भूरा वगैराह का नाम व्यवस्थापक के रूप में दर्ज किया गया था। परन्तु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प2 (4) राज/4/90/37 दिनांक 13.12.97 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त व्यवस्थापक के नाम को निरस्त करने का नोट जमाबंदी में लगाया जा चुका है।

(3) जी हां। परिपत्र क्रमांक प. 2(4)राज/4/98/37 दिनांक 13.12.97 की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि मन्दिर श्री सीताराम जी की मातमी पुजारी श्री कृष्ण चन्द उर्फ लादूराम पुत्र रामचन्द्र जोशी के नाम हुई है। उक्त पुजारी द्वारा एक विक्रय पत्र कीमती 20/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर दि. 13.7.53 को जोहरी पटेल पुत्र रामनाथ, हरिजाणा ब्रा. सा. देह के नाम लिखा गया। इसी विक्रय-पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ था। परन्तु राजकीय परिपत्र दिनांक 13.12.91 के अनुसार भूरा वगैराह का नाम हटाकर भूमि मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम की जा चुकी है।

**(प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## अतारांकित प्रश्न संख्या-28

(स्थगित)

## अतारांकित प्रश्न संख्या-29

(स्थगित)

## राज्य कर्मियों को देय महंगाई भत्ता

30. श्री रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के समान कब-कब से महंगाई भत्ता दिया गया है? इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश तथा कर्मचारियों से हुए समझौते की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के समान दरों से महंगाई भत्ता दिनांक 1.7.1986 से दिया जा रहा है। 1.9.1986 से पूर्व राज्य कर्मचारियों के वेतनमान और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान समान मूल्य उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर नहीं थे। अतः जब-जब भी केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई, उन्हीं तिथियों से राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरें इस प्रकार निर्धारित की गई कि राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समतुल्य महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सके। महंगाई भत्ते के संबंध में दिनांक 1.7.86 एवं इसके पश्चात् जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर एवं समझौते की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**(समझौते की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)**

## राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज

31. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1990-91 से फरवरी, 2000 तक किस-किस वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का ब्याज पेटे भुगतान किया गया?

(2) किस-किस प्रकार के ऋण पर किस-किस दर से ब्याज का भुगतान किया गया?

### उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 से वर्ष 1997-98 तक किये गये ब्याज के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है : —

| वर्ष | ब्याज राशि (रुपये करोड़ों में) |
|---|---|
| 1990-91 | 498.60 |
| 1991-92 | 615.74 |
| 1992-93 | 742.78 |
| 1993-94 | 885.41 |
| 1994-95 | 1035.93 |
| 1995-96 | 1233.78 |
| 1996-97 | 1553.11 |
| 1997-98 | 1896.67 |

वर्ष 1998-99 व वर्ष 1999-2000 में ब्याज भुगतान के अनुमान निम्नानुसार है :—

(वित्त मंत्री)

| | |
|---|---|
| 1998-99 (संशोधित अनुमान) | 2243.43 |
| 1999-2000 (बजट अनुमान) | 2682.83 |

माह फरवरी, 2000 तक के लेखे महालेखाकार, राजस्थान से अभी प्राप्त नहीं हुए है। अतः वर्ष 1999-2000 में माह फरवरी, 2000 तक किये गये ब्याज भुगतान का विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

(2) भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त ब्याज दर समय-समय पर परिवर्तित भी होती रही है। ब्याज दरों का मोटा स्वरूप निम्नानुसार रहा है : —

1. भारत सरकार से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर : —

| | |
|---|---|
| पूर्व में | 6.25 प्रतिशत |
| मध्यम में | 14.50 प्रतिशत |
| अब | 13.00 प्रतिशत |

2. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर : —

| | |
|---|---|
| पूर्व में | 6.00 प्रतिशत |
| मध्यम में | 16.00 प्रतिशत |
| अब | 13.00 प्रतिशत |

3. खुला बाजार ऋणों पर ब्याज दर : —

| | |
|---|---|
| पूर्व में | 4.00 प्रतिशत |
| मध्यम में | 14.00 प्रतिशत |
| अब | 12.25 प्रतिशत |

## जिला कोटा/बारां की क्षतिग्रस्त नहरों से फसल का खराब

32. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला कोटा व बारां से निकलने वाली नहर के टूटने व रिसाव होने से किसानों की कितनी बीघा जमीन व फसल प्रभावित हुई?

(2) क्या उक्त कारणों से फसल का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होगा? यदि हां, तो कितना? उपरोक्त हादसा नहीं होता तो कितना उत्पादन होता?

(3) कितनी फसल रिसाव के कारण प्रभावित हुई तथा कितनी फसल पानी नहीं पहुंचने के कारण प्रभावित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 4.11.99 को चंबल की दाईं नहर जो राजस्थान में ज़िला कोटा व बारां में सिंचाई करती है, काली सिंध एक्वाडक्ट के बाद टूट गई थी, नहर के टूटने से पानी का रिसाव हुआ, जो सीधे ही नदी में (काली सिंध में) गिरा। इसलिये पानी के रिसाव के कारण कोई जमीन/फसल प्रभावित नहीं हुई। **जिला कोटा** : —पं. स. इटावा में नहर टूटने से समय पर पानी नहीं पहुंचने के कारण निम्न फसलें प्रभावित हुई : —

1. गेहूं—12,000 हैक्टेयर (लगभग 75000 बीघा) में फसल की बुवाई लगभग 20 दिन देरी से हो पायी। तथा इसमें से

(कृषि मंत्री)

करीब 2000 है. भूमि में नहर टूटने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से फसल प्रभावित हुयी।

2. सरसों—13,000 हैक्टर (लगभग 81000 बीघा) में सिंचाई समय पर नहीं हुयी।

**जिला बारां**—पं. स. अन्ता में नहर टूटने से समय पर पानी नहीं पहुंचने के कारण निम्न फसल प्रभावित हुई : —

1. गेहूं—8000 हैक्टर (लगभग 50000 बीघा) में बुवाई लगभग 20 दिन देरी से हो पाई।

2. सरसों—4500 हैक्टर (लगभग 28000 बीघा) में सिंचाई समय पर नहीं हो सकी।

(2) हां, यह सही है कि अचानक नहर टूट जाने के कारण समय पर पानी उपलब्ध न होने से उक्त प्रभावित क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में उत्पादन निम्न प्रकार से प्रभावित होना सम्भावित है एवं यदि हादसा नहीं होता तो निम्न प्रकार उत्पादन रहता : —

| जिला | पं.स. | फसल | नहर टूटने से प्रभावित क्षेत्र (बीघा) | गत वर्ष उत्पादन किलो प्रति बीघा | प्रभावित क्षेत्र में चालू वर्ष में संभावित उत्पादन किलो प्रति बीघा | प्रभावित क्षेत्र में उत्पादन में कमी किलो प्रति बीघा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कोटा | इटावा | गेहूं | 75000 | 475 | 445 | 30 |
| | | सरसों | 81000 | 250 | 230 | 20 |
| बारां | अन्ता | गेहूं | 50000 | 493 | 468 | 25 |
| | | सरसों | 28000 | 290 | 275 | 15 |

**यदि हादसा नहीं होता तो सम्भावित उत्पादन होता किलो प्रति बीघा**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जिला कोटा | इटावा | पं.सं. | गेहूं | 475 |
| | | | सरसों | 250 |
| जिला बारां | अन्ता | पं.स. | गेहूं | 493 |
| | | | सरसों | 290 |

(कृषि मंत्री)

(3) रिसाव से फसल को कोई क्षति नहीं हुई।

**पानी नहीं पहुंचने के कारण प्रभावित फसल : —**

| | | |
|---|---|---|
| जिला कोटा : — | 1. गेहूं- | 12000 हैक्टेयर (लगभग 75000 बीघा) |
| | 2. सरसों- | 13000. हैक्टेयर (लगभग 81000 बीघा) |
| जिला बारां : | 1. गेहूं- | 8000 हैक्टेयर (लगभग 50000 बीघा) |
| | 2. सरसों- | 4500 हैक्टेयर (लगभग 28000 बीघा) |

## कृषि पर्यवेक्षक अनोपपुरा (जयपुर) के लंबित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणों का निस्तारण

33. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर के कार्यालय में अवकाश प्रकरणों का निस्तारण करवाकर वेतन स्थिरीकरण किये जाने के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? क्या उक्त प्रकरण के संबंध में कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय अनोपपुरा (झोटवाडा), जयपुर ने माह जुलाई, 1998 में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या सहायक निदेशक, कृषि विस्तार झोटवाड़ा, जयपुर में लम्बी अवधि से अवकाश प्रकरण एवं वेतन स्थिरीकरण के मामंले लम्बित पड़े हैं? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी के कब-कब से और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहायक निदेशक के समक्ष श्री सीताराम शर्मा कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय अनोपपुरा, कृषि विस्तार झोटवाड़ा, जयपुर का दिनांक 9 जुलाई, 1982 से 1 सितम्बर, 1982, 9 जुलाई 1984 से 11 मार्च, 1986 व 9 अप्रेल, 1988 से 17 मई, 1995 तक का अवकाश स्वीकृत करने का प्रकरण एवं बेरी वेतन आयोग के बाद के समस्त वेतन स्थिरीकरण के मामले काफी समय से विचाराधीन चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी के अवकाश प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के कारण उसका वेतन स्थिरीकरण नहीं हो पा रहा है?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मचारी के अवकाश स्वीकृति के प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराकर उसका वेतन स्थिरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) अब उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण कब तक कराकर उसे अन्तर की राशि का भुगतान करा दिया जावेगा?

**उत्तर**

(1) वर्तमान में कृषि निदेशालय में अवकाश प्रकरणों के निस्तारण के अभाव

(कृषि मंत्री)

में वेतन स्थिरीकरण का कृषि पर्यवेक्षक संबंधी कोई मामला लम्बित नहीं है। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा (जयपुर) में एक प्रकरण विचाराधीन है। जी, हां—इस संबंध में कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय अनोपपुरा श्री सीताराम शर्मा ने दिनांक 27-7-98 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया (संलग्न परिशिष्ट-1) जिस पर कार्यवाही कर कार्यालय झोटवाड़ा के पत्रांक 2188 दिनांक 27.7.98 से अवकाश प्रार्थना पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वेच्छिक अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण चाहा गया (संलग्न-परिशिष्ट-2) एवं पुनः कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), झोटवाड़ा ने पत्रांक 2524-25 दि. 4.5.99 से स्मरण पत्र दिया (संलग्न परिशिष्ट-3) परंतु श्री शर्मा द्वारा आज तक प्रति उत्तर मय संबंधित दस्तावेज के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर्मचारी के लंबित प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

(2) जी हां, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा के कार्यालय में एक ही प्रकरण श्री सीताराम शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय अनोपपुरा (झोटवाड़ा) का दिनांक 16-12-1981 से 31-3-1983 तक का उनसे चाहे गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अवकाश प्रार्थना-पत्र एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण लंबित है।

(3) जी हां, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाड़ा में दिनांक 16.12.81 से 31.3.83 तक का ही अवकाश का प्रकरण बकाया है। शेष अवकाश प्रकरणें निम्न कार्यालयों में बकाया है : —

1. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) शाहपुरा दिनांक 9.7.84 से 10.3.86 तक

2. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झुंझुनूं दिनांक 9.4.88 से 12.10.95 तक।

बार-बार लिखने के बावजूद भी कर्मचारी द्वारा उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम चिकित्सक का प्रमाण-पत्र तथा अवकाश प्रार्थना पत्र आज तक भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवकाश स्वीकृत न होने से बेरी वेतन आयोग के बाद के वेतन स्थिरीकरण दिनांक 27.7.98 से लंबित है।

(4) जी हां।

(5) जी हां, उक्त कर्मचारी से चाहे गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अवकाश प्रार्थना पत्र एवं स्पष्टीकरण, प्राप्त होने पर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(6) उक्त कर्मचारी द्वारा चाहे गये प्रमाण पत्र अवकाश प्रार्थना पत्र एवं स्वेच्छिक अनुपस्थिति के बारे में जवाब प्रस्तुत करने के बाद शीघ्र कार्यवाही कर भुगतान कर दिया जावेगा।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## अटरू (बारां) के पर्यटन स्थलों का सर्वे

34. श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री प्रभूलाल करसोल्या)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अटरू में संभावित पर्यटन स्थलों का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किन-किन स्थलों को पर्यटन योग्य माना गया है?

(3) क्या पर्यटन योग्य माने स्थलों के विकास हेतु अब तक कोई योजना बनायी गई है? यदि हां, तो योजना को कब तक मूर्त रूप दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा वर्ष 1996 में राजस्थान के पर्यटन स्थलों के सर्वेक्षण के दौरान अटरू विधानसभा क्षेत्र का भी सर्वेक्षण कराया गया है। अटरू क्षेत्र के पर्यटन स्थल से संबंधित रिपोर्ट की उद्धरण प्रति संलग्न है।

(2) उक्त रिपोर्ट में अटरू क्षेत्र के शेरगढ़ किले को पर्यटन योग्य माना है।

(3) जी नहीं। विभाग के आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उक्त पर्यटन स्थल वर्तमान में विभाग के विकास कार्यों की प्राथमिकता में नहीं है।

**(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)**

## दवा खरीद प्रकरण की जांच

35. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशक, पशुपालन विभाग ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 को दवा खरीद के संबंध में कुछ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था? यदि हां, तो स्पष्टीकरण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्पष्टीकरण हेतु कब-कब किस-किस अधिकारी को स्मरण पत्र लिखे और स्मरण पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों हुई?

(3) क्या स्पष्टीकरण आ चुका है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या दवा खरीद घोटाले की शिकायत सरकार को मिलने के बाद जांच की गई? यदि हां, तो जांच कब-कब किस-किस ने की तथा जांच प्रतिवेदन क्या है? जांच के आधार पर कौन-कौन अधिकारी दोषी थे और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 23 दिसम्बर, 99 को निदेशक, पशुपालन द्वारा दवा खरीद के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था।

(2) शून्य

(3) शून्य

(4) जी हां।

विशिष्ट शासन सचिव वित्त विभाग के निर्देशानुसार निदेशक निरीक्षण एवं लेखा विभाग ने दिनांक 1.4.97 से 30.6.99 तक की अवधि की विशेष जांच कराने के निर्देश दिनांक 31.7.99 को प्रसारित किये जो विभाग

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

में दिनांक 3.8.99 को प्राप्त हुए। निरीक्षण विभाग के पत्रांक 16671 दिनांक 20.12.99 द्वारा अन्तरिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। निरीक्षण विभाग द्वारा चाही गई सूचना पशु पालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराने पर ही अन्तिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकेगा। निदेशक निरीक्षण विभाग को अ.शा. पत्र क्रमांक प.11(77) पपा/99 दिनांक 22.3.2000 के द्वारा जांच कार्य सम्पूर्ण करने हेतु लिख दिया गया है एवं समसंख्यक पत्रावली द्वारा दिनांक 22.3.2000 को निदेशक पशु पालन विभाग को भी जांच दल को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने व सहयोग करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

## जिला पाली के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

36. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला पाली में कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नये स्वीकृत पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्र में अभी तक स्टाफ नहीं लगाये गये हैं?

(3) सरकार अब उक्त चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्रों पर कब तक स्टाफ लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में पाली जिले में 13 पशु चिकित्सालय एवं 24 उपकेन्द्र खोले गये हैं।

(2) अधिकांश पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में पद रिक्त हैं।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटने एवं रिक्त पदों की भर्ती पर कार्मिक विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने के पश्चात रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

## विधान सभा क्षेत्र दानपुर के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

37. **श्री भाणजी (दानपुर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने पशु औषधालय कार्यरत हैं? क्या नये औषधालय भी खोले गये हैं? यदि नहीं, तो नये औषधालय कब तक खोले जायेंगे?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 3 पशु चिकित्सालय एवं 5 पशु औषधालय तथा 7 उपकेन्द्र कार्यरत है। वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में एक नया पशु चिकित्सालय, ग्राम खेड़ा में तथा एक नया उपकेन्द्र ग्राम घण्टाली में खोला गया है। वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

## चण्डावल जिला पाली के स्वतंत्रता सेनानी के भवन का दान प्रकरण

38. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या श्रीमती बसन्ती देवी चौहान पत्नी श्री जौहरी लाल चौहान मूल निवासी चण्डावल, जिला पाली वर्तमान निवासी मकान नं. 33, 9वीं अपर चौपासनी रोड, खालसा गैरेज के पास, जोधपुर ने निदेशक, आयुर्वेद विभाग लोहागल रोड, अजमेर को दिनांक 2.12.99 को रजिस्टर्ड पत्र भेज कर उसके स्वर्गीय श्वसुर का चण्डावल स्थित स्वतंत्रता सेनानी का मकान 25×50 फुट का विभाग को दान देने का निवेदन पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त भवन को लेने संबंधी अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या इस प्रकार के भवन दान-दाता द्वारा विभाग को बिना शर्त लेने में कोई कठिनाई है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त भवन विभाग जन हित में दान में ग्रहण करेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

निदेशक, आयुर्वेद विभाग को दिनांक 2.12.99 का ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमती बसन्ती देवी चौहान के दो अन्य पत्र दिनांक 13.12.99 व 16.2.2000 अवश्य प्राप्त हुए है। इस पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा उन्हें यह लिखा गया है कि इस संबंध में वे उप निदेशक (आयुर्वेद) जोधपुर एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी, पाली से सम्पर्क स्थापित करके, भवन दान में देने संबंधी जानकारी प्राप्त करें।

(2) भवन दान में लेना फिलहाल सम्भव नहीं है।

## विधान सभा क्षेत्र खारची के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

39. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं? उक्त चिकित्सालयों में वैद्य/कम्पाउण्डरों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में 18 विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत व संचालित है।

इनमें आयुर्वेद चिकित्सक के 3 पद, एवं नर्स/कम्पाउण्डर के 2 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनका औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर (परिशिष्ट-"क") रख दिया गया है।

(2) जी हां।

वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् नवीन नियुक्तियों से पद भरना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

## अटरू (बारां) में स्टेडियम निर्माण

40. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां के बारां व अटरू नगर में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कितनी-कितनी लागत के हैं? प्रस्ताव की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? स्वीकृति कब तक दी जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां,

बारां में स्टेडियम निर्माण हेतु दिसम्बर, 98 में 58.42 लाख एवं उसके पश्चात मई 99 में 223.00 लाख तथा अटरू नगर में स्टेडियम निर्माण हेतु नवम्बर 97 में 26.00 लाख की अनुमानित लागत के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयीं है।

(2) बारां में स्टेडियम निर्माण हेतु प्राप्त 58.42 लाख के प्रस्तावों को भारत सरकार की अनुदान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार को दिनांक 21.1.99 को भेजा गया। भारत सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर विचार कर उसमें पायी गयी कमियां बताते हुए कमियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को लिखा। तद्नुसार राज्य सरकार ने दिनांक 9.3.99 को जिला कलक्टर बारां को उक्त कमियों की पूर्ति करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। कमियों की पूर्ति अभी अपेक्षित है।

मई 99 में प्राप्त 223.00 लाख के प्रस्तावों को भारत सरकार की संशोधित योजना के अनुसार तैयार करने के लिए जिला कलक्टर को लौटाये जा चुके हैं। संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए है। राज्य सरकार द्वारा बारां स्टेडियम में बास्केटबाल एवं हैण्डबाल कोर्ट के निर्माण हेतु 2.00 लाख की आर्थिक सहायता दिनांक 30.12.98 को दी गयी है।

अटरू नगर में स्टेडियम निर्माण हेतु प्राप्त 26.00 लाख के प्रस्ताव जून 98 में भारत सरकार को आर्थिक सहायता की स्वीकृति के लिये भजिवाये थे। भारत सरकार ने उक्त प्रस्तावों को सितम्बर, 98 में इस आशय के साथ लौटाये कि भारत सरकार की संशोधित नवीन अनुदान योजना के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भिजवाये जावे। प्राप्त प्रस्तावों को तदनुसार संशोधित कर तैयार करने हेतु प्रधानाध्यापक, सीनियर माध्यमिक विद्यालय अटरू को लौटा दिये गये है। अटरू में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु जून 95 में राज्य सरकार द्वार 2.00 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है।

बारां एवं अटरू में स्टेडियम निर्माण हेतु भारत सरकार की अनुदान योजना के अन्तर्गत विधिवत संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उन पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## जिला नागौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

41. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो नागौर जिले के कौन-कौन से चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के डाक्टरों के पद कब-कब से रिक्त है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे तथा लम्बे समय तक रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां,

नागौर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार चिकित्सालयों के रिक्त पदों मय रिक्ती दिनांक की सूची संलग्न है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने व राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरना संभव हो सकेगा।

सामान्यतः लम्बे समय से पद रिक्त रहने का कारण विभागीय पदोन्नति समिति के चयनित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी प्राप्त नहीं होना, स्थानान्तरण के कारण व अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण है।

**(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)**

## उच्चीकृत उपकेन्द्र भावता (अजमेर) में रिक्त पदों पर नियुक्ति

42. **श्री रमजान खान (पुष्कर) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्चीकृत उप केन्द्र में स्टाफ का क्या मानदण्ड है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम भावता (अजमेर) में राजकीय उच्चीकृत उपकेन्द्र/चिकित्सालय स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय में सरकारी मानदण्डानुसार स्टाफ पूरा है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक रिक्त पदों की पूर्ति करायेगी?

उत्तर

(1) भारत-सरकार द्वारा प्रेषित ग्रामीण संस्थानों के खोले जाने के मानदण्डों में उच्चीकृत उपकेन्द्र नहीं आता है। राज्य सरकार द्वारा उपकेन्द्र को उच्चीकृत किये जाने के लिये एक नर्स ग्रेड-प्रथम अथवा द्वितीय का पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया था। अतः मानदण्ड नहीं होने के कारण सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) जी हां,

उच्चीकृत उपकेन्द्र, भावता में वर्तमान में निम्नांकित पद स्वीकृत है।

नर्स श्रेणी द्वितीय-1

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)-1

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद-स्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर के कार्यालय में कर रखा है। अन्य दोनों पदों पर कर्मचारी कार्यरत है।

## विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के भवन विहीन चिकित्सालय

43. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों की काफी कमी है? क्या सरकार ने ऐसे भवनों को चिन्हित किया है? यदि हां तो ऐसे कौन-कौन ग्रामों/कस्बों के भवन हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के कई स्वास्थ्य केन्द्र काफी पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं एवं वर्षा के दिनों में उनमें पानी टपकता है? यदि हां, तो कौन-कौन से केन्द्र हैं? सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। अब कब तक इन भवनों की मरम्मत करवा दी जावेगी?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में स्थापित केन्द्रों पर नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे केन्द्र पर कितनी राशि इस वर्ष में व्यय की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 49 चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है। 40 चिकित्सा संस्थानों के भवन बने हुए है। मात्र 9 उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत भवनों में कार्य कर रहे हैं, जो निम्नांकित है :—

(1) भोपुर (2) पाडला (3) भजेडा (4) भंडार अन्दूनी (5) अजीजपुर (6) सिंहनिया (7) गोरड़ा (8) पहाड़ी (9) उदेन।

(2) जी नहीं,

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मात्र 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन मरम्मत योग्य है, जो निम्नांकित है : (1) जोल (2) महमदपुर (3) कंजोली (4) मढेरू (5) मान्नोज (6) नांगल शेरपुर।

समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उपरोक्त उपकेन्द्रों के भवनों की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी है। आगामी वित्तीय वर्षों में मरम्मत हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के मरम्मत योग्य चिकित्सा संस्थानों के साथ उक्त उपकेन्द्रों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

पर विशेष मरम्मत का कार्य करवाये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां,

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीन भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## प्री-पी. जी. परीक्षाओं में आरक्षण

44. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये पी. एम. टी. में आरक्षण कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये प्री- पी. जी. (स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा) में इसी अनुपात में आरक्षण सुविधा निर्धारित है? यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत सीटें सेवारत चिकित्सकों के लिए आरक्षित हैं? यदि हां, तो क्या उक्त सीटों में भी उपरोक्त वर्गों के लिए उसी अनुपात में आरक्षण सुविधा है? यदि हां, तो क्या इन सीटों को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (अभ्यर्थियों) से भी भरा जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पीएमटी में एससी, एसटी एवं ओबीसी हेतु क्रमशः 16, 12 एवं 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

(2) जी नहीं, पी. जी. (स्नातकोत्तर) में केवल एससी एवं एसटी हेतु क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। पी. जी. (स्नातकोत्तर) में 25 प्रतिशत स्थान तो अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्री. पी. जी. (स्नातकोत्तर) परीक्षा के लिए आरक्षित हैं। शेष स्थानों की संख्या कम होने के कारण यूजी (स्नातक) की तरह पी.जी. (स्नातकोत्तर) में आरक्षण उचित नहीं लगता।

(3) जी हां, पी. जी. (स्नातकोत्तर) में 50 प्रतिशत स्थान सेवारत चिकित्सा अधिकारियों हेतु आरक्षित हैं। सामान्य एवं सेवारत चिकित्सा अधिकारियों की सीटों में एससी एवं एसटी हेतु क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। राजस्थान विश्व-विद्यालय अध्यादेश संख्या-278 ई के क्लॉज (2-सी) में प्रावधान है कि आरक्षित स्थानों के रिक्त रह जाने पर ये स्थान "जनरल कैटेगरी" के छात्रों से भरे जाते हैं।

## विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

45. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में स्थित रेफरल/प्राथमिक चिकित्सालय व उप केन्द्रों

(श्री केसाराम चौधरी)

में डॉक्टर, नर्स, कम्पाउण्ड के कितने-कितने पद किस अस्पताल में कब से रिक्त हैं? अस्पतालवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में स्थित रैफरल चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्रों में डॉक्टर्स, नर्स एवं कम्पाउण्डर के रिक्त पदों की सूचना संस्थावार मय रिक्ति की अवधि सहित निम्न प्रकार है :—

| चिकित्सा संस्था | पद का नाम | रिक्त पदों की सं. | कब से रिक्त है। |
|---|---|---|---|
| 1. सा. स्वा. केन्द्र खारची | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 12/99 |
| | कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 12/99 |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 1 | 9/96 |
| 2. प्राथमिक स्वा. केन्द्र धनला | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | 12/99 |
| 3. प्राथमिक स्वा. केन्द्र धामली | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | 3/2000 |

(2) जी हां,

कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर तथा नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नव नियुक्ति की स्वीकृति एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

## चिकित्सालयों को दिये गये दूरदर्शन सैटों का उपयोग

46. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या परिवार राज्य कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों में विभाग द्वारा टेलीविजन, वी. सी. आर, आदि दिये गये थे? यदि हां, तो नागौर जिले में किस-किस चिकित्सा संस्थान को कब-कब और वे अब कहां-कहां पर हैं?

(2) इनका क्या-क्या उपयोग हुआ तथा आगे क्या उपयोग होगा? क्या इनके उपयोग के बारे में विभाग ने कभी समीक्षा की है? यदि हां, तो कब तथा क्या नतीजा रहा?

(3) क्या इन उपकरणों को देने तथा उपयोग के बारे में विभाग ने और सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) हां सही है। नागौर जिले में निम्नांकित चिकित्सा संस्थानों को टी. वी., वी. सी. पी. विभाग द्वारा दिये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(परिवार राज्य कल्याण मंत्री)

| नाम संस्थान | प्राप्ति तिथि | संख्या टीवी एवं वीसीपी | संस्थान जहां वर्तमान में है। |
|---|---|---|---|
| 1. परिवार कल्याण ब्यूरो (आईईसी) नागौर | 7.12.90 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | परिवार कल्याण ब्यूरो, नागौर |
| 2. ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर | 1.9.98<br>1.9.98<br>30.10.99<br>25.11.94 | 1 टीवी<br>1 टीवी<br>1 वीसीपी<br>1 वीसीपी | ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर |
| नोटः उपरोक्त में से 1 टीवी ईसी मॉडल का दिनांक 29.7.95 को एनपीडब्ल्यू ट्रेनिंग सेन्टर, ब्यावर को भेजा गया। | | | |
| 3. पीपी सेन्टर, मेड़ता | 4.10.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर, मेड़ता |
| 4. पीपी सेन्टर, डीडवाना | 4.10.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर, डीडवाना |
| 5. पीपी सेन्टर, परबतसर | 3.10.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर, परबतसर |
| 6. पीपी सेन्टर, मकराना | 4.10.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर, मकराना |
| 7. पीपी सेन्टर, लाडनूं | 4.10.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर, लाडनूं |
| 8. पीपी सेन्टर कुचामनसिटी | 23.11.96 | 1 टीवी<br>1 वीसीपी | पीपी सेन्टर कुचामनसिटी |

(2) इसका उपयोग चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आई. ई. सी. की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु किया जा रहा है। संस्थान से समय-समय पर आडियो/विडियों केसेटस एवं विभागीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार आम जनता में किया जाता है जिसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है एवं निदेशालय स्तर पर समीक्षा की जाती है। जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को गति प्रदान की जा सके एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

(3) इस संबंध में कोई गाइड, लाइन्स नहीं दिये गये हैं।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सांवरलाल एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के अधिकांश जिलों में भयंकर अकाल की स्थिति होने के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से अजमेर के बिरजानन्द स्कूल के दो बच्चों के अपहरण की कथित घटना के संबंध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से बगरू थानान्तर्गत देह शोषण की एक घटना के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से बीकानेर व उत्तर-पश्चिम राजस्थान में अकाल की गंभीर समस्या के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव संख्या 3 और 4 पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

अकाल से सम्बन्धित तीनों प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। इसके सम्बन्ध में अकाल राहत मंत्रीजी 27-3-2000 को सदन में वक्तव्य देंगे।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) डा. के. सी. चौधरी, सदस्य की ओर से ब्यावर में दो मासूम बच्चों के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 132 केवी. विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से महुवा तहसील के ग्राम गौहड़ी गूजर में स्थापित क्रेशर कम्पनी को बंद कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सांवर लाल।

**श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित में प्रार्थना की है कि मुझे महत्त्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यानाकर्षित करने की अनुमति प्रदान की जावे। विषय, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में...

**श्री अध्यक्ष** : आपकी पर्ची आई हुई है। आपको अवसर मिलेगा बोलने का। इसके बाद में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 295 के बाद में।

श्री अध्यक्ष : हां, 295 के बाद में।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## भिनाय के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या

**श्री सांवर लाल (भिनाय) :** अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भिनाय विधान सभा के गांवों में पेयजल का गम्भीर संकट है। व्यक्ति एवं पशु इस समस्या से ग्रस्त हैं। हैण्डपम्प

**(12.00 बजे)**

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

सूख रहे हैं, खराब पड़े हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजनाएं जहां-जहां हैं, पानी नाम मात्र का है। 10-10 दिन बाद 10 मिनट भी पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। जहां बीसलपुर के पानी देने हेतु टंकी व पाइप लाइन डल गई वहां भी पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। समय रहते इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास नहीं किये गये तो कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। ग्राम बांदमवाड़ा, गोपालपुरा, करांरी, खेडी, गोवालिया, भिनाय, देवसिया कलां, सरगांव कोरिया कलां, भगवन्तपुरा, कोरडी सांगानेर, गोवला सराणा, पोलादी जावसा, राठोशपुरा, बांदी शोकासिया, गुढाखुर्द कलां दादिया, साराणदा, मण्डावरिया केरिया, किशनपुरा एवं सभी गांवों में भयंकर किल्लत की वजह से जन आक्रोश है।

मैं स्थानीय विधायक होने के नाते अपना फर्ज समझता हूं कि वास्तविक स्थिति की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचे तथा सरकार अविलम्ब इन स्थानों पर टैंकर से या अन्य व्यवस्था से पेयजल उपलब्ध करवाऐं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

## ब्यावर में दो मासूम बच्चों का अपहरण

**डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) :** प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना। ब्यावर में हुए दो मासूम बच्चों के अपहरण व अमानवीय पिटाई के सम्बन्ध में।

मान्यवर, विगत दिनों तारीख 6.3.2000 को ब्यावर के दो मासूम विद्यार्थियों के अपहरण की घटना असामाजिक तत्वों के गिरोह द्वारा करके मासूम छात्रों की निर्मम पिटाई की गयी।

मैं उक्त घटना को विशेष उल्लेख के जरिये संदन के ध्यान में प्रस्तुत करता हूं। छात्र ऋषि वाजपेयी एवं अंशुल वर्मा सायं 5 बजे करीब नियमित ट्यूशन हेतु ब्यावर शहर की खन्ना कालोनी के मोड़ पर जा रहे थे कि ब्यावर के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका अपहरण कर मसूदा रोड पर एक फार्म पर ले जाकर बंद कर दिया तथा अमानवीय तरीके से मारपीट की जिससे बच्चों को शारीरिक व मानसिक चोटें आई हैं। घटना की सम्पूर्ण जानकारी ब्यावर के सिटी थाने में बच्चों के अभिभावकों द्वारा दर्ज कराई गयी परन्तु इस गंभीर प्रकरण में लिप्त कुछ प्रभावशाली लोगों को सुनियोजित तरीके से पुलिस/प्रशासन बचा रहा है जिससे ब्यावर

(डा. के. सी. चौधरी)

शहर में काफी आक्रोश है। इस घटना में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के कुछ व्याख्याताओं के इस कार्य में लिप्त होने के काफी साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु पुलिस व प्रशासन उन्हें बचा रहा है जिससे उन्हें शह मिल रही है तथा वे और भी शहर में आतंक व भय फैलाने की घटनाएं कर सकते हैं।

अतः मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों, जो इस घटना में लिप्त हैं, के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के आदेश दे ताकि छात्र एवं उनके अभिभावकों में व्याप्त असंतोष एवं भय दूर हो व शिक्षण कार्य सही तरीके से सम्पादित किया जा सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामस्वरूप मीणा।

## टोडाभीम में 132 के. वी. विद्युत सब स्टेशन की स्थापना

**श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में 132 के. वी. के सब स्टेशन स्थापित करने के बारे में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, जो कृषि प्रधान इलाका है, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसानों की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। कृषि ट्यूबवैलों पर आधारित है, ट्यूबवैल बिजली पर आधारित है। इस इलाके से सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जब से मुझे जनता ने विधायक बनाया तब से लगातार, भाजपा शासन के समय से यहां पर 132 के. वी. के सब स्टेशन के लिये मांग करता आ रहा हूं। भाजपा के समय में भी मैंने विधान सभा में यहां मांग रखी और धरने भी दिये, आखिर में इसके लिये अपनी टांग भी इस सदन में तुड़वाई और माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय चौपड़ पर धरने पर बैठे थे, मैंने उनके साथ गिरफ्तारी भी दी और बड़ी मुश्किल से यह स्टेशन स्वीकृत हुआ। एक वर्ष से मेरी कांग्रेस की सरकार आई पर मेरे 132 के सब स्टेशन की आधारशिला आज तक नहीं रखी गयी। किसान बिजली के अभाव में त्राहिमाम कर रहा है। वोल्टेज बिलकुल डाउन आते हैं। पहले तो मैं यह कहकर जनता को संतुष्ट करता रहा कि मेरी सरकार नहीं है, सरकार आने पर लगवा दूंगा पर आज मैं क्या कहूं। सरकार भी आ गयी, चन्द्रभानजी मंत्री भी बन गये पर यह स्टेशन नहीं लगा। इस सदन में पिछले बार भी मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था, जल्दी लगा दूंगा।

अतः मैं इस सदन में माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे टोडाभीम में 132 के. वी. सब स्टेशन को मेहरबानी करके आप कब तक लगाने का श्रम करेंगे, कृपया आज ही घोषणा करें ताकि मैं जनता में घोषणा कर उनका विश्वास जीतूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किरोड़ी लालजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

**डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम में 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत कर दिया गया है। वित्त का प्रबंध होने पर...

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : यह पिछली बार भी कहा था आपने। अब रामस्वरूप मानने वाला नहीं हैं, मंत्री महोदय। पिछली बार भी आपने कहा था। 6 महीने पहले भी आपने यह बात कही। अब रामस्वरूप मानने वाला नहीं है।

**डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)** : यह बात पिछली बार भी कही थी, आपने इस सदन में आप 6 महीने से सैंक्शन कर रहे हैं। अब नहीं मानेगा। अब धरने पर बैठेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त का प्रबंध होने पर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ हुआ है, सन् 2000-2001 में इनका 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बना दिया जाएगा।

**श्री रामस्वरूप** : आपकी जो यह घोषणा है, जो विश्वास हमारी जनता को दिया है, मुझे बहुत-बहुत खुशी है, आपको धन्यवाद। आप जल्दी ही इसकी आधारशिला रखेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किरोड़ी लालजी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : जहां-जहां जरूरत है, सबका खोल दोगे या कांग्रेस का ही खोल दोगे ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**डा. चन्द्रभान** : नहीं इसकी जरूरत है तकनीकी कारणों से।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, 295 में कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, कई माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दे देते हैं और बाकी बैठे रहते हैं सदन में होते हुए भी, इस सम्बन्ध में क्या आप यूनिफार्म पालिसी, यूनिफार्म व्यवस्था बनाने की कुछ व्यवस्था करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावर)** : मंत्री यहां बैठे रहें, सुनते रहें, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करे ? यह कहते हैं उत्तर देना जरूरी नहीं है, तो बैठे रहना भी जरूरी नहीं है। सदन में आप बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार क्या कर रही है। फिर आप 295 किसलिये पढ़वाते हैं ? 295 की रीडिंग माननीय सदस्य करते हैं, सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो पढ़ने वाले का अपमान होता है, सदन का भी एक तरह से अपमान होता है। आपकी अनुमति से सदन में पढ़ा जाता है और मंत्री उस पर कोई काग्नीजेंस नहीं लेता तो यह सब ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह प्रश्न विचाराधीन है। माननीय किरोड़ी लालजी।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) :** इसमें विचाराधीन नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले की परम्परा यही है, यदि मंत्री महोदय को उसके बारे में जानकारी हो तो वह जवाब दे सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह नहीं है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** एबरप्टली एक सवाल उठे कि आज बच्चे उठ गये तो अभी से यह होम मिनिस्टर कहां से दे देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं-नहीं, माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि मंत्री महोदय जवाब दें। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य बोलें तब मंत्री महोदय उपस्थित रहें। प्रश्न यह है। जवाब देने वाली बात नहीं है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) :** लिखित में उत्तर जाता है। लिखित में सभी का उत्तर जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष :** जवाब देना अनिवार्य, जरूरी नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, 295 का मंत्रियों को नोटिस तो जाता नहीं है एडवांस। उपस्थित रहें, अब यह बड़ा मुश्किल है। जब तक एडवांस नोटिस नहीं होगा तो कैसे उपस्थित रहेंगे? यही मैं...

**श्री उपाध्यक्ष :** आप समझ नहीं रहे हो। आपको यह कह कहां रहे हैं कि जवाब दो। यह तो कह ही नहीं रहे हैं। आप उनकी सुनो तो सही कम से कम बैठ करके।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** लेकिन हमको कैसे मालूम हो ? आज आपके पास में जो स्लिप आई है वह कोई कोअपरेटिव से ताल्लुक रखती है, हमको मालूम ही नहीं है वह।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको पहले सूचित कर देंगे।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** हां, पहले सूचित कर दीजिये।

**श्री रामनारायण चौधरी :** तो आप ऐसे कौनसे जरूरी बिजनेस पर जा रहे हैं जो एक घंटा भी यहां बैठ नहीं सकते ? उपाध्यक्ष महोदय, आप कौनसा जरूरी काम करने जाएंगे कि आप माननीय सदस्यों की बात सुनेंगे नहीं ? आप बिराज जाएं।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा :** माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी पर्ची दी हुई थी...

**श्री उपाध्यक्ष :** आ जाएगी अभी तो 295 चल रहा है।

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा :** 295 चल रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष :** पर्ची आ जाएगी पर्ची का समय आएगा जब। श्री किरोड़ी लालजी।

## गोहंडी गूजर ग्राम में स्थापित क्रेशर मशीन बंद कराने बाबत

**डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :** महुवा तहसील ग्राम गौहंडी गूजर के पुराने ख. न.

(डा. किरोड़ी लाल)

एवं नये ख. न. 14/17/2 ओम स्टोन क्रेशर कम्पनी के नाम से भारी क्षमता की एक क्रेशर मशीन आबादी क्षेत्र गौहंडीमीणा से सटी हुई है तथा वन क्षेत्र से मात्र 20 मीटर की दूरी पर धौलाकुआं रोड पर स्थित है। इस क्रेशर के लिये माइनिंग लीज की स्वीकृति ग्राम गौहंडीमीणा के ख. न. 6 में प्राप्त हुई है जो चारों तरफ से भारी वन क्षेत्र से घिरी हुई है तथा यहां जाने के लिये वन क्षेत्र को क्रास करना पड़ता है। यह क्रेशर सन् 96 से गिट्टी तोड़ने का कार्य कर रही है जिसकी बारीक डस्ट प्राथमिक विद्यालय गौहंडीमीणा की आबादी ग्राम गौहंडीमीणा कौंडला, खोहरा मुल्ला, तेहड़ा, खानपुर, गौहंडी गूजर आदि गांवों में उड़ कर जा रही है भारी मात्रा में, जिसके कारण इन गांवों के आबादी क्षेत्र में लोग न्यूमोकोनियोसि, टी. बी. , दमा जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने लग गये हैं। इस प्लांट को इस जगह स्थापित किया गया है जहां एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों के पीने के पानी का रिजर्वायर बना हुआ है जिसमें भारी मात्रा में डस्ट जा रही है। आस-पास के खेतों की फसल एवं वन क्षेत्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जिस जगह की माइनिंग लीज मिली है उस जगह से तो एक ट्रोली पत्थर नहीं खोदा गया। वहां पत्थर है ही नहीं। सारा का सारा पत्थर करौली जिले के सीमा क्षेत्र के गांव डौरावली, जौंल के वन क्षेत्र, भरतपुर जिले के निठार, म्यादपुर, बल्लभगढ़ एवं खिरनी मालपुर के पहाड़ तथा दौसा जिले के कौंडला, औंड, कुतकपुर, नौगांव एवं खौहरा गांव के पहाड़ों से भारी मात्रा में निकाला जा रहा है जो पूर्णतः वन क्षेत्र में हैं। इसके कारण वन क्षेत्र पूरी तरह से उजड़ गया है। क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता की इस क्रेशन में साझेदारी होने के कारण वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की खनन कार्य कराने तथा वन क्षेत्र को उजाड़े जाने में पूरी सांठगांठ है। माननीय न्यायालय के आदेशों को धता बताकर इस क्रेशर के मालिक वन क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं तथा आसपास की आबादी इस बड़ी क्षमता के क्रेशर की डस्ट के कारण जानलेवा बीमारियों में जकड़ती जा रही है। अतः जनहित में इस क्रेशर को बन्द करवाया जाए तथा वन क्षेत्र को बचाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर। माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं लिया है।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा नेता है? आप नाम बतायें, आप भी उस क्षेत्र के हैं, कहीं आपका तो मामला नहीं है?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, नाम नहीं लिया है। श्री मदन दिलावर।

**डा. किरोड़ी लाल** : नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता का यह प्लांट है।

**श्री मदन दिलावर (अटरू)** : उपाध्यक्ष महोदय, 295 है या पर्ची है?

**श्री उपाध्यक्ष** : पर्ची है।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिठाई का वितरण

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख, बुधवार को अजमेर के...

**श्री उपाध्यक्ष** : किस पर आप बोल रहे हैं ?

**श्री मदन दिलावर** : मैं पर्ची पर बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पर्ची क्या है आपकी ?

**श्री मदन दिलावर** : स्थगन पर बोल गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि आजादी हमको कैसे मिली है। आजादी बड़े बलिदानों के बाद मिली है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और जिस दिन आजादी मिली उस दिन बड़ा उल्लास मनाया गया, पूरे देश में खुशियां मनायी गयीं और तब से तय किया गया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को मिठाइयां बांटी जाएंगी। यदि बांरा जिले को छोड़ दें तो आजादी से आज तक सब जिलों में मिठाई का वितरण हुआ। मुझे पता नहीं है कि इस बार सरकार के आदेश थे कि नहीं थे कि मिठाई नहीं बांटी जाए। लेकिन बारां जिला कलेक्टर के मौखिक रूप से निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर अब की बार मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए मिठाई का वितरण नहीं किया जाए। बारां जिले में कहीं भी किसी भी विद्यालय में मिठाई का वितरण नहीं हुआ और बच्चे मुंह लटकाकर घर चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन कई गांवों में घूमा, मैंने देखा कि वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ। चुनाव लड़ने वाले लोगों को थोड़ी शर्म आई और उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र दिवस है तो उन्होंने विद्यालयों में मिठाई देकर के बंटवायी। परन्तु इस + + + सरकार के कलेक्टर आर. एस. गठाला ने वहां मिठाई बांटने से मना कर दिया। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले रानी विक्टोरिया हमको मिठाई बांटा करती थी तो हमारे यहां के महापुरुष उस मिठाई को फेंक दिया करते थे। क्या यह गुलामी का दिन था, क्या आज यह गुलाम हैं, जो हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर मिठाई का वितरण नहीं किया जाए ? मैं समझता हूं कि यह हमारे गणतंत्र दिवस का अपमान है। इसलिए वहां के जिला कलेक्टर आर. एस. गठाला को सरकार सजा दे। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। सरकार के माननीय मंत्रिगण बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, इतने महत्त्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं इसलिए आप इस पर बतायें कि आपने मिठाई बांटने के लिए मना किया था या जिला कलेक्टर ने मना किया था या किसके आदेश से वहां मिठाई नहीं बंटी और मिठाई नहीं बंटने के कारण क्या रहे, जिन लोगों ने इस प्रकार के मीटिंग में निर्देश दिये, जो वहां के अखबारों में

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

छपा कि यहां के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई उसमें अबकी बार मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए किसी भी विद्यालय में मिठाई का वितरण नहीं होगा, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं या गुलामी में जी रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

**श्री मदन दिलावर** : मुझे बारां जिले में इसका आभास नहीं होता है। लगता है वहां के लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर हमारे दुध मुंहे बच्चों को मिठाई से वंचित रखा जा रहा है यह घोर अन्याय है और इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। यह सरकार +++ है। यह सरकार छोटे-छोटे दुधमुंहे बच्चों का अधिकार भी छीन रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री मदन दिलावर** : मैं इस सरकार के इस कृत्य की जितनी निन्दा करूंगा वह भी कम होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से नाम लेकर के, जिला अधिकारी के खिलाफ जिस तरह से किया है, इसे एक्सपंज किया जाए। साथ ही मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के संदिग्ध आचरण को देखते हुए जिला कलेक्टर बारां ने इनके खिलाफ जांच तक की कार्यवाही कर रखी है। यह आए दिन वहां जाकर के इस तरह के झगड़े-फसाद करते हैं। इनका व्यक्तिगत कोई झगड़ा हो सकता है उस झगड़े को लेकर के विधान सभा में...(व्यवधान) निन्दनीय है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सुरेन्द्र व्यास।

**श्री मदन दिलावर** : मेरे को फांसी की सजा दीजिये, मेरे अपराध के लिये मुझे फांसी दी जाए लेकिन बच्चों को मिठाई खिलाई जाए। (व्यवधान) मेरे अपराध के लिए मुझे फांसी की सजा दीजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति 302 का मुलजिम है वह सदन में आकर के जिला कलेक्टर के खिलाफ इस तरह का अनर्गल प्रलाप करे, यह घोर निन्दनीय है। (व्यवधान)

**श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं है कि...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री श्रवण कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य ने यह बात कही है कि मिठाई बांटी जाए, कौनसे जिले में कलेक्टर मिठाई बांटता है?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री श्रवण कुमार** : जिस का कोई प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

**श्री मदन दिलावर** : मिठाई नहीं बांटी जाए...(व्यवधान) वहां की स्वायत्तशासी संस्थाओं को कहा है कि मिठाई नहीं बांटी जाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह तो बहस का इश्यू ही नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

**श्री श्रवण कुमार** : बांटते थे क्या... (व्यवधान) हमारे को तो गुलामी का...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

**श्री हेमन्त कुमार** : जिला कलेक्टर सरकार का वफादार है। जो सदस्यों ने फर्जी काम किये हैं उनको कलेक्टर ने उजागर किया है और वह धन्यवाद का पात्र है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है।

**श्री मदन दिलावर** : ऐसे भ्रष्टाचारी को धन्यवाद देते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को यह धन्यवाद देते हैं तो उस पर कुछ नहीं कहना...(व्यवधान)

## जयपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान

**श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर आसन का और सदन का ध्यानाकर्षित करने के लिये पर्ची दी थी। एक तो मेरी विनम्र प्रार्थना यह है कि 295 के पहले परम्परा यह रही है इस सदन की कि इस प्रकार के विषय की आसन से अनुमति ली जाती है। 295 के मोशन से पहले, मेरी भावना से आप माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हो गया?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : 295 का जो मोशन पढ़ते हैं ना, उसके पहले अनुमति की परंपरा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं रही है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, रही है। आप चैकअप कर लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह हमेशा ही बांद में आती रही है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : पहले रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : चलो, आप आगे बोलें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि आज जयपुर के अंदर जो अतिक्रमण हटाने के नाम से भारी तोड़फोड़ हो रही है उसकी सर्वत्र प्रशंसा है। मैं उसकी मेरिट्स पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक इतना इम्पार्टेंट मैटर है, सरकार को खुद एक स्टेट्मेंट देना चाहिये था, हाउस को कांफीडेंस में लेना चाहिये था। टोटल कन्फ्यूजन है। हैरिटेज सिटी के लिये आप कर रहे हैं। अतिक्रमण पहले से अपराध है, गैरकानूनी है। अतिक्रमण हटाने का आपने कोई अभियान कर रखा है या हैरिटेज सिटी का कर रखा है, हैरिटेज सिटी का है तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उसका क्या कंसेप्ट है? क्या लोन मिलेगा? जो भी फैक्ट्स हैं, लेकिन जिस पैमाने पर यहां पर तोड़फोड़ हो रही है उसके विषय में मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि यहां मंत्रीजी का वक्तव्य आज, आज नहीं तो मंडे को अलग से दिलायें और इस पर माननीय सदस्यों को कांफीडेंस में लिया जाए।

मैं इसकी मेरिट्स पर कोई निवेदन नहीं करना चाहता। जब तक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक कोई धारणा बनाना उचित नहीं होगा। मीडिया के अंदर भी अभी यह क्लियर नहीं है कि यह अभियान अतिक्रमण हटाने का अभियान है। अगर अतिक्रमण हटाने का अभियान है तो फिर खाली जयपुर शहर में ही क्यों है? अगर हैरिटेज सिटी का अभियान है तो फिर जयपुर की फोर वाल्स के बाहर क्यों है? कई सवाल इसके अंदर जुडे हुए हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी :** इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है ना।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** हां, हो रही है मैं इससे इंकार नहीं करता। इसका मतलब नहीं है। रामनारायण जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रशंसा का मतलब यह नहीं है कि आंख मींचकर प्रशंसा की जाए। हम भी प्रशंसा करना चाहते हैं, कोई कमी हो तो उसकी ओर ध्यानाकर्षण करने जा रहे हैं प्रशंसा अलग चीज है, प्रशंसा तो सेडिज्मप्लेजर होता है। जब केले के छिलके से गिरता है न कोई आदमी उसमें भी लोग मजे लेते हैं। अब वर्षों से बरामदे इत्यादि बनाएं हैं, बी. जे. पी. ने भी कन्फ्यूज किया, बरामदों के मामले में बोल गए, बरामदों वालों से कोई किसी की सिम्पैथी नहीं है, बरामदे वाकई अनाधिकृत थे, जब खाली हुए तो लोग राजी हुए, क्यों नहीं राजी होते, लोगों ने सरकारी सम्पत्ति पर कब्जे कर लिए, हमारे मित्र ने तुड़वाया, हमारे मित्र ने हड़ताल कर दी, वह एक अलग इश्यू है। टोटलिटी के अंदर यह बरामदों का ही प्रकरण नहीं है क्योंकि खाली हैरिटेज सिटी का मामला हो तो खाली फोर वाल्स होना चाहिए, बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर जा रहे हो तो अतिक्रमण हुए कैसे,.इस पर भी कई सवाल निहित हैं...(व्यवधान) माननीय हरिसिंहजी, आपके अण्डरग्राउण्ड तहखाने बन गए, आप आज खाली उनको पकड़ कर, ध्वस्त करके सैटिसफाई हो जाएंगे, सरकारी मशीनरी के बिना...(व्यवधान) वह अलग बात है कि फिर बनेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध फिर होगा इसलिए उस अपराध को रोका न जाए। यह तर्क नहीं है। फिर बनेंगे तो कोई बात नहीं लेकिन सवाल यह है कि बरामदों के नीचे अतिक्रमण करके लोगों ने तहखाने बनाए, आपने जिम्मेदारी आयद की? तत्कालीन अधिकारियों की बिना मिलीभगत के कैसे हो सकता है? बरामदे तो एक बहुत सीमित प्रश्न है, नहीं तो संसार चन्द्र रोड पर कौन से बरामदे हैं? अजमेर रोड पर कौन से बरामदे हैं? आपने अतिक्रमण तोड़े हैं, गलत थे इसलिए तोड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आटे में घुन पिसता है, इसलिए कुछेक केसेज हैं जो आपकी जानकारी में हैं या नहीं मुझे पता नहीं कि जिनका लेजीटिमेट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राइट था। स्टेट के जमाने के...(व्यवधान) हां, पिसता है, मैं खुद मानता हूं इस बात को, जो भी है, उसके विवेचन में मत जाइए। कहने का मतलब बड़ा अभियान चलता है तो छोटी-मोटी ज्यादतियां होती हैं, कोर्ट भी इस बात को इग्नोर करता है, मैं इस बात के लिए सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं उसका जस्टिफिकेशन पूछना चाहता हूं। आपने पहले नोटिस दिया क्या? कई लोग हैं जिनके पास स्टेट के जमाने से लेजीटिमेट पट्टे थे। मैं इस पर ज्यादा चर्चा न करके आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सौभाग्यवश मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, राहत मंत्रीजी ने जैसे खड़े होकर कहा, वह एक अलग प्रश्न था, प्रश्नकाल के अंदर ही इन्होंने रखवा दिया, मैं तो बिलकुल नियमानुसार आसन की अनुमति से बोल रहा हूं और यह आग्रह कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी अपनी सुविधानुसार आज या 27 तारीख को फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स सदन में रखें और सदन को कांफिडेंस में लें। यह मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना है।

**श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ें इसके सारे पक्ष में हैं, कोई भी उसका विरोधी नहीं है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका क्या है?

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किस पर बोल रहे हैं?

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की तकलीफ है इसलिए मैं कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल किस पर रहे हैं?

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने अनुमति दी नहीं है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण हैं तो निश्चित तौर पर हम आपका सहयोग करेंगे, किसी भी प्रकार का असहयोग नहीं करेंगे लेकिन सरकार ने वित्तीय संकट से ध्यान बंटाने के लिए यह अभियान चलाया, इससे पार नहीं पड़ने वाली। आप अपना अभियान चलाओ लेकिन दहशत नहीं फैलाओ। मूल समस्या चाहे अकाल की है, वित्तीय संकट की है, उससे ध्यान मोड़ने का प्रयास करते हैं तो यह बिलकुल गलत है। जनता इसमें सहयोग देगी...

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए, माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अतिक्रमण तोड़िए, हम भी यह चाहेंगे कि आप इक्का-दुक्का ऐसे तो उदाहरण बनाएं, यदि आपने यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

हिम्मत की है तो किसी एक आई. ए. एस. या आई. पी. एस. को तो लपेटिए। जैसे बीकानेर के पुराने किले की दीवार शहर की है, उसके बाहर नोटिफिकेशन जारी था, 20 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण नहीं होगा लेकिन यू. आई. टी. के चेयरमैन के नाते दुकानें अलॉट कर दी, आवासीय भूखण्ड अलाट कर दिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा? जिनके पास स्टेट के पट्टे हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित न हो। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं होगा। अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोलो चाहे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : हम सहयोग करेंगे न।

**श्री मदन दिलावर (अटरू)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सब बोल रहे हैं, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है, चाहे आप बोलो।

**श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिए, माननीय सदस्य।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)** : XXX

**श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किस पर बोल रहे हैं? विराजिए, प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप दो मिनट विराजिए। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दिलाओ? आपके चाहने से नहीं होगा।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : यह प्रश्न अभी पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने उठाया है। माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर स्टेटमेंट चाहते हैं। सरकार चाहेगी तो स्टेटमेंट दे देगी। यदि आपको इस प्रश्न को और उठाना है तो किसी और माध्यम से उठाइए। पर्ची के माध्यम से सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। माननीय रिछपालजी मिर्धा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मिर्धाजी, आप विराजिए, माननीय मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, या तो सदन तय कर दे कि अतिक्रमण तोड़ना और अवैध निर्माण हटाना गलत है...।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। कृपया सुनने की कोशिश करें, आप कृपया सुनें। या तो यह तय कर दें कि अतिक्रमण को तोड़ना और अवैध निर्माण हटाना गलत है या फिर कोई आप ऐसी शिकायत मुझे करें, कृपया सूचित करें कि कोई पक्षपात इस पूरे अभियान के दौरान हुआ हो, किसी आदमी की गलत तामीर तोड़ दी गई हो, यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : सैंकड़ों।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप सूचित कर दें।

**श्री रिछपाल मिर्धा** : आप बाद में उठा लेना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : आप समय तय कर लें, आपका स्टेटमेंट आ जाए फिर हम प्रमाण देंगे कि कहां-कहां आपने पक्षपात किया है। आप सुनना चाहते हैं, आप खड़े होकर कह दें कि स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, उसके बाद हम देंगे कि कहां-कहां आपने पक्षपात किया है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : प्रतिपक्ष की प्रशंसा से जाहिर होता है कि सब अतिक्रमण हट रहे हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : एक तरफ आप सर्वेक्षण करवाते हैं रेगुलराइज करने के लिए, दूसरी तरफ लोगों को गुमराह करते हैं, यह नाटक मत कीजिए, दोनों बात मत कीजिए।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप तय कर दीजिए कि अतिक्रमण नहीं हटेंगे, आप सदन से तय करवा लीजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप स्पष्ट रूप से कहें कि हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। यह दोहरी नीति क्यों?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिए, प्लीज (व्यवधान) सुरेन्द्रजी, विराजिए। इस पर क्लेरीफिकेशन की जरूरत ही नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं मात्र एक निवेदन कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, जरूरत ही नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या है?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल इल्लाजिकल है कि कोई आदमी बोले कि अतिक्रमण हटाने के नाम से आप अतिक्रमण के पक्ष में हो। यह कोई तरीका नहीं हुआ। अगर अतिक्रमण आप हटाएं, आपको हम कह रहे हैं कि प्रशंसा हो रही है, लेकिन आपका क्या अभियान है, क्या आपका डिसीजन है, आपने क्यों यह अभियान चलाया है, कौन-कौनसे शहरों में है, आखिर कोई पॉलिसी का स्टेटमेंट तो आप टेबल पर रखिए, हाउस के अंदर तो लाइए आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : यानी अतिक्रमण हटाने के भी कारण बताए जावें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप अतिक्रमण सिर्फ जयपुर में ही हटाओगे?

**श्री देवीसिंह भाटी** : इसलिए कि आप अतिक्रमण तोड़कर सरकारी अतिक्रमण कर रहे हैं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : कानून का पालन किस प्रकार से कराया जाए, इसके भी कारण बताए जाएं?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, यह अतिक्रमण...

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : क्या इसका भी लाजिक बताया जाए?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ये खानदानी अतिक्रमण थे। (व्यवधान) उस समय अतिक्रमण नहीं हटाया और 40 साल से अतिक्रमण नहीं हटाया तो अब अतिक्रमण हटाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, यह बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम विरोध भी करेंगे। (व्यवधान)

**श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ायी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, सरकार पूरे संयम से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना जा रहा है। सरकार पूरा आदर कर रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज। सिट डाउन, बैठिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नो, नो ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर बोल गए वह स्टेटमेंट की परिभाषा में आ गया। Now I have a right to seek clarification. अब जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : Chair is on its legs. माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मंत्रीजी बोल गए हैं वह वक्तव्य की परिभाषा में आ गया। स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अधिकार तो मैं देऊंगा तब है ना।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नियमों में है। आपके बिना भी नियमों में है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिए प्लीज।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप सिर्फ व्यवस्था देंगे, अधिकार आप नहीं देंगे, अधिकार नियमों में है।

**श्री उपाध्यक्ष** आप बिराजें, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, (व्यवधान) जो बात उनको कहनी थी बहुत स्पष्ट कर दी, आप स्वयं इस बात की प्रशंसा कर रहे हो कि अतिक्रमण हटाये, यह बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद इश्यू क्या है? What is the issue?

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम इसलिए एतराज कर रहे हैं कि एक तरफ तो थड़ियां हटा

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहे हैं दूसरी तरफ सरकारी अतिक्रमण करके कियोस्क बना रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप स्वयं तारीफ कर रहे हैं इस काम की, फिर इश्यू क्या है? There is no issue. माननीय सदस्य, मिर्धा जी।

## बछड़ों के निर्यात पर रोक

**श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अधिकांश जिलों में लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन और खेती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में नागौर का बछड़ा और बैल मशहूर है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27.1.2000 को एक ऐसी रोक लगा दी जिससे हमारा पशुधन और हमारे जिले के पशुपालकों का जीवन संकट में पड़ गया है। तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़े को राजस्थान से बाहर ले जाने के निर्यात पर रोक लगा दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्रीजी, जो यहां विराज रहे हैं, से मांग करना चाहूंगा कि इस कानून में बदलाव किया जाए, इस एक्ट में संशोधन किया जाए ताकि हमारे जिले के पशु मेले बरबाद न हों। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले नागौर, परबतसर, डेगाना, डीडवाना, भकरी में हमारे जिले में लगते है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बछड़े छह माह से लगाकर साढ़े चार साल की उम्र तक के मेले में बेचते हैं वे आज तक कभी कटने के लिए नहीं गए। वे सिर्फ खेती के उपयोग में लिये जाते हैं और बिहार, यू. पी., हरियाणा, मध्य प्रदेश के काश्तकार, व्यापारी ही इन मेलों में आते हैं, वे इन बछड़ों को खरीदते हैं और राजस्थान से बाहर ले जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रोक को हटवाइए। हमारे जिले में दो फसल तो खेती की मानते थे और एक फसल इन मेलों की मानते थे। अब की बार पूर्णतः ये मेले फेल रहे हैं। न लोगों ने खरीदे और जो पशुपालक यहां बेचने के लिए आये उन्हें इस रोक से घोर निराशा हुई। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इस एक्ट में संशोधन करके इन बछड़ों पर जो रोक लगायी है उसको हटाया जाए और नागौर जिले के पशुधन को बचाया जाए, वहां के पशुपालकों को राहत दिलायी जाए। इधर तो अकाल की छाया और दोहरी मार ऊपर से, उनके बछड़े नहीं बिके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने वैसे ही गायें छोड़ दीं पहले ही। अब जब तीन साल तक के बछड़ों को नहीं ले जाने दिया जाएगा, तीन साल का तो साण्ड हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, तीन साल तक बछड़ा काश्तकार, पशुपालक अपने घर में रख सकता है क्या ? तो मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी इस मामले में कानून में संशोधन करके इस रोक को हटाया जाए। पशुपालन मंत्रीजी कुछ कहेंगे उनसे ऐसी आशा है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री देवीसिंह भाटी : पशुपालन मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। पशुपालकों के लिए बोलें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो बहस हो गयी ना।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी इस पर कह रहे मंत्रीजी कह रहे हैं तो उसमें कहां आता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहूंगा तब बोलेंगे ना। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : आसन की अनुमति से बोल रहे हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री मोहन लाल चौहान : यह एक गंभीर मसला है। यह मारवाड़ का नहीं पूरे राजस्थान का मसला है।

श्री मांगीलाल डागा (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बछड़े के संबंध में ही कहना चाहता हूं। वहां बछड़े कटते हैं। उनको व्यापारी नहीं ले जाते, वहां गौवंश को काटने के लिए ले जाते हैं। इसलिए गौवंश यहां से जाना नहीं चाहिए। बछड़े यहां से जाने नहीं चाहिए। (व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने फलौदी में दंगा कराकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। (व्यवधान) गौवंश यहां से जाना नहीं चाहिए। गौवंश बिलकुल बंद हो। (व्यवधान) गौवंश यहां से जाना नहीं चाहिए, बछड़े यहां से जाने नहीं चाहिए। आप क्यों कटवाना चाहते हैं इनको?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्यों बोलना चाहते हैं बछड़ों के लिए? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : हमारा इसी संबंध में है। मारवाड़ का यह पशुधन है, मारवाड़ में यह खेती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी अनुमति से बोलना चाहते हैं, यह एक गंभीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। यह सारा प्रश्न, जब यह तय हो गया है कि अकाल पर चर्चा होगी, यह उसी से संबंधित है।

श्री अमराराम (धोद) : अकाल का इससे क्या मतलब है? यह अलग मसला है, गंभीर मसला है। यह चारे की व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डागा : बछड़ों के संबंध में जो विशेष परिस्थिति बनी हुई है_(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बछड़े बाहर क्यों जा रहे हैं ? पशु मेलों में बिकने बंद हो गये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : यह कोर्ट के इंटरफियरेंस से हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल से संबंधित नहीं है, यह पशुधन का मामला है।

श्री मोहन लाल चौहान : यह पशुओं का मामला है। इसमें संशोधन करना पड़ेगा, एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो पशुपालक बरबाद हो जाएंगे। अगर बछड़े नहीं बिकेंगे तो कहां ले जायेंगे। मेले नहीं लगेंगे तो मारवाड़ के पशुपालक बरबाद हो जाएंगे। यह क्षति है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल का इश्यू नहीं है। ये बैल और बछड़े बेचते हैं, व्यापारियों को बाहर नहीं

(श्री अमराराम)

ले जाने दे रहे हैं। एक तो कानून में तीन साल से छोटी उम्र के बछड़े...(व्यवधान)

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, "गावो में अमृत सन्तु, गावो सन्तु पृष्ठतः। गवाम मध्ये वशामिहम्।" यह शास्त्रोयुक्त है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक मिनट। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह इश्यू उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं...(व्यवधान) एक मिनट।

**श्री मोहन लाल चौहान** : यह अकाल राहत से संबंधित नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी कुछ बोलें तो मंत्रीजी को बोलने नहीं देंगे आप। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल चौहान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत से संबंधित नहीं है। यह पशुपालन का है, अकाल राहत से संबंधित नहीं है। यह पशुओं की बिक्री का मामला है, यह बैलों की बिक्री का मामला है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, वो बिलकुल विचारणीय है और मैं उससे सहमत हूं। राजस्थान में एक एक्ट बना 1995 में, राजस्थान बेवाइन एनीमल प्राहिबेशन ऑफ स्लाटर एण्ड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट एक्ट, 1995 इस रिट पिटीशन में उनके सामने जो पार्टीज गयी थीं वो थी अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ एण्ड अदर्स, उन्होंने यह कहा कि राजस्थान से बाहर जो बछड़े भेजे जा रहे हैं उनको परमिट गलत दे दिये गये हैं जो इस एक्ट के तहत नहीं दिये जाने चाहिए थे, उस एक्ट की व्याख्या करते समय माननीय हाई कोर्ट ने 20 जनवरी, 2000 को यह निर्णय दिया कि कृषि के लिए एवं डेयरी कार्य के लिए ही गौवंश को राजस्थान से बाहर भेजा जा सकता है और यह कहा कि जिनकी उम्र तीन साल से कम है वह कृषि के प्रयोजन में नहीं आ सकते इसलिए इनका राजस्थान से बाहर निर्यात नहीं किया जा सकता। जो तीन साल से कम उम्र के बछड़े हैं उन्हें परमिट देना राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वर्जित हो गया है। सरकार इस निर्णय के विरोध में, इस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में भी जा रही है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं तीन साल से कम उम्र वाले बछड़ों को बाहर भेजा जा सकता है और जो बाहर ले जाएं उनको खेती के काम के लिए पाल-पोसकर बड़ा करके खेती के काम में ला सकते हैं। इसलिए अब तक ऐसा होता चला आ रहा है। अब तक पिछले सैंकड़ों साल से गुजरात को, बिहार को, यू.पी. को, हरियाणा को बछड़े जाते रहे हैं और साथ ही कम उम्र वाले भी जाते रहे हैं क्योंकि जो ले जाने वाले हैं वह उन्हें खेती के काम के लिए भी ले जाते हैं। सरकार की यह नीति है कि हम वध के लिए तो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे लेकिन खेती के प्रयोजन के लिए चाहे वह आज प्रयोजन में

(श्री हरिसिंह)

आयें या कुछ दिन बाद भविष्य में प्रयोजन में आयें, उनको हम बाहर भेजने के लिए कानून में जो मुनासिब संशोधन होगा वह करने के लिए विचार कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

## चूरू एवं राजगढ़ में स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने बाबत्

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले एक महीने और दो दिन से दो लाख की आबादी वाला चूरू जिला मुख्यालय अंधेरे में डूबा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड यह कहता है कि वह नगर परिषद् से किराये के पेटे कुछ राशि मांगता है और, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका यह कहती है कि वह राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से गृह कर के रूप में, चुंगी के बकाया के रूप में और किराये के रूप में 63 लाख रुपये के लगभग राशि मांगती है। खातों का समायोजन हुए काफी समय हो गया। इन्होंने बिजली काट दी और उसका अर्थ यह हुआ कि आज वहां चोरियों की तादाद बढ़ गयी। जन कल्याणकारी सरकार है, बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज डिफाल्टर हैं, कितनी बड़ी संख्या में आपके पास बकाया राशि होगी उनके खिलाफ, उनसे आप वसूलते नहीं हो और आपने सब लोगों की प्रकाश व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर वहां के सामान्य जीवन को डिस्टर्ब करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान में चूरू नगरपालिका ही नहीं, अधिकांश नगरपालिका स्ट्रीट लाइट के पैसे जमा नहीं करा पाती है। चुंगी समाप्त हो गयी, निश्चित रूप से थोड़ी सी राशि चुंगी के पेटे मिलती है। तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं। मनोरंजन कर के नाम पर आज 22 करोड़ रुपये राजस्थान की नगरपालिकाएं स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग से मांगती हैं। ऐसी हालात के अन्दर इन्होंने कनेक्शन काटे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक राजगढ़ का और एक चूरू का; क्योंकि राजगढ़ से बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गयी, निर्दलीय विधायक चुनकर आ गयीं और चूरू में इनकी कभी पार पड़ती नहीं। आप क्यों नहीं अगर कोई बात थी, सामान्य पद्धति से आप बाकी लोगों के भी कनेक्शन काटते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सारा मसला कोई एक व्यक्ति से, एक संस्था से नहीं, चूरू जिला मुख्यालय और राजगढ़ में रहने वाले लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। वहां रोज दुर्घटनाएं होना प्रारम्भ हो गयी। इस सारे के खिलाफ 18 तारीख को वहां के अध्यक्ष सहित सारे लोग धरने पर बैठें। एक तरफ आपने व्यापक तोड़फोड़ चालू कर रखी है, सौन्दर्यीकरण के नाम पर लोगों को उजाड़ रहे हैं, गरीब लोगों का घर तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ऊर्जा मंत्रीजी यह कहते हैं कि बिजली बोर्ड का घाटा है, निश्चित तौर पर कुछ इस तरह का काम है चाहे चिकित्सालय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सार्वजनिक प्रकाश का मामला हो, यह लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, हर मामले के अन्दर वित्त व्यवस्था नहीं है, वित्त व्यवस्था नहीं है यह कहकर सरकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूंगा, ऊर्जा मंत्रीजी आप कृपया लोगों की पीड़ा को समझें और यह जो भेदभाव की नीति है न, उस भेदभाव की नीति को भी आप छोड़ें। आप यह मत समझें कि आप शासन में आ गये तो हमेशा हमेशा के लिए शासन में आ गये। जिस पद्धति पर आप चल रहे हो, आपसे लोगों को उम्मीद है, मैं समझता हूं, बिलकुल कतई उचित नहीं है। दुबारा कभी मौका आयेगा तो लोग भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे, जो इस लोकतंत्र के अन्दर ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप तुरन्त आज निर्देश दें और निर्देश चूरू नगरपालिका और राजगढ़ नगरीय क्षेत्र के अन्दर स्ट्रीट लाइट का जो कनेक्शन आपने काटा है उस कनेक्शन को आप वापस जोड़ें।

नम्बर दो बात मैं यह कहना चाहूंगा कि खातों का समायोजन हो जाए। पिछली बार भी आपने तीन दिन के लिए काटा था, उस वक्त जन आन्दोलन हुआ तो वापस जोड़ा गया। कितना पैसा बिजली बोर्ड मांगता है, कितना पैसा नगरपालिका मांगती है, दोनों के खातों का समायोजन हुआ नहीं और आपने अचानक जाकर बिजली का कनेक्शन काट दिया। खातों का समायोजन हो उससे पहले, ऊर्जा मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि लोगों के कष्ट को देखते हुए, वहां चोरियां हो रही हैं, वहां एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं इसलिए आप उस प्रकाश व्यवस्था को दुरूस्त करें। तीज का त्यौहार चला गया, होली का त्यौहार चला गया, कम से कम संवेदनशील और पारदर्शिता की बात करते-करते कुछ तो संवेदनशील बनिये। एक तरफ जिस तरह का ताण्डव आप जयपुर में कर रहे हो, चूरू में कर रहे हो सौन्दर्यीकरण के नाम पर उस ताण्डव के साथ इस तरह की सौगात देना चाहते हो, यह कतई उचित नहीं, ऊर्जा मंत्री जी।

**डा. चन्द्रभान** (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का कथन कतई सत्य नहीं है कि कोई राजनीतिक भेदभाव के आधार पर वहां पर स्ट्रीट लाइट का विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया गया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि चूरू और राजगढ़ के अलावा भी अन्य कई म्युनिसिपैलिटीज में कनेक्शन कटे हुए हैं और पहले भी काटे गये हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पूरे राजस्थान में जहां-जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका सबका बकाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : उनको बोलने तो दीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप वह दीजिये, सबके कटे हुए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : उनको बोलने दीजिये।

**डा. चन्द्रभान** : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका कहना सही है कि कुछ जगह काटे जाते हैं, कुछ जगह नहीं काटे जाते हैं लेकिन यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि

(डा. चन्द्रभान)

सब को नोटिस दिये हुए हैं। यह बकाया तो कई म्युनिसिपैलिटीज पर है और एक साथ कोई काटना जरूरी भी नहीं है। लेकिन कई म्युनिसिपैलिटीज को जब नोटिस देते हैं तो वह कुछ धनराशि जमा करा देती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, जो चूरू से आते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी कोई जिद नहीं है कि हम कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। आपकी व्यथा अपनी जगह सही हो सकती है। मैं जब चूरू गया था दौरे पर तब भी वहां पर जन प्रतिनिधि और सब लोग मिले थे। असल में एक तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सब म्युनिसिपैलिटीज एक कैटेगिरी की नहीं हैं और सब पर एक समान बकाया नहीं है। यह माननीय सदस्य जहां की बात कर रहे हैं उस म्युनिसिपैलिटी पर 68 लाख का बकाया है। नम्बर टू, यह अभी फैसला किया विद्युत मण्डल ने कि म्युनिसिपैलिटीज की हालत हम भी जानते हैं कि अच्छी नहीं है तो जो एल. पी. एस., जो इन्ट्रेस्ट होता है, लेट पेमेंट जो सरचार्ज होता है, हमने उनसे आग्रह किया कि हम इसको माफ कर देंगे यदि आप यह बकाया जमा करा देते हैं। हमने उनको यह भी छूट दी कि आप यदि पूरा बकाया एक साथ नहीं जमा करा सकते तो किश्तों में जमा करा दीजिये। हमने उनसे यहां तक भी कहा कि आप लम्प-सम में कुछ जमा कराइये लेकिन कम से कम करंट बिल तो आप जमा कराइये। चूरू म्युनिसिपैलिटी की स्थिति यह है कि जो जो हमने छूट दी उनमें से किसी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, चूरू और राजगढ़ ही नहीं है, जो मेरी जानकारी है, और भी जानकारी आज प्राप्त कर लूंगा, कम से कम 15 से 20 म्युनिसिपैलिटीज में यह कनेक्शन आज कटे हुए होंगे और पहले भी कटे हैं। आपके बारां से आने वाले माननीय सदस्य भी कहेंगे, यह स्वायत्त शासन मंत्री जी, वहां के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और यह इनको अच्छी तरह से जानकारी है, जब उन्होंने कहा कि हम एक किश्त चार लाख रुपये जमा करा देंगे और बकाया किश्त बाद में जमा करा देंगे तो हमने कनेक्शन चालू कर दिया।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्थिति जानते हो और कनेक्शन जो काट रहे हैं केवल वहां के ही नहीं काट रहे हैं। पूरे राजस्थान में जब किसान का कनेक्शन कट सकता है, एक गरीब का कनेक्शन कट सकता है, एक साधारण आदमी का कनेक्शन कट सकता है तो म्युनिसिपैलिटीज का कनेक्शन क्यों नहीं कट सकता। पी. एच. ई. डी. की बात तो फिर भी मेरी समझ में आती है। पी. एच. ई. डी. के ही बकाया हैं आपके यहां पर चूरू में काफी लेकिन माना कि यह गर्मी का मौसम है इसलिए हमने उनको समय दिया। पी.एच.ई.डी. ने कुछ जमा कराया है। उपाध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. के और म्युनिसिपैलिटी के कुल मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा बकाया है। विद्युत मण्डल की वित्तीय हालत को आप लोग भी समझते हैं। आप बार-बार यह कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज की स्थिति अच्छी नहीं है। तो यह म्युनिसिपैलिटी की

(डा. चन्द्रभान)

आर्थिक स्थिति खराब किसने की है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? आप लम्बे समय तक शासन काल में रहे हो। आज विद्युत मण्डल की कौनसी स्थिति अच्छी है? स्थिति दोनों की ही खराब है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज की स्थिति सुधरे इसके लिए वित्त मंत्रीजी बैठे हैं उन्हें कुछ प्रयास करना चाहिए और हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो चुने हुए बोर्ड हैं वह कहते हैं कि हमको कोई टैक्स वसूलने की इजाजत मिलनी चाहिए।

दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उनके बीच में कोई समायोजन नहीं हो रहा है। यह बात सही नहीं है। जहां तक गृह कर का सवाल है, मैंने कहा, गृह कर का जितना पैसा आपका है वह हम मान लेते हैं, बकाया का आप इंतजाम कर दो, जयपुर में भी कटा है, आपको बताना चाहूंगा, जब जयपुर में गृह कर का फैसला हो गया उसको समायोजित कर दिया, कनेक्शन चालू कर दिया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी में बैठे लोग यह कहते हैं कि यह ट्रांसफार्मर यहां पर लगे हुए हैं, यह पोल यहां पर लगा हुआ है इसका भी हम टैक्स लेंगे तो यह तो लाखों पोल लगे हुए हैं, गांवों के अन्दर हर किसान के खेत में लाइन गयी हुई है, क्या विद्युत मण्डल सबको उन लाइनों का, उन ट्रांसफार्मर्स का और जो खम्भे हैं राजस्थान भर में उनका कोई किराया दे सकता है? यह कोई व्यवहारिक है? यह सम्भव नहीं है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, आप खुद सरकार को बदनाम मत कीजिये, आप वहां भी भाषण देते हो कि इस सरकार ने यह कनेक्शन काटा है। एक तरफ तो स्वायत्तता का पक्ष कर रहे हो आप कि यह स्वायत्तशासी संगठन है, इसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा वहां के जो इलेक्टेड चेयरमैन हैं वह आपकी पार्टी के हैं उन्होंने क्या चालाकी की है, अपना खुद का जो आफिस है, जहां वह बैठते हैं वहां का तो बिल जमा करा दिया और स्ट्रीट लाइट का बिल जमा नहीं करा रहे हैं। मैं इतना ही

(13.00 बजे)

निवेदन करना चहूंगा कि आप कुछ विद्युत मण्डल को सहयोग कीजिये। हम उनकी किश्त बांध देंगे, हम उनका एल.पी.एस. माफ कर देंगे और मेहरबानी करके इतना तो कीजिये कि वे करंट बिल चुकायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी, आज जो रियायत म्युनिसिपैलिटीज को दे रहे हैं वह पंचायतों को भी दे दीजिये।

**डा. चन्द्रभान** : हां, दे देंगे। पंचायतों को भी दे देंगे, पी.एच.ई.डी. को भी दे देंगे, म्युनिसिपैलिटीज को भी दे देंगे और कामन कंज्यूमर को भी हम देने जा रहे हैं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो नगर पालिका का था, पी.एच.ई.डी का तो था ही नहीं। पर मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि हमारे डिमांड नोटिसों के करोड़ों रुपये आपके बाकी पड़े हैं, आप

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जमा कराते नहीं हैं और आप इस तरह से लांछन लगाकर डिपार्टमेंट को जवाब तो उनको देना चाहिए, मुझे देने की जरूरत नहीं थी, आपमें हम कितना मांगते हैं यह आपको मालूम नहीं है। हमारे करोड़ों रुपये डिमांड नोटिसों के पड़े हैं दो-दो साल से और उन्होंने जमा नहीं कराये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बाहर डिस्कस कर लें। यहां जरूरत क्या थी?

**श्री मदन दिलावर** : यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)...मंत्री अपने आप... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर-आर्डर। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमला।

**डा. चन्द्रभान** : नहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, इसकी जरूरत नहीं है।

**डा. चन्द्रभान** : मेरा इरादा वह नहीं था। माननीय मंत्रीजी यह बात सही कह रहे हैं कि पी.एच.ई.डी. जो ट्यूबवैल के लिए कनेक्शंस लेना चाहती है उसके वास्तव में...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आपस में बात कर लेना।

**डा. चन्द्रभान** : ऐसी कोई बात भी नहीं है। उसके जो कनेक्शंस बकाया हैं उन कनेक्शंस को हम जल्दी से जल्दी देंगे, मैं यह बात कहना चाहूंगा और मैंने जो बात कही थी उसका रेफरेंस दूसरा था।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आपस में मंत्रियों के...

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री शिवनाथ सिंह** : मंत्री यहां हाउस में चर्चा करें, यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। (व्यवधान) वह अपना कैबिनेट में फैसला करें और यहां हाउस में इस प्रकार की चर्चा होती है तो वह गवर्नमेंट पर बहुत बुरा रिफ्लेक्शन है। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उसका यहां जवाब नहीं आये। (व्यवधान) कोई वरिष्ठ मंत्री, मुख्य मंत्री बोले और...(व्यवधान)...आप यह बताएं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ...एक व्यक्ति का मामला होता है तो भी बात समझ में आती है पर पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ है। (व्यवधान)...आप खातों का समायोजन करायें और जब तक खातों का समायोजन नहीं होता है तब तक तो बिजली दें। (व्यवधान)

# सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

## अधिसूचनाएं

### उपनिवेशन विभाग

**श्रीमती कमला** (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं एवं शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखती हूं : —

(उपनिवेशन मंत्री)

(1) अधिसूचना संख्या एफ4(19) उप/99 दिनांक 9.11.1999, अधिसूचना संख्या एफ4(13)उप/98 दिनांक 9.11.99, अधिसूचना संख्या एफ3(57)उप/95 पार्ट-6 दिनांक 9.11.99, अधिसूचना संख्या एफ4(11)उप/98 दिनांक 20.11.99 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(11)उप 96 दिनांक 30.11.99, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या एफ4(11)उप /98 दिनांक 17.1.2000 एवं अधिसूचना संख्या एफ4(29)उप/99 दिनांक 20.1.2000 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकार भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

(4) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 3(57)उप/95 पार्ट-6 दिनांक 11.11.1999 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9.11.1999 में संशोधन किये गये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री हरिसिंह (महुवा)।

# समिति का प्रतिवेदन

## कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन। वित्त मंत्रीजी।

# वित्तीय कार्य

## अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 1999-2000) का उपस्थापन

**श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

## घोषणा

### अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 14 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं : —

| | |
|---|---|
| इण्डियन नेशनल कांग्रेस | 10 घंटे 46 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | 2 घंटे 06 मिनट |
| निर्दलीय (लोकतांत्रिक कांग्रेस विधायक दल समूह) | 30 मिनट |
| जनता दल | 13 मिनट |
| बहुजन समाज पार्टी | 10 मिनट |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 5 मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल | 5 मिनट |
| निर्दलीय | 5 मिनट |
| कुल 14 घंटे | |

माननीय श्री लक्ष्मण सिंहजी।

## धन्यवाद प्रस्ताव

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए : —

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल महोदय, द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष में जो विकास के कल्याणकारी कार्य हुए उनके बारे में बताया और उसके साथ-साथ में आने वाले समय में जो सरकार की कार्य योजना है, जो सरकार की प्राथमिकता है, उसके बारे में दर्शाया है।

सबसे पहले उन्होंने विषम परिस्थिति में प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाने के बारे में कहा। यह विषम परिस्थिति सर्वविदित है। प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति बड़ी कठिन है और उसके परिणामस्वरूप राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सका जिसके कारण से राज्य के कर्मचारी 64 दिन तक हड़ताल पर रहे। राज्य सरकार की स्थिति गम्भीर है इसको हम सब जानते हैं। लेकिन यह स्थिति गम्भीर कैसे बनी ? उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ ऐसे निर्णय थे जिनके कारण से धीरे-धीरे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता गया। उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले में नकद राशि देना, जिससे कि करीब 100 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष का बोझ बढ़ा। इसके साथ में केन्द्रीय वेतनमान को स्वीकार करना, जिससे कि करीब 1300 करोड़ रुपये का भार सरकार के ऊपर बढ़ा। साथ-साथ में सरकार के द्वारा 9, 18, 27 का सिद्धांत स्वीकार किया गया जिसके कारण से जहां 1991-92 में 265 करोड़ का भार था वह बोझ आज

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

पेंशन वगैरह चुकाने के लिए बढ़कर के 1508 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से पांचवें वेतन आयोग को लागू करने से भी राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके साथ-साथ पूर्व की भाजपा सरकार जो 23 हजार करोड़ रुपये का बोझ या कर्ज छोड़कर गयी थी जिसके बदले में 2200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है, इससे भी सरकार की वित्तीय स्थिति काफी विकट हो गयी है। यह हमारी विकट आर्थिक स्थिति के कारण बने हैं।

सरकार कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता नहीं दे सकी और इस कारण से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। लेकिन हमारी दृढ़ निश्चय वाली सरकार कर्मचारियों की गलत मांगों के सामने नहीं झुकी और राज्य सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त की भी अनुपालना करी। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि भविष्य में संगठित समूह सरकार को गलत मांगों पर झुकाने का आत्मघाती कदम नहीं उठायेंगे। यह हमारी सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है अन्य प्रदेशों की सरकारों के लिए भी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकारी कर्मचारियों के विरोधी नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता 6 लाख कर्मचारी नहीं हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के 6 करोड़ निवासी हैं। इस विषम स्थिति में पंचायत चुनाव करवाना वास्तव में एक कठिन कार्य था, एक चैलेंज का कार्य था लेकिन हमारी सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इस कठिन परिस्थिति के अन्दर भी चुनाव करवाये क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं गठित की गयी हैं उनको दृढ़ किया जाए और इसीलिए हमारी सरकार ने समय पर चुनाव करवाये। यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सरकार चुनाव आगे सरका देगी लेकिन हमने चुनाव आगे नहीं सरकाये। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहाना बनाकर वहां पर पंचायत के चुनाव आगे सरका दिये हैं। इसी प्रकार से गुजरात की सरकार अभी अकाल राहत का बहाना बना करके गुजरात के नगर पालिका और निगमों के चुनाव भी आगे सरकाने की योजना बना रही है।

**श्री मदन दिलावर (अटरू)** : यह राजस्थान है।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : राजस्थान है लेकिन आपको पूरे हिन्दुस्तान का ज्ञान होना चाहिए जहां जहां आपकी पार्टी की सरकार है, वह क्या कर रही है। तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण से निश्चित रूप से परिणाम भी विपरीत होंगे। लेकिन प्रदेश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार की नीतियों में आस्था व्यक्त की और जन विरोधी भाजपा को नकार दिया। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराये गये और इसके साथ ही साथ पहले जब

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

भी चुनाव हुए, उन चुनावों के अन्दर कई बार री-पोल की मांग की जाती थी, इस बार री-पोल की मांग भी कम स्थानों पर की गई। इसके लिए मैं हमारी लोकतांत्रिक सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही साथ हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक मुख्य मंत्रीजी को भी बधाई देता हूं।

इससे पूर्व, उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव भी करवाये गये थे। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों को अपना गढ़ समझती है, भाजपा को अहंकार था कि इन चुनावों के अन्दर कांग्रेस साफ हो जाएगी और उनको बहुमत प्राप्त होगा लेकिन यह सुखद आश्चर्य ही था कि इन नगर पालिकाओं के चुनाव के अन्दर भी जनता ने भाजपा को नकार दिया और कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत के साथ में विजय दिलाई। यह कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जीत थी, यह कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता की जीत थी, यह राजस्थान सरकार की गरीब, दलित, किसान, मजदूरपरक नीतियों की जीत थी। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी, श्री अशोक गहलोत के सक्षम नेतृत्व की जीत थी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने भाजपा को नकारने का सिलसिला अब भी जारी रखा है। अभी हाल ही में जो छह उप चुनाव हुए, इसके अन्दर भाजपा पहले पांच स्थानों पर काबिज थी और कांग्रेस एक स्थान पर काबिज थी लेकिन इन उप चुनावों के पश्चात् भाजपा उतरकर सिर्फ दो स्थानों पर आ गई और कांग्रेस एक से बढ़कर तीन स्थान तक पहुंच गई। पिछले उप चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है, उसके प्रति प्रदेश की जनता में आस्था है, प्रदेश की जनता में विश्वास है और प्रदेश की जनता को हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व पर भरोसा है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** लोकसभा की भी बात करो, उसमें क्या हुआ?

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** लोकसभा की भी बात कर लेंगे। सबसे लेटेस्ट देखा जाता है, पहले का नहीं देखा जाता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस पिछले एक वर्ष में हमारी सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। हमारे राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी का, सपना था कि यह देश, भारत वर्ष गांवों में बसता है इसलिए गांवों को मजबूत किया जाए, गांवों की पंचायतों को मजबूत किया जाए। उनके सपने की अनुपालना में हमारी सरकार ने भी ग्राम पंचायतों को और गांवों को सुदृढ़ और स्वावलम्बी बनाने के लिए ठोस प्रयास किये हैं। उसी की अनुपालना में हमारी सरकार ने डी.आर.डी.ए. का जिम्मा अब जिला परिषदों को सौंपा है और जो पहले कलेक्टर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ पहले सरपंच और प्रधान में पंचायत समिति और जिला परिषद का मैम्बर नहीं होने के कारण से सामंजस्य की काफी कमी रहा करती थी

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

लेकिन हमारी राज्य सरकार ने सरपंच को पंचायत समिति का मैम्बर बनाया और प्रधान को जिला परिषद का मैम्बर बना करके इस कमी को दूर किया है जिससे कि आगे इनमें आपस में तालमेल हो और सामंजस्य रहे। गांवों के विकास के लिए गांवों से संबंधित नौ योजनाओं को हमारी सरकार ने जिला परिषदों को ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही साथ ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि भविष्य में जो भी गांवों के संबंध में विकास की योजना बनेंगी, बोर्ड के संबंध में विकास की योजना बनेगी, उन योजनाओं का निर्धारण, उन प्रायोरिटीज का निर्धारण अब ग्राम सभा के अन्दर या वार्ड की सभा के अन्दर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़े वर्ग को हमारी सरकार ने पंचायत चुनावों के अन्दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया है, वह स्वागत योग्य है और इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि गांवों के अन्दर सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, पटवारी वगैरह अनुपस्थित रहते हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए सरपंच की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति, निगरानी समिति बनाई है जिससे कि इस अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को कंट्रोल किया जा सके।

इस बार के पंचायत के चुनावों में एक सुखद नवीनता यह रही कि अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, उनको चुनाव लड़ने से रोका गया और निश्चित रूप से इस प्रावधान के काफी अच्छे और दूरगामी परिणाम होंगे। मैं हमारे प्रतिभाशाली और विद्वान पंचायती राज मंत्री डा. सी. पी. जोशी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पंचायतों की कायाकल्प करने के लिए निश्चित रूप से काफी क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। इस वर्ष एक अभिनव एक्सपेरिमेंट भी किया गया। राजीव गांधी पाठशालाओं के रूप में। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र में राजीव गांधी पाठशालाएं बहुत कम खर्चे पर खोली गई हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह जो पाठशालाएं खोली गई हैं, इनमें जो टीचर्स हैं, वह अभी तक वार्ड से लेने का प्रावधान है, एक तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन जो 8वीं, 10वीं रखी गई है, उसको 10वीं-12वीं या कहीं पर बी.ए. पास या एसटीसी. ट्रेंड है उसको प्राथमिकता दी जाए और गांव से बढ़ाकर इसके सलेक्शन के एरिया को पंचायत किया जाए।

अभी कुछ समय पहले पंचायतों में अकाल राहत के तहत मैटीरियल प्रोवाइड करके दुकानों के निर्माण का निर्णय लिया गया है, कई पंचायतों में दुकानें बनाई जा रही हैं, निश्चित रूप से उससे हमारी पंचायतों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अन्य पिछड़ी जातियां पिछले काफी समय से उपेक्षा का शिकार हो रही थीं। उन्हें

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

आगे बढ़ने का समुचित अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा था। पिछली विधान सभा के अन्दर, 1993-98 के बीच में हम बार-बार मांग करते थे कि शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण किया जाए जिससे कि उनके साथ जो सदियों से अत्याचार होता आ रहा है, उसकी समाप्ति की जाए। मुझे प्रसन्नता है यह कहते हुए कि हमारी कल्याणकारी सरकार पिछड़ों का भला करना चाहती है, हमारी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इंजीनियरिंग में और मेडिकल कालेज में और अन्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया है, उसके लिए साधुवाद की पात्र है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए...

श्री हीरासिंह चौहान : राज्यपाल के अभिभाषण में केवल शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात है, मेडिकल, इंजीनियरिंग का उल्लेख नहीं है। सब में किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलेंगे ना अभी, आप बोलेंगे ना।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : वह किया तो है ना हमने।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : लेकिन वह रिजर्वेशन हो चुका। हो चुका है for your kind information (व्यवधान) नहीं, वह हो चुका है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एस.सी. एस.टी. का भी हुआ है

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत से बढ़ाकर यह रिजर्वेशन 16 प्रतिशत किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए यह रिजर्वेशन 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। तो इस प्रकार इस रिजर्वेशन के माध्यम से जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो पिछली कई सदियों से आप्रेस्ड क्लास हैं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी और इसके लिए हमारी कल्याणकारी सरकार, पिछड़ों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बधाई की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि सिर्फ एक और कार्य करना बाकी रहा है जिसकी कि हम पिछली विधान सभा में मांग करते थे, बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की जानी चाहिए। इस बैक्वर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन में 80 प्रतिशत मैचिंग अमाउंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलती है और 20 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। इसमें गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों को दो लाख रुपये तक सोफ्ट लोन चार प्रतिशत इंट्रेस्ट के ऊपर देने का प्रावधान है जिससे कि वह अपना कोई छोटा व्यापार-धंधा प्रारम्भ कर सकें। इसलिए कृपया बैक्वर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन की इस आने वाले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से स्थापना करें।

इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने 21 नई जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल किया है। पिछले कई वर्षों से यह मांग थी, आठ वर्ष तक ये अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा के शासन में मांग करती रहीं, संघर्ष करती रहीं लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। यह खुशी की बात है कि इन 21

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अन्य पिछड़ी जातियों को ओ.बी.सी. में शामिल करके इनके साथ में अंत में हमारी कांग्रेस की सरकार ने न्याय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की बात करें तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कुछ अच्छे कल्याणकारी कार्य किये हैं। उसमें से सबसे प्रमुख है, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का जो निर्णय लिया है जिसमें कि तीन करोड़ रुपये रखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई असाध्य रोग होते हैं, गम्भीर रोग होते हैं उनका गरीब आदमी अपना इलाज पैसे की कमी के कारण से नहीं करवा सकते हैं लेकिन अब उसके लिए भी आशा की किरण दिखाई दी है और मुख्य मंत्री सहायता कोष से बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सहायता मिल सकेगी। इसके साथ-साथ सरकार ने क्षय रोग निवारण के लिए भी 85 करोड़ रुपयें का इस वर्ष में प्रावधान रखा है जो कि प्रशंसनीय है। साथ ही साथ कैंसर के नियंत्रण के लिए 10 जिलों के अन्दर सार्थक और ठोस कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कटु सत्य है कि हम कितने भी विकास के काम करें, कितनी भी सड़कें बनायें, कितना भी गांवों में विद्युतीकरण करें, कितने भी स्कूल खोलें, कितने भी कालेज खोलें लेकिन जब तक हम अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम विकास के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पायेंगे। हमारे विकास के काम में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधा है। उस दिशा के अन्दर ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जनसंख्या नीति इस बार बनाई है, आवश्यकता है कि उस नीति की अनुपालना की जाए, उसका एक्जीक्यूशन किया जाए। ऐसा न हो कि नीति बनाकर हम उसका एक्जीक्यूशन नहीं कर पायें जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कई नीतियां बनाई, उद्योग नीति, खनिज नीति, वगैरह लेकिन वह उनका अनुपालन नहीं कर पाई। उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हमको चौतरफा प्रयास करने होंगे, सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही काफी कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है कि हमें अपनी जनसंख्या की जो दर है उसको शून्य वृद्धि दर पर लाने के लिए जो प्रजनन दर है उसको दो पर लाना पड़ेगा। वर्तमान में यह दर साढ़े तीन है। यह कठिन कार्य अवश्य है लेकिन यह असम्भव कार्य नहीं है। विश्व के तीस देशों ने अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लिया है और उनमें से चाइना का मैं एक्जाम्पल देना चाहूंगा। यद्यपि वहां पर सिस्टम अलग है लेकिन चाइना सिंगल चाइल्ड लेजिस्लेशन के माध्यम से अपनी जो प्रजनन दर थी उसको 1.2 तक लेकर आया और बीस वर्षों के अन्दर ही उन्होंने अपनी जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर कर लिया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (संसदीय कार्य मंत्री) : लेकिन यह विपक्ष करने नहीं देता, यह विपक्ष

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इसके पक्ष में नहीं है, इनकी वजह से ही यह सारी आबादी बढ़ रही है।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमको इन्डिजिअुली और कलेक्टिवली प्रयास करने पड़ेंगे और मेरे विचार से थ्योरी ऑफ प्रिंसीपल ऑफ इंसेंटिव एण्ड डिसइंसेंटिव शुरू करना पड़ेगा। इण्डिक्युअल को इंसेंटिव दीजिये, कलेक्टिवली गांवों को इंसेंटिव दीजिये। अगर वह जनसंख्या कन्ट्रोल कर लेते हैं तो इंसेंटिव दीजिये और जनसंख्या कन्ट्रोल नहीं करते हैं तो उनको डिसइंसेंटिव दीजिये, इंसेंटिव उनसे वापस विदड्रा कर लीजिये। हमें स्पष्ट रूप से यह एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि हम उत्पादन में कितनी भी वृद्धि कर लें लेकिन जब तक जनसंख्या पर कन्ट्रोल नहीं होगा तब हक हमारा जो लक्ष्य है कि प्रत्येक हाथ को काम दिया जाए और प्रत्येक मुंह को भोजन दिया जाए, हम इस लक्ष्य में कदापि सफल नहीं हो सकेंगे और इसके लिए दृढ़ इच्छांशक्ति की आवश्यकता है, केन्द्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। इसमें केरल का मैं एक्जाम्पल देना चाहूंगा। वहां की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यहां पर आई थी। हमने उनसे पूछा कि आपने कैसे अपने यहां जनसंख्या वृद्धि को रोका। उन्होंने कहा कि हमने समाज के, सोसायटी के सारे सैक्शन्स को इन्वाल्व किया, इसको सरकारी प्रोग्राम नहीं बनाया। इसलिए हमको भी समाज के, सोसायटी के सारे सैक्शन्स को इन्वाल्व करके इस जनसंख्या वृद्धि को रोकना नितांत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, पापुलेशन ग्रोथ को कन्ट्रोल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा। समाज शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण भी हम आसानी से कर पायेंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश की कांग्रेस की कल्याणकारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नये कीर्तिमान स्थापित किये। प्रारम्भिक शिक्षा को दूर-दराज के ग्रामीण और मरुस्थलीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचाया और 2500 राजीव गांधी पाठशालाएं हमारी सरकार ने इस एक वर्ष में खोली, जो कि रिकार्ड है, राज्य सरकार पर अनावश्यक बोझ बनाये बिना। अगर हम फुल फुलैजेड टीचर अपाइंट करते तो उसको काफी पैसा देना पड़ता। बिना बोझ डाले साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ-साथ, सिर्फ स्कूल ही नहीं खोलीं, इसी एक वर्ष के अन्दर 9000 पंचायतों के अन्दर राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन का निर्माण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार ने इस वर्ष 867 मिडल स्कूल खोले, 387 माध्यमिक स्कूल खोले और इसके साथ-साथ 190 उच्च माध्यमिक स्कूल खोले। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रदेश में जो शिक्षा की कमी है, जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए गम्भीर रूप से प्रयास करना चाहती है, ठोस प्रयत्न करना चाहती है।

**एक माननीय सदस्य :** लेकिन स्कूल नहीं खोलेंगे।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : हां, आपने याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए तीन लाख रुपये कटारिया साहब जमा करवाते थे और सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए पांच लाख रुपये जमा करवाते थे, इससे बढ़कर दुखदायी कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन हमारी सरकार ने उन चीजों को छोड़कर आवश्यकता के हिसाब से गांवों के अन्दर शिक्षा का प्रसार किया है।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : दुकान खोल कर बैठे थे।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में 14 कालेज खोले गये और गैर राजकीय क्षेत्र में 17 कालेज खोले गये जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मेरा वित्त मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रदेश में पिछड़े, गरीब क्षेत्रों और पूर्व सैनिकों के क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कालेज खोले जाए, न कि मांग के अनुरूप। जहां पर आवश्यकता है और जहां पर औचित्य है उसके आधार पर कालेज खोले जाने चाहिए और निश्चित रूप से गरीब और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। इस वर्ष प्रदेश के अन्दर कई विश्वविद्यालय खोले गये जो भी अपने आप में कीर्तिमान है। संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया, जोधपुर का विधि विश्वविद्यालय खोला गया और उदयपुर का कृषि विश्वविद्यालय खोला गया। इससे क्षेत्रीय असंतुलन तो दूर होगा लेकिन उच्च शिक्षा का भी प्रचार-प्रसार होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि जल ही जीवन है। रहीम दासजी ने कहा भी है, रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती, मानस, चून। हमारी यह गम्भीर समस्या बनती जा रही है। इसके चार कारण हैं, वर्षा की कमी, शहरीकरण, जनसंख्या की वृद्धि और अत्यधिक जल का धरती से दोहन। इसके कारण से प्रदेश के अनेक भू-भाग आज जल की गम्भीर समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़ इत्यादि में व्यवस्था सामान्य करने के लिए काफी सीरियस एफर्ट्स, ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। फ्लोराइड ग्रसित गांवों के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए हमारी सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है और तभी आपने कल अभिभाषण के बाद में देखा होगा कि हमारे भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र के अंदर भी फ्लोराइड के लिए योजना बनी और करोड़ों रुपये की योजना बनी, यह इस बात को दर्शाता है कि इस प्रकार की बातों में यह पक्षपात नहीं करते और राजनीति नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, आज समय आ गया है कि हम जल के उपयोग के बारे में जनता को शिक्षित करें। नेसेसिटी मानें इसको, लग्जरी नहीं मानें क्योंकि आने वाले समय में बहुत कठिन परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। एक वर्ल्ड वाटर फोरम है,

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

नीदरलैंड हेग में वर्ल्ड वाटर फोरम ने अध्ययन करके बताया कि भारतवर्ष के छह राज्यों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के अन्दर अगले 25 वर्षों के पश्चात् वाटर की बहुत भयंकर समस्या पैदा होने वाली है। सीवियर वाटर शार्टेज वाली कैटेगिरी के अन्दर इन स्टेटस को इस नीदरलैंड की संस्था ने बताया है। इसके साथ ही जोधपुर की जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार भी कई स्थानों पर जल का स्तर प्रतिवर्ष एक मीटर के हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है। अतः हमें वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और इसके यूज पर अभी से गम्भीरतापूर्वक मनन और चिंतन प्रारम्भ करना चाहिए अन्यथा अगली आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग की जब बात करें तो राज्य सरकार ने औद्योगिक वातावरण बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये हैं जिसके परिणामस्वरूप आज उद्यमी के सहयोग का वातावरण बन रहा है, औद्योगिक विकास की संभवनाएं भी दृष्टिगोचर हो रही हैं। सरकार ने अनेक नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया है। सिंगल विण्डो कंसेप्ट को प्रारम्भ किया है जिसके कारण से उद्यमी को जगह-जगह पर नहीं भटकना पड़ेगा और एक ही स्थान से उसको सहायता और सहयोग मिल सकेगा। हमारे प्रदेश में यद्यपि रीको ने और आर. एफ. सी. ने पिछले वर्ष संतोषप्रद काम किया, इनकी रिकवरी भी अच्छी रही, लोन का डिसबर्समेंट भी अच्छा रहा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं There is scope for imporvement क्योंकि अभी भी हम कई प्रदेशों से पीछे हैं। गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा ऐसे प्रदेश हैं जो कि इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के मामले में हमसे काफी आगे बढ़े हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि पिछली सरकार का जो ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर बिलकुल नकारात्मक सोच था, उनका जो अचीवमेंट था, बिलकुल नेग्लिजेबल अचीवमेंट था उसी के कारण से हमारे यहां पर औद्योगिक वातावरण सही नहीं बन पाया और यहां पर बाहर से उद्योग लगाने के लिए लोग आने से कतराते रहे। लेकिन हमको विशेष प्रयास करने होंगे। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हमसे बहुत आगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एन. आर. आईज, नॉन रेजीडेंट इण्डियंस को हमको ट्रैप करना पड़ेगा, उनसे सम्पर्क करना पड़ेगा और विशेष रूप से नॉन रेजीडेंट राजस्थानियों से हमको सम्पर्क करके प्रदेश के अन्दर उद्योग लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको आकर्षित करना पड़ेगा और विशेष प्रयास करने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वाशिंगटन की ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन भारत में 83 परियोजनाएं लगाना चाहती है और तीन अरब डालर का इन्वैस्टमेंट करना चाहती है। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने सोर्सेज से उससे सम्पर्क करें और उसको राजस्थान में आने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार से कोरिया की एल. जी. इलेक्ट्रोनिक्स भारत में 18 सौ करोड़ का निवेश करना चाहती है। यह

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

निवेश वह इलेक्ट्रोनिक्स, साफ्टवेयर और कम्युनिकेशन के सैक्टर में करना चाहती है उससे भी सम्पर्क करते हुए यहां लाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व की सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्रीजी भी कई बार विदेश यात्राओं पर गये, इजराइल में गये, यूरोप वगैरह की यात्राएं कीं लेकिन वे यहां पर अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ बाहर की एक कम्पनी लेकर आ सके। हमको इनसे ज्यादा ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं इस वक्त में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बेलेंस्ड हो इसके लिए सरकार को अपनी सोच में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। आज गुजरात में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बाम्बे और देहली के बीच में कोरीडोर में आनंद, बड़ौदा, सूरत में होने के कारण से गुजरात सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहां पर भी चार-पांच जगह पर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है जिससे कि प्रदेश में बेलेंस्ड डवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ स्थानों पर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट सीमित हो गया है। मेरा यह प्रपोजल है कि सरकार अब तहसील और उपखंड मुख्यालय को अपनी यूनिट माने और एक सर्वेक्षण करवाये कि किन उपखंडों में, किन तहसीलों में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कम है और वहां पर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए सार्थक प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत हमारे जीवन को सीधे रूप से प्रभावित करती है। कृषि और उद्योग तो बिना ऊर्जा के चल ही नहीं सकते। ये इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण से आज राजस्थान में ऊर्जा का गम्भीर संकट है। आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। यह संतुष्टि की बात है कि हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में बरसिंगसर लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना के अलावा अनिता इम्पेक्ट्स तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए गम्भीरता से सोचा है और इन पर कार्य प्रारम्भ होने की अच्छी सम्भावना है। पिछली सरकार के क्रियाकलापों से सबक लेते हुए हमारी सरकार को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए और उस प्रोग्राम का एक्जीक्यूशन समय पर हो, इम्प्लीमेंटेशन समय पर हो, विद्युत मंत्रीजी और सरकार इस चीज को मानीटर करे तभी हम ऊर्जा की कमी का जो चैलेंज है उसको मीटआउट कर सकेंगे। इसके साथ-साथ ऊर्जा के जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसमें भी काफी स्कोप है, ट्रेमेंडस स्कोप है इसलिए इनको भी हमको ट्रैप करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मेरे विचार से, ऊर्जा मंत्रीजी, आपका जो विद्युत नियामक आयोग तथा बोर्ड को जो तीन कम्पनियों में बांटने का निर्णय है, उस पुनः विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक्सपेरीमेंट उड़ीसा में फेल हुआ और हरियाणा भी इसको बदलने वाला है। इसलिए इस पर कृपा करके पुनः विचार कीजिये। अवश्यकता है आज अच्छे मैनेजमेंट की, आवश्यकता है आपके लाइन लॉसेज को कम करने की। आपके ऑफिशियल रिकार्ड में 25 से 30% का लाइन लांसेज है लेकिन यह फैक्ट ऑफ लाइफ है कि यह 35 से

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

40% के बीच है। आप लाइन लॉसेज को चैक कीजिये, एनर्जी के थैफ्ट को चैक कीजिये। मैनेजमेंट को ठीक करिये और इसके साथ-साथ आपके जो इनएफीशियेंट और करप्ट ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं उनको ठीक कीजिये। इससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान और राजधानी में मुख्यतः अतिक्रमणों की बाढ़ आई हुई थी। जयपुर के बरामदों के अतिक्रमणों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे रखे थे। जयपुर को हैरिटेज सिटी में बदलने के लिए जब एशियन डवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव आया तो हमारी सरकार ने इन वर्षों पुराने अतिक्रमणों को हटाने का बीड़ा उठाया और काम प्रारम्भ किया। मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि सरकार ने बिना भेदभाव, बिना बल प्रयोग के यह कार्य कर दिखाया जो एक ऐतिहासिक कार्य था; प्रशंसनीय कार्य था। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को और हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी को बधाई देता हूं, ढेर सारी प्रशंसा करना चाहूंगा और यह बधाई सिर्फ मैं ही नहीं दे रहा हूं, यह बधाई राजस्थान दे रहा है, पूरे राजस्थान प्रदेश के निवासी दे रहे हैं और दिल के अन्दर तो हमारे विपक्ष के अधिकतर भाई उनको दिल से बधाई दे रहे होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी की दृढ़ता और उनकी कार्यकुशलता का परिचायक था। पिछली सरकार की निष्क्रियता, पिछली सरकार की अकर्मण्यता और कई मामलों में तो पिछली सरकार के जो सत्ता के दलाल थे उनकी मिलीभगत से अतिक्रमण किये गये और गैरकानूनी निर्माण करना एक साधारण कामन चीज हो गई थी, पिछली सरकार के समय में। कई अन्य शहरों में भी पिछली सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी के लोग थे उन लोगों ने अफसरशाहों से मिल करके जगह-जगह सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाये थे। जे.डी.ए. एक्ट, यू.आई.टी. एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इन सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। आज वह स्थिति नहीं रही है। जयपुर का बरामदा प्रकरण एक इम्पार्टेंट माइल स्टोन है, इससे सारे राजस्थान में ही नहीं वरन राजस्थान से बाहर भी हमारी सरकार की दृढ़ता और कार्यक्षमता की प्रशंसा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जयपुर के जो व्यापारी भाई थे वे भारतीय जनता पार्टी वालों के बहकावे में नहीं आये। इन्होंने बहुत कोशिश की अपने वोट बैंक को उकसाने की लेकिन उन्होंने विवेक से कार्य लिया और इसके कारण से उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं यहां पर हमारे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि आप पूंजीपतियों की रक्षा के लिए आमरण अनशन पर बैठ गये, पैसे वालों की रक्षा के लिए तो आमरण अनशन पर बैठ गये...

श्री परसादी लाल : हवामहल से हैं।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत** : हवामहल से, सॉरी। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि पूंजीपतियों की रक्षा के लिए आमरण अनशन पर बैठ गये, जब बिजली की रेट बढ़ी तो कभी आमरण अनशन पर बैठे? अभी परसों जो केरोसीन की रेट बढ़ी तो आमरण अनशन पर बैठे? जो गैस सिलेण्डर की रेट बढ़ी तो आमरण अनशन पर बैठे? यह बताता है कि आपकी कार्यप्रणाली क्या है, आपकी सोच क्या है। आपका पूंजीपतियों के प्रति जो पक्ष है वह आपके चरित्र को दर्शाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, जयपुर के बरामदा प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से जो सैंकड़ों वर्ष पुराना जयपुर के निवासियों का, प्रदेश की जनता का अधिकार था वह मिल गया। जयपुर के पुराने ऐतिहासिक स्वरूप की वापसी हुई है, यह अत्यंत खुशी की बात है लेकिन यह फिजीकल एचीवमेंट था। मैं इसके साथ-साथ जो परोक्ष रूप से फायदा हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्टेट के अन्दर पिछले 8-10 वर्षों में जो लॉ लेसनेस का वातावरण बन गया था उसके ऊपर चैक लगी है और मैं इस ईवेंट को रिवाइवल ऑफ सेन्स ऑफ रेस्पेक्ट फोर लॉ, कानून के प्रति जो सम्मान है उसकी एक शुरूआत मानता हूं और मैं जयपुर के व्यापारी भाइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस वातावरण को बनाये रखें, इस दृढ़ता को बनाये रखें और राजस्थान के अन्य शहरों में जहां पर भी अनऑथोराइज्ड इस प्रकार के एन्क्रोचमेंट हैं उनको वहां से हटायें जिससे राजस्थान के निवासी आपकी प्रशंसा करेंगे आपके साथ रहेंगे। इस ईवेंट को मैं एक टर्निंग पाइंट मानता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक छोटा-सा मानवीय दृष्टिकोण भी है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रदेश में स्थायी अतिक्रमण हटाये जाएं निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं। शहरों की बहुत बुरी हालत है। सड़कों पर आम आदमी चल नहीं सकता है लेकिन इसके साथ-साथ अतिक्रमण हटाते वक्त, जैसा कि अभी नजर में भी आया, यहां पर जयपुर में फुटपाथ से कई फुटपाथियों को और छोटी थड़ी वालों को, चाय वालों को भी हटाया गया, मेरे विचार में यह थड़ी और फुटपाथ पर जो लोग बैठते हैं वे डिमाण्ड और सप्लाई के प्रिंसीपल से जुड़े हुए हैं, वहां के लोकल लोगों की डिमाण्ड होती है उनको सस्ते में चीज उपलब्ध हो जाती है, इसके साथ-साथ गरीब व्यक्ति को अपना पेट पालने का मौका भी मिल जाता है, आप वहां से अतिक्रमण हटायें लेकिन निश्चित रूप से उस गरीब व्यक्ति के पुनर्वास की व्यवस्था करें, यह मेरी आपसे मांग है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारी कल्याणकारी सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष देश पर पाकिस्तान की तरफ से कारगिल और कश्मीर में हमला हुआ। हमारी केन्द्र सरकार की लापरवाही से, केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता से, केन्द्र सरकार की निष्क्रियता के कारण से पाकिस्तान कारगिल सैक्टर में 20-20,

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

25-25 किलोमीटर अन्दर घुसकर आ गया। ये हमारे जांबाज सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया। हमारे वीर सैनिकों का बलिदान था जिसके कारण से आज हम स्वतंत्र हैं। इस कारगिल के युद्ध में देश के सैंकड़ों सैनिकों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी और हजारों सैनिक इसमें घायल हुए। हमारी कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील सरकार के जहां तक मैं समझता हूं, प्रत्येक सैनिक की अंत्येष्टि पर या तो मुख्य मंत्रीजी स्वयं गये या उनके कैबिनेट के कोई मंत्री गये। यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम था जिसके कारण राजस्थान भर में हमारी सरकार की सराहना हुई, हमारी सरकार के इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। हमारी सरकार ने अभी जो पैकेज दिया है मेरे खयाल से यह देश के सबसे अच्छे पैकेज में से एक होगा कि अपंग सैनिक या शहीद सैनिक को एक लाख रुपये अथवा 25 बीघा जमीन दी जाएगी। 25 बीघा जमीन के एवज में चाहे तो वह 4 लाख रुपये कैश ले सकता है या एक मकान ले सकता है। इसके साथ साथ एक-सवा लाख रुपये शहीद माता-पिता के बैंक खाते में जमा करवाये जाएंगे जिससे कि उनको एक हजार रुपये प्रतिमाह ब्याज मिलता रहेगा और वह उस पर आधारित रहेंगे। इसके साथ-साथ आश्रित को नौकरी दिलवाना, बस के अंदर मुफ्त यात्रा का प्रावधान करना, प्रायोरिटी पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना और उनके गांव के विद्यालय का नामकरण उस शहीद के नाम पर करना, यह हमारी सरकार ने निर्णय लिये हैं जो निश्चित रूप से पूर्व सैनिकों और सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ जो सैनिक बोर्डर पर काम कर रहे हैं उनके मनोबल को भी निश्चित रूप से ऊंचा करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पूर्व सैनिक और जो सेवारत सैनिक हैं उनके क्षेत्रों को चिह्नित करें और उनके वहां अधिक से अधिक विकास के काम करवायें। वहां ज्यादा स्कूल खोलें ज्यादा सड़क बनाये, वहां आई.टी.आई. खोलें, कालेज खोलें, जिससे कि सेना में कार्य करने वाले हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो और वह निश्चिंत होकर हमारे देश की सेवा कर सकें। हमारे सैनिकों के प्रति हमारी सरकार यह सम्मान अवश्य प्रदर्शित करेगी, ऐसी मुझे आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की जब चर्चा करें तो यह दूसरा साल है जब लगातार अकाल की विभीषिका हमारे प्रदेश में है। पिछले वर्ष भी अकाल पड़ा था, विकट परिस्थिति थी और इस वर्ष भी विकट परिस्थिति है। पिछले वर्ष केन्द्रीय मदद नहीं मिलने के बावजूद, एक्स्ट्रा कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद 467 करोड़ रुपये अकाल राहत पर खर्च हुए। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी सरकार ने चारा डिपो खोले, पेयजल की व्यवस्था की और पिछले वर्ष जून के महीने में करीबन 6 लाख 30 हजार श्रमिक अकाल राहत के कार्यों में कार्यरत थे जो दर्शाता है कि विकट परिस्थिति में भी हमारी सरकार संवेदनशीलता से कार्य करती है और गांवों के गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहती है। इस वर्ष भी राजस्थान के 26 जिलों में

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अकाल पड़ा हुआ है। केन्द्र की भाजपा सरकार के द्वारा कोई विशेष सहायता हमें नहीं दी जा रही है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि इस कठिन परिस्थिति में राम रूठ गया लेकिन राज नहीं रूठेगा और निश्चित रूप से हमारी कल्याणकारी सरकार अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा खुलवायेगी, पेयजल उपलब्ध करवायेगी और चारे की व्यवस्था करेगी। सरकार ने अभी न्यूनतम मजदूरी 60, 64 और 68 रुपये करी है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि अकाल राहत के कार्यों के लिये अभी भी वह 44 रुपये ही है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि चाहे कहीं नियम आड़े आते हों लेकिन अकाल राहत के मजदूरों के साथ में इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिये और सरकार अकाल राहत में काम करने वाले मजदूरों को भी कम से कम 60 रुपये मजदूरी प्रदान करे। यह मेरी सरकार से मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दीमक की तरह से चाट रहा है। भ्रष्टाचार चिंता का विषय तो है लेकिन इसको मिटाने के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जाते हैं। इच्छा शक्ति के अभाव में इसका समाधान नहीं हो रहा है। स्वीडन के ओम्बुड्समेन के पैटर्न को आदर्श मानकर हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई वर्षों पहले एक सुझाव दिया था कि केन्द्र में लोकपाल की संस्था गठित की जाए और राज्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये लोकायुक्त की संस्था गठित की जाए। बड़े दुःख का विषय है कि केन्द्र में अभी तक लोकपाल का बिल पास नहीं हो पाया है, इसके साथ-साथ लोकायुक्त की संस्था भी कई राज्यों में ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। राजस्थान की हम चर्चा करें तो यहां पर पिछली सरकार ने इस लोकायुक्त की संस्था को करीब-करीब मृतप्रायः कर दिया था। तत्कालीन लोकायुक्त ने 1993 में अपनी 13वीं रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहयोग प्रदान नहीं हो रहा है। तत्कालीन सरकार लोकायुक्त की रिपोर्ट को छिपाना चाहती थी, लेकिन विधान सभा के दबाव में आकर यहां विधान सभा में प्रस्तुत करी। उस लोकायुक्त की रिपोर्ट में 4 आई.ए.एस. आफिसर्स के ऊपर गंभीर आरोप थे लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और यह दुःख की बात है कि जब तक हमारे मुख्य मंत्रीजी विपक्ष में रहे तब तक इन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये बहुत ऊंची-ऊंची बात करी लेकिन 8 वर्ष जब यह राज में रहे तो किसी एक भी भ्रष्ट नौकरशाह या एक भी भ्रष्ट अफसर के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वह इस दिशा में जरूर ठोस कार्यवाही करेगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमको थ्यौरी ऑफ रिवार्ड एण्ड पनिशमेंट फोलो करना चाहिए। जो अधिकारी या कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं उनको रिवार्ड देना चाहिये और जो कर्मचारी या अधिकारी कार्य ठीक

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश के बजट या प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हम आइसोलेशन में व्यू नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार की जो सोच है, केन्द्र सरकार की जो आर्थिक स्थिति है और केन्द्र का जो बजट होता है उसका निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काफी असर पड़ता है। मैं संक्षेप में केन्द्र सरकार के बजट के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अगर केन्द्रीय बजट का एक वाक्य में विशलेषण किया जाए तो उसका यही अर्थ होगा कि मध्यम वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं और गरीबों के सपनों को चुरा करके अमीर लोगों और सम्पन्न वर्ग को इस बजट के अंदर सुविधाएं लुटाई गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि केन्द्रीय बजट में क्या हुआ है। केन्द्रीय बजट में राशन महंगा लेकिन आभूषण सस्ते। केन्द्रीय बजट में दूध महंगा लेकिन पेप्सी और थम्सअप सस्ते। केन्द्रीय बजट में शिक्षा महंगी है, सिनेमा का सामान सस्ता है। उस बजट में आयुर्वेदिक दवाई महंगी है, टूथपेस्ट महंगा है लेकिन सौंदर्य प्रसाधन सस्ता है। आटा महंगा है लेकनि एअर कंडीशनर सस्ते हैं। ट्रेक्टर महंगा है, खाद महंगी है कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं लेकिन कम्प्यूटर सस्ता है और सेल्यूलर फोन सस्ता है। यह हमारे केन्द्रीय बजट का मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार, सरकार के ऊपर 40 प्रतिशत ज्यादा खर्च करना चाहती है लेकिन न्याय के ऊपर 10 प्रतिशत कम खर्च करना चाहती है। ऐसा बजट देने वाली सरकार किस वर्ग की शत्रु है और किस वर्ग की दोस्त है, यह आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। हमारे केन्द्रीय मंत्रीजी जब केन्द्र का बजट बनाने लगे तो चैम्बर ऑफ कामर्स से डिस्कशन किया, इण्डस्ट्रियलिस्ट से डिस्कशन किया, बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से डिस्कशन किया। उनसे मिलकर पूछा कि कैसा बजट बनाना चाहिए और उस डिस्कशन के आधार पर उन्होंने अपने बजट की नींव रखी। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी जो अपने बजट में नहीं कर पाये उसका क्लेरीफिकेशन दूसरे दिन उन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के वहां डिनर में जाकर दे रहे थे। यह हमारी केन्द्रीय सरकार की सोच थी। (व्यवधान) मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब बजट बनाने से पहले राहूल बजाज से बात कर सकते हैं, रतन टाटा से बात कर सकते हैं तो क्या किसानों के प्रतिनिधि महेन्द्र सिंह टिकैत से बात नहीं कर सकते? भारतीय मजदूर संघ से बात नहीं कर सकते हैं? या किसी शरद जोशी से बात नहीं कर सकते? क्या उनसे नहीं पूछ सकते कि आपको बजट कैसा चाहिये? इसलिए यह जो केन्द्र का बजट आया है, यह निश्चित रूप से पूंजीपतियों का पोषक बजट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी को विशेष रूप से काशस करना चाहूंगा कि केन्द्र के बजट के आधार पर या केन्द्र सरकार के ऊपर निर्भर न रहें। अपने पैरों पर खड़ा

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

होना पड़ेगा, अपनी नीतियां निर्धारित करनी पड़ेंगी और अपने को सशक्त बनाना पड़ेगा। पिछले वर्ष में क्या किया? केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने विनिवेश का लक्ष्य रखा था 10 हजार करोड़ रुपया और वह टारगेट अचीव कर पाये सिर्फ 26 सौ करोड़ रुपये। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा था 10 अरब डालर का लेकिन इसके अगेंस्ट में सिर्फ सवा अरब डालर आकर ही वह निवेश दम तोड़ गया। इसके साथ-साथ राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत तक सीमित रखने का उनका लक्ष्य था लेकिन वह सुरसा की तरह से फैल करके 7 प्रतिशत तक जा पहुंचा।

(13.50 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

कृषि की विकास दर जो शून्य के समान थी, 0.8 थी लेकिन कृषि के उत्पादों पर एक साथ 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने बढ़ा दिया था। केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी को सब्सिडी खतम करने का एक जुनून सवार है, धुन लग गई है। यह कहते हैं कि सब्सिडी खतम करने से 7,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। लेकिन, सभापति महोदय, इस बचत का उनकी योजना के अंदर कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम करने के लिये सोच नहीं है। वे इस बचत को शहरी क्षेत्रों के अंदर काम में लेना चाहते हैं। मैं तो इस वक्त हमारी सरकार से, सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पंजाब विधान सभा में हुआ है, पंजाब विधान सभा के अंदर वहां के मुख्य मंत्रीजी, जो केन्द्र में आपकी सरकार को सपोर्ट करते हैं, प्रकाश सिंह जी बादल, स्वयं एक रिजोलूशन लेकर आये और उस रिजोलूशन को यूनानिमसली पास किया गया, यूनानिमसली वह रिजोलूशन हमारी विधान सभा के अंदर भी लाया जाना चाहिए, जो केन्द्र के अंदर सब्सिडी खतम करने का प्रावधान है उस प्रावधान को समाप्त किया जाए। इस रिजोलूशन को यूनानिमसली यहां से पास करके करके हम भेजें, जिससे कि केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव बनें, क्योंकि आज किसान पहले से पीड़ित है, परेशान है और अगर उसकी सब्सिडी खतम हो गई तो निश्चित रूप से किसान की कमर टूट जाएगी।

इसके साथ-साथ अभी केन्द्र सरकार ने रसोई गैस के सिलैण्डर पर वृद्धि कर दी। जयपुर में सिलैण्डर 50 रुपये ज्यादा मिलेगा। छह रुपये लीटर कैरोसीन मिलेगा। आखिर क्या करना चाहते हैं आप? आप गरीब को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। यह केन्द्र सरकार का बजट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। सभापति महोदय, मैं समाप्त करूं (व्यवधान) मैं समाप्त करूं उसके पहले सबको 2-3 बिन्दुओं पर कोशन करना चाहूंगा। देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है उससे सावधान रहने की जरूरत है। केन्द्र के प्रत्यक्ष और परोक्ष शह से कुछ ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत कठिन

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

होने वाला है। संविधान के प्रति केन्द्र सरकार ने जन-जन के मानस के अंदर एक शक, संदेह पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया है उससे हमें होशियार रहने की आवश्यकता है। संविधान को रिव्यू करने के माध्यम से यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेने की छूट दी थी जिसको केन्द्र सरकार को कांग्रेस के दबाव में और अपने सहयोगियों के दबाव में वापस लेने के लिये बाध्य होना पड़ा। वह भी एक कदम था जो यह प्रदर्शित करता था कि इनका छिपा हुआ एजेण्डा क्या है। इसलिये हमको सावधान रहने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अभी कुछ समय पहले आर.एस.एस. के चीफ हैड मिस्टर सुदर्शन जी ने जो बात अपनी गद्दी पर आने के बाद कही थी, वह इतनी भंयकर थी जिसके लिये अगर सोचा जाए तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हिन्दुओं और गैर हिन्दुओं के अंदर, एक-दूसरे में एक महाभारत रचा जाएगा। इस प्रकार इनकी जो सोच है, जो कार्य प्रणाली है, इस प्रकार का इनका जो व्यवहार है उसके प्रति हमको होशियार रहने की आवश्यकता है। इसके कारण से विशेष रूप से जो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है उसके लिये सरकार को और हमारे गृह मंत्रीजी को होशियार रहना पड़ेगा।

अंत में सभापति महोदय, मेरे विचार में यह समय आ गया है कि सरकार को विचार करना पड़ेगा कि राज्य महिला आयोग सक्रिय क्यों नहीं है। साथ ही साथ लोकायुक्त को कब अधिकार दिये जायेंगे, लोकायुक्त कब सशक्त बनाया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार की जो अमर बैल फैल रही है वह सूख जाए और इस पर हम कन्ट्रोल कर सकें। कब तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिना अकाउन्टेबिलिटी के, बिना जवाबदेही के अराजकता फैलाते रहेंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। कब तक न्याय व्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, कब तक हमारे गरीब किसान, मजदूर सस्ते न्याय के लिये दर-दर भटकता रहेगा, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगले वर्षों में हमें कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर पालिसी ऑफ अपीजमेंट के आधार पर जो चुंगी समाप्त की गई थी मेरे विचार में उस चुंगी को वापस रेस्टोर करना चाहिये, चुंगी को वापस लगाना चाहिये। इस प्रकार के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कई ठोस और प्रगतिशील निर्णय लेने होंगे। हम कठोर प्रतिस्पर्धा के बीच में विकास और कल्याण का युद्ध निश्चित रूप से जीतना चाहते हैं लेकिन यह युद्ध हम नकारात्मक सोच वाले नेताओं के और नकारात्मक सोच वाले अधिकारियों के भरोसे नहीं जीत सकते। इसके ऊपर भी हमको गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो एक वर्ष का कार्य-कलाप है उसके विषय में अगर हम निष्पक्ष अवलोकन करें तो पायेंगे कि राजस्थान

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

की जनता की हमारी सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। सरकार की दृढ़ता, सरकार का सकारात्मक सोच और सरकार की रचनात्मक कार्यप्रणाली ने जनता को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। हम यह तो नहीं कहते कि हमने एक वर्ष के अंदर जनता के सारे दुःख दूर कर दिये, हम यह भी नहीं कहते कि हमने धरती को स्वर्ग बना दिया लेकिन निश्चित रूप से हम दो कदम आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारे इरादे नेक थे। मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि हमारी मंजिल दूर है, रास्ता कठिन है, रास्ते में कांटे ज्यादा फूल कम हैं, परिस्थितियां विषय हैं लेकिन हमारी सरकार के जो नेक इरादे हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी का जो कुशल और सक्षम नेतृत्व है उसके कारण से निश्चित रूप से हम अपने जन कल्याणकारी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे।

मैं अमेरिकन कौव लोंग फैलो की इन दो लांइनों के साथ में समाप्त करूंगा, जो कि जवाहर लाल नेहरू जी अपनी टेबल पर रखा करते थे और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी उसको अपनी टेबल पर रखेंगे, लोंग फैलो ने कहा था

"Woods are dark, woods are dark, lovely and deep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep."

धन्यवाद।

## धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय सभापति जी, अभी माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने अपने उद्‌बोधन दिया...(व्यवधान).

**श्री खेतसिंह राठौड़** : पहले प्रस्तावक को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उन्होंने मेरे लिये कुछ कहा है (व्यवधान) उन्होंने मेरे लिये कुछ कहा इसलिये ही मैं बोलना चाहता हूं, बाकी बोलेंगे तो वही। (व्यवधन) यह जो अतिक्रमण हटाने का प्रकरण चला उसमें आपने कहा कि बरामदे खाली हुए तो आप पैसे वालों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठे। यह या तो आपके सोचने का अभाव है, या आप राजनैतिक परिगृह से बात कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि बरामदे खाली होंगे तो मैं खुद कानून जानता हूं...(व्यवधान) उस दिन भी कर दिया था (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह महुवा** (मुख्य सचेतक) : लेकिन निर्णय तो आपके टाइम में हो गया था। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप मेरी बात तो सुनो (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : वह तो सुन रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वह भी जवाब दूंगा बैठो तो सही। जब निर्णय हो गया वह आपके राज में हुआ था, इमरजेंसी में खाली नहीं कराये आपने। उसको भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

छोड़ दीजिये आप मैं जब बैठा हूं ना तो उसको आप मिलाइये मत। जो गरीब लोग जिनको आपने उजाड़ दिया, उस दिन आपके मंत्रीजी का भाषण आया कि आप नहीं बोले गरीब को उजाड़ दिया तो आप नहीं बोले तो आपने उजाड़े यह तो आप खुद ही स्वीकार करते हो।

It is your own confession. आपने खुद ने कहा कि जिन लोगों को बेरोजगार कर दिया उनका इलाज करना चाहिये। जयपुर शहर के चारों एम.एल.एज. ने मेरे बैठने के बाद यह स्टेटमेंट दिया कि जिन लोगों को आपने हटाया है, उजाड़ा है उन बेचारों को बसाओ। उसके पक्ष में मैंने भूख हड़ताल शुरू की थी, अब आप उससे बचना चाहते हैं। गरीबों को बसाने की मैंने मांग रखी है उससे बचना चाहते हो, उसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपने जोड़ दिया बरामदों से। उस दिन भी कोर्ट ने फैसला कर दिया था बरामदे खाली करो। जिस समय मैं बैठा उसके पहले तो बरामदे खाली हो चुके थे। मैं बरामदों के पक्ष में इसलिये भी नहीं बैठ सकता था क्योंकि कानून की प्रक्रिया में वह तो खाली होने वाले थे। जिन गरीबों को उजाड़ा और आज भी जिनको नहीं बसा पा रहे हो आज भी उनको भयभीत कर रखा है। आज दबे शब्दों में तो कहते हो, उनको बसाओ, बसाओ, हिम्मत नहीं है जोर से बोलने की। आप न कोई प्रस्ताव ला सकते हो और न आप पूछ सकते हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : बिराजिये (व्यवधान)

**श्री हफीज मोहम्मद** (माण्डल) : योजना है हमारी इनको बसाएंगे। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां बसायएंगे ना। मर जायेंगे तब बसाएंगे (व्यवधान) तो मेरी यही मांग थी कि आपका कोई लेना देना नहीं है आपको क्या मतलब, क्या बसाओगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : बिराजिये, माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मेरा यह निवेदन यह है कि जो लोग फुटपाथ पर बैठकर धन्धा करते थे, एनक्रोचमेंट ही मान लीजिये, जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करो तब तक उनको नहीं हटाना चाहिये। यही मेरी मांग थी, वह आपने मानी। मंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया था, अब आप उसको धीरे-धीरे कर रहे हैं। लेकिन उसकी गति बहुत कम है। इसलिए आप केवल बरामदा प्रकरण से जोड़कर जिन लोगों को फुटपाथ से हटाया, जिनको हटा रहे हो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने का यह बहाना मत बनाइये। मैं बरामदे के प्रकरण में नहीं बैठा था, मैं तो केवल (व्यवधान) यही मेरी मांग थी जिसको आज आपने खुद ने कहा है, सब लोग मानते हैं। बरामदे खाली हो चुके थे।

**श्री सभापति** : माननीय डा. करण सिंह जी यादव।

**(14.00 बजे)**

**डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान राज्य के स्वर्ण जयन्ती

(डा. करण सिंह यादव)

वर्ष में महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु भीम से आए हुए माननीय सदस्य के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में, इस सहस्त्राब्दी की शुरूआत में, जब राजस्थान पिछले 50 साल का अनुभव ले चुका है, राजस्थान के गत सवा साल के कार्यों का लेखा-जोखा, सरकार की रीति-नीति, सरकार की मंशा, सरकार का सोच इस अभिभाषण के माध्यम से दर्शाया है।

सभापति महोदय, राजस्थान का जन-जन इस बात से वाकिफ है कि आज से सवा साल पहले किन परिस्थितियों में राज्य में कांग्रेस की सरकार आयी। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कुशासन के त्रस्त होकर जनता ने कांग्रेस सरकार के मेनीफेस्टो पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए, माननीय अशोक गहलोत के सिर पर यह कांटों का ताज रखा। जब सरकार का लेखा-जोखा देखा गया तो पता चला कि सारा खजाना खाली है। सारा राज भीषण अव्यवस्थाओं में, अनुशासनहीनता में और 23 हजार करोड़ के ऋण के अन्दर डूबा हुआ है, जिसकी 22 सौ करोड़ रुपया प्रति वर्ष मात्र ब्याज के रूप में सरकार की देनदारी रहती है। इतना पैसा हम अपने सेल्स-टैक्स से पैदा कर सकते थे। इस वित्तीय स्थिति के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल का कुशासन छोड़ कर गयी। ऐसा अकुशल वित्तीय प्रबन्धन सम्भवतः किसी मुख्य मंत्री को पहले कभी नहीं मिला होगा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने पुरानी युद्ध नीति के उस सिद्धान्त का पालन किया कि जब सेनाएं युद्ध में हार रही हों तो जाते-जाते सब कुछ खाली कर जाओ, सब कुछ लुटा जाओ। कर्मचारियों ने आकर के पांचवें वेतन आयोग की मांग की, आपने खुश करने के लिये पांचवां वेतन आयोग लागू कर दिया, बगैर राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए। जिस जिस तरह की मांगे करते गये, इस सोच के साथ कि विधान सभा चुनाव में राज्य कर्मचारी शायद मुहर लगाकर के आपको चुनाव जिता देंगे, इस तरह से आप खजाना खाली करते चले गये और भारतीय जनता पार्टी का यह सोच रहा कि जब अगला मुख्य मंत्री आयेगा उसके पास न टका होगा, न पैसा होगा तब देखेंगे कि वह किस तरह से राज को चलाएगा। सारा खजाना खाली करके चले गये, उधार लेते रहे। मैं कहना चाहूंगा कि आप चार्वाक ऋषि के इस सिद्धान्त पर अमल करते रहे। "यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्-ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्" अर्थात्-सुख से जीओ जब तक जीओ, उधार लेना पड़े मगर घी पीओ। घी पीते रहे, घी पीते रहे, और ऐसी स्थिति के अन्दर आप राजस्थान की सरकार को छोड़ कर गये। उधार घी पीते थे और जानते थे रंग लायेगी फाका मस्तियां अपनी एक दिन। और उन फाका मस्तियों ने आपको 33 और अब 30 सीटों पर सिमटाकर बैठा दिया। प्रदेश को जिस हालत में आपने छोड़ा, जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उस वक्त में एक सोच की जरूरत थी और हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमें वित्तीय प्रबन्धन, कुशल प्रबन्धन करने पड़ेंगे, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, मितव्ययता बरतनी पड़ेगी, एक-एक पाई का, जनता के पैसे का हिसाब रखना

(डा. करण सिंह यादव)

पड़ेगा। उसके अनुरूप यह शुरूआत की गई ऊपर से। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी गाड़ियों के काफिले कम किये। अपने मंत्रियों की गाड़ियों के काफिले कम किये। आईएएस. और बड़े-बड़े आईपीएस. अधिकारियों के घरों में जहां-जहां 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती थीं, उनको अपने हिसाब से एक गाड़ी ड्यूटी के लिये मिलनी चालू हुई। इससे कोई बहुत बड़ी पैसे की बचत नहीं हुई लेकिन जनता के अन्दर एक मैसेज गया कि यह सरकार कुछ करना चाहती है।

जब कुछ करने की मंशा सरकार की बनने लगी, निगमों के जब चुनाव हुए, कांग्रेस जब भारी मतों से जीतकर आयी, एक खलबली मचाई, एक हवा दी गई, हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों को। कर्मचारियों को उकसाया गया, दिवाली का महीना था, भाइयों बोनस मांगों। हम तो तुमको हर साल बोनस दिया करते थे, उधार की लाते थे, उधार की पिलाते थे, मांगों इनसे, बोनस मांगिये, डी.ए. मांगिये और यह कहने लगे कि यह मुख्य मंत्री और यह सरकार है, इसकी पकड़ी ढीली है थोड़े दिन आप हड़ताल करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आप चिन्ता मत करिये। उसका नतीजा था कि 64 दिन तक लम्बी हड़ताल चली। बराबर अखबारों के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष यह कहता रहा कि मुख्य मंत्रीजी आप बार-बार अखबार में यह मत कहिये कि राज्य की हालत खराब है, राज्य की वित्तीय हालत खराब है।

**श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : डाक्टर साहब, राजस्थान में चाहे जो नतीजे आये हों, अपने तो कूंडा हो गया। अलवर में तो कांग्रेस का और हमारा खुद का कूंडा हो गया, आपके साथ होने से। अलवर में तो कूंडा हो गया।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : आपने बीजेपी. वालों से हाथ मिला रखा था।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : एम. पी. हार गये, आप अपने क्षेत्र से 32 हजार से हार गये। आप प्रधान हार गये, दोनों, नीमराणा का और बहरोड़ का। आप नगर परिषद् हार गये, (व्यवधान) आप जिला परिषद् हार गये, पार्लियामेंट हार गये और यहां तक कि मुण्डावर की सीट धर्मपालजी ने जीत ली।

**डा. करण सिंह यादव** : देखिये, बड़ी लड़ाई में कुछ छोटी... (व्यवधान) आप एक सीट जीत करके...(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : पूरा राजस्थान जीता है।

**डा. करण सिंह यादव** : पूरा राजस्थान जीता है। पूरे राजस्थान की पंचायतों के चुनाव जीते हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मिला होगा राजस्थान को...(व्यवधान)

**डा. करण सिंह यादव** : जब आपका मौका आये तब, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप इन सब बातों का जवाब दीजिए। जब आप बोलेंगे तब मैं आपको सुनूंगा।

**श्री सभापति** : विराजिए, जगमाल सिंहजी।

**डा. करण सिंह यादव** : राजस्थान में हवा दी गई कर्मचारियों को और जब पंचायतों के चुनाव आने लगे तो अखबारों में कहा गया कि ये अशोक गहलोतजी की सरकार पंचायतों के चुनाव नहीं कराएगी। इन्होंने हवा दी कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये। थोड़े दिनों के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति

(डा. करण सिंह यादव)

का परिचय दिया हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और पंचायत के चुनाव करवाये। आप सब लोगों को शायद यकीन नहीं था। ऐसे चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, प्रदेश की जनता ने इस कठोर अनुशासन को देख करके अशोक गहलोत की रीति और नीति के ऊपर, वोट के ऊपर ठप्पा लगाया और उसका नतीजा है कि अब पंचायतों और जिला परिषदों में वापस कांग्रेस जीतकर आयी है।

आज जब सरकार की चारों तरफ वाहवाही हो रही है, पंचायत चुनाव में जिस तरह का नतीजा हमको मिला उससे प्रभावित होकर के, और मुख्य मंत्रीजी की पूर्व घोषणा कि हम सब वह काम करेंगे कि आम आदमी को यह महसूस हो कि यहां पर सरकार है, आज आप गली में चले जाइये, मौहल्ले में चले जाइये, होटल में चले जाइये, गांव की चौपाल पर चले जाइये, सब जगह जाकर के एक ही बात होती है कि वाकई में 8-10 साल के बाद में सरकार क्या चीज होती है, इसका पहली बार राजस्थान के लोगों को पता लगा है।

अभी यहां पर बात चल रही थी जयपुर में होने वाले अतिक्रमणों को दूर करने की। राजस्थान के अंन्दर कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि जौहरी बाजार के बरामदे खाली हो सकते हैं। राजस्थान के अन्दर कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि स्टेशन रोड इतनी चौड़ी हो जाएगी। राजस्थान में कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि न्यू सांगानेर रोड पर यह बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं टूटेंगी। आम आदमी का रास्ता रोक रखा था, पैदल चलने वाले आदमी का रास्ता रोक रखा था। जनता के लिये इतनी भारी अव्यवस्था पैदा कर रखी थी। ऐसी स्थिति के अन्दर यदि सरकार ने ठोस निर्णय लिया तो उसका नतीजा है कि चारों ओर जनता में वाहवाही हो रही है। किसी को वहां पर लाठी चार्ज नहीं करना पड़ा। जब वहां बुलडोजर लेकर के लोग गये, जे.डी.ए. के कर्मचारी गये तो जनता ने मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई। कुछ जगह पर तो लोगों ने बैंड-बाजों से इस आन्दोलन का स्वागत किया और वहां की टीम का स्वागत किया। ऐसी स्थिति आज राजस्थान में बनकर आयी है। यहां पर सरकारी खेमे में, सरकारी कर्मचारियों में और आज जब हड़ताल से जिस तरह से निपटे हैं, हड़ताल में कोई जीत नहीं हुई, हार नहीं हुई, लेकिन मुख्य मंत्रीजी और उनकी टीम यह बात कहने में सक्षम हुई कि देखिये राज्य के वित्तीय हालात ऐसे हैं, हमारी पीने के पानी की प्राथमिकता है, हमारी बिजली की प्राथमिकता है या सिर्फ कर्मचारियों के पेट भरने की प्राथमिकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकारी कर्मचारियों को कि उन्होंने सदाशयता का परिचय दिया और अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया। हां, कभी-कभी छुपी जबान से जरूर कहते हैं कि हमको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, हमको कुछ लोगों ने बहका दिया, हमको तो हमारे नेताओं ने मार दिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :** उदयसिंहजी, बोलो। पास में बैठे हैं, धन्यवाद देने। (व्यवधान)।

**डा. करण सिंह यादव :** सभापति महोदय, हमारी सरकार का सदैव ही सपना रहा है

(डा. करण सिंह यादव)

कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करें। आपके राज में ग्राम सदैव उपेक्षित रहे, शिक्षा सदैव उपेक्षित रही। उसी का परिणाम था कि हमारी सरकार ने एक सोच लिया, पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए नया विधेयक लेकर आये। उनमें परिवर्तन किये गये। समाजकंटकों को चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रावधान बनाये गये और आरक्षण प्रावधान किया। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। राजस्थान में आरक्षण महामहिम राज्यपाल बलिरामजी भगत के कार्यकाल में, राष्ट्रपति शासन में हुआ। यह जरूर है कि आपने बड़े दबे मन से 15 प्रतिशत आरक्षण पंचायती-राज संस्थाओं और निगमों में दिया। वह भी आधे मन से दिया। हमारी सरकार आयी, उसने उस आरक्षण को 21 प्रतिशत किया और उसी का नतीजा है कि आज जगह-जगह हमारे इन वर्गों के लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आज राजस्थान के अन्दर पंचायती-राज संस्थाओं में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं।

ग्राम-स्वराज का जो सपना है, उसमें हमने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने को प्राथमिकता दी और सबसे बड़ी महती आवश्यकता थी शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की, 12,500 राजीव गांधी पाठशालाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, दूर-दूर कस्बों में, छोटी-छोटी बस्तियों में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए खोली गयीं जो स्कूल नहीं जा सकते थे। यह पहली बार था जब 847 मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुए, 387 हाई स्कूल क्रमोन्नत हुए और 190 सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए, बिना पैसे के हुए और उन इलाकों में हुए जहां पर उनकी जरूरत थी। सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम किया हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने और सरकार ने, मितव्ययता बरतने का और जनता के पैसे की हिफाजत करने का इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में है तो वह समानीकरण है। हो सकता है कि कहीं पर कुछ कतिपय कर्मचारियों ने गलती की हो। लगभग 17 हजार कर्मचारियों को अपने स्थानों से हटाकर वहां लगाया गया जहां उनकी जरूरत थी। बी. जे. पी. के शासनकाल में शहरों की स्कूलों के अन्दर, गलियों के अन्दर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पचास और अध्यापकों की संख्या 51 गांव के अन्दर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 400 और पढ़ाने वाले की संख्या दो। इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी सरकार के शिक्षा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को कि आज जो शहरों के अन्दर वर्षों से बैठे हुए थे, न स्कूल जाते थे, जिनकी कागजों के ऊपर चल रही थी, आपकी सरकार की दी हुई देन थी, पुरानी सरकार की दी हुई देन थी, उनको आज गांवों में जाकर पढ़ाना पड़ रहा है। जनता के पैसे को, किस तरह के एक-एक पाई का हिसाब किया जा सकता है, यह हिसाब हमारी सरकार ने करके दिखाया और आज सारे शिक्षा जगत में एक अभूतपूर्व क्रांति का सा सन्देश

(डा. करण सिंह यादव)

गया है। हर आदमी समझने लग गया, टीचर समझने लग गया है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा। गांव की पंचायत की स्कूल हो, चाहे मिडल स्कूल हो, जिस तरह की निगरानी समितियां बनायी गयी हैं और निगरानी समितियों को जिस तरह के अधिकार दिये गये हैं, उन अधिकारों को देखते हुए मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि जब हर कर्मचारी को जवाबदेह होना पड़ेगा। पंचायतों को जवाबदेह होना पड़ेगा और कर्मचारियों को गांवों में रहना पड़ेगा वरना सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि उनको अपने पुराने क्रियाकलापों से या तो रास्ता साफ करना होगा या फिर उनको नौकरियों को छोड़कर जाना पड़ेगा।

कालेज शिक्षा के अन्दर गत वर्ष नये कालेज खोले गये। हमारे यहां पर नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर की जो बहुत पुरानी मांग थी, खोली गयी। विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के अन्दर स्वीकृत हुआ जो राजस्थान में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में अपना अनूठा स्थान रखेगा और प्राइवेट सैक्टर के अन्दर अनेक इन्जीनियरिंग कालेजेज, पोलोटेक्निक कालेजेज और आई.टी.आईज को स्वीकृत मिली है। हमारे यहां जयपुर में एक मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र में, उदयपुर में एक डेंटल कालेज निजी क्षेत्र में, आर्किटेक्ट्स का एक कालेज जयपुर में निजी क्षेत्र में खुला। यह सरकार की उपलब्धियां हैं, यह सरकार का सोच है, सरकार करना चाहती है, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और रोजगारोन्मुख शिक्षा देना चाहती है।

स्वास्थ्य की इच्छा करना मैं समझता हूं कि आम नागरिक का अधिकार है। आज से पहले गरीब आदमी के बारे में पिछली सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। मैं मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने 22 लाख बिलो पावर्टी लाइन के कार्ड्स खोले। गरीबी की रेखा के नीचे चयनित परिवार वालों को कार्ड मिलता है। उस कार्ड को लेकर आज अगर कोई गरीब अदमी सवाई मानसिंह अस्पताल में आता है तो उसको वे सब दवाइयां मिलेंगी जो उसका हक है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी-बहुत कोई खामी हो सकती है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : डाक्टर साहब, आप अच्छा भाषण कर रहे हो, मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर जिस प्रोफेशन के कारण आप राजस्थान की विधान सभा में पहुंचे हो, कम से कम उसके साथ तो न्याय करो। 22 लाख बी.पी.एल. के कार्ड दे दिये, बजट का प्रोविजन किया क्या? आप जिस तरह के प्राइवेट सैक्टर के अन्दर मेडिकल कालेज लेने की बात कर रहे हैं, एम.सी.आई. की गाइड लाइन को पूरा कर रहे हैं एक भी? सिवाय जयपुर का, बाकी एम.सी.आई. की गाइड लाइन को पूरा कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, करण सिंह जैसा विद्वान आदमी बोला था और ऐसे गलत तथ्यों पर। डाक्टर साहब, एक और बात बताऊं, राजनीति में नये हो, इस तरह की बात कहकर यहां आगे वाली सीट पर नहीं आ पाओगे। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सदस्य को बीच में ऐसे टोकने का अधिकार नहीं है। इनको बोलने दीजिए।

**श्री सभापति** : बैठिये।

**डा. करण सिंह यादव** : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरे पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके प्रति मैं सम्मान से यह कहना चाहूंगा कि यह बी.पी.एल. कार्ड की योजना आपने चालू नहीं की। यह बी.पी.एल. का कार्ड, यह जो नागरिक अधिकार-पत्र दिये हैं, जिसमें आम आदमी को बताया गया है कि इस कार्ड को ले जाकर जब आप अस्पताल में दिखाओगे और यदि अस्पताल में सुपरिटेंडेंट आपको नहीं देता है तो आप उसकी कहां जाकर शिकायत कर सकोगे। आज जनता में यह मैसेज चला गया है। हम लोगों ने अपने निजी तौर पर और हमारे मंत्रीजी ने और विभाग ने यह कहा है कि इस कार्ड को आप आसान, छोटा, मामूली कार्ड मत समझिये। इस गरीब आदमी की आवाज आज मुख्य मंत्री के बंगले पर सुनी जाती है। किसी भी डाक्टर की जाकर किसी ने शिकायत कर दी, इस कार्ड को यूं करके फेंक दिया कि इस कार्ड को रख लो तो उस डाक्टर की शामत आएगी। इस तरह का सन्देश आज जनता में दिया गया है और अपने विभाग से जुड़ी हुई एक बात और है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि आपके राज में, मैं कहना चाहूंगा, ओपन हार्ट सर्जरी और कार्नरी सर्जरी एस.एम.एस. अस्पताल में शुरू की गयी लेकिन उस सर्जरी को करते हुए जब भी कभी हमारे सामने कोई गरीब आ जाता था, निर्धन आ जाता था तो मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं कभी उसके सामने आपरेशन की, सर्जरी की पासिबिलिटी की बात भी नहीं करता था क्योंकि कहने का मतलब यह है, जैसे ही मैं कहूंगा कि इस आपरेशन में एक लाख खर्च होगा, सवा लाख खर्च होगा उस आदमी का चेहरा देखने वाला होता है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को देखने की जरूरत नहीं, उस आदमी के चेहरे पर दिखाई देता है कि क्या मासूमियत है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, बेहोश होते हुए देखा है। इस तरह की बात करना कि आपको एक लाख रुपये देने पड़ेंगे, उस आपरेशन के लिए, गरीब आदमी अपने बच्चे का वाल्व बदलवाने आये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य ने एक बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका अदा की है जिसने मुख्य मंत्रीजी जीवन रक्षा कोष की स्थापना की, आप कार्ड लेकर आइये, मैं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस धन्धे से जुड़ा हुआ हूं, कुछ नहीं करना पड़ता है, गरीबी रेखा का चयनित कार्ड लेकर अस्पताल में आइये, एक साधारण-सी एप्लीकेशन हैल्थ सैक्रेटरी के पास में जाएगी... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : बोलने दीजिए।

**डा. करण सिंह यादव** : नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, गरीबी रेखा में चयनित होने वाले आदमी का कार्ड लेकर आइये, उसमें किसी तरह की कोई ब्यूरोक्रेटिक रेड-टेपिज्म नहीं, सीधा कार्ड हैल्थ सैक्रेटरी को गया,

(डा. करण सिंह यादव)

दूसरे दिन उसमें स्वीकृति होकर एस.एम.एस. अस्पताल में एक स्वीकृति चली जाती है। एस.एम.एस. अस्पताल में 30 लाख रुपये का रिवाल्विग फंड दिया हुआ है। एस.एम.एस. अस्पताल के अधीक्षक को यह आदेश है कि जैसे ही यह स्वीकृति आये इसका आपरेशन किया जाए और यह पैसा सरकार उस फंड के वापस रिएम्बर्स कर देगी। ऐसी सुविधाएं हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में होगी, मैं नहीं कह सकता। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, चाहे गुर्दा प्रत्यारोपण करना हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, चाहे कितनी ही गम्भीर बीमारी का इलाज हो, उसमें लाख हो, दो लाख हो और मेरी अपनी जानकारी है कि अब तक इस साल के अन्दर लगभग 54 लाख रुपये इस तरह के खर्च किये जा चुके हैं गरीव मरीजों पर। आज इसकी जानकारी पूरे रूप में नहीं है लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों में जानकारी है, पहले मैं गरीब आदमी को देखता था तो मेरे मन में मुर्दानगी छा जाती थी कि मैं इसको पैसे की बात कैसे कहूंगा, आज मैं पहला प्रश्न करता हूं कि आप चयनित परिवार में है, और जैसे ही वह कहता है कि मैं चयनित परिवार में हूं, मेरे मन में आ जाती है कि चल, अभी मैं आपके साथ सैक्रेटेरिएट चलता हूं और आपके पैसे मंजूर करवा कर लाता हूं और आपका आपरेशन करवाना है। यह सोच गांधीवादी मुख्य मंत्री की सोच की परिलक्षित करता है। यह सोच किसी पैसे वाले की सोच को परिलक्षित नहीं करता। यह सोच उन लोगों को परिलक्षित नहीं करता जो सिर्फ उच्च वर्ग, व्यापारिक वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिये प्रदर्शन करते हैं या धरने देते हैं।

आपने देख लिया, अभी थोड़े दिन पहले दस दिन तक जो अतिक्रमण का अभियान था, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की। जनता ने कह दिया कि गरीब आदमी के लिये तो आये नहीं, अब यह जौहरी बाजार में जब अतिक्रमण हटने लगा तो इस बहाने से आये हैं कि इस गरीब को रोजगार कैसे मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जिन-जिन गरीबों को किसी कारण से वहां से हटना पड़ा है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उनको कियोस्क देने की नीति बना रखी है। आज उनका अतिक्रमण हट रहा है, दूसरे दिन उनको अलाटमेंट कर रहे हैं। भाई उदयसिंह जी बता रहे हैं कि 350 को अलाटमेंट कर दिया गया है। यह सरकार गरीब के प्रति पूरी तरह समर्पित सरकार है।

स्वास्थ्य की सेवाओं में एक अभिनव प्रयोग गत वर्ष किया गया। 15 मार्च से 15 अप्रेल के बीच में गांव-गांव के अंदर यह सर्वे किया गया कि कितने टीबी के रोगी हैं और कितने कुष्ठ रोगी हैं। इस कार्य के लिये 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने-अपने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर पता कीजिए कि गांव के लोगों को चिह्नित करके, उनको पैकेट में दवाई सप्ताह में दो दिन या तो मरीज आकर

(डा. करण सिंह यादव)

सब-सेंटर से खुद ले जाए या वहां पर जो स्वास्थ्यकर्ता है, वह खुद उस मरीज को जाकर देगा और बहुत सारे लोग टीबी की दवा लेकर उससे लाभान्वित हुए हैं। पहले यह योजना सिर्फ 12 जिलों में थी, अब इस साल से यह योजना समूचे राजस्थान में होगी। इसका फायदा आप-हम सबको गरीब मरीजों को दिलाना चाहिये। जरूरत है कि हमको सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी हो और हम अपने लोगों को पूरी सहायता दिला सकें।

यही नहीं भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुरूप हमारे 150 आयुर्वेदिक अस्पताल और 50 यूनानी अस्पताल पिछले साल में स्वीकृत किये गये जिससे कि हिन्दुस्तानी चिकित्सा पद्धति पर जिन लोगों का विश्वास है वो लोग उससे लाभ ले सकें गांव में।

हमारी सरकार सदैव कमजोर वर्ग के लिये समर्पित सरकार रही है। इस सरकार का स्रोत्र दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये रहा है। मुझे याद है कि मैं पिछले विधान सभा के शुरूआत में, बजट सत्र में बार-बार यह मांग उठाता था, उससे पहले सरकारी सेवा में भी उठाता था कि मेरे एक बात समझ में नहीं आयी कि किस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सिर्फ उनके आरक्षण का आधा हिस्सा दिया जाता था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत और मेडिकल कालेज में घुसने के लिये आरक्षण मिलता था 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अशोक जी गहलोत को जिन्होंने इस अनोमोली को समझा और अपनी पैन की एक स्ट्रोक से मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और पहली बार राजस्थान में 12 प्रतिशत और 16 प्रतिशत के आधार पर एडमिशन हुए। अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां जो बहुत सालों से संघर्षरत थीं, बी.जे.पी. के शासनकाल में हम बार-बार जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार में जो नुमाइंदे थे उनको रिप्रेजेंटेशन देते थे, किसी ने नहीं करा। उसका नतीजा था कि यह सारा वर्ग बी.जे.पी. की सरकार से दूर होता गया और जब हमारी सरकार बनी, सौभाग्य है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का नेता इस सरकार का नेतृत्व कर रहा है और उनके आने के बाद में आज शिक्षण संस्थाओं में, इंजीनियरिंग कालेज में, मेडिकल कालेज में, पोलीटेक्निक कालेज में आई.टी.आइज में, नर्सिंग कालेज में आरक्षण है। आपने कर दिया था पूर्व मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

ग्राम विकास की सबसे बड़ी-कड़ी बिजली की बड़ी भारी समस्या प्रदेश की जनता को जब आप सरकार छोड़कर गये तो महसूस हुई। आपने विधान सभा में भी बार-बार कहा और अखबारों में हम पढ़ते थे, बारम्बार यह भाषण दिये जाते थे कि प्रदेश में इतनी नयी योजनाएं आ जाएंगी, इतने नये पॉवर प्लान्ट्स लग जाएंगे कि सन् 2000 तक राजस्थान इस स्थिति में आ जाएगा कि राजस्थान सरप्लस बिजली दूसरे राज्यों को दे देगा। राजस्थान सरप्लस स्टेट में आ जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान

(डा. करण सिंह यादव)

की बिजली की स्थिति गत वर्ष क्या थी? इस वर्ष किसानों को बिजली के लिये बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी किसान के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले साल एक करोड़ रुपये की बिजली खरीदकर किसानों को दी, वाहवाही लूटी। इस बार वह यह नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके कि केन्द्र में बैठी हुई भाजपा सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को फैल करना चाहती है। पंचातय चुनावों को ध्यान में रखते हुए वह नहीं चाहती थी कि यहां के किसानों को बिजली मिले और मेरे जैसे आदमी की त्रासदी जो है, जो अभी तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मेरा इलाका हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका है, मेरे पास अटेली और महेन्द्रगढ़ तहसील के किसानों को 24 घंटे बिजली दे रही है केन्द्र सरकार चौटाला जी को प्रोप-अप करने के लिए, और मेरे यहां दो घंटे भी बिजली नहीं आए। मेरा किसान बिजली चाहता है, उसको बिजली चाहिये इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी मेरे प्रति दिखाई। मैंने उनसे कहा, आज उनको समझ में आ गया। जिस दिन हरियाणा का चुनाव खतम हो गया, जिस दिन पंचायत राज में राजस्थान में कांग्रेस जीतकर आ गयी, आज बिजली बराबर आ रही है। आज मेरे किसानों को समझ में आ गया कि वह बिजली अशोक गहलोत साहब ने नहीं रोक रखी थी, चन्द्रभान जी ने नहीं रोक रखी थी, डाक्टर करण सिंह जी ने नहीं रोक रखी थी, उसको रोकने वाले दिल्ली में बैठे हुए लोग-बाग थे, जो हमारे साथ में साजिश कर रहे थे हमारी सरकार को फैल करने की, हमारे चुनाव से पहले इस तरह का वातावरण बनाने की। लेकिन इस प्रदेश की महान जनता...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : स्टेट गवर्नमेंट का भी यह हक बनता है कि वह किसानों को बिजली दे। पंजाब में कौन दे रहा है?

**डा. करण सिंह यादव** : पैसे लेते हुए भी बिजली नहीं मिली। (व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : स्टेट गवर्नमेंट दे रही है पंजाब में, जहां किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। यह तो आपका फर्ज बनता है।

**श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक)** : कैसे लेवें?

**श्री जगत सिंह दायमा** : हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में कौन हैं? कोई बात कहें तो ऐसी कहनी चाहिये जो कि सही बात हो। उसमें भी आप...(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : नहीं, यहां बात सही ही कही गयी है।

**डा. करण सिंह यादव** : पिछले साल आठ घंटे बिजली मिली कि नहीं मिली? पिछले साल आठ घंटे आम किसान ने...(व्यवधान)

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय सदस्य, आप भी किसान के पुत्र हैं और हम भी किसान के पुत्र हैं। पिछले सालों की अपेक्षा अबकी बार ज्यादा किल्लत रही है।

(डा. करण सिंह यादव)

राजस्थान के अन्दर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, एक बहुत अच्छा पैकेज दिया, एक लाख रुपया नकद, 25 बीघा सिंचित जमीन या आवासन मण्डल का मकान उसके आश्रित को नौकरी, उसके नाम पर गांव में स्कूल बनें, उसके मां-बाप को एक लाख जमा करा करके पेंशन, उसको बिजली की प्राथमिकता पर सुविधा, उसके बच्चों को सारी शिक्षा, चाहे वह मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, मुफ्त दी जाएगी। उसके आश्रितों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यह राजस्थान सरकार के अच्छे सोच का नमूना है, सैनिकों के प्रति उनके सम्मान का नमूना है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आपने कभी सोचा है?

**श्री देवीसिंह भाटी :** यह केन्द्र की भाजपा सरकार ने ही मात्र सैनिकों को सम्मान दिलवाया है पहली बार इतिहास में। आपको यह बात ध्यान में होनी चाहिए।

**डा. करण सिंह यादव :** उस बात पर मत जाइये। केन्द्र की भाजपा सरकार का हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। आपको मालूम है कि कारगिल युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ? आप तो ढाका बस लेकर गये थे और पीछे-पीछे लोग आपके यहां घुसपैठ करके आ गये थे और लड़ाइयां लड़ रहे थे। किस तरह से हमारे जवानों को अपनी जान देनी पड़ी है। इस बात पर नहीं जा कर यह बात कहनी पड़ेगी कि राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो एक अभिनव सम्मान इन लोगों को दिया वह अनुकरणीय है और इसके वह सब सैनिक हकदार थे।

आज जब प्रदेश में एक वातावरण बन रहा है, आम आदमी में सरकार की सोच की बात परिलक्षित हो रही है, हर आदमी को उम्मीद हो रही है, हर गरीब आदमी अब सरकार की तरफ देखने लगा है, रोजगार के साधनों के लिए। चाहे वह मुख्य मंत्री द्वारा की गयी मुख्य मंत्री रोजगार योजनाएं हो, चाहे शहरों के अन्दर और गांवों के अन्दर थड़ियां और कियोस्क बना कर देना हो, चाहे बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को गांवों के अन्दर कियोस्क बना कर देने हों, इन सब बातों की तरफ आम नागरिक देख रहा है। इस अच्छी, दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी सरकार, संवेदनशील सरकार और जवाबदेह सरकार का जो रूप आम जनता के सामने उभर कर आया है इन्हीं बातों का माननीय महामहिम ने अपने अभिभाषण में चित्रण किया है। मैं समझता हूं, यह राजस्थान में एक नयी क्रांति की शुरूआत है। यह श्वेत क्रांति है। आम आदमी महसूस करने लग गया है और अखबारों के अन्दर छपने लग गया है, जयपुर शहर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मुख्य मंत्रीजी को फोन कर के कहते हैं कि जिस तरह के आपने प्रशासन की बागडोर संभाली है, लोग कहते थे, पकड़ ढीली है, आज पकड़ को देख करके लोग कहते हैं, कहना चालू कर दिया कि आपकी गिनती थोड़े दिनों के बाद सरदार पटेल के समकक्ष

(डा. करण सिंह यादव)

होने लगेगी। आपने वह सम्पादकीय पढ़ा होगा...

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** डाक्टर साहब, अबके तो जोर की चिलम भरी।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** यह हम नहीं कहते, हकीकत है।

**श्री देवीसिंह भाटी :** यह तो भाजपा के शासन में भैरोंसिंहजी को भी यही कहते थे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** यहां से कह रहे हो क्या? वाह वाह।

**श्री हरिसिंह (महुवा) :** राजस्थान पत्रिका कह रही है आयरन मैन। राजस्थान पत्रिका ने कहा है।

**डा. करण सिंह यादव :** राजस्थान पत्रिका कहती है आयरन मैन और भास्कर तुलना करता है कि यह राजस्थान में ज्योति बसु वाली भूमिका निभायेंगे।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** 20 साल हमारी सरकार रहेगी और आप उधर ही उधर रहेंगे।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** सरक-सरक के जा रही है, खेतसिंहजी, सरक-सरक के जा रही है।

**डा. करण सिंह यादव :** जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिन नीतियों पर चल रहे हैं, गांधीजी की प्रेरणा थी कि सबसे पहले दूर बैठे हुए गरीब आदमी को मान करके सरकार की नीतियां बनायी जाए, उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए गांधीजी के सिद्धांत पर जिस हिसाब से हमारी नीतियां इस अभिभाषण में परिलक्षित की गयी हैं, आने वाले 20 साल तक आप वहीं बैठे रहेंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे।

**श्री जगत सिंह दायमा :** माननीय करण सिंहजी, मेरा एक एतराज है कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वह पिछड़े वर्ग के और बेहतरीन मुख्य मंत्री हैं, उनकी तुलना ज्योति बसु से मत करो, वह मनुवादी हैं। उसके मंत्रिमण्डल में आप मुझे बताएं कि कितने लोग पिछड़े वर्ग के हैं?

**डा. करण सिंह यादव :** यह मैं नहीं कर रहा तुलना, भास्कर में लिखी हुई बात को कह रहा हूं। ज्योति बसु के बारे में एक तो सम्मान करना ही पड़ेगा कि अपने प्रदेश का नेतृत्व 20 साल तक किया, चाहे वह किसी पार्टी से सम्बन्धित हो।

**श्री हरिसिंह (महुवा) :** आपके विचार ग्राह्य हैं, हम प्रशंसा करते हैं आपके विचारों की।

**श्री जगत सिंह दायमा :** मैं प्रशंसा ही कर रहा हूं परन्तु इनकी तुलना ज्योति बसु जैसे मनुवादी मुख्य मंत्री से मत करो।

**श्री सभापति :** बिराजिये, जगतसिंह। आप अपनी बात कह चुके।

**श्री जगत सिंह दायमा :** माननीय सभापति महोदय, अब आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि आप इधर से पक्ष में नहीं बोल रहे हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने तो केवल, आपने जो समझौता किया था उसकी पालना की। हमने उसका निरादर नहीं किया। चाहे हमें उससे तकलीफ हुई हो। इसमें कौनसी चीज है जिसके दोषी हम हैं, मैं यह नहीं समझ पाया। केवल आप ऊपर-ऊपर की बातों को लेकर वस्तुस्थिति को पहचानने की कोशिश नहीं करो। वस्तुस्थिति यहां पर है कि आपने जबरदस्ती रिटायरमेंट की उम्र घटायी जैसा वेतन आयोग ने दिया था वैसा ही हमने लागू किया, वेतन आयोग ने यह रिकमण्डेशन की थी कि हम रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल करेंगे, हमने उसको टुकड़ों में लागू नहीं किया, वैसा का वैसा लागू किया और आपने वाहवाही लूटने के लिए, आपकी पहली केबिनेट मीटिंग में आपने देखा कि क्या तोहफा दें राजस्थान को, आपने झट से एक तोहफा भेंट कर दिया, यह तोहफा क्या था, कि राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष कर दी। पहली केबिनेट मीटिंग में। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वस्तुस्थिति को बिना जाने हवा में उड़ने की कोशिश मत करिये। हमने किस प्रकार से वर्जन कहे हैं उस दिन जो आपका केबिनेट का निर्णय हुआ उसके बाद, बैठक के बाद मुख्य मंत्री ने संवाददाताओं को बताया, "सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पिछली सरकार ने 60 साल कर दी लेकिन इस पर गम्भीरतापर्वूक विचार नहीं किया गया। पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले के लिए सामाजिक स्वीकृति भी नहीं मिल पायी थी। महज आर्थिक पक्ष में ही विचार करते हुए सरकार ने फैसला किया। मंत्रिमण्डल की बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले पर विचार किया गया और सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष करने का फैसला किया। यह फैसला 31 मार्च, 1999 को लागू होगा। फैसला लागू होने से करीब 15 हजार युवकों को नौकरी मिल सकेगी।" यह इस बात के लिए, प्रचार किया था, भाषण दिया था चुनाव के दिनों में उस नौजवान को गुमराह करने का धंधा किया अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए उसमें भूख जगाई। बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलगी। अगर आपको कोई नौकरी लेनी है तो निश्चित रूप से आपको इस सरकार को बदलना होगा। उसके बाद आपने अपने इस बाइबल में क्या कहा? मतलब किस तरह से आपने इस नौजवान को ठगने की कोशिश की है, यह मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। आज आप भले ही कितने ही खुश हो जाएं लेकिन वह नौजवान और आपका जो बेटा आज जो बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहा है वह आपसे एक-एक पाई का हिसाब लेगा। आपनें कहा, "युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़" यह आपका बाइबल कहता है, यह बाइबल कहता है कि राज्य की भाजपा सरकार ने सभी प्रकार की नौकरियों पर पाबन्दी लगाकर प्रदेश के प्रतिभावान युवकों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग, तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर्स आउट होने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तथा अन्य घपलों/घोटालों से प्रदेश के नौजवानों के लिए चारों ओर असंतोष और निराशा का माहौल है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां बन्द होने से नौजवान पीढ़ी रोजगार के लिए दर-दर भटक रही है तथा पड़ौसी राज्य में रोजगार हेतु पलायन कर रही है। क्या इसमें सुधार हो गया? आपने जो यह सवा साल गुजारा, इस बाइबल में लिखकर इस नौजवान को ठगने का प्रयास किया, वह नौजवान आपसे सवाल पूछता है। सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। मुझे भी इस बात का दर्द है। हर गरीब बाप को इस बात का दर्द है। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को बी.एड. की ट्रेनिंग करवाने के लिए अपना पांच बीघा खेत गिरवी रखकर यह समझा था कि कल मेरा बेटा मास्टर बनेगा और मैं इस कर्जे को उतार दूंगा लेकिन आपने शिक्षा की आज स्थिति ऐसी की कि एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। अब वह जहर खाकर मरने के लिए तैयार है और मैं आपको गारन्टी से कह रहा हूं कि वह निश्चित रूप से आपके सामने आत्महत्या करेगा। एक नहीं कई बच्चे और उनके परिवार वाले। क्योंकि वह अब उसको नहीं चुका सकते। न बच्चे की नौकरी लगी और न उसका कर्जा उतरा। जिस खेत से वह कमा खाता था वह खेत ही उसके हाथ से निकल गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम से कम किसी भी बात को गम्भीरता से लेने का प्रयास करें। केवल यह सोचकर कि लिख दिया इसलिए पढ़ लिया और उसके आधार पर अगर आप इस बात को करोगे तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं उसके साथ न्याय नहीं होगा।

आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं। जब 1200 रुपये में मास्टर लगाकर 12500 स्कूल्स खोल दिए और आपके बाकी स्कूलों में अगर भर्ती नहीं होगी तो अच्छा होगा, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उस गरीब के बच्चे को बरबाद मत करो, ये बी.एड. कालेज बन्द कर दो। कम से कम यह तो रहेगा कि बच्चे के साथ दुखदायी घटना नहीं होगी। इस कष्ट को वही जानता है जिसका बच्चा बी.एड. करके आया होगा। वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आप कहते हैं कि हमने पच्चीस हजार को नौकरी दे दी। क्या नौकरी दे दी? 1200 रुपये की? 1200 रुपये की नौकरी होती है? आप मिनिमम वेजेज देते हो 60 रुपया, 64 रुपया और 68 रुपया, उस शिक्षक को आपने 1200 रुपये देकर क्या दक्षिणा दे दी? उसको भीख देने की कोशिश की? इस सोच के आधार पर आप राजस्थान को तरक्की देने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा अपने गिरहबान में झांकने की कोशिश करो। इस प्रकार के हालात आपने राजस्थान में बना दिये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने इस जनता को दगा और धोखा देकर 153 आये हो या 154 आये हो, हकीकत के आधार पर आज आपको मेरा चैलेंज है, आज आप मतदान करा लो इन सब बातों के आधार पर, आप जैसे यहां हम 33 थे, वैसे ही हो जाएंगे। क्या बात करते हो? आप धोखा देते हो।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) :** सभापति महोदय, ये शिक्षाकर्मियों को क्या देते थे? (व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। बैठिए, आप कल्ला साहब। (व्यवधान)

**श्री महेश जोशी :** बात कर रहे हो।

**श्री सभापति :** बिराजिए आप।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैं बहुत विनम्र शब्दों में इसलिए कह रहा हूं कि आपने जनता की भावना जगाई, उस भावना के आधार पर वोट लेने का प्रयास किया। अपना काम हो गया उसके बाद पल्ला झाड़ लिया।

बिजली के बारे में आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि कांग्रेस के शासन में कुएं पर पांच हार्स पावर का कनेक्शन के लिए पांच खम्भे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते थे। सैंतीस पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। आज किसानों को नौ हजार और बारह हजार रुपया खम्भा और 1850 रुपया प्रति हार्स पावर फीस देकर 1.70 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है। आप फ्री करने वाले हो न? आप यही करने वाले हो न? आगे आपने लिखा है, अगर हम आयेंगे तो हम इस पर देंगे। क्या यह दे दिया? आज आप अगर अपनी टैरिफ का मुकाबला करो तो आपकी टैरिफ के कारण से हर घर का व्यक्ति आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो कि गरीब के घर में बिजली का लट्टू जले। मैं आज आपको गारण्टी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात यहां नोट हो रही है, दो साल के बाद राजस्थान का गरीब आदमी कम से कम अपने घर में लट्टू नहीं जला सकेगा क्योंकि आपका मिनिमम चार्ज 500 रुपया आ रहा है। दो लट्टू का मिनिमम चार्ज जो पहले 153 रुपये के लगभग आता था वह अब तीन लट्टू और चार लट्टू का बिल भी...

**डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) :** क्या कह रहे हैं, कटारिया साहब। आज ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम तीस यूनिट है और शहरी क्षेत्र में पैंतीस यूनिट है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मिनिमम चार्ज नहीं है, जो बिल आ रहा है...

**डा. चन्द्रभान :** वह अलग बात है। मिनिमम चार्ज की बात कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** तीन लट्टू है वह क्या दे सकेगा?

**श्री अमराराम (धोद) :** बिजली एक सैकिण्ड नहीं आती गांव में और आप मिनिमम चार्ज ले रहे हो। बिजली मिनिमम आयेगी नहीं और चार्ज मंत्रीजी ले रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** जिस प्रकार से आपने विद्युत नियामक आयोग बिल पास किया और जिस हिसाब से आपकी टैरिफ बदलेगी, भगवान के लिए वह टैरिफ पचास प्रतिशत लोग राजस्थान के नहीं दे पायेंगे, यह मैं लोहे की लकीर खींच रहा हूं आपको और वह मजबूरन कहेगा कि दादा भाई, मेरा कनेक्शन काट दें। चिमनी में मेरे बाप दादा भी पढ़े थे मैं भी पढ़ लूंगा या फिर आकड़ी डालकर के ही पढ़ेगा। दो के अलावा तीसरा कोई चारा नहीं है। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : यह समय नहीं आएगा।

**श्री महेश जोशी** : रसोई गैस की बात करो, रसोई गैस की। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्लीज, वाद-विवाद में व्यवधान नहीं करें

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : सभापति महोदय, राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ता है और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र के कुओं में पानी नहीं रहता है, कभी-कभी तीन चार साल में एक आध साल अच्छा जमाना निकलता है जब लोगों के कुएं में पानी होता है और पूरे समय तक उसकी मोटर चलाकर वह सिंचाई कर सकता है। इसके कारण से अकाल के समय में बहुत आन्दोलन हुए, 1987-88-89 में। लोगों ने कहा था कि मिनिमम चार्ज से हमें मुक्त कर दो, जितना हमारा करंट चढ़ेगा उतना ही पैसा हमसे लेना। लेकिन आपने उनसे बिना पूछे, बिना किसी को बताये मिनिमम चार्ज लगाकर के भेज दिया बिल। अब वह उस किसान के बूते की बात नहीं। वह तो आपसे एक प्रार्थना करता है कि चलो, आपने जो किया है वह ठीक है लेकिन अगर उसको चार महीने बिजली की जरूरत है तो उसे चार महीने के करंट के पैसे लेकर डिस्कनैक्ट करके आपका सामान समेट लो और वापस जब उसके कुएं में पानी आये तब उसे वापस कनेक्ट कर दो तो भी वह बच जाएगा। बाकी बारह महीने तक जिसके कुएं में खाखला भरने की स्थिति है, जिसकी दो घण्टे भी मोटर नहीं चलती है, जिसका डेढ़, दो, तीन बीघा का खेत है उस आदमी पर मिनिमम चार्ज लगाकर आपने भले ही अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास किया होगा। बड़े लोग हैं, गरीबी दूर करने के लिए उन पर और कुछ किया जा सकता है। उनके कपड़े नहीं फटेंगे। लेकिन कम से कम उस गरीब किसान को निश्चित रूप से वह जितने महीने बिजली काम में लेता है उतना कनेक्शन रखो और उसको डिस्कनैक्ट करने के लिए भी अधिकृत करो ताकि अगर वह अपना कनेक्शन कटाना चाहे तो आपके इस मिनिमम चार्ज से वह किसी प्रकार से बंच करके अपने बच्चों का पालन कर सके। मैं सोचता हूं कि आठ घण्टे बिजली की बात जो कही वह आपके और हमारे सबके सामने है। अब उसका दोष आप किसी को दो। हमको एक करोड़ रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है। अगर आप राज में आये हो तो चाहे झक मारकर लाओ, कहीं से भी लाओ जब जनता को आपने यह दिखाया कि हम यह करेंगे, हम वो करेंगे तो अब वो करो ना। अब उसे तीन घंटे मिले, दूसरों के ऊपर पाप थोप रहे हो कि केन्द्र सरकार ने नहीं दी। तो केन्द्र सरकार के माथे मांगते हो क्या जो आपको दे दे। यह तो नकद पैसा देकर के आपको बिजली लानी है।

**श्री महेश जोशी** : यह हमारा अधिकार है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : एक करोड़ रुपया रोज देते हैं (व्यवधान) तो समय पर पैसा जमा कराओ। बेचने वाला तभी बेचेगा।

**डा. चन्द्रभान** : कटारिया साहब, पैसे की बात नहीं है। महेश जोशी जी, पैसे की बात नहीं है। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, इनसे भी मैंने आग्रह किया था

(डा. चन्द्रभान)

राजस्थान के लिए जो विशेष आवंटन कोटा था और अन्ता में हमारे यहां स्थित है, लगातार पिछले सात-आठ साल से मिल रहा था, उस कोटे में कमी करें, वहां की बिजली हरियाणा में दे दें और हमारे कोटे में कटौती कर दें केवल उससे दिक्कत पैदा हुई।

**श्री अमराराम (धोद)** : कमजोरी है।

**डा. चन्द्रभान** : कमजोरी किस बात की है? सरकार उनकी है, इसमें कमजोरी और मजबूती का कहां सवाल है? यह उस सरकार का बड़ा मन होना चाहिए था। उसको राजस्थान का हिस्सा देना चाहिए था और आपको भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए थी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मदद तो हर सरकार करती है और केन्द्र करता था। जब हम यहां थे तो वहां भी कांग्रेस थी। ऐसा नहीं है। (व्यवधान) केवल हम यह कहकर कि उन्होंने नहीं दी इसलिए आपने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया इस अकाल के समय में और उसको जितना नुकसान हुआ अपनी फसल की दृष्टि से उसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता है, इतना नुकसान उसको हुआ है। उसकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसको ना आप भर सकते हो, ना मैं भर सकता हूं। अब तो भगवान भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता उसको जो नुकसान हुआ है। और अब फिर यह मिनिमम चार्ज और फ्लेट रेट किस आधार पर वसूल करते हो? तब ही तो वसूल करते हो जब 24 घण्टे उसमें करंट आयेगा? कम से कम आठ घंटे तो आएगा, 365 दिन आएगा तब तो आप उससे मिनिमम चार्ज लोगे? आपका करंट अगर तीन घंटे से ज्यादा, चार दिन भी बिजली नहीं आये फिर आप मिनिमम चार्ज किस आधार पर लेना चाहते हो? पहले आप अपने आपको मजबूत करो और अपने आपको मजबूत करने के बाद यदि आप मानोगे तो शायद जनता के मन में इस बात की कुछ समझ हो सकती है।

**डा. चन्द्रभान** : मैं इन्टरवीन करूंगा, सही नहीं लगेगा। यह मिनिमम चार्ज एनुअली केलकुलेट होगा और फ्लेट रेट का भी 70 पर्सेण्ट होगा। और फ्लेट रेट साल में आठ महीने के हिसाब से केलकुलेट होती है। फ्लेट रेट का 70 पर्सेण्ट होगा। फ्लेट रेट चार घंटे प्रतिदिन की बिजली के हिसाब से होती है और उससे ज्यादा बिजली दी गयी है राजस्थान को।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आप फिर यह कहो ना कि हम चार घंटे के आधार पर फ्लेट रेट लेते हैं। कर दो घोषणा हमें कोई तकलीफ नहीं है।

**डा. चन्द्रभान** : ऐसा है, सभापति महोदय, यह तो जब आपने पूछा कि किस तरह से केलकुलेट करते हैं मिनिमम चार्ज, वह बताया है। मैं जब कभी मौका मिलेगा, बिजली पर बहस होगी तब जवाब दूंगा। राजस्थान में अबकी बार भी पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा बिजली दी गयी है और किसान को 6 घंटे से 8 घंटे बिजली दी गयी है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : सभापति महोदय, अगर ज्यादा बिजली दी गयी तो कम से कम आपके सारे आफिसेज में नोट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है वहां कितने घंटे पावर आया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे से आप क्या पूछना चाहते हो वहां का रिकार्ड मंगा करके हम दोनों की देख लेते हैं।

**डा. चन्द्रभान** : कटारिया साहब, यदि बिजली नहीं देते तो इतने हैक्टेयर में बुवाई कैसे होती और फसल कैसे होती और हम एक-एक करके चुनाव क्यों जीत रहे हैं यदि हम बिजली नहीं दे रहे हैं तो?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : वह मैं अभी बताता हूं...(व्यवधान) यह घमंड मत कीजिए। सभापति महोदय, जिसके बारे में बराबर हर समय से एक ही बात आती थी कि भा.ज.पा. के राज में कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी, फलां हो गया और इस घोषणा पत्र में जो शब्द लिखे हैं, थोड़ा इसको पढ़ लें तो अन्दाज लग जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा अपनी तरफ भी झांक लें, दूसरों की तरफ तो आपने बहुत झांकने की कोशिश की। अपनी तरफ झांकें तो थोड़ा अन्दाज लग जाएगा। अन्दर का मन क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सोचें, उसके बाद जवाब दे देना। यहां नहीं दे सकते हो तो बाहर मुझे बता देना कि आपका मन क्या कहता है इस कानून व्यवस्था के बारे में "भा.ज.पा. के आठ साल के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गयी। हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, उत्पीड़न, डकैती, लूट, बलवे, नकबजनी, अपराधों की घटनाएं रोज होती थीं।" आज बंद है? बंद है ना? मतलब कुछ हुआ ही नहीं? मेरे पास सूची है केवल थोड़े से अखबारों की कटिंग की, 243 बलात्कार की सूची मेरे पास है जो मैं आपको बता सकता हूं, जो मैंने कटिंग के आधार पर निकाले 243 बलात्कार।

**श्री रामस्वरूप** : यह तो आप लोगों ने किया वह आये हैं सारे आंकड़े।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : इसके लिए तो धन्यवाद ही दे सकता हूं इनको, और क्या कर सकता हूं, जिस प्रकार की अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यही नहीं, अगर आपको मेरी बात में थोड़ा वजन लगे तो एकान्त में बैठकर इन चीजों को पढ़ने के बाद अपनी इस बाइबल के इस प्रश्न का जवाब स्वयं दे देना तो आपका मन सन्तोष कर जाएगा, नहीं-नहीं, हम बिल्कुल सही हैं, गलत हैं, अगर हमारे कदम भी ठीक नहीं पड़ रहे हैं तो कदमों को ठीक करना हमारा फर्ज है। केवल दूसरों को गाली देकर के अपने पापों से उऋण होने का प्रयास मत कीजिये। हम अपने प्रदेश को और इस लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को सुधारने की बनिहबत अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करेंगे? मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा जितनी लड़कियों का अपहरण होकर के बलात्कार होकर के उनको ले जाया गया, केवल उनके कैसेज को इस सदन के फ्लोर पर रख दीजिये आप। कौन व्यक्ति किस तरह से ले गया और यह अपराधी बहुत पुराने अपराधी है, इनका हमेशा रिकार्ड पुलिस में दर्ज है। मैं आपको बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि अपराधियों के सींग लग गये हैं, आप इसको कण्ट्रोल करो। अपराधी न भा.ज.पा.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का रिश्तेदार है, न आपका रिश्तेदार है। चाहे मेरा भाई भी है उसने गलती की तो उसे जरूर दण्ड दो। आपका और राज का यह धर्म है और धर्म की पालना करोगे तो ये अपराधी दबेंगे लेकिन अगर अपराधियों को छुड़ाने के लिए हमने अपने राज के आश्रय का प्रयोग किया तो परिणाम राजस्थान भुगतेगा, आप और आपका मित्र तो नहीं भुगतेगा। इस प्रकार की स्थिति धीरे-धीरे बनती जा रही है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिये कि कानून व्यवस्था ठीक हो गयी। अगर कानून व्यवस्था ठीक हो गयी तो इतनी हत्याएं, अपराध, इतने पैट्रोल पम्प क्यों लूटे गये?

**श्री जगत सिंह दायमा** : माननीय सदस्य, जो भीनमाल प्रकरण हुआ था उसमें तो आप रोने लग गये थे बलात्कार की बात पर।

**(15.00 बजे)**

**श्री सभापति** : माननीय जगत सिंहजी, विराजें आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : इसमें सरकारी, (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि भाई के ऊपर ऐसी बात हो तो भी हमें नहीं करना चाहिए।

**श्री सभापति** : व्यवधान मत पैदा कीजिए। विराजिये। आपका चान्स आये तब बोलिये। कृपया विराजिये। आप अपनी बात कह चुके, बैठिये आप।

**श्री जगत सिंह दायमा** : मैं कतई उनका पक्षकार नहीं हूं। मैं अब से थोड़ी देर पहले बोला था तो मैं आपके पक्ष में बोला था। आप यह मत सोचना इस बात को कि मैं उनकी वो कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : वह नहीं कह रहे हैं। विराजिये अब।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : सभापति महोदय, उसके बारे में जो भी जांच अब तक आई है उसके तथ्यों को आप देख लें और उसके बाद भी अगर कोई दोषी हो तो उस समय कहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कम से कम इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखता हूं कि कोई गुनाह कर दिया तो मैं गुनाह को ढकने का प्रयास करूंगा। न पहले कभी किया, ना आज करता हूं। पर इस बात के आधार पर आप यह बचने का प्रयास मत करिये कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस सरकार के मन में हर समय अपने वोट को प्राप्त करने की एक ऐसी भूख है और उस भूख के आधार पर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। जब लोक सभा के चुनाव आने वाले थे और अप्रेल में सरकार गिर गई थी उसके बाद आपकी सरकार को एकदम अचानक एक रात सपना आया और सपना आते ही कहा कि सारी कच्ची बस्तियों का नियमन होगा, पट्टा मिलेगा। धूतक चली, सब कच्ची बस्तियों में। कितने दे दिये आपने? संख्या बता देना मुझे केवल इतनी कि आपने उस समय से लेकर अब तक इन कच्ची बस्तियों में कितने पट्टे दे दिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उस गरीब को अपना वोट प्राप्त करने के लिए गुमराह जरूर किया, आपने अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास जरूर किया लेकिन भगवान ने आपको उसकी सजा लोक सभा के चुनाव के समय में दे दी और आपको भी पता है कि आपका क्या हुआ और हमारा क्या हुआ। यह अच्छी प्रकार से आपको पता है लेकिन आपके मन में इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से किसी न किसी तरह से कच्ची बस्ती के नाम से भी कुछ वोट मिले तो शायद 2-4 पर्सेन्ट...

**श्री महेश जोशी** : विधान सभा चुनावों के बारे में बोल दीजिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : वोट हमारे बढ़ जाए इस आधार पर आपने एक खेल खेलने का प्रयास किया लेकिन उसमें आप सफल नहीं हुए। फिर आपके ध्यान में और दूसरी बात आ गई उन्हीं दिनों में, आप ने कहा कि कृषि भूमि का नियमन हो जाएगा। नगर पालिका के चुनाव आये तो एक नया शगूफा छोड़ा उन दिनों में, तरोताजा। क्योंकि आपने देखा ना, कि दो महीने के बाद चुनाव दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ शगूफा छोड़ो, जनता कम से कम उसी के कारण से हमारे साथ लगी रहेगी और हमारा काम निकल जाएगा। आपने कृषि भूमि का नियमन का बहुत लम्बा-चौड़ा किया। कितनी कृषि भूमि का कर लिया सवा साल में? एक-आध तो बताओ कम से कम। कितने हुए, 5-10 हजार 25 हजार। क्या हुए? कुछ नहीं। केवल इसलिए एक और घोषणा उस समय मुख्य मंत्रीजी ने की थी जो मैंने पढ़ी थी वह थी कि 2 लाख कियोस्क बना कर गांवों और शहरों के बरोजगारों को देंगे। 2 लाख कियोस्क। यह 6 तो अभी आई है, थोड़ा पहले वाले अखबार में पढ़ो जब चुनाव आये थे ना, तब आपने घोषणा की थी कि 2 लाख नौजवानों को कियोस्क बनाकर रोजगार उपलब्ध करायेंगे। मिल गया ना? सबको मिल गया 2 लाख को? मतलब अपन मर जाएंगे उस वक्त तक उसको तो देते ही रहेंगे। मतलब भगवान के घर चले जायेंगे तब तक भी देंगे। क्योंकि चुनाव पास में था इसलिए 2 लाख कियोस्क तुरन्त दिखता था। (व्यवधान) 2 लाख कियोस्क।

**श्री सभापति** : शांत रहिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : फिर आप बड़ी वाहवाही लूट रहे हो कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हमने फेल कर दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी हड़ताल का मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था महंगाई भत्ता। उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। मतलब किसी का भी हो, आप में से हर व्यक्ति ने यह बात कही कि महंगाई भत्ता किसी का भी नहीं छीना जा सकता। महंगाई भत्ता जो आपने 64 दिन बाद जाकर के दिया मेरी गारंटी है कि अगर पहले दिन राज्य कर्मचारियों को बुला कर इस बात पर आपकी बातचीत होती तो यह हड़ताल नहीं होती। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। यह हड़ताल केवल इस कारण से हुई। (व्यवधान) हड़ताल का जो यह मुख्य बिन्दु था, मैं सोचता हूं कि जो बात आपने 64 दिन बाद की, पहले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिन आप अपनी मंशा जाहिर कर देते उसके बाद भी वह हड़ताल करते तो बॉल उनके पाले में रहती। (व्यवधान) इस स्थिति में केवल कर्मचारियों का दोष निकाल करके, केवल इसलिए कि 64 दिन की हड़ताल चले, नो वर्क, नो पे का सवाल आये और 64 दिन की जितनी तनख्वाह बचे उससे ही अपनी गरीबी झाड़ लें, यह बेईमानी है। यह मदद नहीं है, यह बेईमानी है। मन में चोर छिपा हुआ है और चोर इस बात के लिए आपको बार-बार कहता है कि कैसे न कैसे अपना काम निकालने का प्रयास करो। यह उचित नहीं होगा। जो भी फैसला करना चाहें, जो भी आप कहना चाहते थे आप अपनी तरफ से अपनी बात कह देते तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने जो सजा भुगती, उसको तनख्वाह मिली या नहीं मिली वह तो उसका परिवार जाने लेकिन राजस्थान की जनता ने 64 दिन में अपने काम के बारे में जो तकलीफें भुगती उसका आकलन कौन करेगा? समस्या का समाधान हो सकता था लेकिन समस्या का समाधान हम चाहते नहीं थे। इस कारण से समस्या को टालते चले गये, टालते चले गये और अब वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैं सोचता हूं यह किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा** (राज्य मंत्री, अल्प बचत) : बोनस नहीं देना चाहते थे, ना दिया और ना सरकार देगी कभी। कभी नहीं देगी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी बात यह कह देते कि हम बोनस नहीं देंगे...

**श्री परसादी लाल** : नहीं देंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : महंगाई भत्ता देंगे अभी हमारी हालत खराब है। हम 8 महीने बाद देंगे, 12 महीने बाद नकद देंगे।

**श्री परसादी लाल** : बोनस तो कभी नहीं देंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : इस बात में भी अगर आप होते तो निश्चित रूप से बोनस राज्य कर्मचारी छोड़ने की स्थिति में था लेकिन हमने इस बात के लिए...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** (ऊर्जा मंत्री) : कटारिया साहब, मुख्य मंत्री जी ने चौथे दिन ही जोधपुर से पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि ज्यों ही हमारी स्थिति सुधरेगी हम महंगाई भत्ता देंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : सुधरेगी तो यही कहते ना 8 महीने बाद सुधरेगी। 64 दिन के बाद आपको अचानक कैसे सपना आया कि स्थिति सुधर जाएगी।

**डा. चन्द्रभान** : चौथे दिन कही थी यह बात। आप खुद कह रहे हो कि महंगाई भत्ते की तरफ आप इशारा कर देते।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 64 दिन बाद कैसे सपना आया कि सुधर गई? हमारी जुलाई में सुधर जाएगी, अप्रेल में सुधर जाएगी, आप यह कहते ना कि 12 महीने बाद सुधरेगी, हम तो 12 महीने बाद दे सकते हैं आपको, पैसे अभी हम आपके जमा कर लेते हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद वह नहीं मानते तो हम उनका गुनाह समझ सकते थे कि उनके मन में कोई गुनाह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

था। लेकिन आपने अपनी बला टालने के लिए उसको मारने का प्रयास जो किया आज सभी माननीय सदस्य तोड़-फोड़... (व्यवधान) अगर हमारे में दम है तो, है तो सही, यह तो मान लो।

**डा. के. सी. चौधरी :** काम चले हैं। आपका दम तो सामने बैठे राज्य...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** हमारे कारण से होता है तो फिर 64 दिन बाद काहे को आये रास्ते पर, पहले ही दिन आ जाते।

**डा. के. सी. चौधरी :** दम और खुराफा में फर्क है, यह खुराफात है यह दम नहीं था...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** सभापति महोदय, आज कल एक बहुत बड़ा अभियान, तोड़-फोड़ का अभियान चल रहा है। सभी माननीय सदस्यों का अवैध निर्माण चाहे मैंने किया, किसी ने भी किया उसको निश्चित रूप से तोड़ा जाए। लेकिन यह सरकार कम से कम यह मंशा लेकर के इस हाउस में आ जाए कि जिसने भी अवैध निर्माण करा रखा है, चाहे कहीं भी हो, उन सबको तोड़ने की हम मंशा रखते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि 2 लाइन तो साफ कर दें और 4 लाइन छोड़ दो अगर राजस्थान में आप इस बात की घोषणा करते हैं...

**श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) :** माननीय कटारियाजी, सदन की तोड़-फोड़ की जिम्मेदारी अभी भी आपके ही पास है। 29 तारीख के लिए आप पूरे तैयार हो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मेरा जो हाउसिंग बोर्ड का मकान है वह भी निश्चित रूप से एक आध फीट आगे पीछे होगा। ऐसा एक भी आदमी कोई बता दें कि जिसका सौ पर्सेन्ट जैसा नक्शा हैं उसके अनुसार मकान बना हुआ है तो मैं मान जाऊंगा। एक भी मकान नक्शे के अनुरूप नहीं है। किसी ने सीढ़ियां निकाली होंगी, किसी ने खुरंजा निकाला होगा, किसी ने 2 फीन बालकनी निकाली होगी, किसी ने क्या निकाला होगा। (व्यवधान) राजस्थान में कई हैं, अपने गांव में भी हैं। गांव में भी हैं ना? तो मेरे गांव के मकान में भी मैंने कहीं न कहीं सीढ़ियां इधर-उधर निकाली होंगी।

**श्री परसादी लाल :** हमारा कोई मकान नहीं है।

**श्री महेश जोशी :** इसका मतलब यह आदतन बात है आपके साथ तो। हमारा तो मकान ही नहीं है अभी।

**डा. के. सी. चौधरी :** जो अतिक्रमण किया उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं क्या?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** ना, कोई जस्टिफाई...(व्यवधान)

**डा. के. सी. चौधरी :** शहर में चलना बन्द हो गया लोगों का, आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं क्या?

**श्री सभापति :** कृपया व्यवधान मत डालिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। माननीय संदस्य, मैं विनम्रता से निवेदन यह कर रहा हूं कि यदि हम वास्तव में इस मंशा के हैं कि जिस किसी ने भी कहीं भी कब्जा किया है, सरकार की भूमि पर किसी ने भी अतिक्रमण किया है, अगर उसको सौ पर्सेन्ट तोड़ने की आपकी मंशा है तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं लेकिन इसमें कोई अन्तर और भेद किया कि 10 दिन चला करके 2-4 मौहल्ले तो कर दिये और उसके बाद आपने कह दिया, हो गया। यह अगर अतिक्रमण है तो फिर गलियों में भी है, लोगों के मकानों में भी है, बस्तियों में भी है और जिन बस्तियों में एग्रीकल्चर लैण्ड पर आज मकान, भवन खड़े हैं ना वह भी कोई बिना अतिक्रमण के नहीं हैं। अब आप में से कौन ऐसा बहादुर आदमी है जो एग्रीकल्चर लैण्ड पर बने हुए मकानों को ध्वस्त करने की बहादुरी रखता है? बता दो किसी की मंशा हो तो आ जाओ।

**श्री परसादी लाल :** सारे ही हैं हम तो। सारी पार्टी है हमारी तो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** यह केवल बातें कहने की अलग होती है। इसलिए हमारा उसमें विरोध था तो केवल इस कारण से था। हमने जो बात कही थी, हमने कहा था कि कम से कम जो जूता पालिस करके अपना पेट भरता है, कोई किसी की साइकिल का पंक्चर निकाल करके एक पेटी रख कर अपना गुजारा करता है, ऐसे लोगों को भी आपने हटाया है, उनको अल्टरनेट जगह देकर के रोजी-रोटी के लायक बना दो ताकि उनके बाल-बच्चे ठीक प्रकार रहें। आपको इस बात का आश्चर्य होगा, मैं अभी कोटा में गया था और कोटा में जब गया तो जहां से आपने सड़क से लोगों को हटाया, लोगों को इसलिये हटाया कि उनकी थड़ियां अवैध कब्जा हैं लेकिन उन्हीं जगहों पर आपने अपने कियोस्क बना दिये। यह क्या उसके साथ बेईमानी नहीं है। जिस जगह से आपने गरीब को हटाया उसी जगह आपने अपना एक कियोस्क रख करके अब आप अलाटमेंट कमेटी बना रहे हैं और वह अलाटमेंट कमेटी नहीं, वह कांग्रेस कमेटी बनायी है। आपका मानस कितना गंदा है यह इस बात से प्रकट हो रहा है। आप उन सब चौराहों पर जिन पर आपने एक गरीब को तो धक्का देकर वहां से हटाया वहां आप अपनी मनचाही कमेटी बना करके अलाट करेंगे। जब नगर पालिकाएं थी, उनका कागज और फाइल आपके हाथ आती थी तो ऊपर नोट लग करके आता था कि आप लोगों को आक्शन करना चाहिये। आक्शन करें कियोस्क आक्शन। मतलब नगर पालिका करे तो वह आक्शन करे और यह सरकार आई तो कियोस्क अलॉटमेंट कमेटी के आधार पर हो और अलॉटमेंट कमेटी में भी वहां का महापौर एक सदस्य है और उसके दो सदस्य कौनसे? कांग्रेस के जो दो-पांच रह गये थे जीतने-हारने में वह उसके मैम्बर। मतलब वह महापौर तो एक और वह दो और, उन लोगों की कमेटी बना करके करेगे क्या यह बेईमानी नहीं है? क्या इसको आप अच्छा मानते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इसका परिणाम...

**डा. के. सी. चौधरी :** अलॉट करना क्या बेईमानी की भाषा में आएगा?

**श्री महेश जोशी** : माननीय कटारियाजी, मैं आपको जयपुर नगर निगम के बारे में बताना चाहता हूं। आप जो जीतने की बात कर रहे हैं ना, जयपुर नगर निगम की जो कमेटियां बनी हैं उसके अन्दर कितने गैर पार्षद लोगों को लिया गया है? भंवर लालजी शर्मा जो बैठे थे अनशन पर तीन दिन से, कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग हुई पुनर्वास के सम्बन्ध में, उस दिन 106 लोगों को यह कियोस्क अलाट हो चुके थे और भंवर लालजी अलाटमेंट के 3 दिन के बाद में बैठ रहे हैं कि पुनर्वास कराओ। यह सरासर धोखा है जनता के साथ में, यह झूठ है, यह फरेब है जो आप लोग करते आये हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह सच है या झूठ है, रिकार्ड पर है।

**श्री महेश जोशी** : रिकार्ड पर है इसीलिये बता रहा हूं। भंवर लालजी बैठे हैं वहां पर, आप भंवर लालजी से पूछिये कि इनके अनशन से कितने दिन पहले मीटिंग हो गयीं थी।

**श्री सभापति** : माननीय उप मुख्य सचेतकजी, व्यवधान मत डालिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : मेरी जो मांग थी उसके बाद तो आपका भी स्टेटमेंट था, श्रीमान्।

**श्री महेश जोशी** : मेरा आपके सम्बन्ध में कोई स्टेटमेंट नहीं था।

**श्री सभापति** : यह वाद-विवाद का समय नहीं है, माननीय उप मुख्य सचेतकजी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं यह चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने हटाया उनको ऐसी जगह बसाएं जहां फिर कभी कोई आ करके उनको उजाड़ने का काम नहीं करे। मतलब आप कम से कम जगह तो ऐसी देखें, अब आपने 50-50 कियोस्क एक जगह बना दिये, अब वहां 50 की बस्ती तो है ही नहीं। वहां उसकी दुकान चलेगी ही नहीं। मतलब आप कुछ शांति से बैठकर समस्या का हल निकालेंगे या केवल उसको झुनझुना पकड़ा करके कह देंगे हमने इतिश्री कर दी। अब वह 50 दुकान में क्या बेचेगा, क्या खायेगा? वहां पर कितने साइकिल के पंचर निकलेंगे, कितनी वहां बाल कटिंग की दुकान होंगी, कितने वहां कोई छोटा-मोटा और कोई काम होगा, कम से कम इतना जरूर रखो कि उसका गुजारा चल सके। नहीं तो आज आप तोड़ जाओगे कल फिर एक लॉरी ले करके बाजार के बीच में फिरता-फिरता भी अपने बच्चों की भूख को मिटायेगा। आप भले ही उसे मार दो, भले ही कितना भी उजाड़ दो, पर वह अपने बच्चों की रात की भूख को देख नहीं सकता है। उसके लिये जितने अपराध कहोगे उतने अपराध वह करेगा। हम अपराध करने के लिये उसे मौका क्यों दें? कम से कम वह अपना पेट भर सके ऐसी कोई जगह देख करके लगायेंगे तो निश्चित रूप से उसका पालन-पोषण होगा।

**श्री परसादी लाल** : जौहरी बाजार के सम्बन्ध में क्या कहना है?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ। किसी को कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एतराज नहीं, किसने ना कहा। कोई एतराज नहीं है।

**श्री परसादी लाल मीणा** : स्वागत करो उसका तो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : स्वागत है। पहले ही स्वागत है। किसने ना कहा। न तो यह जौहरी बाजार है, न कोई यह बड़ा बाजार है, जो भी बाजार अतिक्रमणी है, चाहे वह कोई-सा भी चन्द हो, उस सबको तोड़ते चले जाओ। किसी को एतराज नहीं होगा। दो को तोड़ो और दो को रोक लो, इसमें एतराज हो सकता है। बाकी समानता में किसी को कोई नाराजगी नहीं होती है और जो गरीब आदमी है उसको निश्चित रूप से बसाना चाहिये।

**श्री परसादी लाल** : यह तो अच्छा काम है ना तो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : पता लग जाएगा अच्छा है, वह थोड़े दिन में पता लग जाएगा कि आपकी मंशा कहां थी और क्या होना है। वह बाउजी बाल कितने हैं, कटेंगे जो सब सामने आएंगे। थोड़े दिन में पता लग जाएगा। आपकी मंशा भी पता लग जाएगी और आपका इरादा भी पता लग जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, आज सवेरे से ही जब से भाषण शुरू हुआ और धन्यवाद प्रस्ताव पेश जब से हुआ एक ही बात की बार-बार रट लगायी कि हमको इन चुनावों में भारी जीत मिली। भारी जीत और जीत के नशे में शायद इनको यह अहसास भी नहीं हो रहा है कि हम अपने आंकड़ों को भी थोड़ा-सा टटोल कर देखें कि हम वास्तव में जीते या झेंप मिटाने के लिये स्टेटमेंट से ही जीते जा रहे हैं। यह जो 6 विधान सभा के चुनाव हुए, इसके सारे आंकड़े मेरे पास हैं कि आपको कितने वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले।

**डा. चन्द्रभान** : सीटों की बात करो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : सीटों की बात करूंगा। मैं सब करूंगा। सीटें भी कर दें यानी 7 वोटो से जीती हुई सीट को 11 वोट से हराने का डिक्लेयर करके कोई बहुत बड़ा तुर्रा नहीं मार लिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर ली है। बहुत ज्यादा से नहीं है, केवल 11 वोट के कारण से है। 17 वोट से जीते थे जब पहली काउंटिंग में गिनती हुई तो उसके बाद रिजेक्टेड को निकाल करके, 1800 रिजेक्टेड थे उसमें से उसको लिया। उसके बाद भी अगर कोई निर्णय होगा तो उसको न्यायालय में देखेंगे। यहां तो कोई देखने का मतलब ही नहीं है। हम उसको कोई गलत नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं...

**श्रीमती मधु दाधीच** : कटारियाजी, री-काउंटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी ने भी करायी उसके बाद सीट विजयी डिक्लेयर हुई है। बेईमानी आप लोगों ने की। बेईमानी बी.जे.पी. के लोगों ने की जिसको सामने ईमानदारी से लाया गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह सत्य था कि पहले 7 वोटों से भारतीय जनता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पार्टी जीती थी फर्स्ट राउंड में। फिर गिनती के बाद 11 वोटों से हराया है...

**श्रीमती मधु दाधीच :** बेईमानी से। बेईमानी से जीती थी। उसे री-काउंटिंग द्वारा, जब आपके द्वारा री-काउंटिंग हुई, उसमें स्पष्ट किया गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** चलो, एक सीट तो बराबरी पर हो गयी और...

**श्री सभापति :** प्लीज।

**श्री त्रिलोक पूर्बिया :** हार को हार तो मान लो, माननीय कटारियाजी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** उसके बाद रायसिंहनगर में हम 9800 वोटों से हारे। इसी तरह से आसपुर में हम 5200 वोटों से हारे। मुंडावर में हम 5433 वोट से और आसीन्द में 3800 वोटों से हारे। उसके बाद आपकी जो दुर्दशा हुई सार्दुलपुर में इस राष्ट्रीय पार्टी की...

**डा. चन्द्रभान :** आपकी भी हुई है। आप नहीं बचे वहां।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** हमारी भी हुई है वह थोड़ी ऊपर है। मतलब इस राष्ट्रीय पार्टी को...

**श्री रतन लाल ताम्बी :** नहीं, भारतीय जनता पार्टी अंतर-राष्ट्रीय पार्टी है क्या? आपकी दुर्दशा हुई सार्दुलपुर में तो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** वही बता रहा हूं।

**डा. के. सी. चौधरी :** अंतर्राष्ट्रीय पार्टी विश्व हिंदू परिषद, हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हैं।

**श्री सभापति :** कृपया, सुनिये प्लीज।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** 151 सदस्यों की भारी भरकम पार्टी को केवल 5595 वोट मिले और हमको 14351 वोट मिले। लगभग 8720 वोट आपसे आगे थे और वह सारा मिला करके भारतीय जनता पार्टी...(व्यवधान)

**श्री सभापति :** प्लीज सुनिये।

**डा. चन्द्रभान :** यह आप तीसरे, चौथे नम्बर की लड़ाई की क्यों यहां चर्चा कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** तीसरे, चौथे नहीं, बाई इलेक्टशन का पूरा इतिहास निकाल करके देख लो। बाई इलेक्शन में अधिकतर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जाता है, इस कटु सत्य को भी मानने में कोई गलती नहीं करें।

**डा. चन्द्रभान :** आप यह कहिये कि आप पांच में से दो रह गये और हम एक के तीन हो गये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** हम 5 से आपके 8 के बराबर 40 सीटों पर चले गये। आपकी 153 की भारी भरकम सरकार से कुछ लोगों की अपेक्षाएं जगीं कि शायद इनके साथ रहने से कोई 2-3 साल हमारा भी कुछ होगा इस चक्कर में है, कोई आपकी योग्यता और काबलियत के कारण से नहीं है और उसके बाद भी टोटल वोट में आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

3000 वोटों से हमारे से पीछे हो। कोई कीर्तिमान आपने स्थापित नहीं किया है। झेंप मिटाने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : माननीय कटारिया साहब, इस हाउस में आपकी कितनी गिनती है और हमारी कितनी गिनती है यह जरा बता दीजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : वह तो मुझे पता है। हमारी 30 है।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : और आप जब अपने आपमें सिकुड़कर रह गये तो आप कौनसे तीसमारखां की बात कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यही गलती आपको 84-85 में भी खा गयी थी।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : हां, गलती आपकी है। हमारी तो एक सीट थी जिसमें तीन सीट ले ली। आपकी जितनी सीटें थीं उससे आप कम और आते हो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय सभापति महोदय, यही गलती राजीव गांधी के जमाने में जब लोक सभा में इतनी सीटें मिली कि उनके नानाजी को भी नहीं मिली, माताजी को भी नहीं मिलीं तो इन्होंने सोचा राजीव गांधी की काबलियत से मिल गयी। उस समय हम दो ही थे, लोक सभा में दो ही थे। 84 में लोक सभा में हम रह गये दो और आप इतने आज से पहले कभी नहीं आये और उसके बाद 89 में आपकी क्या दुर्गति हुई, पता है कि नहीं।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : इस पार्टी में मिल कर चल रहे हो और है क्या वहां।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 89 में आपकी क्या दुर्गति हुई? इसलिये इस अभिमान में मत रहो।

**श्री त्रिलोक पूर्बिया** : मंदिर के नाम से जिता दिया, अब जीत कर देख लो।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : क्या हालत कर दी।

**श्री सभापति** : कृपया हर बात पर व्यवधान नहीं किया जाता है। Please have patience. ऐसा नहीं होता।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : इस नगर पालिका का चुनाव...

**श्री जगत सिंह दायमा** : सभापति महोदय, अगर ऐसे ही कार्य और हालात चलते रहे तो दोनों पार्टियों की आगे आने वाले समय में ऐसी ही दुर्गति होगी और जो हमारी तीसरी शक्ति है वह जीतेगी। आ रहा है समय। वह दिन दूर नहीं है। (व्यवधान) आज हंस रहे हो, फिर कल आप सब लोग सिमट कर यहां रह जाओगे और हम लोग वहां बैठेंगे। आ रहा है समय। मनुवादी ताकतों को यहां बिठाऊंगा। आ रहा है समय।

**श्री सभापति** : बिराजिये। बैठिये, दायमा साहब, प्लीज।

**श्री जगत सिंह दायमा** : आप तो हमारे साथी हो।

**श्री सभापति** : कृपया सुनिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं...

**श्री रतन लाल ताम्बी** : आप जम नहीं रहे हो। आज जम नहीं रहे हो।

**श्री जगत सिंह दायमा** : अम्बेडकरवादी होगा, गांधीवादी नहीं होगा।

**श्री सभापति** : अब विराज जाओ, जगत सिंह जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस नगर पालिका के चुनाव में ईमानदारी से आप अपने फिगर्स निकालकर बताइये। टोटल सिम्बल पर भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद जीते थे और कांग्रेस पार्टी के कितने पार्षद जीते थे। अगर उसमें से आपके ज्यादा पार्षद जीते तब तो जनता की भावना आपके साथ है। और अगर ज्यादा पार्षद हमारे जीतकर के आये, हमारे 661 पार्षद आये और आपके 633 ही आये तो इसमें मेरा क्या दोष था। जनता ने आपको रिजेक्ट किया। इसका तो परिणाम वहां सामने था। लेकिन जिसकी सरकार होती है वह जोड़-तोड़ में निर्दलीय को मिलाकर के बनाने में सफल होता है। क्योंकि हमारा भी पिछले समय जब राज था तब 45 में से केवल 14 में ही हमारा बहुमत आया था लेकिन उसके बाद भी हमने 26 अपने चेयरमैन बना दिये। वह एक स्वाभाविक बात है कि जो निर्दलीय होता है वह राज के साथ रहना चाहता है।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : कटारिया जी, आपको क्या खतरा है? आप इस तरह से स्टेटमैंट देकर के अपने आपको जस्टिफाई करो, बात क्या है?

**श्री अमराराम (धोद)** : बिहार में यह आप वाला नियम लागू नहीं होता है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : बिहार में तो नहीं, जहां सरकार होगी वहीं तो होगा।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : बिहार की परम्परा अलवर में भी है। जब आपकी सरकार थी और आपके मैम्बर ज्यादा आये तो सरकार बनायी कांग्रेस ने और जब इनके ज्यादा थे और आपका बोर्ड गठित हो गया। हम तो बिहार हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : वह तो अलवर है। सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, केवल यहीं नहीं, नगर पालिका के चुनाव में भी कांग्रेस को जनता ने रिजैक्ट किया और मैं वोटों के आधार पर बता रहा हूं कि कुल 2414662 वोट पड़े थे उसमें से 849579 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और हमसे 56 हजार कम वोट कांग्रेस को मिले थे अर्थात् 2.34 प्रतिशत वोट नगरपालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिले। हमने 18 चेयरमैन बनाये थे, एक चेयरमैन टॉस में गया था 19, एक राजगढ़ का भी हमारा ही होते हुए, यह सारे मिलाकर के आपने 24 सीटें जीतीं। इतना बड़ा हव्वा बना दिया कि हमने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

यही नहीं, इस पंचायती राज के फिगर्स भी आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहकर आप इस अभिमान में नहीं रह जाएं कि हमने इन चुनावों में बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, इसलिए गाते जाएं। पंचायतों में कुल मिलाकर 5246 वार्ड हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1833 मिले, कांग्रेस को 2523 मिले और निर्दलीयों को 639 मिले और ऐसे मिलाकर के 2723 वार्ड कांग्रेस के खिलाफ में थे और 2523 वार्ड आपके पक्ष में थे। तो आप जीते हुए ही हो ना? जनता ने आपको जिताया ही था। जनता ने आपको आपके सिम्बल पर जिताया था।

**श्री सी.पी. जोशी :** इंटरप्रिटेशन दो आधार पर नहीं करे। जो नगर पालिकाओं का इंटरप्रिटेशन किया वही आधार इसमें रखिये। दो तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं करें। जिस मापदण्ड पर आपने नगर पालिकाओं का एनालेसिस किया है उसी मापदंड पर इसका करिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** उसी के आधार पर है।

**श्री सी.पी. जोशी :** उस पर नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैंने कहा था कि हमारे 661 पार्षद जीते थे, आपके 633 पार्षद जीते। यह संख्या भी मैंने बतायी। मेरे पास टोटल वार्ड की संख्या थी वह भी मैंने बतायी। दोनों का कम्पेरीजन किया है। मैंने केवल एक साइड का नहीं किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता ने...(व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी :** 5246 में से बी.जे.पी. के पक्ष में केवल 1833 थे, यह बात है। यह 639 हैं वह बी.जे.पी. के खिलाफ भी हैं। यह इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं हो सकता है। यह आपके पक्ष में नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** यह आपके पक्ष में नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** इसका मतलब यह हुआ कि 52 प्रतिशत लोगों ने आपको मतदान नहीं किया था, विरोध में मतदान हुआ इसको स्वीकार करेंगे।

**श्री सी. पी. जोशी :** आपने कितने सदस्यों को सिम्बल दिया वह बता दो साथ में फिगर करैक्ट हो जाएगा। आपने कितने सदस्यों को सिम्बल दिया, उसका पर्सेन्ट निकाल लो, करैक्ट हो जाएगा। जितने सिम्बल हमने दिये उसका पर्सेन्टेज ज्यादा है।

**(15.25 बजे)**

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** आपसे भी कम सिम्बल हम दे पाये थे क्योंकि 3-4 पंचायत समितियों में हमारा सिम्बल समय पर नहीं जाने के कारण से बाहर रह गये। तो आपसे हमने कम सिम्बल ही दिये हैं।

**श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :** 1993 में जब आपकी हुकूमत बनी थी उस समय आपने यह फार्मूला क्यों नहीं एप्लाई किया जो आप अब फरमा रहे हैं। माननीय भैरोंसिंह जी ने जो कुछ सिखाया था इस राजस्थान प्रदेश को उसका कहीं न कहीं तो असर आयेगा ही, आप उसको देख लीजिये।

**डा. चन्द्रभान :** हमारे देश में पार्लियामेन्ट्री सिस्टम है और इसमें सीट की बात करें।

(डा. चन्द्रभान)

मैंने हमेशा यह देखा है कि जो हारता है वह पर्सेन्टेज ऑफ वोट की बात करता है। आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब यह निकलता है कि आप लोगों ने हार स्वीकार कर तो ली है फिर भी बहस कर रहे हैं। आपका एनालेसिस सीट पर लायें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हार और जीत का सवाल नहीं है।

**श्री सी. पी. जोशी** : एक मिनट, सर। कटारिया साहब, अच्छा रहेगा...(व्यवधान)

**श्री जगमाल सिंह यादव** : दिल्ली में जब मरकजी सरकार बनी तो आपने भी यही पर्सेन्टेज का कहा था। यह भी यही कर रहे हैं।

**डा. चन्द्रभान** : हारने वाला यही करता है।

**श्री सी. पी. जोशी** : जगमाल सिंह जी, अच्छा पर्सेन्टेज यह रहेगा कि लोक सभा में आपको जितने वोट मिले उसके आधार पर पंचायत समितियों को कंपेयर कर लें तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि लोक सभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो पीक प्रचार था उसके बाद पंचायत में क्या परफारमेंस रही। आपकी दिल्ली में जब सरकार बन गयी थी उसको कंपेयर कर लें तो ज्यादा बैटर रहेगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं उसका भी कम्पेरीजन कर दूं क्योंकि कांग्रेस विधान सभा में 153 सीट जीतकर आयी थी, लोक सभा के चुनाव के पहले कांग्रेस जब विधान सभा के चुनाव हुए तो 153 सीट जीतकर आयी और जब वापस लोक सभा के चुनाव हुए तो 130 एम.एल.ए. कांस्टीट्यूएंसी में हम जीते, यह भी था।

**श्री सी. पी. जोशी** : दो अलग-अलग बात है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : पर्सेन्टेज ऑफ वोट। (व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : पहले वह बतायें आप। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : बिलकुल हम लोगों को...(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : कुल मिलाकर सिटीज की, अरबन सीट में...(व्यवधान) पौने दो-तीन लाख का अंतर है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठिये। आप दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। आगे बढ़ें, आप तो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 43 पर्सेन्ट वोट हमको मिले।

**श्री उपाध्यक्ष** : आगे, आगे, माननीय सदस्य।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं सोचता हूं कि जिसकी सरकार होती है थोड़ा बहुत इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में उनका असर रहता है और इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमारी काबलियत के कारण हमें इतने वोट मिल गये। यह गलतफहमी पालने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

**श्री जुगल काबरा (जोधपुर)** : पहले आपको भी इसी तरह से गलतफहमी थी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : माननीय कटारिया जी, आप बार-बार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गफलत में है। इस बात से आपको तो खुश होना चाहिए। आप इस बात से क्यों पीड़ित हैं कि हम मुगालते में हैं। अब आपको क्यों पीड़ा हो रही है इस बात की कि हम मुगालते में हैं। मुगालते में यदि हम हैं तो हमको रहने दीजिये। आपको क्या है इस बात में।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं आपकी भावना का जरूर ध्यान रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सवेरे भी बहुत चर्चा हुई अकाल के बारे में। मैं इस समय इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज मैं विनम्रता से प्रार्थना जरूर करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से इस सदन से कि इस अकाल की भयंकर विभीषिका को नजरंदाज नहीं करें और इसके लिए जितनी जल्दी जो भी आप साधन जुटा सकते हैं उन साधनों को जुटायें क्योंकि हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहां उनकी रोजी-रोटी की कोई दूसरी व्यवस्था है ही नहीं और उसके कारण से जब वह भूखा मरने की स्थिति में आये तो फिर वह कानून को ध्यान में नहीं रखेगा और यह घटनाएं उस क्षेत्र में कई बार हो चुकी हैं। कम से कम इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटें इसके लिए और चारा पानी मिले। अब गांव में एक हैण्ड पम्प चल रहा है, आप जाकर देखें तो दिन भर जानवरों को पानी और अपने लिये भी पूरा गांव उसी पर झूमता रहता है। यदि वह एक भी खराब हो जाता है तो क्या स्थिति वहां होती है। ऐसे कई गांव हैं जहां 2-2 किलोमीटर जाकर के भी जानवरों को पानी पिलाना पड़ रहा है, आदमी को पानी लाना पड़ रहा है।

आपने एक बात तो राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलाने की कोशिश की कि हमने 500 करोड़ रुपये अकाल पर खर्च किये। वह तो हमने स्वीकृत किये थे उस समय। हम जब गये थे तो हमने अपने काम अक्टूबर में शुरू किये थे और वह अक्टूबर से काम चलते-चलते 15 जुलाई तक काम चले। वह 15 जुलाई तक जो काम चले थे उस पर यह 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आप अपने खाते में दर्ज कराने के लिए लिखकर खुश होना चाहते थे तो आपकी मर्जी है। लेकिन जबसे आपके पास काम मिला है तबसे एक काम भी नहीं चल रहा है। आप किसी भी पंचायत सरपंच से जाकर पूछ लीजिये कि उसके क्षेत्र में जितने भी विकास के काम पहले विभिन्न योजनाओं के तहत किसी भी तरह से आ जाते थे, 5-25 लेबर कम से कम उसके गांव में हमेशा काम करती थी। लेकिन आज की स्थिति में वहां कोई भी काम नहीं कर रहा है।

**श्री कय्यूम खान (मसूदा)** : माननीय सदस्य, चल रहा है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : एक नयी बात आपने और कही कि पंचायती राज में हमने अमेंटमेंट करके अपराधी प्रवृत्ति के लोगों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर रोक लगा दी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा कि राजनैतिक एजीटेशन आप और हम सब करते हैं और उस राजनैतिक एजीटेशन में अगर आप किसी आदमी को बाहर करना चाहें और जिस प्रकार के मुकदमें दर्ज होंगे, क्या आप इसको बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं। कौन आदमी ऐसा होगा जिसके खिलाफ किसी एजीटेशन में कोई धाराएं नहीं लगी हों। कौन आदमी ऐसा होगा जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं बना होगा। अगर इसके आधार पर आप किसी को अपने अधिकारों से वंचित करने की मंशा रखते हो तो आपको मुबारक, मुझे कुछ नहीं कहना और अगर ऐसा नहीं तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई बात ध्यान में रखें। केवल किसी के ऊपर धारा लगा देने से उसको अयोग्य साबित अगर आप करें तो फिर यह एम.एल.ए. और एम.पी. पर भी कर दिया जाए ताकि हम कम से कम उनकी बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे। केवल पंच-सरपंचों के ऊपर ही इसको आजमाइश करने से बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी।

अभी डाक्टर साहब बहुत जोर-जोर से ठोक रहे थे भाषण कि गरीबी की रेखा के नीचे के 23 लाख परिवारों को कार्ड दे दिए गये। डाक्टर साहब ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों को दवाई मिली, रामधर्म से बताओ, सही बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रामधर्म से इन 23 लाख लोगों में से कितने लाख लोगों को दवाई मिली है और गये हैं तो उनको दवाई दी है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : अन्तरात्मा से बताओ (व्यवधान)।

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : अब यह लोग मान रहे हैं कि ये सब एक साथ बीमार हो और सबको दवाई एक साथ दी जाए, ऐसा नहीं होता है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैंने ऐसा प्रारम्भ से निवेदन किया था कि यह जितनी बातें हैं, आसमान के हवाई किले हैं।

**श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री)** : डाक्टर साहब तो अब आपका इलाज करने आ गये। अब आपका इलाज करने हाउस में आ गये हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हमारा ही इलाज कर दो, आपके पास अधिकार है हमारा इलाज करने का, जरूर करो। हमें तो बहुत खुशी होगी कि आप जैसे डाक्टर हमारा इलाज करें। हमको क्या तकलीफ है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक पैरा पढ़ रहा हूं इसका, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप इन 23 लाख परिवारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। इसका अंदाजा आपको इससे लगेगा। "गम्भीर रोगों से ग्रस्त गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष तीन करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष स्थापित किया गया है। इस तरह के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडी-केयर रिलीफ कार्ड योजना प्रारम्भ की है।" अब इन 23 लाख परिवारों में, अर्थात् 23 लाख का मतलब पांच आदमी तो होंगे एक परिवार में, तो एक करोड़ पन्द्रह लाख लोगों में तीन करोड़ रुपये बांटोगे तो तीन रुपये भी नहीं आ सकते। तीन रुपये में वह बीमार ठीक हो जाएगा?

**श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री)** : तीन करोड़ से योजना प्रारम्भ की है।

**श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)** : आप सोच रहे हैं कि सबको देंगे, बीमार होंगे उनको सहायता देंगे (व्यवधान)।

**श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : आप तो सबको एक साथ बीमार कर रहे हैं, एक साथ बीमार पड़ जाएंगे क्या?

**श्री रतन लाल ताम्बी** : बीमार होंगे, उनको देंगे।

**श्री नाथूराम अहारी** : एक साथ बीमार पड़ जाएंगे क्या?

**श्री रतनलाल ताम्बी** : गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित परिवारों को लाभ दिया जाएगा।

**श्री नाथूराम अहारी** : यह आप थोड़ा सोचो तो सही कि सब के सब एक साथ बीमार पड़ जाएंगे क्या? कुछ तो सोचो आप?

**श्री रतन लाल ताम्बी** : सबको बीमार मान रहे हैं क्या? परिवार के पांचों सदस्य एक साथ बीमार हो जाएंगे? कोई तो बात ढंग से करो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : डाक्टर साहब यह कह रहे थे कि 50 लाख रुपये तो हमने जयपुर में केवल हार्ट आपरेशन में काम में लिए हैं। अब इस तरह की बीमारी गरीब आदमी...(व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : आपको तो कोई भी अच्छी योजना अच्छी नहीं लगती है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : नहीं-नहीं, योजना अच्छी है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि योजना अच्छी है, इस योजना के लिए आप...(व्यवधान)

**श्री रतन लाल ताम्बी** : यह योजना आपके राज में शुरू होती तो वाह-वाही करते आप, अब आप आलोचना कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मान लिया। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे गांवों में जहां भी यह कार्ड लेकर जाते हैं, उसे दवाई अस्पतालों में कोई देता नहीं है। उसको खिसका देते हैं। अगर आप बीमार को दवाई देने के लिए पुख्ता इन्तजाम कर दें कि निश्चित रूप से दवाई मिल जाए तो पैसा कितना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह विधान सभा में जिस समय आप रिप्लाई दें, इतनी गारण्टी कर दें कि जिसके पास यह कार्ड है, अगर वह बीमार है तो उसे उस समय जैसी उसकी बीमारी है, उसके अनुरूप दवाई मिल जाए। उसके लिए तो सब लोग धन्यवाद ही करेंगे। आप लोगों ने यह अमाउण्ट रखा है, यह अमाउण्ट नहीं मिल रहा है गांवों में। इसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोग कार्ड ले जाते हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं। यह केवल वाहवाही लेने वाली बात है, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

**श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री)** : यह तो प्रारम्भ करने के लिए है, आगे कोई धन की कमी थोड़े आने वाली है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, आपने जो 12500 राजीव गांधी पाठशालाएं प्रारम्भ की हैं और उसमें जिस प्रकार से आपने चयन किया है, उस पर थोड़ी निगाह डाल लीजिए। जो प्रश्न हम खड़ा कर रहे हैं वह यह है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी दूरी आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, कई विद्यालय ऐसे भी हैं जो कम से कम डेढ़ किलोमीटर का डिस्टेंस पर हैं।

**श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री)** : मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि या तो आप इस फिलोसॉफी को समझ नहीं पाए हैं। इसमें हमने ग्राम पंचायत के चुने हुए सरपंच जो हैं जिसमें हमने पूछा नहीं कि बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है, उसके विज़डम पर छोड़ा है कि ग्राम पंचायत इस बात को मानती है कि उनके यहां स्कूल खुलना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस आधार पर हमने स्कूल खोला है। यह सरकारी ऑर्डर नहीं है। एक किलोमीटर है या डेढ़ किलोमीटर है, आप यह बता दें मुझे कि कितने भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों ने यह लिखकर दिया है कि स्कूल गलत खुले हुए हैं। I will take action. आप उस फिलोसॉफी को नहीं समझना चाहते हैं। आप खाली यह कहना चाहते हैं कि सरकारी ऑर्डर होता है। उस आधार पर नहीं है। हमारी फिलोसॉफी है कि ग्राम पंचायत का जो चुना हुआ सरपंच है, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा है, उसके विवेक के आधार पर छोड़ दिया जाए कि स्कूल कहां खुलनी चाहिए, किस तरह से खुलना चाहिए। इस तरह से फैसला किया है।

**एक माननीय सदस्य** : 40 जठै पढ़वाला हा, बठै स्कूल खोली है। 40 की लिस्ट दी है जणा खोली है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा देख लीजिए, कोई हर्जा नहीं है।

**श्री सी. पी. जोशी** : एक स्कूल भी नहीं है। हम तो एक कदम आगे जा रहे हैं, यदि उस गांव में 10 स्कूल खोलने होंगे तो 10 स्कूल खोलेंगे। एक किलोमीटर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि ग्राम पंचायत यह फैसला कर ले वो स्कूल खोलेंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मेरे हिसाब से आप 10 के बजाय 20 खोलें, मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन कृपा करके एक पंचायत समिति में प्राइमरी स्कूल का हाजिरी रजिस्टर छात्र और पिता के नाम सहित और आपकी राजीव गांधी पाठशाला के बच्चों का हाजिरी रजिस्टर पिता के नाम सहित मंगवाकर देखें। एक पंचायत समिति नहीं होगी...(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : 17000 मास्टरों को इस सरकार ने समायोजित किया है,

(श्री सी.पी. जोशी)

आप कहेंगे तो 17000 और कर देंगे। 17000 नहीं पढ़ाने वाले मास्टर हैं उनको गांवों में भेजने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है, बाकी और करेंगे। आप इस फिलासॉफी को अपनी असफलता क्यों नहीं मानना चाहते? शिक्षा के क्षेत्र में अपनी असफलता को क्यों नहीं मानना चाहते?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मेरे हिसाब से आपके समझने में या मेरे समझाने में कोई फर्क है।

**श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)** : पांच लाख नए लड़के भर्ती हुए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आप यह कह रहे हैं कि आपने...

**श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा)** : राजीव गांधी पाठशाला सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई, यह बीजेपी. को हजम नहीं हो रही है। इसलिए बार-बार बीजेपी. राजीव गांधी पाठशालाओं की बात करती हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने से अगर फायदा हुआ तो बीजेपी. के सरपंचों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ।

**श्री सी. पी. जोशी** : कटारिया साहब, मुझे बहुत खुशी होगी, आप तो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, यदि एक फिगर दे दें कि राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने से राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या में इतनी कमी हुई है। यह बता दीजिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : वही मैं कह रहा हूं।

**श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री)** : माननीय कटारिया साहब, मैं आपको यह बताना चाह रही हूं अपने निजी अनुभव से कि इन पाठशालाओं में बहुत-सी पाठशालाएं ऐसी हैं जहां 40 के बजाय 150 बच्चे हैं, 70-75 बच्चे हैं और दूसरे टीचर की मांग की जा रही है। दो टीचर और चाहिए, एक टीचर और चाहिए, यह मांग की जा रही है। आप क्यों जानबूझकर इतने बड़े महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम को बिलिटिल करना चाहते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मेरी बात शायद आपके समझने में या समझाने में कोई फर्क है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, जहां आवश्यकता है वहां स्कूल खोलो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है पर कई जगह प्राइमरी स्कूल के बच्चों के नाम और उस स्कूल के बच्चों के नाम एक समान हैं और उसके आधार पर जो नामांकन है, कृपा करके एक पंचायत समिति...

**श्री सी. पी. जोशी** : आप मुझे पांच स्कूलों के नाम बता दीजिए। आप खुद बड़ी सादड़ी से विधायक हैं, आप एक प्राइमरी स्कूल का नाम बता दीजिए जहां के बच्चों के नाम राजीव गांधी पाठशाला के रजिस्टर में लिखे हुए हैं। आप बताइए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं आपको पूरी पंचायत समिति की सूची लाकर दूंगा जिसमें उसके पिताजी और बच्चों के नाम मिलते हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : हां, बताइए, आप नाम बताइए पंचायत का।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं लेकर आया हूं।

**श्री सी. पी. जोशी** : यह फिलोसॉफिकल नहीं है, यह आप फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं अभी झालावाड़ पंचायत समिति में गया...(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : भाषण थोड़े देना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री सी.पी. जोशी** : यह तो एक फैक्ट है कि राजस्थान को साक्षर करना है, चाहे आपकी पार्टी सत्ता में रहे, चाहे हमारी पार्टी सत्ता में रहे। आप नहीं कर सकें। हमारा कमिटमेंट है, हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : 40 साल में आप नहीं कर पाये, 8 साल में ये नहीं कर पाये। योजनाएं हमेशा चली हैं, प्रौढ़ शिक्षा के नाम से, अनौपचारिक शिक्षा के नाम से। अभी राजीव गांधी के नाम से, क्योंकि सोनिया गांधी को राजी करना हैं इसलिए नाम किया है बाकी साक्षरता से क्या लेना देना?

**श्री सी. पी. जोशी** : पाठशालाएं खोली हैं उसका है कोई जवाब आपके पास? आठ वर्ष में कितने स्कूल खोले हैं?

**श्री अमराराम (धोद)** : केरल हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर साक्षरता में है।

**श्री सी. पी. जोशी** : धोद में कितनी है?

**श्री अमराराम (धोद)** : दुनिया भर में हम 120 करोड़ हैं, वहां सम्पूर्ण साक्षरता है।

**श्री सी. पी. जोशी** : अमरारामजी, धोद में क्या स्थिति है? धोद में हमने कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं? यह नहीं कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने यह काम किया है।

**श्री अमराराम (धोद)** : मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात छोड़िये आप। आपने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी राजनीति की है शायद किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की। ये 45 विधायक विरोध में है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री सी. पी. जोशी** : हमने आठ-आठ स्कूल खोले हैं। (व्यवधान) 25 स्कूल खोलेंगे।

**श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री)** : यदि शिक्षा प्रसार राजनीति है तो यह हमारा दायित्व है कि हम इसको करें।

**श्री सी. पी. जोशी** : पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर स्कूल खोले हैं, हमने नहीं पूछा कि बीजेपी. का है या कम्युनिस्ट पार्टी का है। माननीय कामरेड साहब, हमने यह नहीं पूछा कि यह किस पार्टी का आदमी है।

**श्री रतन लाल ताम्बी** : ग्राम सभा और पंचायत ने मिलाकर खोली हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं की है।

**श्री अमराराम (धोद)** : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता और शिक्षा को राजनीति से मत जोड़िए, इसको आगे बढ़ाइए।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने गलतबयानी की है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलेंगे ना इस डिबेट में? आप इस डिबेट में बोलेंगे या नहीं?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : गलतबयानी इसलिए की है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 स्कूल खोले हैं। कौन कहता है कि 45 विधान सभा सदस्य, जो विरोध के हैं उनके यहां स्कूल नहीं खोले। हमारे कांग्रेस से भी ज्यादा खोले हैं इसलिए कोई पक्षपात नहीं है।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य यह कह रहे हैं बच्चे नहीं आ रहे हैं, जयपुर जैसे जिले में जहां एजूकेशन का काफी प्रचार-प्रसार है और मेरे क्षेत्र में, जहां स्कूलों की बहुत अच्छी तादाद है वहां भी आज जहां जाते हैं वहां ढाणियों में मांग हो रही है कि हमारे यहां स्कूल खोलो। मैंने 20 ढाणियों की, गांवों की अभी भी सूची दे रखी है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं और विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, सरासर इस कार्यक्रम को नलीफाई करने की आप कोशिश कर रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर** : मैंने अटरू में विद्यालयों की मांग की है। (व्यवधान) 1200 रुपये माहवारी में लगाया है। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : लेकिन यह हरगिज नहीं होगा। यह कार्यक्रम और बढ़ेगा और इसका असर होगा और राजस्थान साक्षरता के मिशन में अग्रणी होगा।

**श्री मदन दिलावर** : आप क्या लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हो, बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हो? आप तो विद्वान बनना चाहते हो और उनको बैकवर्ड रखना चाहते हो।

**श्रीमती कमला** : आपके कहने से इसमें कोई कमी नहीं होगी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और मैं स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, एक बार फिर इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, यह आपने समानीकरण के नाम पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सारे बच्चों की संख्या गिनकर 49 के आधार पर जो एक अध्यापक दिया है इससे छठी, सातवीं व आठवीं के बच्चों का भविष्य खराब होगा, क्योंकि आप टोटली उस संख्या के आधार पर 4 या 5 अध्यापक दे पायेंगे। सब्जेक्ट के आधार पर उन बच्चों का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होगा। कम से कम छठी, सातवीं और आठवीं में चाहे बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं, आप निश्चित रूप से एक क्लास के लिए एक अध्यापक देंगे तब तो उन बच्चों का ठीक प्रकार से आप निर्माण कर पायेंगे नहीं। आप पहली से लेकर आठवीं तक की संख्या को काउंट करके 49 का भाग देकर अध्यापकों की संख्या तय करेंगे। यह हो सकता है सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी में यह अपनाएंगे तो इसमें तकलीफ नहीं पड़ेगी, लेकिन छोटी कक्षाओं में यह अनुपात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाया है इसको फिर से घटाएं। आप और हम भी इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा करनी है तो हमारे बच्चों की संख्या 30 के आधार पर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक होगा। सैकण्डरी में आप 50 के बाद भी देंगे तो भी चल जाएगा लेकिन नीचे की कक्षाओं में नहीं चलेगा। इसलिए इस समानीकरण को ध्यान में रखकर फिर से इस बारे में विचार करें कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा में छठी, सातवीं, आठवीं, तीन क्लासेज के लिए तीन अध्यापक और पहली से पांचवीं के टोटल बच्चों की संख्या के आधार पर जो 49 का आपका नियम है उसके आधार पर अगर संख्या तय करेंगे तो शिक्षा विभाग में और इस राजस्थान की शिक्षा में सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है जहां शिक्षा का स्तर अच्छा बनना चाहिए वहां बन नहीं सकता। इस बात के लिए बार-बार प्रयास करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला।

मेरी आपसे एक और विनम्र प्रार्थना है, अगर वास्तव में बच्चों की एजूकेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो छठी, सातवीं, आठवीं में भी एक थर्ड ग्रेड का विषय अध्यापक गणित का, अंग्रेजी का और हिन्दी का आप जरूर लगाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों का स्तर नीचे से ठीक बनकर आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से शिक्षा अच्छी प्रकार से हो सकेगी। इस विषय पर आप फिर से विचार कर लें।

इसी तरह से आपने वृक्षारोपण के बारे में भी राज्यपाल महोदय से अपनी बात को कहलाया है। "राज्य में विद्यमान जलवायु की विषम परिस्थितियों तथा चराई के दबाव के बावजूद उपग्रह से प्राप्त चित्रों एवं सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार गत दो वर्षों में 518 वर्ग किमी. की वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें तीन लगातार द्विवार्षिक सर्वे में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होना आंका गया है।" कम से कम इसके लिए आपको धन्यवाद कि पिछली सरकार की कोई एक अच्छी बात हुई दो साल की तो आपने यहां लिखने की कृपा की। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मतलब हम लोगों ने कोई काम अच्छा किया ही नहीं, आपकी इस सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक बात शायद आपने स्वीकार कर ली।

एक और अंतिम निवेदन मैं आपसे करना चाह रहा हूं। करगिल के लिए राज्य कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दिया। मेरा रफली अनुमान यह है कि एक दिन के वेतन में लगभग 22 करोड़ रुपये राजस्थान का बनता है। अगर मेरा मोटा-मोटा अनुमान सही है तो इस 22 करोड़ में से आपने कितना तो करगिल के शहीदों को दी है और कितना नहीं दी है। इस पैसे का क्या हिसाब-किताब है, कृपा करके जब जवाब दें तो इसका जरूर जवाब दें। आपने बड़ा कीर्तिमान साबित करने के लिए कि यह किया, सम्मान किया, यह तो केन्द्र सरकार की पहली बार एक ऐसी पॉलिसी बनी है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिसके कारण उस सैनिक का उसके घर में दाह-संस्कार होने के लिए उसकी लाश यहां आ गयी जिसके कारण से लोगों में एक सहानुभूति की भावना पैदा हुई वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यू.पी. के अंदर कोई सैनिक मरता है तो उसे 10 लाख मिलता है, राजस्थान में मरता है तो 5 लाख मिलता है, हरियाणा में मरता है तो 10 लाख। आप कम से कम यह अंतर नहीं रखें। केन्द्र सरकार से बात करके कोई न कोई समानता लाएं जिसके कारण से यह असमानता नहीं रहे ताकि हमारे यहां उस सैनिक...

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : जो जमीन दे रहे हैं उसकी वैल्युएशन तो निकालिए। और प्रान्त जमीन नहीं दे रहे हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : जमीन का एक लाख रुपया।

**श्रीमती कमला** : एक लाख ही हुआ एक मुरब्बे का?

**श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक)** : 5 लाख का मकान दे रहे हैं, जमीन की कीमत एक लाख है।

**श्रीमती कमला** : क्या बात कर रहे हैं, आपको ध्यान तो अच्छी तरह से है?

**श्री देवीसिंह भाटी** : एक लाख रुपये है जमीन की कीमत।

**श्रीमती कमला** : एक मुरब्बे का एक लाख?

**श्री देवीसिंह भाटी** : यस, एक लाख।

**श्रीमती कमला** : क्या बात कर रहे हो। जानते-बूझते क्यों गलतबयानी कर रहे हो?

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपको पता ही नहीं है, आपके पास विभाग है और आपको पता नहीं है सामान्य आबंटन में एक लाख रुपये में हम देते हैं एक मुरब्बा, 25 बीघा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं तो इसलिए इसमें जोड़ना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि करगिल के जो शहीद हुए उसके कोष में जो पैसे जमा हुए इसका कहां उपयोग हो रहा है। इस पैसे को किस प्रकार से लोगों ने जिस भावना के तहत पैसा दिया, अभी तक लोगों को रसीदें तक नहीं दी हैं। उस पैसे को जिस प्रकार से उन शहीदों के परिवारों को देना चाहिए था...

**श्री उपाध्यक्ष** : यही तो कहा इन्होंने।

**श्री देवीसिंह भाटी** : नहीं, यह नहीं दिया है। यह दिया नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्यों रिपीट कर रहे हैं। यही कहा है इन्होंने।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह तो एक सुझाव दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ये सुझाव दें तो बोलने दो ना इनको।

**डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री)** : नहीं, सबको पैसा दे दिया है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस रेश्यो में आपने शहीद परिवारों को नहीं दिया है।

**डा. चन्द्रभान** : वह तो मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा है। कटारिया साहब, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यह करगिल के शहीदों के संदर्भ में राजस्थान सरकार का जो पैकेज है इसकी न केवल केन्द्र सरकार ने सराहना की है बल्कि पूरे देश भर में सराहना की गई है। आपको यहां सराहना करनी चाहिए सदन में।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मेरा पैकेज के संबंध में कोई आर्ग्युमेंट नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह इश्यू ही नहीं है।

**डा. चन्द्रभान** : पैकेज को टोटल देखें। टोटेलिटी में देखें पूरे पैकेज को। जो-जो सुविधाएं दी गई हैं केवल आप रुपये और जमीन की बात मत कीजिए। टोटेलिटी में देखिए कि किस तरह का पैकेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान की गरीब जनता सारी की सारी 6 करोड़ इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है कि पैकेज समझ जाए।

**डा. चन्द्रभान** : सब समझते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अगर समझती है तो आप इनमें से पूछ लो कि पैकेज क्या है। अपन यहां बैठे हैं पूछ लो कि पैकेज क्या है। सब लोग जानते हैं क्या पैकेज है?

**डा. चन्द्रभान** : ऐसा है, कटारिया साहब, जितने भी हमारे स्टेट के न्यूज पेपर्स हैं सबमें इसको दिया गया है और अबकी बार मुझे खुशी है कि करगिल की लड़ाई से तो देश को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और गांव-गांव में सरकार पहुंची है। मैं केवल सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूं, समाज की ओर से बड़ा समर्थन मिला और सब लोगों ने शहीदों का सम्मान किया है और सब लोगों को यह पता है कि यह पैकेज क्या है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : पैकेज के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात को समझते नहीं, अलग-अलग सरकार, अलग-अलग प्रकार की जो सहायता करती है उससे मन की भावना लोगों की यह बनती है यहां कम से कम और यहां ज्यादा है। कोशिश करें केन्द्र में इस बात को कि सब जगह समानता अगर आ सके तो आप अपनी तरफ से कोई सुझाव उनको भेजें तो हमारे यहां के लोगों के मन में यह गलतफहमी न आए कि एक स्टेट में इतना मिलता है और हमारे स्टेट में इतना मिलता है। मैंने यही बात कही थी, बात को आपने समझने की कोशिश नहीं की।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कटारिया जी, आपकी पार्टी के दो घण्टे हैं, इस पर आप विचार करें। (व्यवधान) आप लोग नहीं बोलेंगे क्या?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत समय तो मेरा आपस की बातचीत में निकल गया, उसमें मेरा दोष नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़ाया इसमें सारी बातें ऊपर-ऊपर से बतायी हैं, वास्तव में आप क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो उसकी यह उपलब्धियां नहीं हैं। यह मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत इत्मीनान के साथ कह रहा हूं और बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, जैसा कहा गया अगर वैसा फील्ड में है, आज की तारीख में किसी भी प्रकार का विकास का कोई काम ही नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, राजस्थान के किसी अनपढ़ के अनपढ़ आदमी से पूछ लो, आज की तारीख में पंचायत में रहने वाले किसी व्यक्ति को यहां बुलाकर पूछ लो कि उसके गांव में इन 15-13 महीनों में क्या विकास हुआ। इस तरह की बातें कहकर अपने आपको भले ही संतुष्ट कर लें लेकिन राजस्थान की जनता को इस बात का अहसास है कि इन 15 महीनों में केवल बार-बार यह कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमें आज दिन तक समझ नहीं आया, जब पैसा नहीं है तो एक पैराग्राफ पूरा पैसे का हिसाब ही रख दो कि आपने बजट बनाया उस समय यह तो था और यह उसमें से बीच में ही लीकेज हो गया और उसके कारण से आपके पास पैसे की कमी हो गई। क्या इतना भी राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इस सदन को और राजस्थान की जनता को बताने के लिए आपकी मानसिकता नहीं है। हम आपसे और कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, आपकी मजबूरी के कारण से आप हर बात पर कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपको कोई हैण्ड पम्प सुधारने के लिए किसी आफिस में भी बात करें वहीं कहते हैं, पैसा ही नहीं है। जिसके पास जाइये एक ही शब्द रट लिया, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। कम से कम इस भाषा को नीचे तक बंद कराइये और विकास के कामों को शुरू कराइये जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसलिए यह केवल ऊपरी बात कहने के कारण से मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री अमीन खां।

**श्री अमीन खान (शिव)** : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल इस सदन में कृपा कर, पधार कर जो अपना अभिभाषण दिया, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और उसका समर्थन बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अधिक कृपा कर चालू वर्ष के जो हालात है इस सदन को और राज्य की जनता को बताये, वह बहुत ही सराहनीय है। कांग्रेस सरकार जिस वक्त और जिस हालात में यहां आयी उस वक्त राज्य की स्थिति बड़ी गम्भीर थी। राजस्थान में उस समय भी भयंकर अकाल था और उस अकाल में केन्द्र की सरकार से मात्र 21 करोड़ रुपये की सहायता मिलने के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो भी उस गम्भीर और खराब हालात को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए करीब पांच सौ करोड़

(श्री अमीन खान)

रुपये खर्च करके राजस्थान के ग्रामीण लोगों को, पीड़ित लोगों को सहायता दी जिससे राजस्थान की धरती पर एक भी आदमी भूख-प्यास की वजह से नहीं मरा और लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान में इस साल भी भयंकर अकाल है और पहले ज्यादा अकाल है। केन्द्र सरकार का अध्ययन दल भी लेट आया परन्तु उस अध्ययन दल की रिपोर्ट के बावजूद भी भारत सरकार ने अभी तक आंख मींच रखी है। यह राजस्थान राज्य के साथ और राजस्थान के दुखी, पीड़ित और गरीब लोगों के साथ ज्यादती है, अन्याय है। फिर भी हमारी सरकार ने राजस्थान में गांव-गांव और प्रत्येक पंचायत में इसी महीने में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये हैं और प्रत्येक पंचायत में 2 से 5 तक जो दुकानें बनाने का राज्य सरकार ने आदेश दिया है वह ग्रामीण इलाके की पंचायतों की निजी आमदनी का अच्छा एक साधन है और इससे लोगों को स्थानीय रोजगार और गरीब चयनित परिवारों को दुकान मिलेगी जिससे काफी लोग रोजगार पर लगेंगे।

इसके अलावा, पिछले साल राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं जो खोली गयीं इसकी यहां काफी विद्वान, मेरे ख्याल से अनजाने में गिला कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में करीब पांच लाख बच्चे प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा निरक्षर लोग हैं और इस निरक्षतरा को मिटाने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य को राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाए सबसे बड़ा सपोर्ट करती हैं। ढाणी में दूर जहां रास्ता नहीं है ऐसी जगह गरीबों के बच्चे, लोकल बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जिससे वास्तव में लोग साक्षर होंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस चालू वर्ष में राजस्थान में करीब एक हजार मिडल स्कूल खोले गये, करीब 190 हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये और करीब 400 सैकण्डरी स्कूल खोले गये। स्थिति नाजुक होने के उपरान्त भी इस सरकार ने गरीबों के सामने कोई कमजोरी नहीं बतायी है।

पेयजल योजनाओं के बारे में कहना चाहूंगा, अभी तक जितनी भी योजनाएं स्वीकृत की गयीं उसमें पैसे की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।

पिछड़ी जाति जो भेड़ चराने वाली जाति है, और सदियों से जो दबी हुई जातियां हैं उनको अन्य पिछड़ा वर्ण में शामिल करके राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक बहुत ही अच्छा काम किया जिसके लिए हम उनको बार-बार धन्यवाद देते हैं। जैसे यह विश्नोई, कायमखानी, मेव, सिंधी मुसलमान और जाट हैं, इन लोगों को पिछड़ापन में वास्तव में अब लाभ मिलेगा। पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं उनमें हकीकत में इन लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस साल अकाल में हालात नाजुक हैं और इस अकाल मे लोगों को बचाने के लिए पक्ष या विपक्ष को राजनीति न मानकर एक मानव का दृष्टिकोण अपनाय

(श्री अमीन खान)

जाए। जिस एरिया में हकीकत में नाजुक हालात हैं, डबल क्राप्स एरिया नहीं है या नहर, कुएं या सिंचित क्षेत्र नहीं है उस एरिया में अकाल राहत कार्य ग्रेवल रोड इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा खोला जाए। ग्रेवल रोड जो है, यह मारवाड़ के गांवों में तो हमने देखा इन डामर सड़कों से भी ज्यादा अच्छा काम हुआ क्योंकि ग्रेवल सड़कों से लोगों को राहत मिलती है। उस पर सामग्री का पेमेंट राज्य सरकार को कुछ ज्यादा करना पड़ता है, मैंने ऐसा सुना है कलेक्टरों के द्वारा कि 25 पर्सेंट सामग्री की अभी स्वीकृति भी जारी की है, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन जहां रेगिस्तान है उसमें सामग्री की कुछ राशि ज्यादा बढ़ायी जाए तो लोगों को वक्त पर राहत मिलेगी।

इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा, बिजली के मामले में हालात नाजुक हैं। पेयजल योजनाओं के लिए जहां वाटर वर्क्स ने अपना पैसा जमा करा रखा है और वाटर वर्क्स के पैसों से जहां लाइनें और कनेक्शन दिये गये हैं उन्हीं लाइनों से कृषि कनेक्शन भी दिये गये हैं जिससे जलदाय योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी डिजाइनिंग, के अनुसार जितना टाइम है, उतने टाइम बिजली नहीं मिल रही है। जहां कम से कम 20 घंटे की इनकी स्कीमें की डिजाइन हैं वहां मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली मिलती है इसलिए जो कमीशन गांव हैं उन कमीशन गांवों को, टेल एण्ड के गांवों को पानी नहीं पहुंचता है। लिहाजा मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से निवेदन है कि बिजली मंत्री को इस मामले में बाजाहता इंतजाम करना चाहिए कि जो कृषि कनेक्शन हैं उनकी अलग व्यवस्था हो और जलदाय विभाग की योजनाओं का बिजली का कनेक्शन सैपरेट हो।

इसके साथ-साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नागौर के लोगों ने थोड़ी देर पहले एक मामला उठाया था वह बिल्कुल सच है। कुछ लोग अपनी जाति और मजहब के मामले पर एक-दूसरे के वाद-विवाद में पड़ जाते हैं, कुछ लोग पार्टी के हिसाब से एक-दूसरे का विरोध करते हैं। पशु गरीब लोगों के गुजारे का साधन है। हमारे इलाके में मारवाड़ के इलाके में हर जाति के लोगों का पशुओं को गुजरात में ले जाने का, पंजाब में ले जाने का, यू.पी. में ले जाने का धंधा चल रहा है। काफी तादाद में लोगों का कई पीढ़ियों से गुजारा इस बात पर चल रहा है। अब यह गौ-वध एक्ट लागू होने से और कुछ मुखालफ्त करने से काफी लोगों ने भय से इस धंधे को छोड़ दिया। काफी लोग उसमें फंस गये जो जेलों में चले गये। अब जैसे

(16.00 बजे)

कहते हैं कि तीन साल का बछड़ा राजस्थान से बाहर न भेजा जाए। कटारियाजी, जो आदमी भूखा है और अकाल पड़ गया तो वह तीन साल बछड़ा घर में नहीं रख सकता। एक बछड़े को साल भर तक बचाने के लिए पांच हजार रुपये चाहिए। पांच हजार रुपये हों तो एक बैल बचता है और पांच हजार रुपये की बाजरी उस घर के पूरे परिवार को बचाती है तो वह उस बछड़े

(श्री अमीन खान)

को छोड़ देता है। जैसे यह नील-गाय है, इनकी आम किसानों में शिकायत है कि नील गाय का कोई धणी-धोरी नहीं है। इसी प्रकार से ये बैल बाहर जाने से रोकने से और यह एक्ट लागू होने से चाहे अकाल हो, चाहे जमाना बढ़िया हो, गाय को लोगों ने एक फालतू जानवर अपने मन में घोषित कर दिया है। सिवाय दूध पीने के अलावा चाहे वह मादा गाय हो, चाहे अच्छा बैल हो, उसका पैसा मिलता नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया है और एक दिन यह मुसीबत ऐसी खड़ी हो जाएगी कि किसानों के खेतों को बचाना मुश्किल हो जाएगा।

मैं ज्यादा न कह कर राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव सहर्ष पारित किया जाए, यही बात कह कर राज्य सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।**

**श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन में पधारे और कांग्रेस सरकार की रीति-नीति, शासन चलाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो नीतिगत अभिभाषण दिया, उसके बारे में भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से करीब डेढ़ साल पहले इस राजस्थान प्रदेश की महान् जनता ने कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए जो मेण्डेट दिया, वह एक अभूतपूर्व मेण्डेट था और राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी को जन-समर्थन मिला हो, इसका उदाहरण नहीं है। लेकिन जब सरकार बनी और देखा कि आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की इतनी खराब हो चुकी है और वह आर्थिक स्थिति अपने आप खराब नहीं हुई, क्योंकि उससे पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी रीति-नीतियों के कारण इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होकर रह गयी, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश की महान् जनता के सामने इस प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, उसके लिए श्वेत पत्र जारी किया और इसी पवित्र प्रांगण में उस पर विचार-विमर्श हुआ और सारे प्रदेश को बताया। हकीकत है, बहुत विकट स्थिति थी लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से बतायी। बार-बार प्रतिपक्ष की तरफ से यह बात आती है कि आप अपनी जेब खाली होने की बात कहते हैं। इनको बहुत पीड़ा होती है इस बात की जब असली स्थिति की बात की जाती है।

अभी माननीय कटारियां जी बार-बार नेम-धर्म की बात कर रहे थे। अगर नेम-धर्म कहीं है तो वह अपनी आत्मा में आत्म-चिन्तन करें कि राजस्थान प्रदेश को इस स्थिति में लाने में उनकी सरकार की, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी भूमिका बहुत अहम है। उन गलतियों का आप आत्म-चिन्तन कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गलत नीतियों के कारण यह स्थिति खराब हुई। सरकार को उन स्थितियों को भी सुधारना है। जैसी इस प्रदेश की भौगोलिक बनावट है, बहुत विचित्र बनावट है, एक तरफ अतिवृष्टि है, बाढ़ आ

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रही है और दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश के अन्दर अकाल पड़ रहे हैं, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर जो परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं उनसे जूझने के लिए सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अकाल से भी निपटने की योजनाएं बनायीं सरकारी अमला, जिसको छूट दी गयी थी कि वह चाहे काम करे या नहीं करें, अपनी जिम्मेदारी समझे या न समझे, जाते-जाते पांचवें वेतन आयोग की उनकी मांग को मंजूरी देकर इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को तुल्ली लगायी गयी। लेकिन उसके दूसरे हिस्से को कहीं अमलीजामा नहीं पहनाया गया। राजस्थान प्रदेश की महान् जनता अपने खून-पसीने की कमाई का एक-एक पैसा एक्सचेकर में देती है उसे उसके विकास की योजनाओं में खर्च किया जा सके अब वह केवल राज्य कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए चला जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की बनावट को देखते हुए इस राजस्थान के अन्न भण्डार कहे जाने वाले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत बड़ा भू-भाग, जो इस प्रदेश के लिए अन्न पैदा करता था, वाटर लॉगिंग से तबाह हो गया। सात हजार परिवार रोजी-रोटी के लिए तड़फने लग गये।

अभी अतिक्रमण की बात हो रही थी और बड़े संवेदनशील होकर यह कहा जा रहा था कि गरीबों की थड़ियां उजाड़ दीं। श्रीमान्, मैं उन सज्जनों से पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब इसी जयपुर की थड़ियों पर रहते हैं? इस प्रदेश में जयपुर के अलावा और कहीं पर कोई गरीब नहीं हैं? ये लोग भूल गये कि जब राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया, जागीरदारी और बिस्वेदारी प्रथा को खतम किया गया तो उस वक्त उन जागीरदारों और बिस्वेदारों को गंगानगर जिले में पुनर्वास के लिए जमीनें दी गयीं, गंगानगर जिले और हनुमानगढ़, जिले के काश्तकार ने कतई उसका विरोध नहीं किया। गाड़िया लुहारों का पुनर्वास किया गया तो गंगानगर जिले के अन्दर जमीन दी गयी। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको गंगानगर जिले में जमीन दी गयी। पोंग बांध के लोग जिन्होंने इस राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए अपनी जमीन दी थी, उनका भी पुनर्वास गंगानगर जिले में किया गया लेकिन गंगानगर जिले के लोगों ने उफ तक नहीं की कि इनको यह क्योंकि दी जा रही है। उसी जगह के ऊपर में इन लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि 54000 भूमिहीन किसान जिनको राजस्थान की सरकार ने सक्षम घोषित कर रखा है कि वे भूमि पाने के पात्र हैं, उनको एक बिस्वा जमीन देने की हां तक नहीं की। वे गरीब हैं, रोजी-रोटी के लिए तड़प रहे हैं, ये गरीबों की चिंता करने वाले मेरे ख्याल से अपने आपको संवेदनशील नहीं कह सकते। आज इच्छा शक्ति है इस कांग्रेस सरकार की, इसने कदम उठाये हैं इसलिए धन्यवाद की पात्र हैं।

शिक्षा के लिए अभी समानीकरण की और राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

की बात की थी, उनकी आलोचना की जा रही थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी योजना है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि जो दूर-दराज के, ढाणियों के अन्दर लोग आबाद थे, जिनके बच्चों की स्कूली शिक्षा मुहैया नहीं हो सकती थी, यह पहला मौका है जब इस संवेदनशील सरकार ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा और उनको यह सुविधा मुहैया की। (व्यवधान) नजरे इनायत फरमाई है सरकार ने। यह आप जानिये, यह आपकी सभ्यता का सवाल है, हमारे यहां नहीं है। यह आपके यहां है, दायमा जी।

श्रीमान् जिनका वाटर लागिंग और सेम से पूरा इलाका तबाह हो गया, गांव के गांव बरबाद हो गये, ढाणियां बची हुई हैं, उस जगह पर जाकर जिन्होंने अपने आवास बनाये उनके घर तक शिक्षा पहुंचाई। यह सरकार वास्तव में धन्यवाद की पात्र है और ऐसी रीति-नीति सरकार की रहनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई और वह बात बिलकुल सही है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बाई वे आफ इलेक्शन और पीपल्स रिप्रजेंटेटिव बाई वे आफ अपाइंटमेंट दोनों सरकार के अंग हैं और जहां ईमानदारी की बात हो रही थी, मैं उन मेरे माननीय सदस्यों को यह पूछना चाहूंगा कि ईमानदारी की हम मुंह से बात कहते हैं पर जहां व्यावहारिक आचरण में ईमानदारी का सवाल आता है, हम शायद उस समय इस बात को भूल जाते हैं, मैं मोमेवाले का जिक्र करना चाहता हूं कि अनूपगढ़ तहसील और घड़साला तहसील में 300 बीघा जमीन जो इस राजस्थान प्रदेश की महान् जनता की करोड़ों की सम्पत्ति थी उसको ईमानदारी बरतने वाले लोगों ने किस तरीके से हड़पा है। वह अपनी अंतरात्मा में झांककर देख लें। बीकानेर के अन्दर बसंत विहार जो राजस्थान की महान् जनता की सम्पत्ति थी उसका किस तरीके से फर्जीकारी करके हड़पा गया। तत्कालीन सरकार थी और उनकी मुकदमेबाजी हुई और छिछालेदार हुई और इन हरकतों को देखकर कर्मचारियों ने और प्रशासन में बैठे हुए उच्च पदपति, प्रशासनिक अधिकारियों के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। उपाध्यक्ष महोदय, पहला मौका है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह अपनी इच्छा शक्ति बताई कि यहां जंगल राज नहीं रहेगा, कानून राज रहेगा।

माननीय सदस्य जयपुर के बरामदों की बात करते हैं। आप जयपुर में क्यों बिराजे हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर देखिये, क्या फिजां बनी हुई है। दूर-दराज के कस्बों में, पूरे राजस्थान के अन्दर जब अतिक्रमियों को यह पता लग गया कि हमने राज के एग्जिस्टेंस की डिनाई कर दी थी। हम लोग इस भारत के संविधान की शपथ लेकर के यहां इस सदन में बिराजे हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी थी। यह सरकार ने गारंटी दी थी कि यह सरकार, इस देश के नागरिकों की जान और माल की रक्षा करेगी लेकिन जो सवाल पैदा हो गया था कि सरकार की जो सम्पत्ति थी उसमें भी लोग आकर काबिज होने लग गये थे, पहला मौका है

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

जब सरकार ने यह इच्छा जाहिर करके यह बता दिया कि राज की सम्पत्ति के ऊपर कब्जा करने वालों के साथ क्या व्यवहार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से कस्बे पीलीबंगा की बात बताना चाहता हूं। 100 बीघा जमीन मंडी प्रांगण की, जिसके ऊपर असामाजिक तत्वों ने कब्जा ही नहीं कर लिया, एक छावनी बना ली थी और वहां ट्यूब वैल लगाकर के फीडर के ऊपर कुंडिया डाल-डाल के राज को हर स्तर पर जवाब दिया गया, पूर्ववर्ती सरकार की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उन बदमाशों से टक्कर लेकर राज की सम्पत्ति को मुक्त कराये। जब इस सरकार ने प्रशासन को हिदायत दी कि यह जगह मुक्त होनी चाहिए। वह राजस्थान की महान् जनता की चार करोड़ की जायदाद मुक्त कराकर हवाले कर दी और उसका असर यह हुआ कि पूरे गंगानगर जिले, हनुमानगढ़ जिले की जितनी मंडिया थीं, उसमें ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, गांव की गलियों के अन्दर लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि जहां यह अव्यवस्था है या एन्क्रोचमेंट हुआ है, अपने को खुद को हटाना चाहिए। वहां कहीं पुलिस नहीं गई, कहीं प्रशासनिक अधिकारी नहीं गये। वह सरकार की इच्छा शक्ति थी।

मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस बात को सोचा कि दूर-दराज के गांवों में बैठे हुए लोग, इन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, आज कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सरपंच उन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर निगाह रखेगा। निगरानी समितियां बनाई गयीं। उससे एक नई फिजां पैदा हुई है। उन कर्मचारियों को अहसास हो गया है कि हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक लोगों की तकलीफ थी, वक्फ बोर्ड की जमीन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था, इस सरकार ने महसूस किया है कि उनकी भावनाओं को और इसके लिए आयोग गठित करके उन सम्पत्तियों का सर्वे करवाया जा रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं को इस सरकार ने पहचाना है, धन्यवाद की पात्र है सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की इच्छाशक्ति की ओर यह इंगित किया है कि भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला जाएगा। मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, हमला बोला जाएगा नहीं, बोल दीजिये। भ्रष्टाचार के माध्यम से जिन लोगों ने करोड़ों रुपये की जायदाद बनायी, वह कोई तिजोरियों के अंदर बंद नहीं है, वह इस जमीन के ऊपर है, जयपुर शहर के अंदर, इस राजस्थान प्रदेश के विभिन्न कस्बों में, बड़े-बड़े शहरों में उन भ्रष्टाचारियों ने विशालकाय अट्टालिकायें खड़ी कर लीं, जबकि सेवा नियम बने हुए हैं कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा सम्पत्ति, चाहे वह अचल सम्पत्ति हो, चाहे चल सम्पत्ति हो, खरीदने से पहले राजस्थान सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए, इन नियमों को ताक

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

पर धर दिया गया और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं जो अपने आप को साबित कर सके कि जिसने इस नियम का पालन किया है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इसमें कारगर नहीं होगा, जो साधारण नियम बने हुए हैं, उन सम्पत्तियों का सर्वे करवा कर उनके गलों में टंगवा दीजिये, अपने आप इस राजस्थान प्रदेश की माली हालत सुधरेगी। अरबों रुपये की सम्पत्ति जो समाजकंटकों ने अतिक्रमण करके दबा रखी थी उसको मुक्त करा करके इस राजस्थान प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारा है। अपने-अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए, वोट की राजनीति की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों में जहां यह अंदाजा किया जाता है कि यह शहरी परिवेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन लोगों की स्वार्थपूर्ति के लिए इस सरकार ने चुंगी व्यवस्था को खतम करके उन पूरी की पूरी नगर-पालिकाओं की आर्थिक स्थिति जर्जर कर दी और उन नगर-पालिकाओं के क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आज न रोशनी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। नगरपालिकाएं गरीबों के मोहल्लों के अंदर वाटर टेप्स का भुगतान किया करती थी, आज उन वाटर टेप्स के कनेक्शन काट दिये गये हैं, बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं राजस्थान सरकार ने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे, पहला मौका है, आज तक बातें ही बातें होती रहीं...

**श्री मदन दिलावर :** कनेक्शन किस ने काट दिये ?

**श्री हरचन्द सिंह सिद्धू :** हमने काटे हैं, तसल्ली रखिये। आप तसल्ली रखिये। सत्ता विकेन्द्रीकरण की बातें की लेकिन आज तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया। इन संस्थाओं में, जहां से भविष्य के लिए प्रशासक पैदा होने थे, उनको ऐसे ढर्रे में डाल दिया कि कहीं किसी आदमी ने सोचा नहीं। आज सिंचाई क्षेत्र के अंदर नहरों का प्रबंधन इन पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। मिडल तक की शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द की जा रही है, कर दी, बहुत बढ़िया है। इन सारी बातों को देखते हुए, इन विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इधर अकाल की विभीषिका से जूझते हुए, फिर भी सरकार मजबूती से अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देकर आगे बढ़ रही है। सरकार किन-किन दिशाओं के अंदर क्या-क्या काम करेगी, इस रीति-नीति का पूरा विवरण अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि दो-तीन कदम जैसे उठाये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, करीब-करीब हम लोग यह मान बैठे थे कि इन विकट परिस्थितियों में जब प्रशासन के पास मशीनरी नहीं, कर्मचारी हड़ताल पर और विपक्ष सरकार की ईमानदारी पर यह आक्षेप भी लगा रहा था कि सरकार की नीयत नहीं है चुनाव कराने की इसलिए इस हड़ताल को सरकार ही हवा दे रही है,

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

लेकिन हवा जो दे रहे थे वह छुपे नहीं रहे, वह सामने आ गये। हमारा कर्मचारियों से कोई द्वेष नहीं है, वह हमारे भाई हैं लेकिन उनको भी यह बता देना जरूरी था कि आप ही राजस्थान को नहीं चलाते हो। उन परिस्थितियों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा कर के एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसकी पूरे हिन्दुस्तान के अंदर तारीफ हो रही है। अगर उनसे बैर ही होता, उनसे द्वेष ही होता तो चुनाव होने के बाद उनसे बात न की जाती। इसलिए यह दृढ़ इच्छाशक्ति की बात है, चाहे वह अतिक्रमण का मामला हो या प्रशासन का मामला हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार हमारी सारी योजनाओं को निगल रहा है, जितने भी निर्माण कार्य इस प्रदेश में जनता के खून-पसीने की कमाई से होते हैं उन निर्माण कार्यों की एक टेक्नीकल तरीके से उम्र तय की जाए और अगर उस उम्र से पहले वह निर्माण कार्य खतम होता है तो उस निर्माण कार्य को कराने वाले अधिकारी-कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार ठहराये जाएं। जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक यह निर्माण कार्यों की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। छोटे कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार की नीति को भांप लिया लेकिन अभी तक दिग्गज आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अपने आप को एक विशेष लॉबी समझने वाले लोग हैं, उनको सरकार यह बता दे कि सरकार उनके बलबूते पर नहीं चल रही। वह सुयोग्य लोग जिनको पब्लिक ने चुनकर भेजा है, सरकार चला रहे हैं और उनको बता दें कि यह जो भ्रष्टाचार से सम्पत्तियां अर्जित की जा रही हैं यह ज्यादा दिन रहने की नहीं हैं। यह राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रदेश की महान् जनता की सम्पत्तियां हैं। वह उसी खजाने में जाएं ऐसी कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई व्यवस्था करेगी।

विकास चक्र के लिए जैसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जितनी इच्छाएं होंगी उनकी पूर्ति के लिए इन्सान संघर्ष करता है और जैसे संघर्ष करता है उसके प्रतिफल के अन्दर यह विकास चक्र आगे बढ़ता है लेकिन इसके अपवाद स्वरूप भारतीय अर्थशास्त्र के प्रणेता प्रोफेसर मेहता यह भी कहते हैं कि जितनी इच्छा शक्ति को कम किया जाएगा उतना मानसिक क्लेश कम होगा लेकिन यह किसी साधु की भावना हो सकती है आज के इस आर्थिक परिवेश के युग में यह भावना नहीं हो सकती इसलिए मैं राजस्थान सरकार को साधुवाद देते हुए और धन्यवाद देते हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन में पधारे उन्होंने सरकार की रीति-नीति के ऊपर यह अभिभाषण दिया, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि निर्विवाद रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करें और उसको पारित करवाये।

जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह जी।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का तो संस्था प्रधान होने के कारण से संवैधानिक पद होने के कारण से उनका सम्मान और आदर करता हूं लेकिन जिस कदर से सरकार ने दिशाहीन प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से जो लेखा-जोखा पिछले साल का दिया और अगले साल में सरकार क्या करना चाहती है उसको हमने इस अभिभाषण में देखा तो हमें बिलकुल तथ्यहीन लगा और इस राजस्थान के विकास के लिए यह राज्यपाल का अभिभाषण किसी प्रकार से नहीं लगा इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : आपने पढ़ा ही नहीं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : सारा पढ़ लिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सारा पढ़ने लायक है भी नहीं।

**श्री हरिसिंह चौहान** : सचेतक महोदय, मैं एक-एक बिन्दु का इसमें विवरण देना चाहता हूं। सबसे पहले...

**श्री हरिसिंह** (मुख्य सचेतक) : अपने तो ओ.बी.सी. को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। आप भी मांग करते थे हम भी करते थे इसके लिए धन्यवाद तो देना।

**श्री हरिसिंह चौहान** : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं इस अभिभाषण में जो पेज संख्या 25 पर खंड 76 पर लिखा है इस समय राज्य में भीषणतम अकाल है...

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन मंत्री) : पहले पेज नम्बर 7 पर तो आवें आप।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मैं आ जाऊंगा 7 पर भी। मैं जिस तरह से मेरा बयान करूंगा, जिस तरह से मैं मेरी स्पीच दूंगा, Please don't direct me.

तो मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य में इस समय भीषणतम अकाल है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में 16, 17, 18 तारीखों को चित्तौड़गढ़ गया, भीलवाड़ा गया, नागौर गया अजमेर और पाली तो हमारे आस-पास के जिले ही हैं, जिस कदर से राज्य सरकार ने केवल कागजों में घोषणा कर रखी है कि पाली में 22 हजार श्रमिक लगेंगे, भीलवाड़ा में 24 हजार लगेंगे, चित्तौड़गढ़ में 20 हजार लगेंगे और नागौर में 16 हजार श्रमिक लगेंगे, मैंने जिन जिलों का दौरा किया है वहां व्यक्तिशः लोगों से पूछा, वहां के सरपंचगण से पूछा, प्रधानों से पूछा और वहां की जनता से मैं रूबरू हुआ हूं, केवल भीलवाड़ा में 1-1 पंचायत समिति में चार-चार काम जरूर खोले गये हैं, इसके अलावा किसी भी जिले में कोई काम नहीं खोला गया है। राज्य सरकार ने जो काम खोलने की घोषणा की है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं 85 से लेकर सन् 2000 तक पिछले 15 वर्षों से अकाल के कार्यों की जिला स्तर पर कमेटियों में भी जाता रहा हूं, देखता रहा हूं, इस बार जो जेईएन. जो एईएन. जो एक्सईएन...

**श्री रतनाराम चौधरी** : बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों में एक-एक दो-दो काम फेमिन के चल रहे हैं और आप दौरा करके खुली आंखों से देख लें।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय चौधरी साहब, बिराजिये। चौधरी साहब, आपके बाड़मेर में होंगे लेकिन जिन जिलों के बारे में मैं कह रहा हूं, मैं अकाल राहत कार्यों को खोलने के बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं। हमने आज दिन तक देखा है कि जो जेईएन., एईएन. तकनीकी फोर कॉस्टएस्टीमेट बनाते थे प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर उन कामों को स्वीकृति देते थे लेकिन इस बार इस सरकार ने काम को डिले करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया है कि सबसे पहले जो फोर कॉस्ट एस्टीमेट बनाया जाता है, वह जिला कलेक्टर के पास जाता है और उसके बाद वापस उस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उस पर तकनीकी स्वीकृति के लिए उसी डिपार्टमेंट के पास वह कागज वापस भेजा जाता है और उसके बाद में उन कागजों की फाइनेंशली स्वीकृति दी जाती है। मैं इस मौके पर बाकोलिया साहब को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह हमारे अकाल राहत कार्यों के प्रभारी हैं और 12 तारीख को हमारे पाली जिले में अकाल की मीटिंग में आये थे, इन्होंने बड़ा सीरियसली कहा जिला कलेक्टर को कि यदि इसी प्रकार से आपके अधिकारियों को बैठाना है तो सबाके एक साथ बैठा दीजिये, नहीं तो ये काम एक महीने तक नहीं खुलेंगे। स्थिति यह हो गयी है कि एक मार्च को यह घोषणा की गई थी लेकिन आज दिन तक मौके पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बड़ा अफसोस है कि इसमें जो लेखा-जोखा दिया है, आपने चारा डिपो खोल दिये, अकाल के काम प्रारम्भ कर दिये, यह आपके पोथे में साफ लिखा हुआ है, "इस राज्य में 50% से अधिक खराबा वाले 23406 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। इन अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। पशुधन की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार डिपो खोल दिये गये हैं।" मैं डिपो के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, डिपो खोलने के लिए आप कभी ग्राम सेवा सहकारी समिति को आदेश देते हैं, कभी किसी संस्था को, पंचायत समिति को आदेश देते हैं लेकिन जो अमाउण्ट चारा खरीदने के लिए उनको दिया जाता रहा है प्रति वर्ष 20 हजार, 25 हजार का एक ट्रक खरीद कर लाएगा और उस ट्रक से ही तो उस चारे को बेचेगा, लेकिन किसी भी संस्था को इस प्रकार का अमाउण्ट नहीं दिया गया। केवल एक आदेश फरमान जारी कर दिया गया कि अमुक ग्राम सेवा सहकारी समिति चारा लाएगी। उसके पास न तो फंड है, न पैसा है, न व्यवस्था है। किस प्रकार से चारा लाएगी? वर्ष 1986-87 में भी इस जुलाई माह में यह अकाल पड़ गया था, उस समय भी कांग्रेस शासन था, 1986-87 में बहुत ही सुन्दर तरीके से अकाल का सामना किया गया था लेकिन इस समय स्थिति यह हो गई है कि अकाल के नाम पर न तो श्रमिक लगे हुए हैं और न कहीं चारे की व्यवस्था है। पेयजल के नाम पर

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह कहते हैं कि अभियान चला करके खराब हैण्ड पम्प हैं उन सबको ठीक करेंगे। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन मिस्त्रियों की, रिपेयर करने वालों की जो टीम पी.एच.ई.डी. की हैं मेंटीनेंस करने की जो टीम है उसका बजट काट लिया? उनके पास इवन नट बोल्ट तक नहीं है। आप मेजर रिपेयर करने की बात कर रहे हो लेकिन उन टीमों के पास नट-बोल्ट तक नहीं है तो किस प्रकार से वे हैण्ड पम्पों की रिपेयर करके वापस सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था इस समय इस प्रकार की दी गई है, भयंकर दुर्भिक्ष में सरकार को जिस प्रकार से आगे आकर के जनता की सेवा करनी चाहिए, पशुओं को मरने से बचाना चाहिए, जनता को पेयजल पहुंचाना चाहिए उससे बिलकुल सौ कोस दूर गयी हुयी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता दुःखी है, पशुधन मर रहा है और जिन श्रमिकों को मजदूरी चाहिए वो पलायन कर रहे हैं, दूर-दूर जा रहे हैं इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कब तक काम प्रारम्भ नहीं होंगे। नवम्बर में काम शुरू करने की घोषणा की गई, आज मार्च और अप्रेल लग रहा है। पता नहीं कब तक यह स्थिति चलती रहेगी। और तो और अकाल राहत के काम पहले भी हुए थे, इस राज्य में अकाल पड़ते रहे हैं और पड़ते रहेंगे, अब केवल मिट्टी के काम, मैटीरियल कम्पोनेंट के जो एक सिंगल पैनी है, वह भी बैंक से मंजूर नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को कहा जा रहा है आप लोग अपने फंड से दो। हमारा फंड होगा उस समय हम भी देंगे। पिछले साल का जो भी हमारे पास बजट था, जो विधायक कोटे की राशि थी वह समाप्त हो गई। नयी राशि आएगी तो हम भी देने की कोशिश करेंगे, हमें भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ही खर्च करनी है अच्छे कार्यों के लिए दे देंगे लेकिन जो एनीकट पिछले वर्षों में बने हुए हैं, सारे के सारे टूट गये हैं और यह मिट्टी का काम भी है, कहीं न कहीं छोटी-मोटी पानी की रुकावट की जगह पर चूना है, सीमेंट है, मैटीरियल के रूप में कुछ न कुछ मात्रा में पैसा मिले बिना कोई काम नहीं होता। केवल मिट्टी डालने का काम होगा।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : माननीय सदस्य, मैं आपके ज्ञानवर्द्धन के लिए कहता हूं कि सरकार ने 25% मैटीरियल कम्पोनेंट के लिए स्वीकृति जारी कर दी है अपनी तरफ से। इसलिए माननीय, सदस्य इस पर बहस में न पड़े।

**श्री हीरासिंह चौहान** : बहुत खुशी की बात है कर दी है तो निर्माण कार्य होंगे।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : और आपके वहां पर तो लेबर सीलिंग भी बढ़ा दी है हमने।

**श्री हीरासिंह चौहान** : जो कुछ भी होगा, जितना भी होगा, लेकिन ये इन्फोर्मेशन दे रहे हैं, स्वागत है इस बात का कुछ दे रहे हो राशि तो उससे कुछ काम होगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** : 25 पर्सेंट तो कर दिया बाकी के 15 पर्सेंट का क्या होगा।

(श्री देवीसिंह भाटी)

40 पर्सेंट मैटीरियल कम्पोनेंट होना चाहिये। 60 पर्सेंट जब लेबर कम्पोनेंट हो तो 40 पर्सेन्ट होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनका पैसा खर्च नहीं होगा और उन अकालियों को पैसा नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे से पूर्व वक्ता जो कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे और जिन्होंने प्रस्ताव रखा उन्होंने बड़ी वाहवाही की कि पंचायत चुनाव बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके जिले का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि पंचायत चुनावों में किस प्रकार से आरक्षित सीटें होते हुए भी क्या हुआ? यह जिला कलेक्टर का लैटर है, मेरा लैटर नहीं है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उसके बाद दूसरी बातों को मैं बयान करूंगा।

"राजस्थान कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, तारीख 29.2.2000। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव में आरक्षित पदों पर भिन्न वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित होने के संबंध में। इस पत्र के क्रम में निवेदन है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के दौरान भीलवाड़ा जिले की निम्न पंचायतों के सरपंच के पदों पर आरक्षित पदों में से भिन्न वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित हो गये हैं जिनकी सूचना कार्यालय के फैक्स मैसेज दिनांक 16.2.2000 को आपको प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी उन पंचायतों की स्थिति निर्वाचन के पश्चात् पुनः निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है।"

मांडल की एक ग्राम पंचायत दोआला है, वह अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित थी, वहां पर सामान्य वर्ग का सरपंच बना हुआ है। मैं यह लैटर भी आपके सामने रखूंगा। दूसरा, बनेड़ा से आप संबंधित हैं और उसमें लाम्बियाखुर्द ग्राम पंचायत है, वहां पर पिछड़ा वर्ग महिला की सीट थी और वहां पर सरपंच बना पिछड़ा वर्ग पुरुष। इसी प्रकार पंचायत समिति आसीन्द है, वह भी आपके जिले की है। आसीन्द में जगपुरा ग्राम पंचायत है वहां पर अनुसूचित जनजाति की सीट थी...(व्यवधान) उसकी जगह महिला पिछड़ा वर्ग की सरपंच आज काम कर रही है। यह एक नमूना है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान के पिछले पंचायत चुनाव में कहां-कहां, कितनी-कितनी धांधली हुई है। मैं बताना चाहता हूं, अनट्रेंड 40-40 रुपये के आदमी, कहीं तो वोटों का हिसाब नहीं, पचांयत चुनाव के पहले ही 200-200, 500-500 वोट तो लोग फाड़ कर ले गये क्योंकि काउंटर फोलियों आपने रखा नहीं था, इस प्रकार अनट्रेंड आदमी, गैर जिम्मेदार आदमियों से आपने चुनाव करवाया। आप डींगे हांक रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा चुनाव करवा लिया। मैं लैटर भी आपके यहां रख रहा हूं। यह जिला कलेक्टर के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें चुनाव अधिकारी का दोष थोड़े ही है?

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह जिला निर्वाचन अधिकारी की मैं सूचना दे रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : चुनाव अधिकारी का दोष थोड़े ही है इसमें?

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं, चुनाव अधिकारी का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कह रहे हो कि ऐसे-ऐसे अनट्रेंड लोगों को लगा दिया।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह किसका दोष है? इस प्रकार आगे भी चुनाव हुए है क्या? रिजर्व सीट के अगेंस्ट में अन्य वर्ग के आदमी का चयन हो गया, सरपंच चुन लिया गया, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि अव्यवस्था होने के बाद अभी तक इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। आपका चीफ इलेक्शन आफिसर राजस्थान का है। वह कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होगा, उनको पिटीशन में जाना पड़ेगा। जनता तो कर चुकी है। जनता क्या करे, आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो और सही बात का भी विरोध कर रहे हो। इसको समझना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : उपाध्यक्ष महोदय, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन यह गड़बड़ कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलने दो।

**श्री दयाराम परमार** (राज्य मंत्री) समाज कल्याण) : आप जो बोल रहे हैं वह प्रमाणित कैसे मानें? आप तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो चुना गया है उस व्यक्ति का नाम और जाति आपने नहीं बतायी, तो प्रमाणित कैसे माना जा सकता है?

**श्री हीरासिंह चौहान** : जिला कलेक्टर का लैटर है, माननीय मंत्री जी। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा का लैटर है, मेरा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि संतानों सम्बन्धी विवरण से अगर अधिक संतान है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आपका कौनसा स्टाफ ड्यूटी पर था? नर्सेज स्ट्राइक पर थीं, कम्पाउंडर स्ट्राइक पर थे, doctor was totaly incompetent, उसको जानकारी ही नहीं है कि नर्सेज और मेल नर्सेस यह होते हैं, सब सेंटर का डाक्टर था, इसी प्रकार कोर्ट्स सारे बंद थे, अगर कोई दोषी व्यक्ति है, आपराधिक व्यक्ति है, सजा पाया हुआ व्यक्ति है उसका कहीं रिकार्ड ही नहीं मिल सकता, हड़ताल थी, कोई रिकार्ड देने के लिये तैयार नहीं था। इसीलिए जो व्यवस्थाएं आपने इस चुनाव में की वह सारी व्यवस्थाएं गलत रहीं। चुनाव आपने नहीं करवाया, संविधान का जो 74वां संशोधन था उसके अनुसार आब्लीगेटरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट के कारण चुनाव करवाना था इसलिए चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव से पहले जो व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिये थी वह नहीं कीं। क्या इस प्रकार के अधिकारियों को लगाकर इस प्रकार की संस्थाओं का चुनाव करवा कर वाहवाही

(श्री हीरासिंह चौहान)

लूटना चाहते हो? इसलिए इस अभिभाषण के पृष्ठ एक पर जो बात कही है, मैं सबसे पहले इन पंचायत चुनावों में जो अनियमितताएं हुई है इसकी घोर निन्दा करता हूं क्योंकि सरकार इसमें बिलकुल असफल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 तारीख को भीलवाड़ा में था, यह आपका जिला है, 16 और 17 तारीख को आपकी जिला परिषद् की मीटिंग हुई, इसमें सारे कांग्रेस के एम.एल.एज. ने मिलकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी। जो पांचवीं समिति बनती है, उसका निर्वाचन अधिकारी एस.सी.ओ. था उससे कह दिया कि नहीं-नहीं, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है और पांचवीं समिति बना दी बिना कोई नोटिस दिये। पहले इसका विधिवत प्रस्ताव होता। (व्यवधान) विधिवत प्रस्ताव होने के बाद में पांचवीं समिति बनती है लेकिन कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लिया गया और इस प्रकार समिति बना दी गई। इससे भी आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके माननीय सदस्यों ने फार्म भरे और बाद में उन्होंने विथड्रा किये हैं। उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी इसलिए निर्विरोध चुनाव हुए हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तथ्य सही है कि फार्म भरे, विथड्रा किये लेकिन पांचवीं समिति का आप चुनाव नहीं करा सकते थे। इसलिए सारे ही चुनाव गलत करवाये वहां। जब तक आप पांचवीं समिति... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी, बहुतमत नहीं था इनके पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन् ए पाइंट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सूचना सरकार देगी, आसन का काम कब से हो गया, मैं यह जानना चाहती हूं?

श्री उपाध्यक्ष : यह डाइरेक्टली मुझ पर भीलवाड़ा भीलवाड़ा कह रहे हैं इसलिए मैंने कहा। यह बराबर भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ाया गया।

## धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम, 1994 जो इस विधान सभा ने पास किया और इसमें जो प्रोविजन चुनाव के, जो व्यवस्थाएं दी हुई है समितियों की, उन व्यवस्थाओं के बारे

(श्री हीरासिंह चौहान)

में कह रहा था कि किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी इन निर्धारित परम्पराओं की और जो एक्ट है उसकी खिल्लिया उड़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने पंचायत समितियां बना दीं, पंचायत समिति की स्थाई समितियां बनती हैं, प्रशासनिक और वित्त समितियां। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं पंचायत समिति रायपुर में 20 ऐसे स्कूल हैं जहां अधिक अध्यापक हैं और 20 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कम अध्यापक पिछले 12 महीनों से चल रहे हैं। वित्त और प्रशासनिक समिति ने एक निर्णय लिया कि इनका समायोजन करके जहां पर कम अध्यापक हैं वहां पर अधिक अध्यापकों को भेजा जाए। यहां की क्या व्यवस्था है, बैन लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे पास टीचर्स में संख्या में है, कम संख्या में होते हुए भी हम उनको व्यवस्थित करना चाहते हैं। वह व्यवस्था करने के भी कोई आदेश नहीं है। क्या इसी पंचायती राज की आप वाहवाही करते हैं? आप कहां चले गये? आपने एक वार्ड की ग्राम सभा कर दी। ग्राम सभा में तो 10 प्रतिशत लोग भाग नहीं लेते हैं और उससे भी आगे बढ़कर आपने कहा कि वार्ड सभा बनायेंगे, वार्ड का अध्यक्ष बनेगा। कितने वोट हैं वार्ड में? 100 घर नहीं हैं, 50 घर हैं। हम किस स्थिति तक ले जाना चाहते हैं और उस ग्राम सभा में पूरा गांव शामिल होता था सामूहिक निर्णय लेकर उसमें कोई बात होती थी उस बात को कम करने के लिये, उस बात को छोटी करने के लिये कोई ग्राम सभा होवे ही नहीं। व्यवस्था रखी है उसमें लेकिन उस व्यवस्था को कमजोर करने के लिये इस प्रकार के काम किये जा रहे हैं और इस पंचायत एक्ट को विखण्डित किया जा रहा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूं, दसवें वित्त आयोग के पैसे हैं और भारत सरकार का सीधा डायरेक्शन था कि यह ग्राम पंचायत जब प्रस्ताव लेवे उसी के अनुसार गांव में काम होने चाहिये। आपने एकदम आदेश दिया पूरे राजस्थान में कि 28 जनवरी, 1999 को पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों की बैठक होनी चाहिये, उसमें दसवें वित्त आयोग के पैसों का निर्णय लिया जाना चाहिये। सरपंच बहुत राजी हुए, गांव के लोग भी बहुत राजी हुए कि अमुक वार्ड में यह चीज बनेगी, अमुक में यह चीज बनेगी। 8-8, 10-10 प्रस्ताव दिये। आपने घोषणा की, जनता के साथ विश्वासघात किया। घोषणा की कि हम 10-10 काम करायेंगे उसकी जगह एक काम क्या हुआ, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला बनाई। बहुत खुशी की बात है कि आपने पाठशालाएं बनाई। निर्णय क्या हो रहा है, माननीय उपाध्यक्षजी, एक गांव में एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल है, मिडल स्कूल है उसी एक किलोमीटर की दूरी पर दूसरे मौहल्ले में स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली जा रही है, अनिवार्य शिक्षा की जा रही है। कोई मापदण्ड तो होना चाहिये। उस मापदण्ड को तय करने के लिये सरकारी की ओर से कोई नीति निर्धारण नहीं किया गया जिससे राज के पैसों की बरबादी हो रही है। जो काम वास्तव में

(श्री हीरासिंह चौहान)

होने चाहिये, हम चाहते हैं कि कम्पलसरी एजूकेशन लागू किया जाए लेकिन इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिये, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं, इन व्यवस्थाओं के चलते आप चाहते हो कि राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है या भारत सरकार से जो रुपयों का एलोकेशन किया जा रहा उसका समुचित उपयोग होना चाहिये, बिल्कुल समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। आपने अपने बजट भाषण में यह बताया कि सैण्ट्रल सैण्टर की योजना (व्यवधान) सॉरी-सॉरी, राज्यपाल अभिभाषण, एक्सक्यूजमी मैडम, ठीक बोल लिया आपने। यह 300 करोड़ रुपये किसकी गलती थी, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती थी, सरकार की गलती थी, उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया। यह जो सैंट्रली स्पोंसर्ड योजना, परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये राज्य को मिलने वाले थे, यह 300 करोड़ रुपये मिलते, माननीय उपाध्यक्ष जी, चाहे मेरे कांग्रेस के साथी नाराज होंगे या राजी होंगे, लेकिन सब जानते हैं गांव में एक काम भी नहीं चल रहा। किसी भी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं चल रहा है। भैरोंसिंह जी शेखावत के शासम काल में वहां के गांव का सरपंच, गांव के लोग काम करने से उकता गये थे, इतनी बिल्डिंग्स बनाई, इतना काम किया लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलटी हो गई है। मतलब यह 300 करोड़ मिलते तो प्रत्येक पंचायत को कोई न कोई काम मिलता, इसके लिये कौन दोषी है ? मैं, मानीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे काम जो बहुत जरूरी होने चाहिये, जिन कामों को अभी तक नहीं किया गया, इसके लिये भी सरकार दोषी है।

ओ.बी.सी. के लिए, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी ओ.बी.सी. के हैं, एक बात का तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 15 प्रतिशत से 21 प्रतिशत आरक्षित सीटें कर दीं। लेकिन मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अभी प्रस्तावक अभिभाषण के और उधर से समर्थक डॉक्टर करण सिंह जी, दोनों ही कह रहे थे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल सभी शिक्षक संस्थाओं में ओ.बी.सी. के लड़कों को आरक्षण की सुविधा कर रही है। यह राज्यपाल का अभिभाषण 23 तारीख को इस सदन में रखा गया है, उसकी यह लाइन सीधी लिखी हुई है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। केवल शिक्षण वर्ड इज स्पेशली डिनोटेड। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है (व्यवधान) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी वर्ड इज "भी" वर्ड भी है। लेकिन इसमें से इन्होंने शिक्षक का ही क्यों लिखा? ऊपर जो सेंटेंस चल रहा है, अन्य पिछड़ी जातियां नहीं चल रहा है। उसमें चल रहा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, "इंजीनियरिंग, मेडिकल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत तथा जनजाति को के आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भी

(श्री हीरासिंह चौहान)

आरक्षण प्रारम्भ किया गया है। इसके आगे यह शिक्षक प्रशिक्षण ठीक है, अच्छा है, सब प्रकार की बातें आ गयीं, लेकिन मुझे अभी भी चिन्ता है इसको लिखने की क्या जरूरत थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में अन्य पिछड़ी जातियां चाहे वे मेव हों, विश्नोई हों, जाट हों, हलाली हों, कसाई हों, इस प्रकार की 21 जातियों को और आरक्षण दिया है इसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन स्थिति क्या होगी? सभी लोग आरक्षित हो गये और आरक्षण है 21 प्रतिशत मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे और सदन के जितने भी ओ.बी.सी. मैम्बर हैं उनको भी अदब से निवेदन करना चाहता हूं, कर्नाटक में 80 प्रतिशत आरक्षण है, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत है, एक संकल्प पास किया जाए, राजस्थान विधान सभा की ओर से, अगर सभी जातियों को आरक्षण देकर समुचित तरीके से उन गरीब परिवारों को सहयोग मिले तो इसके लिये बहुत जरूरी है कि आरक्षण का 80 प्रतिशत होना चाहिये। इसके अलावा मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, सदन से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह समाज कल्याण मंत्री अलग से बना हुआ है, अन्य पिछड़ी जाति, ओ.बी.सी. का भी एक मंत्री आपकी केबिनेट में होना चाहिए। जब तक मंत्री अलग नहीं बनाया जाएगा, तब तक ओ.बी.सी. के काम को कोई सुरुचिपूर्ण देख नहीं पाएगा, कोई भी उसकी चिन्ता नहीं करेगा। यह समय की आवश्यकता है। (व्यवधान) इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मुख्य मंत्री के ओ.बी.सी. होने से, इस प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से पहले घोषणा की गई थी कि सस्ते ब्याज की दर से इनके नौजवानों को, बेरोजगारों को उद्यम लगाने के लिये, उद्योग लगाने के लिये राशि दी जाएगी, इस प्रकार की राशि की भी व्यवस्था की जाए।

अभी डा. करणसिंहजी ने बताया, मेडिकल केयर सोसायटी और माननीय मुख्य मंत्री के फण्ड से कुछ करोड़ रुपये की घोषणा की गई है और इस प्रकार 3 करोड़ के कार्ड दिये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है करणसिंहजी जागरुक हों और जयपुर में इस प्रकार की कहीं सहायता दे दी गई हो लेकिन जहां तक मैंने राजस्थान के दूसरे हिस्सों में और सभी हास्पिटल्स से इंक्वायरी की है, जांच की है कि इस कार्ड की क्या उपयोगिता है तो डाक्टर लोग कहते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध औषधियां हैं, वे उपलब्ध औषधियां हम दे सकते हैं, इसके लिये हमारे पास कोई अन्य फण्ड हमें नहीं दिया गया जिसके अनुसार हम इन गरीबों को दवा दे सकें। ठीक है कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, वे ही लोग तो जयपुर के हास्पिटल में आते हैं। साधारण बीमारी से पीड़ित जो सामान्य प्राथमिक हैल्थ सेंटर में अपना इलाज करा सकते हैं वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिये यह सरकार का दिशाहीन अभिभाषण है जिसे माननीय राज्यपाल महोदय

(श्री हीरासिंह चौहान)

से दिलाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों से ऊपर उठकर किस प्रकार राजस्थान का विकास हो सकता है इसकी आपको और हमको चिन्ता होनी जरूरी है।

इसी प्रकार निगरानी समितियां बनाई हैं, मुझे तो किसी सरपंच ने नहीं कहा कि मेरे पास इस प्रकार निगरानी समिति का कोई लैटर सरकार की ओर से आया है। नहीं पहुंचा है। मैं भी टोटल सरपंचों से सम्बन्धित हूं, बिलकुल सम्पर्क में हूं, क्षेत्र में ही रहता हूं। वास्तव में आप जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, न तो डाक्टर ड्यूटी पर जाता है, ग्रुप सचिव तो सरपंच का भी कहना नहीं मानता है, यह स्थिति है। ए.एन.एम. ड्यूटी पर नहीं रहती और बहुत सारे सिंगल स्कूल मास्टर काम नहीं कर रहे हैं। यह स्वागत योग्य कदम है कि निगरानी समितियां बनाई हैं लेकिन इसके लिये बहुत जरूरी है कि इसका खूब एडवरटाइजमेंट किया जाए, लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आप दे सकते हैं तो शासन ठीक ढंग से चलेगा। यह आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था सुन्दर ढंग से चले। मैं आपकी

**(17.00 बजे)**

बुनाई करूं, आप मेरी करें, इससे काम नहीं चलेगा। शासन हम सबका है और हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिये इस राज्य को ऊपर उठाने के लिये हमारा, सबका एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी है।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् में 9 योजनाएं ट्रांसफर होना बताया है। जिला परिषद की पिछली बैठक में भी गया था, पहले की बैठकों में भी हम जाते रहे हैं, यह झुन्झुना तो आपने प्रमुखों के हाथ में पकड़ा दिया लेकिन पावर अभी तक परियोजना अधिकारी के पास ही चल रहे हैं। जिला परिषद् के जिला प्रमुख के पास स्टाफ नहीं है। वही सीमित स्टाफ, 2-3 बाबू हैं, एक तो टाइप करने वाला बाबू है, 2-4 और हैं। जब तक उनको समुचित स्टाफ नहीं देंगे, उसकी व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तब तक केवल यह कहना कि हमने जिला प्रमुख को बहुत सारे अधिकार दे दिये, हम इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। जिला प्रमुख को किसी प्रकार का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया गया। यहां तक कि मिडल स्कूल के टीचर की नियुक्ति और ट्रांसफर वह नहीं कर सकता है, सफाखाना वह नहीं देख पाता है। पानी की व्यवस्था है, वह नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो 9 प्रकार के फण्ड हैं, उसके बारे में पिछले पूरे साल भर में हमने जानकारी ली, हमारी समिति गयी, गंगानगर में फण्ड का एलोकेशन नहीं हुआ, बीकानेर में फण्ड का एलोकेशन नहीं हुआ, हनुमानगढ़ में फण्ड का एलोकेशन नहीं हुआ, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली में जो राज्य सरकार का नियमित बजट जाता था, उसका कोई एलोकेशन नहीं हुआ। अब आप किस प्रकार विकास करना चाहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आता,

(श्री हीरासिंह चौहान)

और आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप वाहवाही लूट रहे हैं, वोट आये, खूब आये, खूब आये लेकिन दूसरी तरफ सारा हिस्सा खाली हो रहा है। यह भी चिन्ता आपको होनी जरूरी है। जनता काम चाहती है। कोई काम हो नहीं रहा है। जनता दुःखी है, पीड़ित है इसलिये मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले...

**श्री खेतसिंह राठौड़** : 24 हजार करोड़ रुपये का जवाब तो दीजिए। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : कौनसा 5 करोड़ ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : 24 हजार करोड़, आप हमारे पर छोड़कर पधारे हैं जिसका ढाई हजार करोड़ रुपये ब्याज देना पड़ता है।

**श्री हीरासिंह चौहान** : कई परिसम्पत्तियां बनाई हैं। परिसम्पत्तियां कितनी बनाई हैं ? अगर हमने इसका मिसयूज किया हो तो आप बताइये। बाकी हरेक गांव में दुनिया भर की बिल्डिंग्स बनाई हैं, सारा काम किया है। इसका हमने मिसयूज नहीं किया है। विकास के लिये पैसे उधार लेने पड़ते हैं। आप भी 6 हजार करोड़ पिछले साल भर में ले चुके हैं। हम आपसे भी जवाब पूछते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, राठौड़ साहब, वह कोई आपकी जेब में थोड़े गया है। पैसे तो कहीं न कहीं लगे हैं। सरकार के काम में ही काम आ रहे हैं। इसलिये सरकार को विकास करना है तो दूसरी जगह से भी उधार लेना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा।

मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव भीम के माननीय विधायक ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, राजस्थान का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। मैं नमन करता हूं सबको जिनके कारण से यह स्वर्ण वर्ष आया है। मान्यवर, राजस्थान के विकास का 50 वर्ष का इतिहास है कि सामंती प्रथा से हमने राजस्थान बनाया और उसके आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिये हमने क्या-क्या कदम उठाये, यह सदन उसका साक्षी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 50 वर्ष अधिक समय नहीं होता। कहने को तो 50 वर्ष बीत गये हमें उस स्थिति में आना चाहिये जब हमारा अर्थ तंत्र एक टेक आफ पोजीशन में हो, हम किसी के आधार पर न रहें, किसी के मोहताज न रहें परन्तु खेद है कि जो पालिसीज विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गयीं, उससे हमारा विकास अवरुद्ध हुआ। यह गत सत्र में हम अच्छी तरह कह चुके हैं कि 8 वर्ष के हमारे साथियों के, जो विरोध में बैठे हुए हैं, कुशासन से हुआ। अभी माननीय कटारिया साहब बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि वित्त कहां गया। बजट भाषण में हमने देखा कि 23 हजार करोड़ का जहां घाटा था वहां 11 सौ करोड़

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

गत वर्ष के फ्लोटिंग छोड़े गये, इसी आश्वासन पर कि केन्द्रीय सरकार हमको मदद देगी, हम एमटी. लोन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय कटारिया साहब से पूछना चाहता हूं कि वह 11 सौ करोड़ का घाटा किसका था जिसके कारण से इस वित्तीय वर्ष में हमें कठिनाई भुगतनी पड़ी। दो महीने बाद पैसे काट लिये केन्द्रीय सरकार ने। यह फैडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र और राज्य दोनों का दायित्व है कि स्टेट की आर्थिक डिफिकल्टीज पैदा न हों। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार अपना शिकजा कसती रहे तो कोई राज्य सरकार चल नहीं सकती। आज केन्द्रीय सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं, हर राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसा हम और आप आर्थिक तंत्र में देख रहे हैं। मान्यवर, हमारी कुछ आर्थिक नीतियां पंडित नेहरू ने बनाई। इन्दिराजी ने गरीबी का नारा दिया तो देश में एक हवा फैली कि यह देश, यह लोकतंत्र गरीबों के लिये है। यह पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसके हम सदस्य बैठे हुए हैं, कमिटेड है कि हम इस देश में उस गरीब को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हमारा ध्यान उस पिछड़े वर्ग के प्रति है जो आज पिछड़ा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन में बैठा हुआ है।

मान्यवर, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम, जो अब चल रहे हैं और जो 15 महीनों में चले हैं, इस समय मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नौजवान मुख्य मंत्रीजी को, हमारे वित्त मंत्रीजी को, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से अपने अर्थ-तंत्र को उठाया है। कहने को हमने श्वेत पत्र निकाला। विरोधी दल के माननीय सदस्य जानते हैं, वे शासन में रहे हुए हैं कि आर्थिक तंत्र कितना ऊंचा हुआ है और किस हालत में हमने सरकार को 15 महीने में निकाला है। यह उनसे छिपा हुआ नहीं है फिर भी ये आलोचना करते हैं इसका हमें खेद है।

मान्यवर, विकास की गंगा जिस तरह से बही है, यह बात 15 महीनों में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में देखने को मिला मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूं, 8 वर्ष से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चल रही थी। मेरे क्षेत्र में, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये देश के लगे थे, घुटने टेक करके बैठ गये. उस पर, उस जमीन का आवंटन नहीं होने दिया। महामहिम के अभिभाषण में हमने अभी पढ़ा कि 15 हजार आदमियों को भूमि आबंटित हुई। भूमिहीन आदमियों को वह भूमि मिली, अब वह आकर बसे। बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया इन 15 महीनों में। आज माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी, उपनिवेशन मंत्रीजी ने कोई संशोधन पेश किया, हम गरीब को जमीन देना चाहते हैं, राजस्थान के गरीब को जमीन मिले, इन्दिरा गांधी नहर में, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है, इसको नकारा नहीं जा सकता है।

शिक्षा के बार में हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि राजीव गांधी पाठशालाओं से विकास नहीं हुआ। हमने हिन्दुस्तान की जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई थी तब एक शब्द आया था कि हम कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन देना चाहते हैं। अब हम कमिटेड हैं कि यहां शिक्षा को कम्पलसरी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

करें। हमारी सरकार संकलपबद्ध है, 5 वर्ष तक, इस राजस्थान में हर इन्सान जो अनपढ़ है उसको पढ़ाकर रहेगी। यह हमारा संकल्प है इस हेतु हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं और खोलेंगे। यह हमारा संकल्प है।

मान्यवर, मेडिकल के बारे में कुछ कंफ्यूजन क्रियेट किया जा रहा था 3 करोड़ की योजना का। 3 करोड़ की योजना जीवन रक्षा कोष है मुख्य मंत्रीजी का, उसमें तो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है गरीब का, उसके लिये है। बाकी जो कार्ड हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम हमने आइडेंटीफाई तो किया है गरीब को कि आप को कार्ड से दवा मिलेगी। हास्पिटल में जाता है, दवा मांगता है, अब कार्ड तो दिये हैं, कार्ड के माध्यम से आप दवा मांगों। कटारिया साहब, अब आपको पता है कि जो रिलीफ सोसायटीज बनी हैं हर हास्पिटल में उसका 25 प्रतिशत पैसा फ्री दवाइयों के लिये दिया जाता है और जो इस तरह की सारी दवाएं हैं वह सारी उसमें दी जाती हैं। तो इसलिये एक कन्फ्यूजन क्रियेट करना कि 3 करोड़ की योजना देकर के गरीब को झांसा दिया। यह उन गरीबों के लिये हैं, उन असाध्य बीमारियों के लिये वह 3 करोड़ की योजना मुख्य मंत्री की है जिनका गरीब इलाज नहीं करवा सकता है। बाकी कार्ड के आधार पर हर आदमी को हक मिला है कि अपनी दवा-दारू हास्पिटल में जाकर ले सकता है।

अकाल की चर्चा हुई। मेरा घर तो अकाल का घर है, स्थाई घर है जैसलमेर। मुझे तो शिकायत नहीं है। 15 हजार लेबर आज भी मेरे जिले में चल रही है। 50 गायों का कैम्प लग रहा है। जहां भी मांग आ रही है हम रिलीफ कमेटी में बात करके वहां हम दे रहे हैं। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि किसी इन्सान को भूखा नहीं मरने देंगे। यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देगी। आप विश्वास रखिये, हम इस बात का कमिटेड हैं।

मान्यवर, कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा अवश्य करूंगा। बिजली के बारे में बिजली मंत्रीजी ने बड़ी बात कही परन्तु इसमें मेरा एक संशोधन है या प्रस्ताव है कि रामगढ़ का गैस आधारित पावर हाउस जो अब 25 मेगावाट का है उसको 160 मेगावाट का करना आवश्यक है। वह इस अभिभाषण में नहीं जोड़ा गया है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जोड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। कहते हैं कि योजना नहीं है। अभी 6 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की हैं हमारी ढाणियों के लिए उन्होंने और सवा करोड़ का कंटिजेंसी प्लान फेमिन के लिए की गयी है। 7 करोड़ की योजनाएं अभी जैसलमेर आप विराजे थे, वहां सैंक्शन हुई हैं और यह कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे कटारियाजी कह रहे हैं कि यह सारा ढकोसला है, ढकोसला है, क्या है, समझ में नहीं आता है। मैं तो यह समझ रहा हूं कि हमारे जो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कमिटमेंट है, जो हम लोगों ने मैनीफेस्टो में दिया है, उसके आधार पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, सरस्वती नदी की खोज की चर्चा इसमें आयी है। जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में यह नदी बही थी। इसकी खोज निकली है, उसी के आधार पर जैसे मैंने अभी कहा कि 6 करोड़ की योजनाएं उसी सैक्टर में हमने स्वीकृत की हैं जहां पानी लेकर हम प्यासे लोगों को पानी पिला सकें।

मान्यवर, कुछ कमी जरूर रही है उस ओर मैं भी इंगित करूंगा कि हमारे उपनिवेशन और सी.ए.डी. वर्क्स में जो डिफरेंस रहा है जो उन्होंने विरासत में छोड़ा है, एक-एक लाख हैक्टेयर का डिफरेंसेज छोड़कर चले गये, नहरें बन गयीं वहां खाले नहीं बने तो हमारी सरकार उस ओर कमिटेड हो गयी है कि वह एक लाख हैक्टेयर में खाले बनाकर हम गरीब किसानों को दें। यह सभी हमारे मित्रों की देन है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं।

मान्यवर, हमारा जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र हैं। केन्द्रीय कई योजनाएं हैं, कटारिया साहब, हमें कहते हुए दुःख होता है कि 12 करोड़ की पेयजल योजना केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दी और अभी वापस ले ली। हमें खेद है इस बात का कि हमारी पीने के पानी की योजनाओं का पैसा वापस ले लिया। हम लोगों से कहते रहे कि योजनाएं स्वीकृत हो गयीं, गांव-गांव में आपको पानी पहुंचेगा इन्दिरा गांधीनहर से, वे सारी योजनाएं, अभी 12 करोड़ की वापस ले ली गयी। तो मैं आपसे पूछना चहाता हूं कि यह फैडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र सरकार की खुद की जिम्मेदारी है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमाएं राजस्थान ने नहीं बनायीं, सीमाएं तो राष्ट्र की सीमा है, देश की सीमा है, उस सीमा के विकास के लिए जो पैसा केन्द्र सरकार वापास लेती है तो केन्द्र सरकार दोषी है। मैं मेरे मित्रों से कहूंगा कि वे केन्द्र सरकार पर यह दबाव डालें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यूटिलाइज नहीं कर सकी।

**श्री गोवर्द्धन कल्ला** : नहीं-नहीं, भाटी साहब, यूटिलाइज नहीं की, सैंक्शन से पहले ही वापस ले लीं। सैंक्शन की हुई वापस ले लीं। हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। इस तरह की जो भेदभावपूर्ण नीति केन्द्र सरकार की है तो मेहरबानी करके राजस्थान का विकास हमें करना है, हमारी आर्थिक और सामाजिक नीतियां हम किस तरह से बना सकें जिससे राजस्थान का विकास हो सकें, हमें सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की बैठक सोमवार दिनांक 27 मार्च, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.13 बजे सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# परिशिष्ट-1

## तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके)

### जिला बाड़मेर व जालौर के ग्रामों हेतु नर्बदा नहर से जलापूर्ति

5. **श्री अमीन खां (शिव) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार जिला जालौर व बाड़मेर में नर्बदा नहर का पानी लाने का विचार रखती है?

(2) उक्त संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किए हैं?

(3) उक्त नहर से जिला बाड़मेर की तहसील गुडामालानी व चौहटन के कितने-कितने ग्रामों को लाभान्वित किया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। मूल परियोजना के प्रारूप के आधार पर नर्मदा जल का सिंचाई हेतु उपयोग जालौर और बाड़मेर जिलों के क्रमशः 74 व 15 ग्रामों का 1.35 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में होगा। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु बाड़मेर एवं जालौर जिले के 124 ग्रामों की लगभग 3.50 लाख आबादी को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(2) नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण एवं गठित समिति को समय-समय पर आयोजित बैठकों में गुजरात में निर्मित 458 किमी. नर्मदा मुख्य नहर को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास करती आ रही है। अब तक 263 किमी. नहर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, आगे कार्य प्रगति पर है। ततपश्चात् राजस्थान को वर्ष 2004-2005 में नर्मदा जल उपलब्ध हो सकेगा।

(3) मूल परियोजना के प्रारूप के आधार पर नर्मदा नहर से जिला बाड़मेर की तहसील गुढामालानी के 9 ग्रामों एवं तहसील चौहटन के 6 ग्रामों में पानी लाया जाएगा। इन ग्रामों की सूची प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दी है।

प्रपत्र-"अ"

## नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित गांवों की सूची

तहसील : चौहटन

जिला : बाड़मेर (राज)

| क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|
| 1. | डींडावास |
| 2. | मदावा |
| 3. | गीड़ा |
| 4. | मवरीयां |
| 5. | पोडरवाली |
| 6. | नयापुरा |

## नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित गांवों की सूची

तहसील : गुढ़ामालानी

जिला : बाड़मेर (राज)

| क्र.सं. | गांव का नाम |
|---|---|
| 1. | गाधवकलां |
| 2. | गाधव खुर्द |
| 3. | डाबली |
| 4. | आकली |
| 5. | आलेटी |
| 6. | पुरावा |
| 7. | अरवीयाली |
| 8. | रड़ू |
| 9. | मानकी |

## जयपुर डेयरी द्वारा मिलावटी दुग्ध का संकलन

6. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डेयरी से दूध एक निजी डेयरी को दिल्ली भेजा जाता है? यदि हां, तो नवम्बर, 1998 से जनवरी, 2000 तक कितनी बार उक्त डेयरी ने खराब/नकली सिन्थेटिक्स मिलावटी दूध कहकर लौटा दिया? विवरण दन की मेज पर रखें।

(2) क्या अक्टूबर 1999 में 12700 लीटर दूध दिल्ली तथा नवम्बर व दिसम्बर माह में सेना के लिए जैसलमेर दूध भेजा गया था? यदि हां, तो कितना-कितना तथा उस दूध को सेना ने क्यों लौटा दिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कारगिल युद्ध के दौरान जयपुर डेयरी द्वारा जम्मू-कश्मीर में दूध भेजा गया था? यदि हां, तो कितना? क्या वह दूध वहां खराब पाया गया? यदि हां, तो उसमें क्या मिलावट पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मिलावटी व खराब दूध के लिए कौन जिम्मेदार हैं? उनके नाम, पते, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। डेयरी को मिलावटी/खराब या सिन्थेटिक्स दूध से कितना नुकसान हुआ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अक्टूबर, 1999 में सेना को दिल्ली में दूध नहीं भेजा गया। माह नवम्बर, 1999 में 94,014 लीटर एवं माह दिसम्बर, 1999 में 61,848 लीटर टैट्रपिक दूध जैसलमेर सेना के लिये भेजा गया था, उसमें से सेना ने कोई भी दूध वापस नहीं लौटाया।

(3) जी हां। जयपुर डेयरी द्वारा कुल 5.80 लाख लीटर टैट्रपिक दूध कारगिल युद्ध के दौरान जम्मू एवं काश्मीर भेजा गया था जिसमें से दूध की कोई भी मात्रा सेना द्वारा खराब नहीं पाई गई।

(4) अब सेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान भेजे गये दूध को लौटाया ही नहीं गया तो खराब दूध के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रीन कार्ड धारकों/गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

7. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र के कोटपूतली (जयपुर) में ग्रीन कार्ड धारक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अस्पतालों में मुफ्त दवा नहीं मिलती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) ग्रीन कार्ड से मुफ्त दवा मिलने की सुविधा किन-किन अस्पतालों में किन व्यक्तियों को है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु वितरित किये गये है। इस योजनान्तर्गत मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारकों को चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाईयों में से निःशुल्क दवाईयाँ दी जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारक है को निम्नांकित चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध दवा निःशुल्क दी जाती है : —

1. बी.डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली
2. सरदार जनाना अस्पताल, कोटपूतली
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारेहड़ा
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोनावास
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवता
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांतिल
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुरा
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेठी
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोनेड़ा
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रघुनाथपुरा
12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनोता

## जयसमन्द झील उदयपुर के पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान

8. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही हैं कि जिला उदयपुर की जयसमन्द झील एशिया की प्रमुख प्राकृतिक झील की श्रेणी में आती है? यदि हां, तो क्या सरकार की इसे विकसित करने की कोई योजना है?

(2) क्या सरकार उक्त झील में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इसमें जल क्रीड़ा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## कृषि का उद्योग का दर्जा

9. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और उसका प्रारूप क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि को उद्योग का दर्जा देना एक नीतिगत प्रश्न है जिस पर भारत सरकार के स्तर पर निर्णय होने के पश्चात् ही राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

## विधान सभा क्षेत्र दानपुर के आयुर्वेदिक औषधालय

10. **श्री भाणजी (दानपुर) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में अब तक कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वर्तमान में 22 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नादिया में एक आयुर्वेद औषधालय और स्वीकृत किया गया है।

(2) जी नहीं।

## थानेश्वर शिव मंदिर पाली की भूमि पर अतिक्रमण

11. **श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला पाली के आसन जिलेलाव तहसील रायपुर में थानेश्वर शिव मंदिर की डोली की भूमि मंदिर के पुजारी के नाम से किस-किस खसरा नम्बर में कितने-कितने बीघा है? जमाबंदी की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि संबंधी कोई प्रकरण रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी, पाली व रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर तथा सहायक जिला कलेक्टर, पाली और जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष लम्बित है? यदि हां, तो कब से विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिव मंदिर की भूमि से अतिक्रमणों को अब तक नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) अब उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) आसन जिलेलाव तहसील रायपुर में मिसल बन्दोबस्त संवत 2011-2030 के अनुसार थानेश्वर शिव मंदिर के नाम से कोई खाता रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

(2) थानेश्वर शिव मंदिर की डोली के नाम से कोई खाता नहीं होने लम्बित प्रकरण संबंधी सूचना "शून्य" है।

(3) जी, नहीं। जब शिव मंदिर के नाम से कोई खाता ही नहीं है तो अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं होता।

(4) जब अतिक्रमण ही नहीं है तो अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं पर व्यय

12. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजीव गांधी पाठशालाओं के निर्माण में राज्य सकार ने कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले में व्यय की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाठशालाओं के निर्माण में राज्य सरकार ने कौन-कौन से मद से भवन निर्माण व अन्य कार्य करवाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पाठशालाओं पर व्यय की जाने वाली राशि को प्लान में नहीं दर्शाया गया था? यदि हां, तो निर्माण कार्य किस मद से करवाया गया है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जितनी जितनी राशि व्यय की गयी है उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) इन पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु दसवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, अकाल राहत एवं अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि व्यय की गयी।

(3) विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का उसी निर्दिष्ट मद में विवरण दर्ज हैं।

## राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं से सम्बन्धित सूचनाएं

| क्र.सं. | जिला | स्वीकृत पाठशालाएं | स्वीकृत भवन निर्माण | अनुमानित लागत लागत लाख रुपये |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | 213 | 161 | 344.54 |
| 2. | अलवर | 492 | 346 | 740.44 |
| 3. | बांरा | 133 | 125 | 267.5 |
| 4. | बांसवाड़ा | 451 | 320 | 684.8 |
| 5. | बाड़मेर | 1064 | 377 | 806.78 |
| 6. | भरतपुर | 190 | 190 | 406.6 |
| 7. | भीलवाड़ा | 517 | 350 | 749 |
| 8. | बीकानेर | 248 | 185 | 395.9 |
| 9. | बून्दी | 194 | 145 | 310.3 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 396 | 396 | 847.44 |
| 11. | चुरू | 190 | 101 | 216.14 |
| 12. | दौसा | 356 | 187 | 400.18 |
| 13. | धौलपुर | 205 | 123 | 263.22 |
| 14. | डूंगरपुर | 419 | 236 | 505.04 |
| 15. | गंगानगर | 316 | 176 | 376.64 |
| 16. | हनुमानगढ़ | 235 | 206 | 440.84 |
| 17. | जयपुर | 694 | 462 | 988.68 |
| 18. | जैसलमेर | 224 | 118 | 252.52 |
| 19. | जालौर | 355 | 230 | 492.2 |
| 20. | झालावाड़ | 234 | 150 | 321 |
| 21. | झुन्झुनू | 297 | 195 | 417.3 |
| 22. | जोधपुर | 832 | 310 | 663.4 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 23. कोटा | 149 | 120 | 256.8 |
| 24. करौली | 509 | 210 | 449.4 |
| 25. नागौर | 675 | 411 | 879.54 |
| 26. पाली | 218 | 202 | 432.28 |
| 27. राजसमंद | 440 | 195 | 417.3 |
| 28. सवाई माधोपुर | 264 | 144 | 308.16 |
| 29. सीकर | 525 | 289 | 618.46 |
| 30. सिरोही | 199 | 116 | 248.24 |
| 31. टोंक | 269 | 185 | 395.9 |
| 32. उदयपुर | 851 | 483 | 1033.62 |
| — योग | 12354 | 7444 | 15930.16 |

## ग्राम धुड़ीला (नागौर) के गरीबी रेखा में चयनित व्यक्ति

13. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धुड़ीला, पंचायत सींवां, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के निवासियों में से वर्ष 1995 से फरवरी, 2000 तक किन्हीं व्यक्तियों का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में चयन किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन का कब-कब, किस-किस तरीके से किसके द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयन किये गये व्यक्तियों के पास क्या-क्या सम्पत्ति है तथा इस में चयन करने के लिये क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि उक्त व्यक्ति सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार चयनित होने के पात्र थे? क्या चयनित व्यक्ति इसके पात्र नहीं थे? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है?

### उत्तर

(1) ग्राम धुड़ीला, पंचायत सींवा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के ग्रामीण परिवारों में से वर्ष 1997-98 (बी.पी.एल. सेन्सस-1997) के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 73 परिवारों का चयन किया गया। चयनित परिवारों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त परिवारों का चयन भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(1)वियो/ एग्राव/7/97 दिनांक 28.7.97 के अनुसार गणकों द्वारा सर्वे करवाकर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर किया गया। तत्पश्चात आपत्तियों एवं दावों का निपटारा अतिरिक्त कलक्टर (विकास) के स्तर पर किया गया।

(2) सर्वे प्रपत्रों के अनुसार उक्त चयनित परिवारों के पास चयन के लिये निर्धारित मापदण्ड से अधिक सम्पत्ति अथवा वार्षिक आय नहीं है। चयन का आधार संलग्न परिशिष्ट "ब" में उल्लेखित सम्पत्तियों का नहीं होना तथा वार्षिक आय रु. 20,000/- से कम होना रहा है।

(3) सर्वे प्रपत्रों एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर उक्त व्यक्ति चयनित होने के पात्र बने। इस संबंध में कोई शिकायत अभिकरण स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-"अ"

ग्राम धुड़िला, ग्राम पंचायत, सींवा पंचायत समिति लाडनूं नागौर, के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों की सूची

| क्र.सं. | चयन क्रमांक | नाम मय पिता/पति का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2210 | नाथुराम पुत्र रघुनाथ |
| 2. | 2211 | भवराराम पुत्र चन्द्राराम |
| 3. | 2212 | चौथाराम पुत्र पुसाराम |
| 4. | 2213 | शिवूड़ी पत्नि रामदेव |
| 5. | 2214 | केसाराम पुत्र मोबाराम |
| 6. | 2215 | प्रकाश पुत्र टीकूराम |
| 7. | 2216 | कानाराम पुत्र मोहनराम |
| 8. | 2217 | धर्माराम पुत्र उमाराम |
| 9. | 2218 | जेठाराम पुत्र रामूराम |
| 10. | 2219 | मांगीलाल पुत्र सुखाराम |
| 11. | 2220 | पुरखाराम पुत्र सूखाराम |
| 12. | 2221 | पूर्णाराम पुत्र लालाराम |
| 13. | 2222 | धूड़ाराम पुत्र रावताराम |
| 14. | 2223 | उंकारी पत्नि दीनाराम |
| 15. | 2224 | सदला राम पुत्र देवकरण |
| 16. | 2225 | मोड़ूराम पुत्र देवकरण |
| 17. | 2226 | राजकंवर पत्नि तेजमान सिंह |
| 18. | 2227 | बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह |
| 19. | 2228 | सन्तोष कंवर पत्नि मगन सिंह |
| 20. | 2229 | बोदूसिंह पुत्र भगवान सिंह |
| 21. | 2230 | भगवाना राम पुत्र रामनिवास |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | 2232 | दुलाराम पुत्र बनाराम |
| 24. | 2233 | तेजाराम पुत्र बनाराम |
| 25. | 2234 | इन्द्राराम पुत्र सुरजाराम |
| 26. | 2235 | धर्माराम पुत्र बनाराम |
| 27. | 2236 | श्रवणराम पुत्र जीवणराम |
| 28. | 2237 | छोटूराम पुत्र किसनाराम |
| 29. | 2238 | लालूराम पुत्र किसनाराम |
| 30. | 2239 | जीवनराम पुत्र किसनाराम |
| 31. | 2240 | पूसाराम पुत्र किसनाराम |
| 32. | 2241 | नाथुराम पुत्र हजारीराम |
| 33. | 2242 | रेवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह |
| 34. | 2243 | मोतीसिंह पुत्र बहादुरसिंह |
| 35. | 2244 | गोवीन्दराम पुत्र चन्द्राराम |
| 36. | 2245 | चुनाराम पुत्र मांगीलाल |
| 37. | 2246 | रेखाराम पुत्र खेताराम |
| 38. | 2247 | विजयसिंह पुत्र प्रेमसिंह |
| 39. | 2248 | रामदेव पुत्र पेमाराम |
| 40. | 2249 | घेवर कंवर पत्नी बाघसिंह |
| 41. | 2250 | भंवर कंवर पत्नी रणजीत सिंह |
| 42. | 2251 | समानाराम पुत्र दीनाराम |
| 43. | 2252 | भंवर सिंह पुत्र अजीतसिंह |
| 44. | 2253 | ईश्वर सिंह पुत्र बाघसिंह |
| 45. | 2254 | रतनाराम पुत्र दानाराम |
| 46. | 2255 | नंन्दराम पुत्र हीराराम |
| 47. | 2256 | इन्द्राराम पुत्र मोबाराम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 48. | 2257 | लोडूराम पुत्र मोबाराम |
| 49. | 2258 | हरदीनाराम पुत्र हीराराम |
| 50. | 2259 | मांगीलाल पुत्र किशनाराम |
| 51. | 2260 | भगवानाराम पुत्र भैराराम |
| 52. | 2261 | शंकरराम पुत्र बिड़दाराम |
| 53. | 2262 | गुमान कंवर पत्नी चिमनसिंह |
| 54. | 2263 | गीतादेवी पत्नी गिरधारीराम |
| 55. | 2264 | विनोद कंवर पत्नि लादूसिंह |
| 56. | 2265 | चुकली पत्नी रामेश्वर |
| 57. | 2266 | गोविन्दराम पुत्र किशनाराम |
| 58. | 2267 | शंकरलाल पुत्र भुगानाराम |
| 59. | 2268 | आनन्द सिंह पुत्र बालसिंह |
| 60. | 2269 | जयरामाराम पुत्र मोहनराम |
| 61. | 2270 | रूप कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह |
| 62. | 2271 | पुरखाराम पुत्र मोबाराम |
| 63. | 2272 | सावरराराम पुत्र चन्द्राराम |
| 64. | 2273 | रामलाल सिंह पुत्र मुलसिंह |
| 65. | 2274 | मदन कंवर पत्नी लिछमणसिंह |
| 66. | 2275 | कैलाश चन्द पुत्र मोटाराम |
| 67. | 2276 | किशनाराम पुत्र मोहनाराम |
| 68. | 2276 अ | चन्द्राराम पुत्र हीराराम |
| 69. | 2277 | उछव कंवर पत्नी प्रेमसिंह |
| 70. | 2277 अ | ज्ञानसिंह पुत्र उगमसिंह |
| 71. | 2278 | रामेश्वर सिंह पुत्र पूसाराम |
| 72. | 2278 अ | सेठाराम पुत्र थानाराम |
| 73. | 2279 | गोपीराम पुत्र थानाराम |

परिशिष्ट-"ब"

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत जिन परिवारों के पास निम्नांकित सुविधाओं में से कोई एक सुविधा भी उपलब्ध है तो उन परिवारों का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में चयन नहीं किया गया है।

1. दो हैक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि।
2. पक्का मकान।
3. परिवार के सदस्यों की वेतन/स्वरोजगार से वार्षिक आय रु. 20,000/- (रु. 1700/- प्रतिमाह)।
4. टेलीविजन।
5. रेफ्रीजरेटर।
6. छत का पंखा।
7. मोटर साइकिल/स्कूटर (दो पहिया वाहन)।
8. आटोरिक्शा/जीप (तिपहिया/चार पहियों का वाहन)।
9. अन्य ऐसा उपभोक्ता सामान जिसकी कीमत रु. 5000/- से अधिक हो।
10. ट्रेक्टर।
11. पावर टिलर।
12. संयुक्त थ्रेशर/हार्वेस्टर।

## रिक्त पदों पर नियुक्तियां

14. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 में सीधी भर्ती से कोई नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी नियुक्तियां किस-किस विभाग में की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 में किस-किस विभाग में कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

### उत्तर

(1) जी हां। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1999-2000 में सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-ए के कालम 3 में अंकित है।

(2) अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1999-2000 में रिक्त पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-"ए" के कालम 4 में अंकित है।

(3) समस्त प्रकार की नियुक्तियां/भर्तियां कार्मिक विभाग/वित्त विभाग की सहमति से की जा सकती है।

परिशिष्ट-ए

| क्र.सं. | विभाग का नाम | वर्ष 1999-2000 में सीधी भर्ती से नियुक्तियों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पेंशन विभाग | — | 10 | — |
| 2. | मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण वि. | 53 | 157 | — |
| 3. | जिला कलेक्टर, सीकर | 4 | 26 | — |
| 4. | जिला कलेक्टर, बीकानेर | 2 | 30 | — |
| 5. | निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग | 3 | — | — |
| 6. | जिला कलेक्टर, पाली | 5 | 18 | — |
| 7. | समाज कल्याण विभाग | 8 | 432 | — |
| 8. | संभागीय आयुक्त, बीकानेर | — | 1 | — |
| 9. | पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग | 2 | 48 | — |
| 10. | कार्मिक (ख-3) विभाग | 10 | 578 | — |
| 11. | मूल्यांकन संगठन | 3 | 11 | — |
| 12. | भू-जल विभाग, जोधपुर | 5 | 193 | — |
| 13. | पर्यावरण विभाग | — | 1 | — |
| 14. | जिला कलेक्टर, राजसमन्द | 37 | 73 | — |
| 15. | जिला कलेक्टर, टोंक | 35 | 37 | — |
| 16. | जिला कलेक्टर, बूंदी | 11 | 46 | — |
| 17. | निदेशक, चि. एवं स्वा. सेवाएं (ई.एस.आई.) | 1 | 3 | — |
| 18. | निदेशालय, नगर भूमि एवं भवन कर | — | 11 | — |
| 19. | निदेशालय, कोष एवं लेखा | — | 828 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) | — | 5 | — |
| 21. | पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग | 2 | 37 | — |
| 22. | जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा | 39 | 68 | — |
| 23. | प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, डा. सम्पू. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर। | 18 | 82 | — |
| 24. | निदेशक, उद्योग विभाग। | 2 | 134 | — |
| 25. | मुख्य अभियन्ता (प्रा) जन स्वा. अभि. वि. | 117 | 129 | — |
| 26. | जिला कलेक्टर, कोटा। | — | 49 | — |
| 27. | जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ | 47 | 74 | — |
| 28. | राज. गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण बनीपार्क, जयपुर | — | 1 | — |
| 29. | रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर | 14 | 9 | — |
| 30. | श्रम आयुक्त, राज. जयपुर | 1 | 14 | — |
| 31. | निदेशालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी वि. | 1 | 2 | — |
| 32. | तकनीकी शिक्षा विभाग | 76 | 488 | — |
| 33. | आयोजना विभाग | 6 | 435 | — |
| 34. | ह.च.मा. राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान | — | 16 | — |
| 35. | संभागीय आयुक्त, अजमेर | — | 3 | — |
| 36. | जिला कलेक्टर, जयपुर | 27 | 81 | — |
| 37. | मत्स्य विभाग | 9 | 7 | — |
| 38. | भेड़ एवं ऊन विभाग | — | 104 | — |
| 39. | मुख्य नगर नियोजक, जयपुर | — | 25 | — |
| 40. | निदेशालय, निरीक्षण विभाग | — | 18 | — |
| 41. | प्रधानाचार्य, स.प. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर | — | 68 | — |
| 42. | खान (ग्रप-1) विभाग | 13 | 150 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 43. | जिला कलेक्टर, जोधपुर | 19 | 43 | — |
| 44. | जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर | 14 | 40 | — |
| 45. | निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर | 27 | 1208 | — |
| 46. | विधि एवं विधिक कार्य विभाग | — | 72 | — |
| 47. | निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग | 1 | 43 | — |
| 48. | संभागीय आयुक्त, कोटा | — | 2 | — |
| 49. | आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग | 35 | 376 | — |
| 50. | जिला कलेक्टर, नागौर | 1 | 51 | — |
| 51. | मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा | — | 27 | — |
| 52. | शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग | 61 | 1159 | — |
| 53. | सैनिक कल्याण विभाग, सचिवालय | — | 25 | — |
| 54. | अति. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा | 15 | 100 | — |
| 55. | जिला कलेक्टर, झालावाड़ | 18 | 85 | — |
| 56. | जिला कलेक्टर, बाड़मेर | 34 | 149 | — |
| 57. | निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय इकाई, जयपुर। | 2 | 26 | — |
| 58. | संभागीय आयुक्त, जयपुर | — | 2 | |
| 59. | अल्पबचत निदेशालय | 2 | 8 | — |
| 60. | निदेशक, पशुपालन विभाग | 26 | 2646 | — |
| 61. | भाषा विभाग | — | 3 | — |
| 62. | जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर | 40 | 67 | — |
| 63. | राजस्व (ग्रुप-1) विभाग | 771 | 958 | — |
| | कुल योग | 1617 | 11592 | |

## पांचना बांध सिंचाई परियोजना संबंधी शिकायतों की जांच

15. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचना सिंचाई परियोजना कब से चालू की गई? वर्तमान में उक्त योजना का लाभ किन-किन गांवों/कस्बों/शहरों को दिया जा रहा है? इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इस पर वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी और इस वित्तीय वर्ष में अब कितनी राशि व्यय किये जाने का लक्ष्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना मात्र कागजों तक ही सिमट कर रह गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या अब सरकार इस नहर की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना के लाभान्वित कृषकों ने राज्य सरकार को शिकायत की है कि इस योजना से उनको पानी सही समय पर पूर्ण मात्रा में नहीं मिल रहा है तथा पानी वितरण में काफी असमानता का व्यवहार किया जा रहा है और पानी नहर के आखिरी छोर तक नहीं पहुंचता है? क्या सरकार ग्राम रेडअयल, चांदन गांव, कोडिया, अगकरपुर के वंचित किसानों को नहर का पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या किसानों ने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्रेषित की हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। सरकार ने उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की है इसमें कौन-कौन लोग दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पांचना सिंचाई परियोजना पर एनिकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) पांचना सिंचाई परियोजना वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ की गई थी वर्तमान में लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। इस परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्रफल 9985 हैक्टेयर है वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक कुल राशि रुपये 1049.76 लाख व्यय किये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष में 99-2000 में 500 लाख रुपये व्यय किये जाने का लक्ष्य है। परियोजना की अनुमानित राशि रुपये 85 करोड़ है।

(2) जी नहीं। परियोजना पर प्रगति निम्नानुसार है।

1. मिट्टी का बांध 100%

2. स्पिलवे का निर्माण कार्य 50%

3. नहरों एवं वितरिकाओं का निर्माण कार्य 70%

परियोजना का कार्य मार्च, 2002 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कोई नहर क्षतिग्रस्त नहीं है।

(3) पांचना बांध की पूर्ण सिंचाई जल क्षमता 1860 एम.सी.एफटी. के विरुद्ध अभी केवल मात्र 535 एम.सी.एफटी. जल संग्रहण होने से आंशिक सिंचाई सुविधा समयानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। पानी वितरण में किसी तरह की असमानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। पानी ब्रांच नहरों के आखिरी छोर तक पहुंचा है। रेण्डायल, चांदन गांव, कोडिया, अकबरपुर गांवों को भी वर्तमान में आंशिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन गांवों में परियोजना के पूर्ण होने पर लक्ष्यानुसार सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा शिकायतें प्राप्त होती रही है, जांच के उपरान्त अभी तक किसी को दोषी नहीं पाया गया है। वर्तमान में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ब" सदन के पटल पर रख दी है। इसकी जांच के आदेश दे दिये गए हैं।

(5) जी नहीं। पांचना परियोजना की परिकल्पना में एनीकट निर्माण का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

## पांचना बांध से हो रही सिंचाई की ग्रामवार सूची

| क्र.सं. | नाम ग्राम | तहसील | प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र (हैक्टर में) | वर्तमान में हो रही सिंचाई (हैक्टर में) | कमाण्ड/ अनकमाण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | केमरी खुर्द | गंगापुर | 148.39 | 15.32 | कमाण्ड |
| 2. | खण्डीप | " | 1531.98 | 726.53 | " |
| 3. | किशोरपुर | " | 246.74 | 281.13 | " |
| 4. | पीलौदा | " | 408.10 | 410.60 | " |
| 5. | बगलाई | " | 369.24 | 225.79 | " |
| 6. | मौहच्या | " | 517.34 | 182.79 | " |
| 7. | रेन्डायलगुर्जर तुर्क | " | 46.62 | 54.63 | " |
| 8. | खेडलाजनकपुर | " | 128.02 | 57.53 | " |
| 9. | चकरेडायल तुर्क | " | 69.07 | 54.63 | " |
| 10. | चकरेडायल गुर्जर | " | 299.12 | 8.03 | " |
| 11. | बाढरायल | " | 118.83 | 35.24 | " |
| 12. | शिवाला | " | 472.81 | 257.22 | " |
| 13. | खेडली | " | 396.20 | 224.97 | " |
| 14. | सुन्दरपुर | " | 202.90 | 100.77 | " |
| 15. | नयागांव | " | 248.22 | 96.09 | " |
| 16. | रानोली | टोडाभीम | 381.08 | 11.12 | " |
| 17. | शेखपुर | " | 411.32 | 9.98 | " |
| 18. | किरवाडा | " | 276.97 | 51.03 | " |
| 19. | भोटवाड़ा | " | 322.50 | 14.31 | " |
| 20. | अय्यापुरा | " | — | 24.91 | अनकमाण्ड |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | दुब्बी | हिण्डौन | 94.54 | 100.77 | कमाण्ड |
| 22. | अकबरपुर | " | 406.07 | 8.66 | " |
| 23. | चान्दनगांव | " | 285.57 | 32.71 | " |
| 24. | कोडिया | " | 244.39 | 49.50 | " |
| 25. | रोन्सी | नादौती | 540.03 | 88.45 | " |
| 26. | केमला | " | 550.20 | 513.06 | " |
| 27. | कुंजेला | " | 129.14 | 20.20 | " |
| 28. | वजीरपुर | गंगापुर | — | — | अनकमाण्ड |
| 29. | चकरेडायल गुजर | " | — | 20.28 | " |
| 30. | कुसाय | " | — | 46.15 | " |
| 31. | पावटा | " | — | 24.69 | " |
| 32. | मीनावडादा | " | — | 3.82 | " |
| 33. | खरेडा | " | — | 68.01 | " |
| 34. | फुलवाडा | " | — | 27.05 | " |
| 35. | नौरंगाबाद | हिण्डौन | — | 12.03 | " |
| 36. | पीपलपुरा | करौली | — | 2.00 | " |
| 37. | आडीहुबपुरा | " | — | 11.33 | " |
| 38. | सैंगरपुरा | " | — | 21.29 | " |
| | योग | | 8846.39 | 3825.17 | |

उपरोक्त विवरण वर्ष 1998-99 की सिंचाई पर आधरित है।

परिशिष्ट-"ब"

**कार्यालय देहात ब्लाक कांग्रेस आई, गंगापुर सिटी**

भंवरपाल मीणा
अध्यक्ष
देहात ब्लाक कांग्रेस आई, गंगापुर सिटी,
जिला सवाई माधोपुर (राज)

प्रेषित : —
श्रीमान् उप जिला कलेक्टर महोदय
उपखण्ड-गंगापुर सिटी

क्रमांक

दिनांक : 1.3.2000

विषय : किसानों की पांचना नहर से पानी दिलवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सब तहसील क्षेत्र बजीरपुर के एरिया के किसानों की फसल में पानी की कमी से फसल सूख रही है और माह नवम्बर 99 में पावटा में पानी बटवारे की मीटिंग में पांचना परियोजना के एईएन जईएन एवं एक्सईएन एवं उप जिला कलेक्टर हिण्डौन भी उपस्थित थे जिसमें किसानों की पांचना नहर से पानी बंटवारा में 90 दिन की पानी सप्लाई हेतु निर्णय लेकर किसान को आश्वासन देकर गेहूं की पैदा करने के लिए कहा गया जिसमें प्रथम पानी 45 दिन द्वितीय पानी 30 दिन तृतीय पानी 15 दिन की सप्लाई का आश्वासन दिया गया।

जिसके उपरान्त प्रथम पानी की सप्लाई देने के बाद से सप्लाई बन्द कर दी गई। पानी की कमी से किसानों की फसल सूख रही है एवं नष्ट हो रही है किसान को बाध्य होकर कोई भी शरण लेनी होगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न कि किसान एवं जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्रीमानजी से निवेदन है कि सूख रही फसल को बचाने हेतु किसानों को शीघ्र ही पांचना नहर से पानी की सप्लाई चालू करवाकर राहत पहुंचाई जावे आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय

(तारांकित प्रश्न संख्या-16)

स्थगित

## विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चिकित्सालय में रिक्त पद

17. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में कितने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कहां-कहां पर कितने-कितने पद रिक्त हैं? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं 60 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। सूची संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण सूची में संलग्न है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से पदोन्नत विशेषज्ञ उपलब्ध होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राज्य सरकार से नवीन नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त होने पर राज. लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों के प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी प्रथम रेड़ियोग्राफर, वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर नर्स श्रेणी द्वितीय लेब टैक्निशियन, नेत्र सहायक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा। कनिष्ठ लेखाकार का पद निदेशक कोष एवं लेखा विभाग द्वारा पदस्थापन किये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

## भाग (I) व (II) की सूचना

| क्र.सं. | संस्थान का नाम | पदनाम | स्वी. | रिक्त | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सा.स्वा. केन्द्र, सिवाना | कवि. (ओ) | 1 | – | |
| | | कवि. (शल्य) | 1 | 1 | |
| | | वचि.अ. | 2 | 1 | एक चि.अ. पद विरुद्ध |
| | | नर्स-प्रथम | 1 | – | |
| | | नर्स द्वितीय | 5 | | |
| | | रेडियोग्राफर | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का. | 1 | – | |
| | | वाहन चालक | 1 | – | |
| | | व. लि. | 1 | – | |
| | | वार्ड/स्वीपर | 4 | – | |
| | मा. शि. क. सिवाना | नर्स-द्वितीय | 1 | – | |
| | | मा. स्वा. का. | 1 | – | |
| 2. | सा. स्वा. केन्द्र समदड़ी | क. वि. (ओ) | 1 | – | |
| | | क. वि. (शल्य) | 1 | 1 | |
| | | व. चि. अ. | 1 | – | |
| | | चि. अ. | 3 | – | |
| | | नर्स-प्रथम | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 7 | 1 | |
| | | लैबटैक्निशियन | 2 | – | |
| | | सहा. रेडियो. | 1 | – | |
| | | स्वा. निरी. | 1 | – | |
| | | नेत्र सहायक | 1 | 1 | |
| | | व.लि. | 1 | 1 | |
| | | क. लि. | 1 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वाहन चालक | 1 | – | |
| | | वार्डबॉय/स्वीपर | 4 | – | |
| | | कनि. लेखाकार | 1 | 1 | |
| | ग्रा. प. क. समदड़ी | म. स्वा. दर्शिका | 1 | – | |
| | | मा. स्वा. कार्य. | 2 | – | |
| | | वाहन चालक | 1 | – | |
| | | मले. निरीक्षक | 1 | – | |
| 3. | सा. स्वा. केन्द्र, सिणधरी | क. वि. (ओ) | 1 | – | |
| | | क. वि. (शल्य) | 1 | 1 | |
| | | क. वि. (स्त्री) | 1 | – | |
| | | क. वि. (शिशु) | 1 | – | |
| | | व. चि. अ. | 1 | 1 | |
| | | चिं. अ. | 3 | 1 | |
| | | नर्स-प्रथम | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 4 | – | |
| | | सहा. रेडियो. | 1 | – | |
| | | लैब टैक्नि. | 2 | – | |
| | | व. लि. | 1 | 1 | |
| | | क. लि. | 1 | – | |
| | | क. लेखाकार | 1 | 1 | |
| | | नेत्र सहायक | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का | 1 | – | |
| | | वार्डब्वाय/स्वीपर | 4 | – | |
| | | स्वा. निरीक्षक | 1 | 1 | |
| | पी.पी.सी. सिणधरी | म. स्वा. दर्शिका | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का | 1 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ओ. टी. नर्स | 1 | – | |
| | | ओ. टी. अटे. | 1 | – | |
| | | मले. निरीक्षक | 1 | – | |
| | मा. शि. क. केन्द्र, सिणधरी | नर्स-श्रेणी-II | 1 | – | |
| 4. | प्रा. स्वा. केन्द्र, पादरू | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-II | 1 | – | |
| | | व. लि. | 1 | 1 | |
| | | क. लि. | 1 | 1 | |
| | | म. स्वा. दर्शिका | 1 | 1 | |
| | | लैब टैक्निशयन | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| | | वार्डब्वाय/स्वीपर | 3 | 1 | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र राखी | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का | 1 | – | |
| | | म. स्वा. दर्शिका | 1 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | – | |
| | | व. लि. | 1 | 1 | |
| | | क. लि. | 1 | 1 | |
| | | वार्डब्वाय | 2 | 1 | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, अजीत | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 2 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का | 1 | – | |
| | | वार्डब्वाय/स्वीपर | 2 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, रमणिया | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 1 | – | |
| | | म. स्वा. का | 1 | 1 | |
| | | लैब टैक्नि. | 1 | – | |
| | | वार्डब्वाय/स्वीपर | 3 | 1 | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, खण्डप | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 2 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य | 1 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | – | |
| | | वार्डबॉय/स्वीपर | 3 | 2 | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, मोकलसर | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 2 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य | 1 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | – | |
| | | वार्डबॉय/स्वीपर | 2 | – | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, दांखा | चि. अ. | 1 | 1 | |
| | | नर्स-द्वितीय | 1 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | 1 | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| | | वार्ड बॉय/स्वीपर | 2 | 1 | |
| | प्रा. स्वा. केन्द्र, पायलाकलां | चि. अ. | 1 | – | |
| | | नर्स-द्वितीय | 2 | – | |
| | म. स्वा. कार्य | म. स्वा. कार्य | 1 | – | |
| | | लैब टैक्निशियन | 1 | – | |
| | | वार्डबाय/स्वीपर | 3 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| उपकेन्द्र | | | | | |
| 1. | उच्चीकृत उपकेन्द्र, नईकोटडी | नर्स-श्रेणी-II | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 2. | यथा- रातडी | नर्स श्रेणी-II | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 3. | यथा- इन्द्राणा | नर्स श्रेणी-II | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 4. | यथा- मज्जल | नर्स श्रेणी-II | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 5. | यथा- करमावास | नर्सश्रेणी-II | 1 | – | |
| | | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 6. | उपकेन्द्र, ढीढस | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 7. | उपकेन्द्र, कुण्डल | यथा | 1 | – | |
| 8. | उपकेन्द्र, ईटवाया | यथा | 1 | 1 | |
| 9. | उपकेन्द्र, मेली | यथा | 1 | – | |
| 10. | उपकेन्द्र जेठन्तरी | यथा | 1 | – | |
| 11. | उपकेन्द्र, अर्थण्डी | यथा | 1 | – | |
| 12. | उपकेन्द्र, कम्मो का वाड़ा | यथा | 1 | – | |
| 13. | उपकेन्द्र, रामपुरा | यथा | 1 | – | |
| 14. | उपकेन्द्र, धीरा | यथा | 1 | – | |
| 15. | उपकेन्द्र भागवा | यथा | 1 | – | |
| 16. | उपकेन्द्र, रानीदेसीपुरा | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 17. | उपकेन्द्र, बामसीन | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| [illegible] | उपकेन्द्र, मिठोड़ा | यथा | 1 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | उपकेन्द्रधारणा | यथा | 1 | 1 | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 20. | उपकेन्द्र, देवड़ा | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 21. | उपकेन्द्र, कुशीप | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 22. | उपकेन्द्र, देवन्दी | यथा | 1 | – | |
| 23. | उपकेन्द्र, सिलोर | यथा | 1 | – | |
| 24. | उपकेन्द्र, गोलिया | यथा | 1 | – | |
| 25. | उपकेन्द्र, फूलन | यथा | 1 | – | |
| 26. | उपकेन्द्र, मोतीसरा | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू. | 1 | – | |
| 27. | उपकेन्द्र, मांगला | म. स्वा. कार्य | 1 | 1 | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 28. | उपकेन्द्र, तेलवाड़ा | म. स्वा. कार्य. | 1 | 1 | |
| 29. | उपकेन्द्र, मूठली | यथा | 1 | – | |
| 30. | उपकेन्द्र, गुडानाल | यथा | 1 | 1 | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू. | 1 | – | |
| 31. | उपकेन्द्र, काठाडी | म. स्वा. कार्य. | 1 | 1 | |
| 32. | उपकेन्द्र, छियाली | यथा | 1 | 1 | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 33. | उपकेन्द्र, भलडो का वाड़ा | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 34. | उपकेन्द्र, खेजडियाली | यथा , | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 35. | उपकेन्द्र, छेला | मा. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 36. | उपकेन्द्र, चिरडिया | यथा | 1 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | उपकेन्द्र, सिणेर | यथा | 1 | – | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू | 1 | – | |
| 38. | उपकेन्द्र मवडी | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 39. | उपकेन्द्र, कांखी | यथा | 1 | – | |
| 40. | उपकेन्द्र, थापण | यथा | 1 | – | |
| 41. | उपकेन्द्र, महिलावास | यथा | 1 | – | |
| 42. | उपकेन्द्र, सरबड़ी | यथा | 1 | 1 | |
| 43. | उपकेन्द्र, लूदराणा | यथा | 1 | – | |
| 44. | उपकेन्द्र, नसीर | यथा | 1 | 1 | |
| 45. | उपकेन्द्र, अर्जियाना | यथा | 1 | 1 | |
| 46. | उपकेन्द्र, पऊ | यथा | 1 | 1 | |
| 47. | उच्ची. उपकेन्द्र, इण्डाली | नर्सश्रेणी-II | 1 | – | |
| 48. | उपकेन्द्र, करना | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 49. | उपकेन्द्र, भूका | यथा | 1 | 1 | |
| 50. | उपकेन्द्र, पायलाखुर्द | यथा | 1 | – | |
| 51. | उपकेन्द्र, सड़ा | यथा | 1 | – | |
| 52. | उपकेन्द्र, भाटाला | यथा | 1 | 1 | |
| 53. | उपकेन्द्र, लोलावा | यथा | 1 | – | |
| 54. | उपकेन्द्र, फूलेरी | यथा | 1 | 1 | |
| | | एम. पी. डब्ल्यू. | 1 | – | |
| 55. | उपकेन्द्र, कादानाड़ी | म. स्वा. कार्य. | 1 | – | |
| 56. | उपकेन्द्र, धनवा | यथा | 1 | – | |
| 57. | उपकन्द्र, जूनामीठाखेड़ा | यथा | 1 | – | |
| 58. | उपकेन्द्र, चाडोकी ढाणी | यथा | 1 | – | |
| 59. | उपकेन्द्र, खारा महेचा | यथा | 1 | – | |
| 60. | उपकेन्द्र, गोलिया जीव | यथा | 1 | 1 | |

## ग्राम खिंवास (जयपुर) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

18. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व ग्राम खिंवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की सिवाय चक/गोचर भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमियों को वहां से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त ग्राम की कुल कितनी भूमि सिवाय चक्र/गोचर है? सूची सदन की मेज पर रखें। इसमें से कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्व ग्राम खिंवास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की सिवाय चक/गोचर भूमि पर 8 अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया है। उक्त अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त अतिक्रमियों में से 7 के विरुद्ध राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मौके से बेदखल कर दिया गया है तथा शेष एक अतिक्रमी केदार पुत्र हरसहाय के अतिक्रमण करने का मामला पूर्व से ही सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त अतिक्रमण के संबंध में एक अपील न्यायालय अपर कलक्टर तृतीय, जयपुर के यहां पत्रावली सं. 273/99 विचाराधीन है तथा इसी क्रम में एक वाद सिविल न्यायालय (क.ख), जयपुर में विचाराधीन है। जिसमें प्रकरण में मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित हैं। आगामी तिथि 30.3.2000 सुनवाई हेतु नियत है।

(3) उक्त ग्राम में कुल किता 19 बिना लगानी खसरा नम्बरान की कुल भूमि 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि है। जिसमें ख.नं. 71 गै.मु. तलाई पर 6 व्यक्तियों का 11 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण हुआ तथा 6 किता खसरा नम्बरान की 55 बीघा 16 बिस्वा भूमि चरागाह है। जिसमें ख.नं. 135 में दो व्यक्तियों का 14 बिस्वा पर अतिक्रमण हुआ। सिवाय चक व चारागाह भूमि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

## किस्म सिवाय चक

| क्र.सं. | ख.नं. | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| | | बीघा-बिस्वा | |
| 1. | 56 | 1-12 | गैमु. नला |
| 2. | 134 | 1-08 | गैमु. नला |
| 3. | 151 | 3-06 | गैमु. नला |
| 4. | 153 | 2-00 | गैमु. नला |
| 5. | 155 | 1-06 | गैमु. नला |
| 6. | 158 | 0-08 | गैमु. नला |
| 7. | 169 | 4-02 | गैमु. नला |
| 8. | 71 | 3-07 | गैमु. तलाई |
| 9. | 28 | 0-06 | गैमु. आबादी |
| 10. | 77 | 5-12 | गैमु. आबादी |
| 11. | 35 | 1-19 | गैमु. श्मशान |
| 12. | 54 | 1-13 | गैमु. रास्ता |
| 13. | 68 | 0-05 | बारानी रास्ता |
| 14. | 74 | 0-15 | गैमु. रास्ता |
| 15. | 84 | 0-17 | गैमु. रास्ता |
| 16. | 103 | 0-03 | गैमु. रास्ता |
| 17. | 118 | 0-11 | चाही, रास्ता |
| 18. | 146 | 0-05 | बारानी रास्ता |
| 19. | 148 | 0-04 | रास्ता |
| | | किस्म चरागाह | |
| 1. | 57/1 | 3-02 | |
| 2. | 133 | 2-01 | |
| 3. | 135 | 10-12 | |
| 4. | 152 | 9-11 | |
| 5. | 154 | 5-08 | |
| 6. | 156 | 24-12 | |

## सूची अतिक्रमी ग्राम खिवास तहसील जमवारामगढ़

| क्र.सं. ग्राम | नाम अतिक्रमी | ख. नम्बर | कुल रकबा | किस्म जमीन | अतिक्रमित रकबा | वि. वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. खेमावास | केदार दत्तक हरसाय हरि. जा. | 79 | 31)2 | गै. मुत्रा. | 1) | |
| 2. " | प्रभात पुत्र रतना खुमार | 79 | 31)2 | " | )2 | |
| 3. " | सीताराम पुत्र राम सहाय हरि. जा. | 79 | 31)2 | " | )9 | |
| 4. " | प्रसादीलाल पुत्र मागा हरि. जा. | 79 | 31)2 | " | )9 | |
| 5. " | घासी पुत्र सोहन हरि. जा. | 91 | 31)2 | " | )9 | |
| 6. " | जगदीश पुत्र नरसी हरि. जा. | 79 | 31)2 | " | )9 | |
| 7. " | खेड पुत्र नहनू जाति बलाई | 135 | 10 ॥)2 | चरागाह | 1) | |
| 8. " | भौरीलाल पुत्र रामसहाय बलाई | 135[1] | 10 ॥।)2 | चरागाह | 1) | |

गे. मु. तलाई अतिक्रमण रकबा

11)9

चरागाह

11)

**चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व**

19. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के वर्ष 1999-2000 के बजट में करों द्वारा कितने राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था तथा फरवरी, 2000 तक की अवधि में कुल कितनी राशि वसूल हुई ?

(2): राजस्व प्राप्ति में कमी के क्या कारण रहे ?

**उत्तर**

(1) राज्य के वर्ष 1999-2000 में बजट में विभिन्न करों द्वारा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तथा वसूली का विवरण संलग्न सूची के अनुसार है।

(2) विद्युत शुल्क की राशि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के पास है। अन्य मदों में राजस्व प्राप्ति के अंतिम आंकड़े माह मार्च, 2000 के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

संलग्नक "अ"

राशि करोड़ों में

| क्र.सं. | कर मद का विवरण | लक्ष्य बजट के अनुसार | वसूली माह फरवरी, 2000 तक |
|---|---|---|---|
| 1. | 0040 बिक्री कर | 2430.00 | 2131.68 |
| 2. | 0030 रजिस्ट्रेशन स्टाम्प | 450.00 | 323.21 |
| 3. | 0039 आबकारी | 1195.00 | 846.96 |
| 4. | 0041 परिवहन | 412.25 | 363.36 |
| 5. | 0035 नगर भूमि एवं भवन कर | 23.00 | 18.57 |
| 6. | 0043 विद्युत कर/शुल्क | 97.71 | 1.51 |
| 7. | 0045 मनोरंजन एवं विलासिता कर | 45.60 | 43.50 |
| 8. | 0029 भू-राजस्व | 37.56 | 20.16 |
| | योग | 4691.12 | 3748.95 |

## कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ (अलवर) हेतु स्वीकृत राशि

20. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दसवें वित्त आयोग में पंचायत समिति कठूमर व लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के लिये राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति को कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत राशि का उपयोग किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस कार्य में तथा कब-कब व कितनी-कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 96-97 से 98-99 तक राशि रुपये 77.89 लाख पंचायत समिति कठूमर को तथा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को राशि रुपये 80.42 लाख आवंटित की गई है।

(2) कठूमर पंचायत समिति के कार्यों पर दसवें वित्त आयोग की राशि रुपये 71.07 लाख व्यय की गई। संलग्न कार्यों की सूची में दिखाये गये व्यय में राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि से किया गया व्यय भी सम्मिलित है।

लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में दसवें वित्त आयोग की राशि रुपये 78.45 लाख व्यय की गई है। संलग्न कार्यों की सूची में दिखाये गये व्यय में राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि से किया गया व्यय व जन सहयोग से किया गया व्यय भी सम्मिलित है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

**(तारांकित प्रश्न संख्या-21)**

स्थगित

## बीसलपुर परियोजना से टोंक क्षेत्र में सिंचाई

22. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना की संशोधित योजना में टोंक जिले की टोंक, देवली, उनियारा तहसीलों के 241 ग्रामों की कुल 76,700 हैक्टयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई प्रस्तावित की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित सिंचाई नहरों का सर्वे का कार्य करवा लिया गया है? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार नहरों के निर्माण का कार्य कब से चालू कर दिया जावेगा ? तहसील देवली व उनियारा के ग्रामों की सर्वे के हिसाब से कितनी भूमि सिंचित होगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संशोधित सर्वे में तहसील देवली के अब 32 ग्रामों की भूमि शामिल है ? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम निवारिया, तहसील देवली को आर.डी.आई. "लिफ्ट" से पानी पहुंचाने के लिए वहां की संघर्ष समिति ने गत वर्ष ज्ञापन दिया था? क्या उस पर मा. मंत्री महोदया ने परीक्षण के आदेश विभाग को दिये थे?

(5) क्या यह सही है कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों? क्या अब इस पर आदेश देने का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान में बीसलपुर परियोजना से टोंक जिले की टोंक देवली, उनियारा तहसील के 219 ग्रामों की कुल 68293 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है।

(2) जी हां। नहरों का कार्य 1993-94 से प्रगति पर है। देवली व उनियारा तहसील के ग्रामों की सर्वे के अनुसार क्रमशः 15793 व 19576 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी है।

(4) जी हां। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं परीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(5) जी हां। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर अध्ययन किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## बछड़ों की बिक्री पर रोक

23. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर का रामदेव पशु मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यदि हां, तो इस वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कितने पशु बिक्री हेतु मेले में लाये गये और कितने पशुओं की बिक्री हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है? क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रोक लगा दिये जाने से इस वर्ष 1999-2000 के पशु मेले में बहुत कम बछड़ों की बिक्री हुई जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 में कुल 19908 पशु बिक्री हेतु पशु पालकों द्वारा लाये गये एवं 9247 पशुओं की बिक्री हुई।

(2) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-1-2000 के अनुसार राज्य के बाहर 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों का निर्यात नहीं किया जा सकता। प्रकरण विचाराधीन है।

(3) जी हां, 1999-2000 के पशु मेले में बछड़ों की बिक्री अन्य वर्षों से कम हुई है। प्रकरण विचाराधीन है।

## सेटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क (जयपुर) में पदस्थापित चिकित्सक

24. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजकीय सेटेलाइट अस्पताल बनीपार्क, जयपुर में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? सूची चिकित्सक के नाम व पदस्थापन की अवधि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति के पश्चात् भी कुछ चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह भी सही है कि कुछ चिकित्सकों का पदस्थापन स्वीकृत पद के अलावा भी कर रखा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क जयपुर में चिकित्सकों के 17 पद स्वीकृत है, जिनमें से 16 चिकित्सक कार्यरत है तथा एक पद रिक्त है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में किसी भी चिकित्सक का पदस्थापन पदोन्नति पश्चात् राजकीय चिकित्सालय, बनीपार्क में नहीं कर रखा है सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर में एक चिकित्सक का पद रिक्त है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के अधीन एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद स्वीकृत है, जिन्हें भी कार्य सम्पादन हेतु इस संस्थान में लगा रखा है।

| क्र.सं. | नाम चिकित्सक | धारित पद | इस संस्थान में कार्यग्रहण तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | डा. के.के. सक्सैना | व.वि. (शिशुरोग) | 31.1.85 |
| 2. | डा. बी.एस. बाबेल | व.वि. (शल्य) | 10.8.96 |
| 3. | डा. वी.एस. कुन्तल | व.वि. (मेडिसन) | 12.8.98 |
| 4. | डा. आर.सी. वाधवानी | क.वि. (नेत्र) | 28.4.90 |
| 5. | डा. अभय सिंह | क.वि. (ईएनटी) | 3.7.99 |
| 6. | डा. सुनिल कुमार गुप्ता | क.वि. (शिशुरोग) | 23.4.97 |
| 7. | डा. निमिता भारती | क.वि. (स्त्री रोग) | 18.3.96 |
| 8. | डा. योगेन्द्र स्वरूप खन्ना | क.वि. (निश्चेतन) | 23.10.99 |
| 9. | डा. सी. एम. माहेश्वरी | व.चि.अ. | 27.7.90 |
| 10. | डा. दिलीप किमतकर | व.चि.अ. | 16.2.2000 |
| 11. | डा. अजेन्द्र वार्ष्णेय | चि.अ. | 11.8.94 |
| 12. | डा. सीताराम शर्मा | चि.अ. | 8.6.98 |
| 13. | डा. राजेन्द्र सिंघवी | चि.अ. | 17.10.94 |
| 14. | डा. राजकुमार विजयवर्गीय | चि.अ. | 25.9.96 |
| 15. | डा. के.के. अग्रवाल | चि.अ. | 29.6.99 |
| 16. | डा. हेमन्त शर्मा | दन्त चि.अ. | 26.6.99 |
| *17. | डा. शशि बाला सक्सैना | व.वि. (स्त्री रोग) | 1.3.96 |

*कार्य सम्पादन हेतु कार्यरत है। इनका मूल पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर में लीव रिजर्व में है।

## बस स्टेण्ड राशमी (चित्तौड़गढ़) हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

25. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की पूर्व आराजी नम्बर 947 में स्थित बावड़ी व 948 में स्थित भटेवड़ नाहर सिंह गिलुण्डिया (महाजन) के नाम दर्ज थी?

(2) क्या उक्त भूमि को नवीन पैमाइश में नये नम्बर दिये गये हैं जो वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज हैं? क्या उक्त आराजी नम्बर में अंकित भूमि के बदले श्री नाहर सिंह को कोई मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कब व किस आदेश से?

(3) क्या मुआवजा उक्त भूमि के बदले नहीं दिया गया है और न ही उक्त महाजन की सहमति ली गई है? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त भूमि को सार्वजनिक घोषित किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बस स्टेण्ड राशमी के लिए सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमि में कोई बावड़ी स्थित थी? यदि हां, तो उसका नक्शा ट्रेस की प्रति मय आराजी नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राशमी बस स्टेण्ड के पूर्व आराजी नम्बर 1124 में 954 वर्ग गज भूमि का मुजावजा दिया गया? क्या उसमें आराजी नम्बर 947 व 948 भी शामिल थे या अलग से दर्ज थे?

(6) क्या जब मुआवजे में आराजी नम्बर 947 व 948 शामिल नहीं होकर अलग थे तो किस वजह से उक्त नम्बर को सार्वजनिक घोषित किया गया?

(7) क्या ग्राम राशमी के आबादी के खसरा नं. 861 रकबा 72 बीघा 3 बिस्वा किन-किन आराजी नम्बर से मिलकर बने हैं? क्या इनमें आराजी नम्बर 947 व 948 भी सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो क्या उक्त बावड़ी राशमी की आबादी से अलग है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। ग्राम राशमी की आराजी नं. 947, 948 गत भू-प्रबन्ध में श्री नाहर सिंह गिलुण्डिया के नाम दर्ज थी, किन्तु हाल भू-प्रबन्ध संवत् 1923 से यह आराजियात भू-प्रबन्ध के नक्शे में आबादी में दर्ज है।

(2) जी नहीं। उक्त आराजियात के नवीन पैमाईश में नये नम्बर नहीं दिये जाकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे में इन्हें आबादी में सम्मिलित किया है। चूंकि अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मुआवजा भी नहीं दिया गया है।

(3) जी हां। आराजी नं. 947 बावड़ी, 948 भटवेड आबादी के मध्य में आ जाने से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार इसे नक्शे में आबादी में दर्ज किया गया है।

(4) जी नहीं। बस स्टेण्ड राशमी के लिये सरकार द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें बावड़ी स्थित नहीं थी।

(राजस्व मंत्री)

(5) जी हां।

राशमी बस स्टेण्ड बनाने के लिये आ. नं. 1124 में से 954 वर्ग गज भूमि जो अवाप्त किया गया जिसके पेटे नकद मुआवजा दिये जाने के बजाय ग्राम राशमी में आ. नं. 1159 रकबा 8.10 बीघा, 1168 रकबा 6.10 बीघा, 1186 रकबा 5.00 बीघा, 1169 रकबा 4.07 बीघा, 1167 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 5 रकबा 26.03 बीघा भूमि खातेदार को दी गई थी। जो हाल में खातेदार के वारिसान के नाम दर्ज है। इस भूमि में आ. नं. 947 व 948 सम्मिलित नहीं थे।

(6) उक्त आराजी नं. 947 व 948 क्रमशः बावड़ी व भटवेड आबादी के मध्य में आ जाने से मौके की स्थिति के अनुरूप इसे नक्शे में आबादी में दर्ज किया है।

(7) ग्राम राशमी के आबादी के ख.नं. 861 रकबा 72.03 बीघा निम्नांकित साबिक नम्बर से मिल कर बने हैं : —

| | |
|---|---|
| आ.नं.946 रकबा | 41.11 बीघा |
| आ.नं.945/1 ख | 3.14 बीघा |
| आ.नं.945/1 ग | 0.14 बीघा |
| आ.नं.945/1 घ | 6.07 बीघा |
| आ.नं.946/1 रकबा | 0.02 बीघा |
| आ.नं.946/2 रकबा | 0.02 बीघा |
| व 946 | |
| आ.नं.969 रकबा | 0.04 बीघा |
| आ.नं.970 रकबा | 0.04 बीघा |
| आ.नं.968 रकबा | 0.04 बीघा |
| आ.नं.965 रकबा | 0.05 बीघा |
| आ.नं.966 रकबा | 0.03 बीघा |
| आ.नं.967 रकबा | 0.03 बीघा |

उक्त आराजियात में आराजी नं. 947 व 948 रेकार्ड के अनुसार सम्मिलित नहीं है। किन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट नक्शे के अनुसार आराजी नं. 947 बावड़ी को एवं 948 भटवेड को आबादी से अलग नहीं दर्शाया है।

## वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को दी गई राशि में अनियमितता

26. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या गत वर्ष राज्य में दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राशि पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गई थी?

(2) क्या पंचायत व पंचायत समितियों के द्वारा उक्त राशि के खर्च करने के संबंध में कोई मानदण्ड तय किये गये थे? यदि हां, तो क्या-क्या? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दसवें वित्त आयोग की राशि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में व्यय की गई है? क्या इसमें नियमों की अनदेखी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, निर्देश क्रमांक 527 दिनांक 20.4.98 तथा 403 दिनांक 24.4.98 की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां, निर्देशों के अनुसार ही राशि व्यय की गई हैं, नियमों की अनदेखी नहीं की गई हैं।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सिंचाई विभाग के कर्मियों को चयनित वेतनमान

27. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की अलग-अलग परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी, मेट और गेज रीडरों को अलग-अलग वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) समान काम के बदले समान वेतन नियमानुसार नहीं देने के क्या कारण हैं? उक्त विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उन्हें अब समान वेतन कब तक दे दिया जावेगा?

(3) उक्त विभाग में रिक्त पदों पर आर्थिक भार नहीं पड़ने पर भी पदोन्नति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(4) क्या उक्त कर्मियों हेतु 9:18:27 का फार्मूला लागू कर दिया गया है?

### उत्तर

(1) जी नहीं, सिंचाई विभाग में नियुक्त मेट व गेजरीडर को वेतन श्रृंखला 2 ही दी जा रही है। इ.गा.न.प. के अन्तर्गत आने वाले मेटों को पूर्व में स्केल नं. 2 देय थी, परन्तु वित्त विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 16.3.98 के द्वारा इ.गा.न.प. के अन्तर्गत आने वाले मेटों को वेतन श्रृंखला 3 दे दी गई है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 8.3.90 के अन्तर्गत दिनांक 24.7.83 से पूर्व के इ.गा.न.प. के गेज रीडरों को वेतन श्रृंखला 3 स्वीकृत है एवं उपरोक्त दिनांक के बाद के इ.गा.न.प. के गेज रीडरों को वेतन श्रृंखला 2 स्वीकृत है। इ.गा.न.प. से स्थानान्तरित मेट व गेज रीडर एवं इ.गा.न.प. का कार्य-क्षेत्र विभाग के अधीन आ जाने के कारण इ.गा.न.प. के मेट व गेज रीडरों को मिलने वाली ही वेतन श्रृंखलाएं दी जा रही है। इसी कारण से वेतन श्रृंखलाओं में विसंगति है।

(2) सिंचाई विभाग में समान वेतन ही दिया जा रहा है।

(3) विभाग में कोई पद रिक्त नहीं रहता है क्योंकि सेवा निवृत्ति एवं मृत्यु के साथ ही पद भी समाप्त हो जाते हैं।

(4) जी हां। दिनांक 1.1.98 से 9, 18, 27 वर्ष का फार्मूला लागू कर दिया गया है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-28)

स्थगित

## सरपंच ग्राम पंचायत गच्छीपुरा (नागौर) द्वारा पंचायत राशि का दुरुपयोग

29. **श्री रूपाराम (डीडवाना)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत गच्छीपुरा, पंचायत समिति मकराना, जिला नागौर के सरपंच द्वारा वर्ष 1995 से 2 फरवरी, 2000 तक किस-किस मद से क्या-क्या कार्य करवाया गया? ग्राम पंचायत के अंशदान की राशि किस मद में काम में ली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सरपंच ने उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण करवाये और कितने अपूर्ण हैं?

(3) क्या राशि आवंटन के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने अपने कार्यकाल वर्ष 1995 से 2 फरवरी, 2000 तक कार्य नहीं कराये और उस राशि को वापस उसी मद में जमा करा दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम पंचायत गच्छीपुरा, पंचायत समिति मकराना जिला नागौर द्वारा वर्ष 1995 से 02.02.2000 तक विभिन्न मदों में कुल 35 कार्य करवाये गए हैं। जिसमें से 9 निर्माण कार्यों में अंशदान की राशि काम में ली गई है। कुल 35 कार्यों में उपयोग ली गई। राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(2) कुल 35 कार्यों में से 34 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक कार्य अपूर्ण है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

**परिशिष्ट-"अ"**

**विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गच्छीपुरा द्वारा वर्ष 95 से 2000 तक कराये गये निर्माण कार्यों की सूची**

| क्र.सं. | नाम कार्य व स्थान | योजना का नाम | वर्ष | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | रा.प्रा. वि. कमरा मय बरामदा निर्माण द. खुर्द | ई.ए.एस. | 93-94 | 1.00 | 89991/- | पूर्ण |
| 2. | " " | " | 94-95 | 0.75 | 74975/- | पूर्ण |
| 3. | रा.प्रा.वि. कमरा मय बरामदा निर्माण पट्टी डोबरिया | " | 94-95 | 0.75 | 74986/- | पूर्ण |
| 4. | आंगनबाड़ी केन्द्र ईटावाबामणीया | " | 95-96 | 0.93 | 93016/- | पूर्ण |
| 5. | रा.प्रा.वि. कमरा मय बरामदा द. खुर्द | " | 95-96 | 1.00 | 84983/- | पूर्ण |
| 6. | रा.प्रा.वि. कमरा मय बरामदा निर्माण पट्टी डोबरिया | " " | 96-97 | 1.00 | 84761/- | पूर्ण |
| 7. | नाली निर्माण ईटावा बामणिया | आर.जी.सी. | 96-97 | 0.75 | 74865/- | पूर्ण |
| 8. | टांका निर्माण रा.प्रा.वि.द. खुर्द | ई.ए.एस. | 96-97 | 0.222 | 21881/- | पूर्ण |
| 9. | सार्वजनिक तालाब डोबरिया | " | 96-97 | 3.00 | 299973/- | पूर्ण |
| 10. | खुर्रा निर्माण रामपुरा द. खुर्द | निर्बन्ध | 97-98 | 1.60 | 159927/- | पूर्ण |
| 11. | खुर्रा निर्माण मेघवाल मौहल्ला पट्टी डोबरिया | " | 98-99 | 1.30 | 129897/- | पूर्ण |
| 12. | नाली निर्माण ईटावा खिरचिया | " | 98-99 | 2.00 | 199960/- | पूर्ण |
| 13. | प्रा.स्वा. केन्द्र हाल निर्माण ईटावा बामणिया | जे.आर.वाई. | 97-98 | 1.70 | 170128/- | पूर्ण |
| 14. | प्रा.स्वा.केन्द्र हाल निर्माण | निर्बन्ध | 98-99 | 0.75 | 50306/- | पूर्ण |
| 15. | रा.मा.वि. दो कमरा मय बरामदा गच्छीपुरा | अकाल | 2055 | 3.00 | 307542/- | पूर्ण |
| 16. | रा.मा.वि. चार दीवारी गच्छीपुरा | " | 2055 | 3.00 | 221637/- | अपूर्ण |
| 17. | रा.गा.प्रा. ईटावा बामणिया | अकाल/टीएफसी | 2055 | 2.14 | 213997/- | पूर्ण |
| | **99-2000** | | | | | |
| 18. | समाज कल्याण भवन द. खुर्द | टीएफसी | 98-99 | 1.19 | 118800/- | पूर्ण |
| 19. | नाली निर्माण हरिजन मौहल्ला डोबरिया | " | 98-99 | 0.50 | 50096/- | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | खुरी निर्माण वार्ड नं.7 गच्छीपुरा | " | 98-99 | 0.29 | 28020/- | पूर्ण |
| 21. | रा.प्रा.वि.मैदान समतल करना द.खुर्द | " | 98-99 | 0.16 | 13120/- | पूर्ण |
| 22. | पंचायत भवन मरम्मत गच्छीपुरा | जजीएसवाई | 99-2000 | 0.50 | 49874/- | पूर्ण |
| 23. | खेली कोठा निर्माण भांबीयों की ढाणी ईटावा खिरचिया | जेआरवाई | 94-95 | 0.28 | 22550/- | पूर्ण |
| 24. | नाली निर्माण राजपूत मौहल्ला द.खुर्द | " | 95-96 | 0.50 | 49965/- | पूर्ण |
| 25. | खेली कोठा निर्माण बावरी मौहल्ला ईटावा बामणिया | " | 94-95 | 0.29 | 28927/- | पूर्ण |
| 26. | खेली कोठा निर्माण विश्नोई ढाणी द.खुर्द | " | 95-96 | 0.30 | 28882/- | पूर्ण |
| | | | | 28.90 | 2753159/- | |
| | **अनुदान एवं निजी आय** | | | | | |
| 27. | पंचायत भवन मरम्मत गच्छीपुरा | | 94-95 | 0.0555 | 5350/- | पूर्ण |
| 28. | साण्ड घर दिवार निर्माण गच्छीपुरा | | 95-96 | 0.020 | 2030/- | पूर्ण |
| 29. | रास्ता सुधार गच्छीपुरा | | 95-96 | 0.010 | 1000/- | पूर्ण |
| 30. | रास्ता सुधार ईटावा खिरचिया | | 95-96 | 0.010 | 1000/- | पूर्ण |
| 31. | रास्ता सुधार ग्राम पंचायत के सामने से मा.वि. तक गच्छीपुरा | | 96-97 | 0.010 | 980/- | पूर्ण |
| 32. | रास्ता सुधार आम गुवाड़ द.खुर्द | | 96-97 | 0.035 | 3500/- | पूर्ण |
| 33. | रास्ता सुधार पटवार भवन के सामने, गच्छीपुरा | | 96-97 | 0.30 | 3000/- | पूर्ण |
| 34. | सार्वजनिक चबुतरा, ईटावा बामणिया | | 96-97 | 0.10 | 9954/- | पूर्ण |
| 35. | खान्देडा से पानी निकासी गच्छीपुरा | | 94-95 से 97-98 | 0.40 | 39900/- | पूर्ण |
| | | | | 0.6685 | 66714/- | |

प्रति हस्ताक्षर
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
नागौर

विकास अधिकारी
पंचायत समिति
मकराना

## महलपुर माछी बांध रूपबास (भरतपुर) की मरम्मत

30. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में महलपुर माछी बांध कितने वर्ष से टूटा हुआ है? उक्त बांध के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है? अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध को पूर्ण कराकर इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र रूपवास में और भी कई बांध टूटे हुए हैं? क्या सरकार उक्त बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महलपुर काछी बांध वर्ष 1986 से टूटा हुआ है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों का पुनः निर्माण आपात विपदा कोष से वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही किया जाना सम्भव होता है। इस बांध का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु अनुमानित लागत 15.00 लाख के प्रस्ताव दिनांक 18.11.98 को सहायता विभाग को भेजे गये हैं। कार्य की स्वीकृति एवं वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर बांध का पुनः निर्माण करना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं, यह बांध रियासतकाल से निर्मित है और परोक्ष रूप में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। इसके माध्यम से मात्र पेटा काश्त होती है।

(3) जी हां। ये बांध बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हैं और इनका पुनः निर्माण आपदा राहत कोष से वित्तीय साधनों की उपलब्धता एवं स्वीकृति पर ही किया जाना सम्भव है। क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर, भरतपुर को सहायता विभाग या अन्य किसी मद में बजट उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये हैं। स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

# परिशिष्ट-2

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-3, दिनांक 24.3.2000 की प्रति)

## राजस्थान सरकार

### कार्मिक (क-2) विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष

(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

क्रमांक : प.5(51)कार्मिक/क-2/88

जयपुर, दिनांक : 18-11-1999

### परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है, किन्तु शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक के आश्रितों को नियुक्तियां पर्याप्त समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रदान की जाती है, जिसके कारण आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कृपया यह सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था करें कि सामान्यतः मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह की अवधि में प्रदान कर दी जावे। यदि आवेदन पत्र में किसी तरह की कोई कमी है तो उसे तत्परता से पूर्ण करवाई जावे।

यदि विभाग में तुरन्त ही नियुक्ति दिये जाने हेतु पद उपलब्ध नहीं है तो आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण करवाकर इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कार्मिक विभाग को तुरन्त भिजवाया जाना चाहिए कि प्रकरण का परीक्षण राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार कर लिया गया है तथा समय सीमा, आयु, योग्यता एवं आश्रित द्वारा नियम-10(3) में यथा वर्णित प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में दर्शाई गई आय की राशि/स्रोतों के आधार पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति योग्य प्रकरण है।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि कार्मिक विभाग में उपरोक्तानुसार प्राप्त हाने वाले प्रकरणों को अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु भिजवाने होते हैं जिसमें रिक्तियों की सूचना के अभाव में काफी असुविधा/विलम्ब होता है। अतः आपके अधीन विभाग में रिक्त पदों की सूचना (जिलेवार), पद की योग्यता व अनुभव, पद का वेतनमान इत्यादि की सूचना प्रत्येक माह भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि कार्मिक विभाग में प्राप्त होने वाले प्रकरणों को तुरन्त ही नियुकति हेतु भिजवाया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

(बी.पी. आर्य)
शासन सचिव

प्रे.च. 991,18

# परिशिष्ट-3

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 5, दिनांक 24.3.2000 की प्रति)

किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचित के लिए अर्हताएं पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति—

(क) राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है : परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसके 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है,

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास का असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

**परन्तु—**

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गयी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा।

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् या यदि वह इस निमित राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्वाचन के लिए पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इससे पहले, निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि यह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नामनिर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है।

**स्पष्टीकरण**—धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

# परिशिष्ट-4

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-7, दिनांक 24.3.2000 की प्रति)

## राजस्थान सरकार

### ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ-17(ई) ग्राविप/प्र1/94/3455 जयपुर, दिनांक 30.8.84

समस्त विकास अधिकारी।

विषय—विधायकों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।

विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य, राहत कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि के लिये दौरे करना होता है। इन दौरों के लिये उन्हें वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लिया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान से समन्वय स्थापित कर विधायक अपने क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। विधायक अपने कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित प्रधान को देवे तथा प्रधान उसके अनुसार पंचायत समिति के सामान्य कार्यों के लिये कार्यक्रम बनाकर विधायक की यात्रा का प्रबन्ध स्वयं के अथवा पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ कर दें।

ह.

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-"ब"

# राजस्थान सरकार

## सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.12(3)स्टे.प्रो.गै./96 जयपुर, दिनांक 26 अप्रेल, 1999

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

इस विभाग के आदेश संख्या प.23(85)साप्र/1/77 दिनांक 11.4.89 द्वारा राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु माह में 10 दिन के लिए जीप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

मा. लोकसभा के विशिष्ट सदस्यों ने राज्य सरकार को यह अवगत कराया है कि जिला कलक्टरों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु उन्हें जो जीप उपलब्ध करायी जाती है, वह उनके स्तर के अनुरूप व तकनीकी दृष्टि से सही नहीं होती है। जिसके कारण उनके भ्रमण में न केवल असुविधा महसूस की जाती है बल्कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि मा. लोकसभा सदस्यों से प्राप्त सूचना के पश्चात् उन्हें अच्छी स्थिति की जीप यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जावे। इस कार्य के लिए जीप पंचायत समिति/नगर पालिका अथवा जिला पूल से ली जा सकती है।

(एम.के. खन्ना)

विशिष्ट शासन सचिव

# परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-10, दिनांक 24.3.2000 का विवरण)

## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर

### सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

| क्र.सं. | कार्य का नाम मय स्थान | तहसील | स्वीकृति आदेश संख्या/दिनांक | स्वीकृत राशि | कार्य की स्थति पूर्ण/अपूर्ण/ चालू/चालू नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | उप्रावि. झाडीसरा में एक कमरा मय बरामदा | नागौर | 1522/24.4.99 | 1.28 | पूर्ण |
| 2. | प्रावि. भावण्डा में एक कमरा | नागौर | " | 1.28 | पूर्ण |
| 3. | राप्रावि. बैराथलकला में कमरा बरामदा | खींवसर | " | 1.28 | चालू नहीं |
| 4. | सामुदायिक भवन रूपपुरा टोरड़ा | नांवा | " | 1.50 | पूर्ण |
| 5. | शिक्षाकर्मी विद्यालय गोगेनाडा में कमरा बरामदा | नागौर | " | 1.28 | पूर्ण |
| 6. | डेगाना स्टेशन से हरिश्चन्द्र चौधरी के मकान तक डामर सड़क | डेगाना | " | 2.50 | चालू नहीं |
| 7. | राप्रावि. साडोकण में 2 कमरा मय बरामदा | नागौर | 11444/29.11.99 | 2.45 | पूर्ण |
| 8. | ग्राम सुरजनियावास में सामुदायिक भवन नागौर | नागौर | " | 2.00 | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र डेगाना में एक्सरे मशीन | डेगाना | 11991/15.12.99 | 1.97 | पूर्ण |
| 10. | राबाउमावि. नागौर में पेयजल कुण्ड | नागौर | " | 0.45 | चालू |
| 11. | राबाउमावि. नागौर में बाथरूम निर्माण | नागौर | " | 0.50 | पूर्ण |
| 12. | सामुदायिक भवन निर्माण सिणोद | नागौर | " | 2.00 | पूर्ण |
| 13. | सामुदायिक भवन निर्माण भदवासी | नागौर | " | 2.00 | पूर्ण |
| 14. | ग्राम झगड़वास एसबीबीजे. से मुरावतियों की गली होते हुए अजमेर सड़क तक नाली एवं खुर्रा | डेगाना | " | 5.00 | चालू |
| 15. | ग्राम जालसुनानक में खरंजा निर्माण | डेगाना | 1991/15.12.99 | 2.00 | चालू |
| 16. | राउप्रावि. जालसुकला में बरामदा निर्माण | डेगाना | " | 1.00 | चालू |
| 17. | राप्राविनं. 14 गिनणी वाले भैरूजी के पास नागौर में कमरा बरामदा | नागौर | " | 1.28 | चालू नहीं |
| 18. | जमा मस्जिद अकबरी के पास युनानी दवाखाना नागौर में कमरा बरामदा | नागौर | 1991/15.12.99 | 1.20 | चालू |
| 19. | ग्राम पिलनवासी नाडी खुदाई एवं बंधाई | नागौर | " | 1.25 | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ग्राम गेटन के हरसोलाव प्याउ तक डामर सड़क | मेडता | 1991/15.12.99 | 4.80 | चालू |
| 21. | शिक्षाकर्मी विद्यालय घोडारण कमरा बरामदा | नागौर | " | 1.28 | पूर्ण |
| 22. | नायकों व बंजारों की ढ़ाणी खरीकर्मसाकता में टांका निर्माण | नागौर | " | 0.50 | पूर्ण |
| 23. | सांडघर कुचेरा | नागौर | " | 2.06 | चालू |
| 24. | राउप्रावि. सिंगड़ में कमरा बरामदा | नागौर | " | 1.28 | पूर्ण |
| 25. | सामुदायिक भवन निर्माण आकला | खींवसर | " | 2.00 | पुर्ण |
| 26. | जादुओं भांबुओं की ढाणी रामसर में राजीव गांधी विद्यालय में कमरा मय बरामदा | नागौर | " | 1.28 | पूर्ण |
| 27. | ग्राम भड़ाणा में सड़क निर्माण | नागौर | " | 4.80 | चालू |
| 28. | सामुदायिक भवन निम्बड़ी कोठारिया | डेगाना | " | 2.60 | चालु |
| 29. | ग्राम सुपका में पेयजल योजना एवं गांवाई कुप की बोरिंग | डीडवाना | 12482/30.12.99 | 2.80 | चालू |
| 30. | सार्वजनिक तालाब पर खुर्रा एवं घाट निर्माण श्री बालाजी नागौर | जायल | 427/12.4.99 | 2.00 | पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | नाली निर्माण फरड़ोद | जायल | 427/12.4.99 | 0.60 | पूर्ण |
| 32. | नाली निर्माण कछौती | जायल | " | 1.00 | पूर्ण |
| 33. | खुर्रा निर्माण दुगस्ताऊ | जायल | " | 0.52 | पूर्ण |
| 34. | खुर्रा निर्माण दुगोली | जायल | " | 0.60 | पूर्ण |
| 35. | खुर्रा निर्माण जोचीणा | जायल | " | 0.50 | पूर्ण |
| 36. | खुर्रा निर्माण खदुबडी | जायल | " | 0.60 | पूर्ण |
| 37. | खुर्रा निर्माण सोमणा | जायल | " | 0.50 | चालू नहीं |
| 38. | खुर्रा निर्माण कमेडिया | जायल | " | 0.70 | पूर्ण |
| 39. | खुर्रा निर्माण मांगलोद | जायल | " | 0.50 | पूर्ण |
| | | | | 61.30 | |

| | |
|---|---|
| कुल स्वीकृत कार्य | 39 |
| पूर्ण कार्य | 24 |
| चालू कार्य | 5 |
| चालू नहीं | 10 |

अति. कलक्टर (विकास)

नागौर

# परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-14, दिनांक 24.3.2000 का विवरण)

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | | रिक्त की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | उमावि. खानपुर | प्रधानाचार्य | 1 | | 7/99 |
| | | व्याख्याता | 4 | 1 हिन्दी | 4/99 |
| | | | | 1 कृषि | 7/99 |
| | | | | 1 भूगोल | 10/96 |
| | | | | 1 चित्रकला | 4/98 |
| 2. | उमावि., सारोला, | उपप्रधानाचार्य | 1 | | 7/99 |
| | | व्याख्याता | 1 | 1 संस्कृत | 7/98 |
| | | व.अ. सामान्य | 2 | | 1/2000 |
| | | शा.शि.II | 1 | | 8/98 |
| | | पुस्तकालयाध्यक्ष-II | 1 | | 7/99 |
| 3. | उमावि हरीगढ़ | व्याख्याता | 2 | 1 रा.शा. | 7/97 |
| | | पुस्तकालयाध्यक्ष-II | 1 | 1 इतिहास | 7/98 |
| | | च.श्रे.क. | 1 | | 1/2000 |
| 4. | उमावि. पनवाड़ | व्याख्याता | 2 | 1 संस्कृत | 2/96 |
| | | | | 1 रा.शा. | 2/96 |
| | | व.अ. सामान्य | 1 | | 1/2000 |
| 5. | उ.मा.वि., दहीखेड़ा | व्याख्याता | | 1 भूगोल | 7/97 |
| | | पुस्तकालयाध्यक्ष-II | 1 | | 7/97 |
| 6. | उ.मा.वि., अकलेरा | प्रधानाचार्य | 1 | | 7/99 |
| | | उपप्रधानाचार्य | 1 | | 5/99 |
| | | व्याख्याता | 5 | 1 संस्कृत | 4/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 राशा. | 7/99 |
| | | | 2 इतिहास | 7/97 |
| | | | 1 शाशि.-I | 5/97 |
| 7. | मावि. खेंडी | वा.अ. सामान्य 1 | | 1/2000 |
| 8. | मावि. अकाल खुर्द | अध्यापक-III 3 | | 1/2000 |
| 9. | मावि., जोलपा | अध्यापक-III 3 | | 1/2000 |
| 10. | बाउमावि, खानपुर | प्रधानाचार्य 1 | | 7/99 |
| | | व्याख्याता 1 | 1 संस्कृत | 7/98 |
| 11. | बाउमावि, अकलेरा | प्रधानाचार्य 1 | | 6/98 |
| | | व्याख्याता 1 | 1 राशा. | 4/97 |
| | | पुस्तकालयाध्यक्ष-II 1 | | 11/95 |

## परिशिष्ट-7

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-19, दिनांक 24.3.2000 की सूची)

### गोविन्दगढ़ सिंचाई परियोजना ग्राम वाईज कमाण्ड क्षेत्र की सूची

| | | सी.सी.ए. (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | **अजमेर जिला** | |
| 1. | गोविन्दगढ़ | 346.00 |
| | योग : | 346.00 |
| | **नागौर जिला** | |
| 1. | लाडपुरा | 217.00 |
| 2. | कालानी कुमारन | 67.00 |
| 3. | कालानी | 145.00 |
| 4. | आलनियावास | 2.00 |
| | योग : | 431.00 |
| | कुल योग : | 777.00 |

# परिशिष्ट-8

**(अतारांकित प्रश्न संख्या-23, दिनांक 24.3.2000 का परिपत्र)**

## राजस्थान सरकार

**देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग**

जिला कलेक्टर

पाली राजस्थान

आयुक्त,

देवस्थान विभाग, उदयपुर।

क्रमांक : प.7(13)देव/99 जयपुर, दिनांक : 17.2.2000

**विषय—डोली भूमि के रेफरेन्स करने सारण आसण पाली।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री नारायण के प्राप्त प्रार्थना पत्र/ज्ञापन मूल में संलग्न कर निदेशानुसार निवेदन है कि नियमानुसार निस्तारण कर प्रार्थी को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

ह/

शासन सचिव

परिशिष्ट-1

# राजस्थान सरकार

## राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषितः (1) भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।

(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

क्रमांक : प2(4) राज-4/90/37 जयपुर, दिनांक : 13.12.91

विषय—मंदिर देवमूर्ति की खातेदारी भूमि में देवमूर्ति के साथ पुजारी के नाम के संबंध में।

1. यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है कि जिन मंदिरों की निजी भूमि है उनके संबंध में देवमूर्ति के नाम के साथ पुजारी या शिवायक के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में होना चाहिए अथवा अलग से इस प्रयोजन हेतु बनाये गये किसी अन्य रिकार्ड में। देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है तथा देव मूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी की खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस बिन्दु का विधि विभाग से भी परीक्षण कराया गया तथा विधि विभाग ने इस पर उपरोक्त राय से सहमति व्यक्त की है।

2. जमाबन्दी अभिलेख रिकार्ड ऑफ राइटस अर्थात् रिकार्ड ऑफटेनेन्सी राइटस है जिसकी प्रविष्टि से कृषकों के काश्तकारी अधिकार की अवधारणा प्रतिपादित होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जमाबन्दी में केवल काश्तकारी कानून में कृषक के अधिकार ही दर्ज किये जाते हैं। मंदिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जावेगी तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार आदि के विवाद का हल किस प्रकार होगा। यह पूर्णतया दीवानी मामले है जो केवल दीवानी न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं तथा वहीं इन्हें तय करने में सक्षम है। इनका संबंध न तो राजस्व रिकार्ड से है और न ही यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

3. राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की वसूली इत्यादि कार्यवाही की सुविधा के हिसाब से पुजारी का नाम भी देवमूर्ति के नाम के साथ जमाबंदी में लिखने की परम्परा चली आ रही है जबकि सही स्थिति यह है कि पुजारी या शिवायत का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होना चाहिए। जमाबन्दी में ऐसे इन्द्राजों का गत वर्षों में काफी दुरुपयोग किया गया है। देवमूर्ति की भूमि की खातेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज कर ली है तथा पुजारियों द्वारा हजारों वैध हस्तान्तरण/बेचान हुए है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ी है ऐसे अवैध हस्तान्तरणों/बेचानों को निरस्त करने हेतु अनगिनत "रेफरेन्स" राजस्व मण्डल को किये गये है व किये जा रहे हैं।

4. पुजारी या शिवायत का सेवा-पूजा का यदि कोई अधिकार है इसे वह एक दीवानी अधिकार है जिसका संबंध व दीवानी न्यायालय से है। राजस्व कानूनों अथवा काश्तकारों के अधिकारों से उसका कोई संबंध नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :—

(1) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(2) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(3) जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिकार्ड के कॉलम में अंकित किया जावे।

5. यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

6. इन निर्देशों की पालना दि. 2.1.92 तक अवश्य की जानी चाहिए तथा इसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें।

7. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भिजवायें।

आज्ञा से,

ह/

शासन उप सचिव

## परिशिष्ट-9

**(अतारांकित प्रश्न संख्या-30, दिनांक 24.3.2000 की प्रति)**

## राजस्थान सरकार

### वित्त विभाग

**(नियम अनुभाग)**

दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

**पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों के हितार्थ शासन की घोषणाएं**

## समझौता-पत्र

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड़) ने 11 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राज्य सरकार और महासंघ (राठौड़) के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक दौर की वार्ताओं के पश्चात् आज दिनांक 23.12.1997 को निम्नानुसार मांगों पर समझौता हुआ :—

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान वर्ष 1988-89 से दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मचारियों को नये वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु श्री एन. एस. सिसोदिया, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से किये गये विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये हैं :—

1. राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप नये वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे।

2. संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिये गये लाभ के अनुसार 40 प्रतिशत फिटमैंट बेनिफिट (Fitment Benefit) दिया जाएगा व इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 1996 को प्रभावी दरों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अंतरिम राहत की प्रथम दो किश्तों को जोड़ कर नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण किया जावेगा। वेतन श्रृंखलाओं में एफिसियन्सी बार (E.B.) होगी।

3. नए वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण दिनांक 1.9.1996 को किया जाएगा। 1.9.1996 से 31.12.1996 की अवधि के दौरान केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण (notional pay fixation) किया जायेगा। दिनांक 1.1.1997 से दिनांक 31.12.1997 की अवधि के लिए संशोधित वेतनमानों के फलस्वरूप मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के एरियर राज्य कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधी खातों में शासन द्वारा निश्चित की जाने वाली अवधि के लिये जमा करके (इम्पाउन्डेड) रखे जायेंगे।

4. राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के अनुसार बढ़े हुए वेतन का नकद भुगतान 1 जनवरी, 1998 से देय होगा।

5. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों व तिथियों के अनुसार देय होगा।

6. मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वर्तमान में मिल रहे हैं राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की दरों के अनुरूप दिनांक 1.1.1998 से देय होंगे।

7. 1.9.1998 से राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने के परिणाम स्वरूप जो कथित विसंगतियां चल रही है उन पर प्राप्त हुए ज्ञापनों पर सिसोदिया समिति आगामी तीन माह में, सुनवाई, परीक्षण व विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार उन्हें लागू करेगी।

8. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में जारी आदेशों को लागू करने व राज्य सरकार के पेन्शनर्स की पेंशन दरों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 1997 से देय होगी।

9. बढ़ी हुई पेंशन के 1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 तक की अवधि के एरियर की राशि के सम्बन्ध में पेशनरों को यह विकल्प दिया जायेगा कि या तो वे अपने सामान्य प्रावधायी निधी के खाते पुनः खुलवा कर एरियर की सरकार द्वारा संधारित एक मुश्त राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए जमा करवा दें अथवा एरियर की राशि 60 बराबर की मासिक किश्तों में नई संशोधित पेंशन के साथ प्रत्येक माह प्राप्त कर लें।

10. परिहार्य व अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से एवं उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में महासंघ (राठौड़) तथा उस विभाग के कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा, जिससे कि विभिन्न निर्णयों में कर्मचारियों की भी भागीदारी हो सके व व्यावहारिक निर्णय लिये जा सकें।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Sun Temple | Beautiful sculptures. | There are encroachments on all four sides of the temple, and the surroundings are extremely dirty, as are the interiors of the temple. There is seepage in the dome of the temple, and some of the beams have cracks. Requires conservation. |
| | Kolvi | Fifth century buddhist cages of archaeological and historical importance. | Maintained by the ASI. The caves are not easily accessible by road. |

The district of Barran, contains a number of picturesque sites including kakuni (a group of temples), Shergarh (a fort on the bank of a river), Ramgarh (Shiva temples with examples of erotic art, known to the local inhabitants as Bhand Devra). These sites have not been explored.

# परिशिष्ट-11

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-39)

### दिनांक 24.3.2000 का विवरण

परिशिष्ट-"क"

### विधानसभा क्षेत्र खारची में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण

| क.सं. | स्थान औषधालय | माह जब से पद रिक्त है |
|---|---|---|
| **आयुर्वेद चिकित्सक** | | |
| 1. | सिनला | माह मार्च 1999 से |
| 2. | कराडी | माह जनवरी, 1999 से |
| 3. | गजनीपुरा | माह मई 1999 से |
| **नर्स/कम्पाउण्डर** | | |
| 1. | जोजावर | माह नवम्बर 1997 से |
| 2. | गेनडी | माह मार्च 1999 से |

नोट—औषधालय सिनला एवं खिवाडा में नर्स/कम्पाउण्डर का पद सृजित नहीं है।

# परिशिष्ट-12

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-41)

दिनांक 24.3.2000 की सूची

| क्र.सं. | | संस्थान का नाम | रिक्त पद नाम | रिक्त पदों की संख्या | कब से रिक्त | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जायल | सा. स्वा. केन्द्र, जायल | वचि.अ. | 1 | 1.4.1999 | |
| | | प्रा.स्वा. केन्द्र रोहिणी | चि.अधि. | 1 | 27.3.1999 | |
| 2. | लाडनूं | राजचिकि.लाडनूं | कवि. गायनी | 1 | 26.3.1999 | |
| | | | वचि.अ. | 1 | 16.8.97 | |
| | | सा.स्वा. केन्द्र, निम्बीजोधा | कवि.सर्जरी | 1 | 8.12.97 | |
| | | " | कवि. मेडिसन | – | | वचि.अ. पद विरुद्ध 25.3.98 से |
| | | ब्लॉक प्रा. स्वा. केन्द्र, जसवन्तगढ़ | वचि.अधि. | 1 | 1.12.1999 | |
| 3. | डीडवाना | राचि. डीडवाना | कवि. सर्जरी | 1 | 28.9.1999 | |
| | | | ववि. मेडिसन | 1 | 19.11.1999 | |
| | | | कवि. मेडिसन | 1 | 9.4.1999 | |
| | | | कवि. गायनी | – | | चि.अ. पद विरुद्ध 1.12.99 |
| | | | कवि. नेत्र | – | | चि.अ. पद विरुद्ध 1.12.99 |
| | | | कवि. रेडियोलोजी | – | | वचि.अ. पद विरुद्ध 4.1.2000 |
| 4. | | सा.स्वा.के. छोटीखाटू | कवि. सर्जरी | 1 | 2.12.97 | |
| | | | कवि. मेडिसन | – | | चि.अ. पद विरुद्ध |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा.स्वा. केन्द्र मोलासर | वि.चि. अधि. | 1 | 26.1.1999 | |
| | | | क.वि. सर्जरी | 1 | 24.1.1999 | |
| | | | क.वि. मेड़िसन | – | | चि.अ. पद विरुद्ध 5.11.1999 |
| 5. | परबतसर | रा.चिकि. परबतसर | व.चि.अधि.– | | | अनुबंधित चि.अ.पद विरुद्ध 5.7.99 से |
| | | | क.वि. सर्जरी | – | | चि.अ. पद विरुद्ध 22.4.1999 |
| | | | क.वि. मेडिसन | – | | चि.अ. (एमडी मेडिसन) पद विरुद्ध 1.9.1991 से |
| 6. | नावां | राज. चि. कुचामन सिटी | व.चि.अ. | 1 | 7.10.99 | |
| | | | क.वि. सर्जरी | 1 | 7.10.99 | |
| | | | क.वि. मेडिसन | 1 | 7.10.99 | |
| | | | क.वि. शिशु | 1 | 12.10.99 | |
| | | प्रा. स्वा. के., बांवरला | चि.अ. | 1 | 10.3.2000 | |
| 7. | मेडता सिटी | राज.चि. मेड़तासिटी | व.वि.अ. | 1 | 6.2.99 | |
| | | | क.वि. गायनी | 1 | 24.10.99 | |
| | | प्रा.स्वा.के. कुरडाया | चि.अ. | 1 | 1.3.2000 | |
| | | सा.स्वा.के. रियाबंडी | क.वि. (मेडिसन) | 1 | 1.9.1994 | |
| | | स्वा.के. मूण्डवा | व.चि.अधि. | 1 | 8.7.99 | |
| | | | क.वि. मेडिसन | 1 | 22.12.99 | |
| | | सा.स्वा.के. कुचेरा | क.वि.सर्जरी | 1 | 18.6.99 | |
| | | | क.वि. मेडिसन | – | | चि.अ. पद विरुद्ध 9.7.99 |
| 8. | नागौर | राज. चि. नागौर | क.वि. पैथोलोजी | 1 | 1/97 | |
| | | | क.वि.टी.बी. | 1 | 7.3.2000 | |
| | | | चिकि. अधि. | 1 | 1.3.2000 | |
| | | लेप्रोसी यूनिट नागौर | चिकि.अधि. | 1 | 20.3.95 | |
| 9. | मकराना | सूचना शून्य | | | | |